नवम माला, खंड 8, अंक 8 ;

,सवार, 21 अगस्त, 1990
30 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

123	अंतिम पंक्ति	"श्री दिलपी सिंह भूरिया" के स्थान पर "श्री दिलीप सिंह भूरिया" पढ़िये ।
167	12	"श्री भोगेन्द्र भा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये ।
	अंतिम पंक्ति	प्रश्न संख्या "208" के स्थान पर "2058" पढ़िये।
171	नीचे से पंक्ति 2	प्रश्न संख्या " 2 65" के स्थान पर "2065" पढ़िये ।
199	10	शीर्षक में "चमन" के स्थान पर "चयन" पढ़िये ।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 21 अगस्त, 1990/30 श्रावण, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
14	12	"श्री दिनेश गोस्वामी" के स्थान पर "श्री दिनेश गोस्वामी" पढ़िये।
25	6	"श्री लंरंग साय" के स्थान पर "श्री ए0लरंग साय" पढ़िये।
59	नीचे से 6	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
60	नीचे से 7	"श्री प्यादे लाल हान्डू" के स्थान पर "श्री प्यारे लाल हान्डू" पढ़िये।
73	7 15	"ल्टेशन" के स्थान पर "स्टेशन" पढ़िये।
77	8	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
78	नीचे से 8	"श्री माहेश्वरीसिंह" के स्थान पर "श्री महेश्वर सिंह" पढ़िये।
84	नीचे से 7	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) और (ख)" अंत: स्थापित करिये।
91	12	प्रश्न संख्या "1965" के स्थान पर "1963" पढ़िये।
92	9	"डा0विश्वासनाथम" के स्थान पर "डा0विश्वनाथम" पढ़िये।
105	6	"श्री लोकेन्हे सिंह" के स्थान पर "श्री लोकेन्द्र सिंह" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जावेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 8, मंगलवार, 21 अगस्त, 1990/30 श्रावण, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 163 से 165 और 167	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—221
तारांकित प्रश्न संख्या : 166 और 169 से 182	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1880 से 2114	
हिन्दी का प्रयोग तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के बारे में	221—222
	224—230
सभा पटल पर रखे गए पत्र	222—224
राज्य सभा से संदेश	224
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	231
चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1990-91	231
विवरण प्रस्तुत	
नियम 377 के अधीन मामले	231 235
(एक) कर्नाटक में चित्रदुर्ग का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग	
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा	231- 235
(दो) बिहार में फतुहा और इस्लामपुर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर चालू किए जाने की मांग	
श्री आर० एस० प्रसाद	232
(तीन) उड़ीसा बैतरणी नदी पर बांध के निर्माण की परियोजना को मंजूरी देने और उसे आठवीं योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग	
श्री अनादि चरण दास	232

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(चार)	टिहरी परियोजना में प्रस्तावित कौंफर बांध के निर्माण से प्रभावित 500 परिवारों के पुनर्वास का कार्य तेज किए जाने की मांग	
	श्री सी० एम० नेगी	232—
(पांच)	उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर को "ए" श्रेणी दिए जाने की मांग	
	श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	233
(छः)	राजस्थान में दूर संचार का विस्तार किए जाने की मांग	
	श्रीमती वसुन्धरा राजे	233—234
(सात)	बालाघाट, मध्य प्रदेश में एक कागज कारखाना खोले जाने की मांग	
	श्री कंकर मुंजारे	234
(आठ)	पनिकोइली से राची तथा क्योंझर गढ़ होते हुए पनिकोइली से राउरकेला तक सड़क चौड़ी करने का काम शीघ्र पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
	श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा	234
(नौ)	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन आने वाले निर्धन कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सीय आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा करने के लिए उसके कार्यकरण पर ध्यान दिए जाने की मांग	
	श्री के० मुरलीधरण	234—234
जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प		235—
तथा		
सशस्त्र बल (जम्मू कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प		
और		
सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री चित बसु	235—238
	श्री इन्द्र जीत	238—242
	श्री चमंपाल शर्मा	242—247

विषय	पृष्ठ
श्री मदन लाल खुराना	217—250
श्री प्यारे लाल हान्डू	250—254
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा	254—257
डा० तम्बि दुरै	259—261
श्री जनक राज गुप्त	261—266
श्री राम कृष्ण यादव	266—268
श्री शिकिहो सेमा	268—269
श्री गिरधारी लाल भार्गव	269—271
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	271
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	271—283
श्री जसवन्त सिंह	283—284
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	284—292
श्री हरीश रावत	292—294
प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य	257—258
जम्मू और कश्मीर में नियन्त्रण रेखा पर कुपवाड़ा सैक्टर के मछिल सब-सैक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली-बारी	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	257—258
कार्य-मंत्रणा समिति	294
पन्द्रहवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत	
प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक	294
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी० उपेन्द्र	294

लोक सभा

मंगलवार, 21 अगस्त, 1990/30 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बिजली की उत्पादन क्षमता और उपलब्धता

[हिन्दी]

*163. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार बिजली उत्पादन क्षमता और प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता कितनी है; और

(ख) बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता और 1988-89 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: अनुबन्ध-1 तथा अनुबन्ध-2 में दिया गया है।

(ख) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में उपलब्ध ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का इष्टतम समुपयोजन करने हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में ये शामिल हैं— (1) ताप-विद्युत केन्द्रों में उपलब्ध अव्यस्तमकालीन फालतू विद्युत का पड़ोसी प्रणालियों/क्षेत्रों में यथा सम्भव अधिक से अधिक समुपयोजन करना (2) विभिन्न राज्यों में स्थित ताप-विद्युत एवं जल-विद्युत केन्द्रों/प्रणालियों का समन्वित रूप से प्रचालन करना (3) अभिभावी ताप-विद्युत प्रणालियों और संसक्त अभिभावी जल-विद्युत प्रणालियों का समन्वित रूप से प्रचालन करना ताकि विभिन्न समयावधियों अर्थात् दिन, माह आदि के दौरान जल के आहरण को विनियोजित करके विद्युत का परस्पर अंतरण किया जा सके और (4) प्रभावी भार प्रबन्ध की व्यवस्था करना, व्यस्तमकालीन अवधियों के दौरान विद्युत की सप्लाई को प्रतिबन्धित करना तथा अव्यस्तमकालीन अवधियों के दौरान विद्युत के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

अनुबन्ध-I

31-3-1990 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता

(यूटिलिटीज)

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल (मे० वा०)
हरियाणा	1780.32
हिमाचल प्रदेश	273.57
जम्मू एवं कश्मीर	262.04
पंजाब	3048.94
राजस्थान	1721.93
उत्तर प्रदेश	5527.24
चण्डीगढ़	2.00
दिल्ली	551.60
केन्द्रीय क्षेत्र	5933.00
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	16100.54
गुजरात	4202.43
मध्य प्रदेश	3087.60
महाराष्ट्र	8185.72
गोवा	0.00
दादर एवं नगर हवेली	0.00
केन्द्रीय क्षेत्र	3600.00
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	19075.75
आंध्र प्रदेश	4064.44
कर्नाटक	2645.20
केरल	1476.50
तमिलनाडु	3874.38
पांडिचेरी	0.00
केन्द्रीय क्षेत्र	3800.00
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	15860.52

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल (मे० वा०)
बिहार	1549.43
उड़ीसा	1574.42
पश्चिमी बंगाल	2584.38
दामोदर घाटी निगम	1821.50
सिक्किम	21.29
केन्द्रीय क्षेत्र	630.00
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	8181.02
असम	537.19
मणिपुर	24.49
मेघालय	133.76
नागालैंड	6.12
त्रिपुरा	46.65
अरुणाचल प्रदेश	22.48
मिजोरम	25.82
केन्द्रीय क्षेत्र	255.01
जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	1051.52
अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह	15.19
लक्षद्वीप	4.87
अखिल भारत	63289.50

अनुबन्ध-2

वर्ष 1988-89 के दौरान बिजली की राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत
(यूटिलिटीज और गैर-यूटिलिटिज)

(किलोवाट आवर)

क्षेत्र/राज्य का नाम	1988-89*
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	328.20
हिमाचल प्रदेश	166.60
जम्मू एवं कश्मीर	172.02

1	2
पंजाब	659.66
राजस्थान	181.98
उत्तर प्रदेश	143.41
चण्डीगढ़	532.35
दिल्ली	575.80
उप जोड़	216.60
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	396.96
मध्य प्रदेश	188.27
महाराष्ट्र	372.04
दादर एवं नगर हवेली	876.08
गोवा, दमन और दिव	381.64
उप जोड़	313.63
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	218.06
कर्नाटक	232.71
केरल	148.25
तमिलनाडु	276.81
लक्षद्वीप	155.00
पांडिचेरी	527.26
उप जोड़	228.80
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	109.89
उड़ीसा	200.63
पश्चिमी बंगाल	136.72
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	127.06
सिक्किम	662.24
उप जोड़	134.96

क्षेत्र/राज्य का नाम	1988-89*
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
असम	63.29
मणिपुर	56.72
मेघालय	98.36
नागालैंड	67.08
त्रिपुरा	40.52
अरुणाचल प्रदेश	54.59
मिजोरम	49.26
उप जोड़	63.07
कुल (समस्त भारत)	216.48

*अनन्तिम

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, जो जवाब मंत्री जी ने दिया है तो इसका अर्थ यह है कि देश में कमी है ही। मगर जो स्थिति है उसमें हरियाणा में 1780 मेगावाट है, उत्तर प्रदेश में 5527 मेगावाट है, राजस्थान में 1721 मेगावाट है और पंजाब में 3048 मेगावाट है, उड़ीसा में 1574 मेगावाट है, पश्चिमी बंगाल में 2584 मेगावाट है और बिहार में 1549 मेगावाट है। अपनी काया में छोटे राज्यों से कमी है। उसका क्या कारण है और क्या समाधान है। उत्तर में यह बताया गया है कि इसका अधिकतम उपयोग करें। अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अभी रात की खबर है कि बिजली नहीं होने पर कैरेसीन या दूसरे तेल का उपयोग करते थे तो बरौनी का तेल शोधक कारखाना बन्द हो गया है। हमारे साथी सूर्यनारायण जी को रात को ज्ञात हुआ है कि वह कारखाना बन्द हो गया है और बर्मेल की उत्पादन क्षमता घटती जा रही है। खराब कोयला जो भी आता हो तो उसमें कमी है। दूसरी तरफ यह कि भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव ने 1974 में मुझे एक पत्र लिखा था, उसका उद्धरण मैं कर रहा हूं :

[अनुवाद]

"हमारे पास इतनी अधिक बिजली के लिए उपभोक्ता नहीं है।"

[हिन्दी]

यह बड़े क्षेत्र का डैम कोसी पर निर्मित नहीं किया गया। पहले इतनी बिजली का हम खर्च नहीं कर सके। एक डैम से 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन था, दूसरी तरफ बिजली के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इसका इलाज क्या करने जा रहे हैं। जो कुछ जवाब दिया हुआ है उसके बारे में बताएं।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : यह बात तो स्वीकार्य है कि बिजली की कमी है। वास्तव में अगर हम 1985-86 से अब तक की स्थिति पर गौर करें तो बिजली की कमी 10.9% तथा 7.9% के बीच रही है और अगले वर्ष भी कमी की स्थिति रहेगी। इसलिए हमें बिजली की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

अगर हमारे साथी प्रो० मधु दण्डवते बिजली क्षेत्र को और अधिक वित्त देकर मदद करें तो हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली के उत्पादन में 38369 मेगावाट की वृद्धि कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खामियां रही हैं जिन पर सभा में अनेक बार चर्चा हुई है। हमने कुछ दीर्घ-कालीन तथा अल्पावधिक योजनाएं लागू की हैं। जहां तक अल्पावधिक योजनाओं का सम्बन्ध है, आज हमें अनेक ताप विद्युत केन्द्रों की स्थिति पर निगरानी रखने की जरूरत है। हमने निर्णय लिया है कि पुराने ताप बिजली घरों के कार्य निष्पादन में सुधार किया जाए। इन बिजली घरों के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित-योजना शुरू की गई है। अब, इस कार्यक्रम के तहत कुल 31 बिजली केन्द्रों तथा 164 उत्पादन इकाईयों को लिया जा रहा है। हमने जो अन्य कार्यक्रम लिए हैं वे ये हैं : गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं में वृद्धि करना, चुने हुए विद्युत संयंत्रों पर गैस तथा तेल-ईंधन के उपयोग की अनुमति देना, विभिन्न ताप एवं पन-बिजली संयंत्रों के सम्बन्ध में नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित करना परियोजना-कार्यान्वयन को तीव्र करना, विद्युत संयंत्रों को बढ़िया किस्म का कोयला सप्लाई करना तथा कोयले की सप्लाई में सुधार लाना तथा इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। हम बिजली के परेषण में होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास कर रहे हैं तथा बिजली प्रणालियों का कारगर तरीके से पारस्परिक संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरे पास दीर्घकालिक उपायों की एक सूची है। लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी बिजली की लगभग 7.6 प्रतिशत की कमी है और वर्ष के अन्त तक कुल कमी लगभग 7.9 प्रतिशत होगी। अगर हम अपनी अपेक्षा के मुताबिक आवश्यक प्रभावी निवेश कर सके तो हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विद्युत की कमी निम्नतम स्तर पर ला सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : जो मैंने पूछा उस पर नहीं बोले। आज रात खबर आई है कि बरौनी का तेल शोधक कारखाना बन्द हो गया है। मैंने कहा कि नेपाल से आने वाली बिजली हम खर्च नहीं कर सकेंगे। वह पहले की बात है, कुछ खास बातों पर तो बोले हैं, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले में बिहार इतना कमजोर क्यों है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : बरौनी के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में जांच करूंगा। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, यह तो मानना ही होगा कि बिहार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यदि अप्रैल-जुलाई 1990 की स्थिति पर गौर करें तो पायेंगे कि बिहार में 24.3 प्रतिशत तक की कमी थी जो बहुत अधिक है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से जो 1549 मेगावाट बिहार में

दिया है यह तथ्य है ही, यह क्षमता का दिया है। आज तक बिहार के इतिहास में हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली की उपलब्धि नहीं हुई है। 1549 तो एक क्षमता के होने के बारे में बताया है। मेरी बात का खण्डन करके मंत्री जी बतायें कि आज तक बिहार में अधिकतम उपलब्धि बिजली की कितनी हो पाई है? क्षमता न कहें। 1981 में भारत सरकार से नेपाल सरकार को बड़ा क्षेत्र डैम के लिए एक योजना भेजी गई। जिसमें 3300 मेगावाट एक डैम की उत्पादन क्षमता है। कोसी से सभी डैम्स को मिलाकर 60 हजार मेगावाट जल विद्युत की क्षमता है। कोयला भी इसमें खर्च नहीं होगा। 1984 में नेपाल सरकार ने मुझे बुलाया था और मैं एक मई से चार मई तक उनके मेहमान के रूप में रहा। मगर आज तक भारत सरकार की ओर से एक पत्र तक प्राप्त नहीं हुआ, न ही याद दिलाया गया। अभी भी अनुकूल परिस्थिति कोसी के डैम के लिए है जिससे नेपाल-भारत दोनों के बीच बहुत बड़ा रूपान्तर हो जायेगा। यह दोनों के फायदे की बात है उससे अन्य फायदे भी हैं जैसे बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के, लेकिन मैं विद्युत की बात कर रहा हूं, 9 साल पहले यहां से गया। क्या अब उसमें ऊर्जा मंत्री रुचि लेंगे? पंचेश्वर करनाली का समझौता नेपाल से 1974 में हुआ, अब 14 साल से अधिक हो गये हैं, मगर उसके बारे में कोई प्रगति नहीं हुई। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी मंत्री महोदया नहीं है, वह एक वृक्ष के कटने पर हजारों वृक्षों के रोपण के काम में लगी हुई हैं और टिहरी-गढ़वाल, नर्मदा की भी हमें बता रही थी, लेकिन बिहार का मामला अभी रुका हुआ है। मैं जानना चाहूंगा ऊर्जा मंत्री जी से कि वह इस मामले में कदम आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं? जहां तक वृक्षों का मामला है पचास गुना भी वृक्ष लगाये जा सकते हैं। मंत्री जी इन सब बातों का जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : पहला प्रश्न बिजली की प्रस्थापित उत्पादन क्षमता के बारे में है। हमने दर्शाया है कि बिहार में प्रस्थापित उत्पादन क्षमता 1549 है। माननीय सदस्य का अगला प्रश्न यह था कि क्या कभी इस क्षमता को प्राप्त किया गया है। तथ्य यह है कि सारे देश की संयंत्र भार क्षमता लगभग 56 प्रतिशत है। दुर्भाग्य से बिहार में यह समस्या अधिक गम्भीर है क्योंकि बिहार में तो संयंत्र भार क्षमता मुश्किल से 34 प्रतिशत ही है और अब तो यह 26 प्रतिशत ही रह गई है। इसलिए अनुबन्ध-I में प्रस्थापित क्षमता दी गई है। लेकिन हम मानते हैं कि प्रस्थापित क्षमता के मुताबिक विद्युत उत्पादन संभव नहीं है। अनेक विद्युत संयंत्रों में तो उत्पादन हमेशा ही कम होता है। हमारा प्रयास रहा है कि उत्पादन यथासम्भव अधिकतम हो लेकिन बिहार के सन्दर्भ में यह बात हमारे ऊपर ही निर्भर नहीं है। यह अनेक पहलुओं पर निर्भर है जिसमें यह भी सम्मिलित है कि राज्य बिजली बोर्ड कैसे चलाये जाते हैं, इन पर राज्य सरकार का अधिक नियंत्रण होता है। आज दुर्भाग्य से बिहार में संयंत्र भार क्षमता के उपयोग की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। (व्यवधान) यह लगभग 34 प्रतिशत रही है। अब यह घटकर 26 प्रतिशत रह गई है और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में हमारी सहायता करें। हम इस सम्बन्ध में बिहार सरकार और बिजली बोर्ड से भी सम्पर्क कर रहे हैं।

जहां तक करनाली और पंचेश्वर जल विद्युत परियोजनाओं का सम्बन्ध है, इनके बारे में नेपाल से विचार-विमर्श चल रहा है और जहां तक कोसी परियोजना का सम्बन्ध है मेरी जानकारी के अनुसार नेपाल सरकार इस परियोजना में ज्यादा इच्छुक नहीं है। लेकिन इनके बारे में अभी अन्तिम रूप से चर्चा नहीं की गई है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने कहा है कि अतिरिक्त सचिव का पत्र हमको मिला है।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ बोल नहीं रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : नेपाल सरकार ने मुझे बुलाया था···

अध्यक्ष महोदय : आपने उनका जवाब सुन लिया कि नेपाल सरकार इसमें बंड्रस्टेड नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : अभी वर्तमान स्थिति क्या है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं नेपाल को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि हाल ही में नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। जहां तक करनाली और पंचेश्वर, इन दो परियोजनाओं का सम्बन्ध है, अभी इन पर चर्चा चल रही है। जहां तक कोसी परियोजना का सम्बन्ध है नेपाल सरकार इस ओर ज्यादा इच्छुक नहीं है। यह जानकारी मैं केवल माननीय सदस्य को दे रहा हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : संघ शासित क्षेत्र का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है और संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह काफी लम्बे समय से बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है और इसे दूर करने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कलपोंग नदी पर जल विद्युत बांध परियोजना के निर्माण के विषय में प्रस्ताव काफी लम्बे समय से उनके मंत्रालय के पास लम्बित पड़ा है। सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : यह विशिष्ट प्रश्न है। मुझे इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे दूंगा।···(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं वह इसकी सूचना दे देंगे।

श्री कादम्बुर एस० आर० जगादेसन : क्या यह सच है कि कोयले की भारी कमी के कारण कई ताप बिजली घर जो पहले अच्छा कार्य कर रहे थे अब अपनी क्षमतानुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मेरे चुनाव क्षेत्र में टूटीकोरिन ताप बिजली घर ? क्या सरकार पिछली सरकार की तरह सूझबूझ से काम लेगी जैसे कि उन्होंने आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया था जिससे कई ताप बिजली घरों की क्षमता में सुधार हुआ है और राख की मात्रा में कमी आई थी ? क्या सरकार कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे ताप बिजली घरों की सहायता करेगी ? तमिलनाडु के कई मंत्री ताप बिजली घरों के लिए कोयला प्राप्त करने के लिए कलकत्ता में रुके हुए हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : तमिलनाडु को कोयले की सप्लाई करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह समस्या बार-बार उत्पन्न होने वाली है। यदि बिजली की कमी है, तो उसके साथ ही कोयले की भी कमी होती है। यदि हम तमिलनाडु के लिए कोयले का आयात करें तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यदि मैं भी वित्त मंत्री से इस सम्बन्ध में सम्पर्क करूं तो भी वह इसके लिए सहमत नहीं होंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव : प्रत्येक बात के लिए वित्त मंत्रालय को दोष मत दीजिए··· (व्यवधान)

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : हमें वर्तमान स्थिति में ऐसा करना ही पड़ेगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : ठीक हूं लेकिन हमारे पास विदेशी मुद्रा भी तो होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति में हमें यह देखना होगा कि उपलब्ध कोयले का समुचित वितरण हो और तमिलनाडु के हितों का ध्यान रखेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं एक ऐसा अनुपूरक प्रश्न करूंगा जो मंत्री महोदय और श्री सन्तोष मोहन देव के लिए बहुत रुचिकर है।

ब्रह्मपुत्र परियोजना बोर्ड है। योजना यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित किया जाये जिससे कि प्रत्येक वर्ष या हर छह माह आने वाली बाढ़ को रोका जा सके और बिजली का उत्पादन भी किया जा सके। मैं इसके विभिन्न पहलू आपको बताता हूं। उनके अनुमानों के अनुसार 2500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। 20,000 मेगावाट की सप्लाई से बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और समूचे उत्तर पूर्व की समस्या का समाधान हो सकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हम इस संख्या को पार कर सके थे। अतः ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित करने और अन्य परियोजनाओं की कीमत पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड की परियोजना को लागू करने के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है क्योंकि यह सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र, जिसमें उत्तर पूर्व भी शामिल है, के हित में है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं माननीय सदस्य का यह प्रश्न पूछने के लिए बड़ा आभारी हूं क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे मैंने एक सदस्य के रूप में अनेक बार उठाया था। यह सच है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने दो परियोजना रिपोर्टें तैयार की हैं जिनसे देश के अधिकांश भाग को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा सकती है। निस्संदेह इस पर लागत आयी है। परन्तु दूसरी समस्या यह पैदा होती है कि···(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यूनिट लागत कम है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं इस बात से सहमत हूं कि यूनिट लागत सबसे सस्ती है। परन्तु समस्या यह है कि यदि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पानी में डूब जायेंगे। मुझे बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश सरकार इस बात से सहमत नहीं है। वे इस प्रकार से पानी में डूबने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इन परियोजनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। पिछली बार जब हमने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति के बारे में मिलकर विचार-विमर्श किया तो यह निर्णय किया गया था कि अरुणाचल सरकार, असम सरकार और केन्द्रीय सरकार मिलकर विचार-विमर्श करेंगी। हम इस विषय पर विचार करेंगे और अरुणाचल सरकार को इन परियोजनाओं की जरूरत के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। परन्तु अरुणाचल सरकार के सहयोग के बिना तथा अरुणाचल की उपेक्षा करके इन परियोजनाओं को पूरा करना कठिन है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि बिहार में लगातार दो महीने से बिजली है ही नहीं जिसके चलते वहां के

किसानों के काम और वहां के छोटे उद्योग बन्द हो गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार को बिजली देने के लिए जो डी० वी० सी० और पूर्वान्चल में पॉवर स्टेशन्स हैं जिनसे पहले बिजली मिलती थी और अब नहीं मिल रही है, तो क्या जो थर्मल पॉवर स्टेशन कहलगांव, जो भागलपुर में बन रहा है, उसको अविलम्ब पूरा कराया जाएगा जिससे वहां बिजली की पूर्ति हो सके ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : जैसा कि मैंने सभा को सूचित किया है कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। मेरा जो अनुमान है उसके आधार पर मैं सभा को आश्वासन नहीं दे सकता कि इस स्थिति में सुधार किया जाएगा। दामोदर घाटी निगम के सामने अनेक कठिनाइयां हैं। हम इन कठिनाइयों से निपटने का यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं। परन्तु जब तक बिहार की मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता 27 अथवा 30 प्रतिशत से बढ़कर 45 से 50 प्रतिशत तक नहीं होगी तब तक स्थिति खराब रहेगी। पूर्वी क्षेत्र में भी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वहां बिजली की बड़ी कमी है। अनेक परियोजनाएं विचाराधीन हैं। समस्या यह है कि बिहार में इंजीनियरों की हड़ताल चल रही है। हम बिहार और कुछ अन्य क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं परन्तु अभी कुछ समस्याएं हैं।

[हिन्दी]

श्री रतीलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिजली की तो सारे देश में कमी है लेकिन गुजरात में बरसात बहुत कम हुई है और बहुत से किसानों ने बैंक से ऋण लेकर अपने कुएं बनाए हैं और उस पर मोटर भी रखी हुई है। उनके ऋण का ब्याज बढ़ता जा रहा है लेकिन उन्हें बिजली का कनैक्शन नहीं मिल रहा है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जहां ऐसी स्थिति है, क्या ऐसी जगहों पर आप उद्योगों को महत्व देंगे या किसानों को महत्व देंगे ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : गुजरात में बिजली की स्थिति अनेक अन्य राज्यों की तुलना में इस दृष्टि से बेहतर है कि यहां 3.1 प्रतिशत की कमी है। जबकि बिहार में औसतन कमी 24 प्रतिशत और उड़ीसा में 23 प्रतिशत की कमी है। इस प्रकार गुजरात की तुलनात्मक स्थिति बहुत अच्छी है। परन्तु जैसा कि मैंने शुरू में ही स्वीकार किया है कि वहां 7-8 प्रतिशत की कमी है जिसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इस कमी की स्थिति में ही कार्य करना होगा और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के साथ यथा संभव तालमेल बैठाना होगा। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कृषि क्षेत्र को बिजली की कमी के कारण कठिनाई न हो।

श्री ललित विजय सिंह : बिहार में बिजली उत्पादन और इसकी उपलब्धता के बारे में दो विशेष प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार सरकार ने पूर्वी करनपुरा परियोजना का, जिसकी कुल लागत 2000 करोड़ रुपये है, प्रस्ताव रखा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने पर शीघ्र विचार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिहार में पर्याप्त बिजली का उत्पादन हो और वहां के लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

श्री दिनेश गोस्वामी : इस परियोजना पर निश्चय ही विचार किया जाएगा। जैसाकि मैंने माननीय सदस्यों से कहा है कि अगली पंचवर्षीय योजना में 38,369 मेगावाट की क्षमता प्राप्त करने

का उद्देश्य है। लेकिन उसमें अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। परियोजना को मंजूरी दिया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय मन्त्री ने श्री निर्मल चटर्जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र—असम, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में गैस बर्बाद हो रही है। मंत्रालय बर्बाद करने की नीति पर चल रही है। तब या तो आप उसका उपयोग करें या राज्य सरकार को उपयोग करने दें और विगत पांच वर्षों से मूल्य निर्धारण मतभेद का कारण बना रहा है। हमारे समय में इसका निर्णय नहीं किया गया था। क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अद्यतन स्थिति क्या है और क्या ऊर्जा मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ व मूल्यों के बारे में कोई समझौता कर लिया है जिस पर विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को आपूर्ति की जाएगी ताकि वे बर्बाद हो रही गैस का उपयोग कर सकें चूंकि आपने कहा है कि विभिन्न परियोजनाओं को चालू करने के लिए धन का अभाव है? लेकिन, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां धन का अभाव नहीं होगा क्योंकि अनेक संगठन वहां उद्योग चलाने को इच्छुक हैं। वे इस गैस का उपयोग करने को इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री दिनेश गोस्वामी : श्री संतोष मोहन देव के प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमारे माननीय मित्र द्वारा कर्मपुरा परियोजना के बारे में पूछे गये प्रश्न को सही करते हुए यह बता दूं कि यह नयी योजना में शामिल किया गया है। गैस के मूल्य के बारे में हमें इस पर गौर करना होगा और हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं। अभी मैं कोई वादा करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अजीत पांजा : पश्चिम बंगाल में बिजली की अत्यधिक कमी है। वास्तव में, कलकत्ता में हमें 24 घण्टों में दो या तीन घण्टे के लिए बिजली मिलती है वह भी बिना किसी सूचना दिए बवैर। मन्त्री जी ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल की बिजली उत्पादन क्षमता 2554.38 मेगावाट है। बंगाल में बिजली पांच क्षेत्रों में पैदा की जाती है। ये हैं कोलाघाट, संतालडीही, बन्डेल, कलकत्ता विद्युत आपूर्ति और भूटान के चक्खा द्वारा आपूर्ति। मैं जानना चाहता हूं कि (क) प्रत्येक बिजली घर का प्लांट-लोड फैक्टर क्या है और (ख) क्या चक्खा विद्युत परियोजना से, पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली बिजली की आपूर्ति के लिए परिषण लाइन के रख-रखाव की अच्छी व्यवस्था है? पिछली सरकार ने भूटान सरकार के साथ चक्खा से संपूर्ण उत्तरी बंगाल से लेकर फरक्का बराज तक विद्युत आपूर्ति के लिए एक समझौता किया था। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार चक्खा से बिजली प्राप्त करने के लिए पारेषण लाइनों का रख-रखाव अच्छी तरह कर रही है?

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, माननीय सदस्य को यह याद रखना चाहिए कि मैं आज के लिए ही अन्य विभाग को सम्भाल रहा हूं और इस लिए जब कोई विशिष्ट प्रश्न मुझसे किया जाता है तो जाहिर है कि हमें नोटिस मांगना होगा। जहां तक उन दो विशेष प्रश्नों का संबंध है, मैं ऊर्जा मन्त्री को इस बारे में यथाशीघ्र बता दूंगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपने 13वें प्रतिवेदन में इस बात को स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में साढ़े 18 परसेंट जो बिजली की कमी है वह बढ़कर 26 परसेंट तक हो सकती है।

मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कोई विद्युत ग्रिड बिजली घर नहीं है। अतः क्या मंत्री महोदय वहां गैस पर आधारित कोई विद्युत संयंत्र लगाने की बात स्वीकार करेंगे या ऐसा कोई प्रपोजल उनके पास विचाराधीन है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : जैसा कि मैंने कहा कि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन धन के उपलब्ध होने और योजना आयोग के रवैये पर निर्भर करता है। लेकिन गैस पर आधारित परियोजना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी के द्वारा हम बिजली स्थिति में सुधार ला सकते हैं।

राजस्थान की विद्युत परियोजनाएं

[हिन्दी]

*164. श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना, धौलपुर ताप विद्युत परियोजना, अन्ता गैस आधारित विद्युत परियोजना और जोधपुर सौर ऊर्जा परियोजना नामक चार विद्युत परियोजनाओं के स्थापना प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और इन्हें कब तक मन्जूरी दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राजस्थान की सहायता करने का विचार है ?

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) राजस्थान राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई विद्युत परियोजनाओं सहित चारों विद्युत परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा तथा इनके संबंध में स्वीकृति सम्बन्धी स्थिति अनुबन्ध में दी गई है।

आठवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है तथा आठवीं योजनावधि के दौरान किन विद्युत परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है इन परियोजनाओं के ब्यौरे की जानकारी इसको अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही प्राप्त हो सकेगी।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में उपलब्ध कराई जाती है कि किसी विशिष्ट परियोजना/कार्यक्रम के लिए।

अनुबंध

क्रम सं॰	परियोजना का नाम तथा क्षमता	प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	सूरतगढ़ 2×210 मेगावाट	मई, 84 अगस्त, 89 (संशोधित)	अन्य मूल्यांकन एजेंसियों के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इस परियोजना पर विचार किया जा रहा है तथा कोयला लिंकेज सुनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति हेतु इस पर विचार किया जा सकता है।
2.	धौलपुर 3×210 मेगावाट	मार्च, 87	पर्यावरण विभाग ने प्रस्तावित स्थल को अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि इससे पर्यावरण एवं ताजमहल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। तदनुसार राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को अन्य वैकल्पिक स्थान का पता लगाने के लिए सूचित कर दिया गया था और संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था जोकि अभी प्रतीक्षित है। वैकल्पिक स्थल का चयन किए जाने का कार्य प्रगति पर है।
3.	जोधपुर के समीप मैथानिया में 30 मेगावाट का सौर तापीय विद्युत केन्द्र		परियोजना की प्रतिष्ठापना से संबंधित कार्य को हाथ में लिया जा सकता है, यदि सभी अपेक्षित सांविधिक स्वीकृतियां एक ही समय में प्राप्त कर ली जाती है तथा अपेक्षित निवेश यथा सौर विकिरण ब्यौरे की पुष्टि कर ली जाना, अनुप्रति हेतु इंधन प्रौद्योगिकी आदि सुनिश्चित कर ली जाना इत्यादि।
4.	आंता गैस आधारित संयुक्त साइकल विद्युत केन्द्र चरण-दो 430 मेगावाट	अक्तूबर, 88	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से परियोजना का मूल्यांकन कर लिया गया है। ईंधन निवेश की प्राप्ति के पश्चात औपचारिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विद्युत की दृष्टि से जो दुर्दशा है मैं सोचता हूं कि वह हिन्दुस्तान में सबसे नीचे है। राजस्थान से सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना का प्रपोजल 23-5-84 को, चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत योजना का 1-6-84 को, धौलपुर ताप विद्युत परियोजना का 8-8-84 को, मांडगढ़ ताप विद्युत परियोजना का 20-3-85 को भेजा गया है। इसके साथ ही जोधपुर की सौर ऊर्जा का प्रपोजल 1985 में और अंतामेंद का 1986 में भेज रखा है। क्या यह सच है कि विद्युत की दृष्टि से जो भी सुविधा राजस्थान को उपलब्ध हो सकती थी, उससे सम्बन्धित सभी योजनायें पिछले 6 सालों से केन्द्र सरकार के पास पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो अब तक इस पर कार्यवाही न होने के पीछे क्या कारण और क्या दुविधा रही जिसकी वजह से इतना डिले हुआ ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य की पहले टिप्पणी का संबंध है यह कहना उचित नहीं है कि राजस्थान में बिजली की स्थिति पूरे देश की तुलना में बदतर है। जहां तक उन चार परियोजनाओं का संबंध है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, वे विभिन्न चरणों में हैं। उदाहरण के लिए, सूरतगढ़ परियोजना के सम्बन्ध में संशोधित परियोजना अनुमान तैयार किए गए हैं। इन परियोजनाओं के लिए कोयले की आपूर्ति और तकनीकी आर्थिक स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। मैं परियोजनाओं का वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकता हूं। उदाहरण के लिए, जैसाकि मैंने कहा, यद्यपि कोयला आपूर्ति सम्बन्धि स्थाई समिति ने सूरतगढ़ परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए सहमति व्यक्त की है लेकिन उस परियोजना के सम्बन्ध में कोयला आपूर्ति के आदेश मिलना बाकी है। जहां तक धौलपुर ताप विद्युत परियोजना का सम्बन्ध है पर्यावरण विभाग द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि इससे ताजमहल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार के उच्च-पदस्थ अधिकारियों की उच्चस्तरीय समिति ने एक वैकल्पिक उपयुक्त स्थल ढूंढना शुरू किया। दो स्थलों का चयन एवं मूल्यांकन किया गया और उनमें से एक को अब उपयुक्त स्थल माना गया है। जहां तक एंट स्थित गैस पर आधारित परियोजना का प्रश्न है, उसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है। इसे चालू किया जाना है। जहां तक विस्तार परियोजना का प्रश्न है सी० 3 ए० द्वारा तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया गया है जिसके अनुसार कुछ शर्तों को पूरा किया जाना है जैसे, विद्युत आपूर्ति अधिनियम की धारा 29 का पालन करना और ईंधन आपूर्ति को सुनिश्चित करना। इसलिए यह भी अंतिम चरण में है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इन चालू परियोजनाओं पर कुछ कार्यवाही नहीं की जा रही है, इन परियोजनाओं पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, अभी उत्तर मंत्री महोदय ने दिया, इस प्रश्न को पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि 1984 से लेकर आज 1990 गुजर गया लेकिन यह प्रोजेक्ट आज भी हमारे सामने वैसी की वैसी स्थिति में पड़ा है, जैसा 1984 में जब इसको पेश किया और बार-बार इस पर आब्जेक्शन लगाकर जो धौलपुर वाले प्रोजेक्ट में जो पर्यावरण की बात बताई, इसमें राज्य सरकार ने अध्ययन हेतु दिसम्बर, 1989 में सलाहकार नियुक्त किया। यह अध्ययन 1990 में...

अध्यक्ष महोदय : कटारिया जी, आपको तो स्पेसिफिक सवाल पूछना पड़ेगा । आप पढ़ेंगे तो कितना वक्त लगेगा ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो आपकी रिपोर्ट के आधार पर है···

अध्यक्ष महोदय : उद्धरण देते रहेंगे तो समय तो जायेगा न, तो आप प्रश्न पूछिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसका रैफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि आपने जब अपने अधिकारी को लगा दिया, और वह टीम 11 जून को जाकर वहां से लौटकर आ गई, उनकी रिपोर्ट आपको प्राप्त हो गई तो क्या अब मंत्री महोदय उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद आज इस स्थिति में हैं कि वह इस धौलपुर वाले प्रोजेक्ट को कब तक क्लियर कर देंगे ? उसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं आपको एकदम सही तारीख नहीं दे सकता हूं परन्तु हमें अब राजस्थान सरकार से धौलपुर में प्रस्तावित विद्युत परियोजना की मंजूरी के सम्बन्ध में एक टिप्पण प्राप्त हो गया है । इसकी सी० इ० ए० और पर्यावरण और वन मंत्रालय जांच कर रहे हैं । जैसे ही जांच कार्य पूरा हो जाएगा वैसे ही हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से मथानिया, जो जोधपुर जिले में स्थित है, जहां पर सूर्य के तापमान से सोलर पावर स्टेशन लगाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, उसके बारे में यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि करेंगे कि इस प्लांट को जोधपुर मथानिया से हटाया नहीं जायेगा, क्योंकि, ऐसी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और आरिफ साहब, जो इस मंत्रालय के मंत्री हैं, जो आज यहां नहीं हैं, उनके इन्फ्लुएंस के द्वारा इस प्लांट को वहां ले जाने का कुचक्र चल रहा है । मैं चाहूंगा मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें कि इस प्लांट को मथानिया, जोधपुर से हटाया नहीं जायेगा ।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जहां तक सौर विद्युत संयंत्रों की बात है कई तथ्यों पर अभी ध्यान देना बाकी है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी में सौर ऊर्जा का विद्युत में सीधे परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं । विभिन्न तथ्य सरकार के विचाराधीन हैं । मैं नहीं समझता कि इस परियोजना को इस वक्त कहीं और ले जाने का कोई प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्यारेलाल खंडेलवाल ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान से सम्बन्धित है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आ रहा हूं । लेकिन ऐसा नहीं है, हर मेम्बर पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं । मैं चाहूंगा खंडेलवाल जी राजस्थान में रुचि लें ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : अध्यक्ष जी, देश में बिजली की बहुत कमी है । जैसे-जैसे देश का

विकास होता जा रहा है, बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि जहां बड़ी योजनाओं को पूरा करने में समय लगता है, धन ज्यादा लगता है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करने को तैयार है कि बिजली उत्पादन की छोटी योजनाएं हाथ में लेकर बिजली की कमी को तुरन्त पूरा किया जा सके और निर्माण कार्य जल्दी होगा तथा छोटी और मध्यम योजनाएं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी, जिनसे उत्पादन जल्दी हो सके क्या ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार अपने हाथ में लेने को तैयार है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जब हमारे यहां संसाधनों की कमी होती है और संसाधनों का जितना अधिक संभव हो ठीक इस्तेमाल करना पड़ता है तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित तथ्य सहित विभिन्न तथ्यों पर विचार किया जाता है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, माननीय मंत्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से धौलपुर विद्युत संयंत्र के बारे में उत्तर दिया है। मेरे लिए बहुत कुछ पूछने के लिए नहीं है। परन्तु मैं जानना चाहूंगी कि उनका मंत्रालय धौलपुर के लिए इस विद्युत संयंत्र को कब मंजूरी देगी। मैं यह तारीख भी जानना चाहती हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : जैसे कि मैंने अभी एक प्रश्न के उत्तर में कहा है, मूल स्थल पर कुछ पर्यावरण सम्बन्धी समस्या है और इसीलिए एक नये स्थल का पता लगाना है। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट आ गयी है। इससे दो मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय सम्बद्ध है। हम इस मसले को अपनी तरफ से यथाशीघ्र निपटाने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री छोपत सिंह मक्कासर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक बार्डर स्टेट है, सीमावर्ती क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते विकास के सारे कामों में बहुत पिछड़ा हुआ है। बिजली ही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके माध्यम से उस राज्य को आगे ले जाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या इन योजनाओं को, चाहे सूरतगढ़ हो, चाहे धौलपुर हो या दूसरे सवाल हों, राजस्थान की जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं, प्रायोरिटी देकर, एक विशेष दर्जा देकर, पहल करने का कष्ट करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, इसे अधिक महत्व और प्राथमिकता देने का अनुरोध सभी राज्यों से आया है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि राजस्थान को पूरी प्राथमिकता दी गई है क्योंकि राजस्थान में 13 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका कार्यान्वयन चल रहा है। इसीलिए राजस्थान के मामले में ठीक ढंग से निपटा गया है। वस्तुतः इन आंकड़ों की तुलना में मैं महसूस करता हूं कि मेरे राज्य के लिए ठीक ढंग से कार्य नहीं किया गया है। परन्तु एक मंत्री के रूप में मैं यह नहीं कर सकता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कह रहे हैं कि आपको उत्तर दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : परन्तु उसे सीमावर्ती राज्य के रूप में, आर्थिक विकास में राजस्थान को बहुत महत्वपूर्ण राज्य समझकर, 13 परियोजनाओं का कार्यान्वयन चल रहा है। चार परियोजनाएं विचाराधीन हैं जिनका पहले जिक्र किया जा चुका है और इसीलिए वित्तीय अभाव की वजह से जो कुछ भी सम्भव है उपलब्ध किया गया है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विशेष भोगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, सम्भा-चोड़ा रेगिस्तान, अरावली के पहाड़ आदि को देखते हुए भी मंत्री जी बता रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति ठीक है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विशेष भोगोलिक परिस्थिति के कारण इन सारी बिजली की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान के साथ क्या विशेष सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। जहां तक मेरे मंत्रालय की बात है हम जहां तक सम्भव हो सकेगा इसे जांच के बाद मंजूर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बीरबल राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है कि राजस्थान की तरफ सहानुभूतिपूर्वक गौर किया जाएगा, परन्तु राजस्थान की जितनी परियोजनाएं हैं, उनकी स्वीकृति में बहुत अधिक विलम्ब किया गया है। पलाना परियोजना जो बीकानेर के पास है, डेजर्ट एरिया के मध्य में स्थित है और बार्डर से कुछ ही दूरी पर है। यह योजना वर्षों तक लटकी हुई है और इस योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसी तरह से नागोर, बाड़मेर का इलाका और बीकानेर का इलाका, यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लिग्नाइट और कोयला निकलता है, उस पर आधारित योजनाएं वहां आरम्भ की जा सकती हैं, लेकिन राज्य सरकार के बार-बार निवेदन करने के उपरान्त भी केन्द्रीय सरकार स्वीकृति में विलम्ब करती है। इस कारण योजना की लागत बढ़ जाती है और राजस्थान बिजली के बिना महरूम रहता आया है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत देश के मुकाबले सबसे कम है। इसको देखते हुए मंत्री महोदय यह महसूस नहीं करते हैं कि राजस्थान को अन्य राज्यों के समकक्ष लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाए ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जैसे कि मैंने अभी कहा था, 13 परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं की कुछ इकाईयों का कार्यान्वयन कार्यक्रम नवम्बर 1990 से 1991; 1992, 1993 और 1994 के बीच भिन्न-भिन्न है। अतः इनमें से कुछ इकाईयां कार्य करना आरम्भ कर देंगी। जहां तक उत्पादन शुरू करने के सम्बन्ध में ताजा स्थिति की बात है संगलोर तथा संगलोर इकाईयों के लिए यह तिथि नवम्बर 1990 है या फिर दिसम्बर 90 या जनवरी 1991 है। जहां तक 13 परियोजनाओं का सम्बन्ध है ये निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है और जब ये परियोजनाएं शुरू होंगी तो राजस्थान की स्थिति में निश्चित रूप में सुधार आएगा।

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय आयोग

+

*165. श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कार्यरत अनेक संगठनों ने गैस पीड़ितों का कष्ट दूर करने की कार्य योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए भोपाल सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग गठित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसा राष्ट्रीय आयोग गठित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) सरकार को यह मालूम है कि भोपाल गैस पीड़ितों के कुछ संगठनों ने भोपाल पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने की मांग की है। सरकार का विचार है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित विभिन्न कार्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा पहले ही किए जा रहे हैं अत: इन कार्यों को करने के लिए किसी अलग निकाय की जरूरत नहीं है।

श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का बहुत ही अस्पष्ट उत्तर दिया है और उन्होंने भोपाल गैस पीड़ितों के दुख दूर करने के लिए कोई समयबद्ध प्रस्ताव नहीं दिये हैं।

महोदय, भोपाल गैस त्रासदी विश्व की सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटना है। विभिन्न पीड़ितों को जो मुआवजा दिया है उसे न्यायालय में चुनौती दी गई है। माननीय प्रधानमन्त्री और माननीय वित्त मन्त्री ने जनवरी 1990 के आसपास आश्वासन दिया था कि वे एक महीने में अन्तरिम राहत की राशि बांटेंगे।

महोदय, हाल ही में कई संगठन दिल्ली आये और प्रधानमन्त्री से कहा कि इस सम्बन्ध में उदासीनता और भ्रष्टाचार तथा लाल फीता शाही एवं मध्य प्रदेश सरकार की इन केन्द्रित नीतियों की वजह से इस अन्तरिम राहत को देने में कम से कम एक या दो साल लग जायेंगे। स्थानीय कल्याण समितियों के इन आरोपों को देखते हुए भारत सरकार अन्तरिम राहत को तेजी से बांटने के लिए क्या समयबद्ध कदम उठाने जा रही है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहूंगा कि हमने पीड़ितों को राहत राशि देने के लिए कई कदम उठाये हैं। हमने पर्याप्त धनराशि दी है तथा उस राशि को भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया है और पीड़ितों की पहचान का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। मेरे पास आंकड़े हैं। सभा की जानकारी के लिए मैं ये आंकड़े दूंगा।

अब तक जो नोटिस जारी किये गये हैं उनकी संख्या 2,58,852 है और जितने नोटिस दिये जा चुके हैं उनकी संख्या 1,507,60 है तथा अब तक 1,36,102 लाभ ग्राहियों की पहचान की गई है तथा बैंक द्वारा 1,35,458 खाते खोले गये हैं। नवीनतम जानकारी के मुताबिक यह संख्या लगभग डेढ़ लाख पहुंच चुकी है।

कार्य योजना यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पीड़ितों की समय पर पहचान हो जाए और मैं आशा करता हूं कि ये लाभ या राहत सभी पीड़ितों को मिलेगी। जिनकी संख्या करीब पांच लाख होगी। पांच लाख कोई छोटी संख्या नहीं है और इसमें लगभग 36 मुख्य वार्ड शामिल हैं। (व्यवधान) मैं आशा करता हूं कि राहत राशि इस वर्ष के अन्त तक बांट दी जाएगी।

श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा : महोदय, मुझे मालूम है कि सरकार पहले ही 360 करोड़ रुपये राहत के रूप में स्वीकृत कर चुकी है। लेकिन यह दुर्घटना $5\frac{1}{2}$ साल पहले हुई थी। यदि $5\frac{1}{2}$ साल के बाद भी उन्हें अभी पीड़ितों की संख्या गिनती है तो मैं जानना चाहूंगा कि वे इस सूची को कब अन्तिम रूप से पूरा कर लेंगे। इस त्रासदी के दुःख झेल रहे पीड़ितों को कोई भी अतिरिक्त सुविधायें नहीं दी गई हैं। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भविष्य में इन लोगों का ध्यान रखने के लिए कोई विशेष योजनायें हैं।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : महोदय, इन पीड़ितों एवं उनके परिवारों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए पहले से ही कार्य योजना बना ली गयी है। इस प्रयोजन के लिए लगभग 163.10 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। हमें यह निर्णय करना है कि इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को कितना-कितना योगदान देना है। यह मामला विचाराधीन है और इसका जल्दी ही फैसला किया जाएगा। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि भविष्य में इन पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत देने और उनको पुनर्वास करने के विषय में हम विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना को 5 साल से ज्यादा हो गये हैं, जिसमें 3000 लोग उसी समय मर गये थे, 6 लाख लोग प्रभावित हुये 2 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुये, लेकिन आज 5 साल के बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं कि बेनिफिशरीज को आईडिएंटीफाई कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री लालजा दास : यह कौन-सी सरकार थी, इस सरकार को तो अभी 8 महीने हुए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कहने का अधिकार है। पुरोहित जी, आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, इतने लोग मर रहे हैं, पिछले 5 वर्ष में 1200 लोग मर गए हैं, लेकिन उनको एक पाई भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आज पार्टी लाइन पर बात की जाती है, यह बहुत शर्म की बात है। यह कोई पार्टी लाइन की बात नहीं है, इन्सानियत की बात है। इस परिस्थिति में मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि आइडिएन्टीफिकेशन चल रहा है। 36 वार्ड के छः लाख लोग इफेक्टेड हैं, लेकिन अभी तक सवा लाख लोगों को आइडिएन्टीफाई किया गया है।

वित्त मन्त्री (श्री मधु दण्डवते) : जल्दी हो जाएगा, चिन्ता मत कीजिए, जल्दी कर रहे हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इस रफ्तार से यदि काम चला तो कब तक इस काम को पूरा करने का सरकार का इरादा है। दिसम्बर तक कितना पैसा आप वहां पर लोगों को बांटने वाले हैं, किस तरह से आइडिएण्टीफाई करने वाले हैं। इस कार्य को स्पीडअप करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे। क्या दिसंबर आखिर तक आइडिएंटीफाई करके आप रिलीफ वर्क शुरू कर सकेंगे, यदि नहीं तो कब तक आप इस कार्य को कर पाएंगे, इसका उत्तर मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी : महोदय, मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर, इस सभा के सभी सदस्यों को बराबर चिन्ता है। मैं सदस्यों की चिन्ता से वाकिफ हूं। यह राष्ट्रीय त्रासदी है और इसमें काफी संख्या में लोग प्रभावित हैं। कई लोग पीड़ित हैं और कई लोग मरे हैं। अतः इस पर भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने की बात ही नहीं है।

मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहता हूं कि मैं पहले ही कुछ आंकड़े दे चुका हूं। उन आंकड़ों में, मैं पहले ही बता चुका हूं कि लगभग डेढ़ लाख लोगों की पहले ही पहचान की जा चुकी है और खाते खोल दिए गए हैं। इसका अभिप्राय है कि पैसा दिया जा चुका है। बैंकों में उनके खाते हैं, तथा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को तीन साल तक 200 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है। हमने भारतीय स्टेट बैंक में 360 करोड़ रुपये पहले ही जमा करा दिए हैं। मैं पिछली सरकार पर कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है जिसमें हमारे सभी हित निहित हैं। अभी तक हमारे विचाराधीन पीड़ितों की संख्या 5 लाख है, 6 लाख नहीं। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास रहेगा कि समस्त कार्यवाही इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाए और सभी लोगों को राहत दी जाए। ऐसा करने में राज्य सरकार बहुत सहयोग कर रही है। उन्होंने यह देखने के लिए कि यह राहत कार्यवाही शीघ्र ही पूरी की जाए, एक संस्था की स्थापना की है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा पहुंच चुका है। हमने बालिग और नाबालिग में कोई भेद नहीं किया है। यहां तक कि एक बच्चे को भी 200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और प्रत्येक परिवार को औसतन 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और मेरे विचार में सभा को इस बारे में खुशी होनी चाहिए।

डा० देवी प्रसाद पाल : भोपाल के गैस पीड़ितों के सम्बन्ध में मैं केवल एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। पांच वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। गैस त्रासदी के पीड़ितों को दी गई वास्तविक धनराशि कितनी है और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? दूसरे, समझौते की शर्तों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार मुआवजे की धनराशि को जमा करा दिया गया है। क्या इस धनराशि को गैस त्रासदी के पीड़ितों में बांटने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां तो सरकार कितने समय में यह धनराशि बांटना चाहती है?

श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी : उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। इसके अंतर्गत गैस त्रासदी के पीड़ितों के लाभ के लिए 470 मिलियन डालर जमा कराने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा था कि यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध कोई दंडनीय कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। यह एकमुश्त समझौता है।

जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने पूरे मुद्दे पर विचार किया तथा सोशल एक्शन ग्रुप (सामाजिक कार्य दल) मुझसे तथा मेरे साथी, वित्त मन्त्री से मिला। उनसे हमारी संयुक्त बैठक हुई और हमने इस पर सरकार से भी विचार विमर्श किया। हम इस निर्णय पर पहुंचे कि उच्चतम

न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया जाए और उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई धन-राशि पर्याप्त नहीं थी। हमने एक निर्णय लिया था कि भारतीय 'गिनीपिग' नहीं है, उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए और भारतीय, जिन्होंने विश्व में ऐसे घोर संकट में दुःख झेले हैं, को पर्याप्त राहत तथा पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए, इस समझौते को रद्द करके उच्चतम न्यायालय में हम कार्य दल का समर्थन कर रहे हैं। बहस जारी है। शायद इस महीने तक बहस पूरी हो जाए और हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इन्तजार कर रहे हैं। हम इस समझौते के रद्द होने के पक्ष में हैं। हम यूनियन कार्बाइड से अधिक राहत और पर्याप्त मुआवजा चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह प्रश्न उस मुआवजे अथवा राहत का ही प्रश्न नहीं है जो इन पीड़ितों को मिलना है। बेशक उन्होंने इसी प्रश्न का जवाब दिया है। जिस समझौते का उन्होंने उल्लेख किया है, उसने कम्पनी के आपराधिक दायित्व की पूर्णतया क्षमा कर दिया था। एक प्रश्न तो पीड़ितों को मुआवजे का है, दूसरा हजारों लोगों को जहरीली गैस छोड़कर जहर देने के दायित्व का है। इस समझौते ने कम्पनी को अपराधिक दायित्व के प्रश्न से मुक्त कर दिया है जिसे हम देशवासी इसे स्वीकार नहीं करते।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कम्पनी के दायित्व के प्रश्न पर सरकार का दृष्टि-कोण क्या है?

श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी : जो निर्णय हमने लिए है मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊंगा। इस नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, कार्यदलों द्वारा दायर पुनरीक्षा याचिकाओं के समर्थन में जनवरी, 1990 में एक निर्णय लिया गया था। किए गए निर्णय इस प्रकार थे :

समझौते को अस्वीकार करने के लिए, अपराधिक दायित्व को समाप्त करने की बात को स्वीकार न करना—जो आपके प्रश्न में आती है। भोपाल के 36 प्रभावित नगरपालिका वार्डों में निवास के आधार पर अंतरिम राहत का भुगतान तथा सामाजिक कार्य दल के साथ विचार-विमर्श कर राहत राशि का निर्धारण करना।

ये निर्णय हैं जो जनवरी में लिए गए हैं।

इन निर्णयों के अनुशासन में हम कार्यदल द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिकाओं का समर्थन कर रहे हैं। जैसाकि मैंने कहा, बहस जारी है। महान्यायवादी हमारे मुकदमे पर बहस कर रहे है और शायद इस महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरू में निर्णय हो जाएगा।

श्री भवानी शंकर होता : भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके है। (क) बात यह है कि क्या सरकार निकट भविष्य में यूनियन कार्बाइड पर मुकदमा चलाएगी जो इस त्रासदी के लिए एकमात्र जिम्मेदार है।

(ख) विभिन्न वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्य दलों तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का यह मत है कि यूनियन कार्बाइड में तथा उसके आस-पास विषाक्त पदार्थ पाये गये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गए है और यदि यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है तो स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कारखाने के आसपास विषाक्त पदार्थ पाए गए है। परन्तु मैं इस बात का पता लगाऊंगा।

श्री भवानी शंकर होटा : काफी मात्रा में विषाक्त पदार्थ हैं।

श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी : फिलहाल मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं पता लगाऊंगा और हम कार्यवाही करेंगे।

यूनियन कार्बाइड पर मुकद्दमा चलाने के सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं कि हम आपराधिक निरापदता के पक्षधर नहीं हैं। हम यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते हैं। हम इसे विश्व की भयंकर विपत्ति मानते हैं। यही कारण है कि समझौते को रद्द करने का एक कारण यह है कि हम यूनियन कार्बाइड पर उनकी आपराधिक लापरवाही और उससे निकलने वाले परिणामों के लिए मुकद्दमा चलाना चाहते हैं।

कवास बिजली परियोजना

*167. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कवास बिजली परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) क्या प्रारम्भिक अनुमानित लागत की तुलना में इस समय इसके निर्माण अवधि और लागत में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) 1985 की चौथी तिमाही के मूल्य स्तर के आधार पर 410.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना (600 मेगावाट) को अक्तूबर, 1986 में स्वीकृत किया गया था। परियोजना के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए निवेश संबंधी अनुमोदन के अनुसार मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए आर्डर देने की तारीख के पश्चात प्रथम गैस टर्बाइन यूनिट को 24 महीने में तथा अन्य अनुवर्ती गैस टर्बाइन प्रत्येक यूनिट को 2 महीने के अंतराल से चालू करने का कार्यक्रम है। प्रथम स्टीम टर्बाइन को मुख्य संयंत्र के लिए आर्डर देने की तारीख के पश्चात 36 महीने में तथा दूसरे यूनिट को तत्पश्चात् चार महीने में चालू करने का कार्यक्रम है।

मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए ठेके के वास्तविक मूल्यों तथा तब से अब तक हुई मूल्यों में अन्य अभिवृद्धियों के आधार पर परियोजना के लागत अनुमानों में संशोधन किया जा रहा है। अनुमोदित कार्यसूची की अपेक्षा में परियोजना में अधिक समय नहीं लगा है। परियोजना जुलाई, 1993 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1985 की स्वीकृत योजना थी, उसके बारे में अब तक पुनर्विचार करते हुए उसके आगे की कार्यवाही पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। क्या उसके बारे में जो टेन्डर लिए जाने थे वे लिए जा चुके हैं अथवा नहीं लिए गए हैं। इसमें और कितना समय लगेगा और 1994 तक क्या योजना पूरी हो

जायेगी । क्या ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय आश्वस्त करने की कोशिश करने की कृपा करेंगे कि इसमें समय और नहीं बढ़ाया जायेगा और यह योजना निश्चित रूप से पूरी हो जायेगी ।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : शुरू में आल्स्थम के साथ कुछ मतभेद थे और ठेके पूरे नहीं हो सके । परन्तु अब 5-3-1990 को ठेके आल्स्थम को दे दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम परियोजना के पूरा करने के निर्धारित समय 1993 की ओर बढ़ रहे हैं ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि "मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए ठेके के वास्तविक मूल्यों तथा तब से अब तक हुई मूल्यों में अन्य अभिवृद्धियों के आधार पर परियोजना के लागत अनुमानों में संशोधन किया जा रहा है ।" अभी संशोधन प्रस्तावित है । यह संशोधन कब तक लिया जायेगा । जो बड़ी महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के आधार पर विकास के बहुत सारे आधार सम्भावित हैं । मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसके में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसकी जानकारी देने की कृपा करें ।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : 5-3-1990 को ठेके आल्स्थम को दिए गए हैं और निश्चित कदम उठाए गए हैं तथा परियोजना को पूरा करने का निर्धारित समय जैसाकि मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, जुलाई, 1993 है । इसलिए, इसमें निश्चित रूप से प्रगति हुई है क्योंकि ठेके पूरे कर लिए गए हैं ।

[हिन्दी]

श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल : अध्यक्ष जी, डा० पाण्डेय साहब ने जो सवाल पूछा है, मैं उसी सम्बन्ध में सवाल पूछना चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी बताएं कि इस योजना का निर्माण कब से शुरू हो जायेगा और इसके टेन्डर कब बुला लिए जायेंगे ।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : देरी इसलिए हुई है क्योंकि वे ठेके पहले जारी किए गए थे और कुछ मूल मुद्दों पर सहमति नहीं हुई थी तथा इसलिए, हमें पुन: निविदाएं आमन्त्रित करनी पड़ी हैं । अब निविदाएं पुन: आमन्त्रित की जा चुकी हैं । उनका मूल्यांकन किया गया है । निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात वर्ष 1990 में मैसर्स आल्स्थम को ठेके दे दिए गए हैं··· (व्यवधान) ···अब ठेके दे दिए गए हैं । इसलिए, अब निविदा अनुमोदित कार्य चल रहा है । मेरे विद्वान माननीय साथी को विलम्ब के बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि ठेके पहले ही दिए गए हैं और निविदा अनुमोदित कार्य चल रहा है । हमें आशा है कि हम इसे लक्षित अवधि 1993 तक पूरा करने में सक्षम होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल : टेन्डर कब बुला लिए जायें इसकी घोषणा करें। आप टेन्डर का समय बता दें।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि निविदा अनुमोदित कार्य चल रहा है। इसलिए, मैंने इस प्रश्न का यथेष्ट जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

*166. श्री अमावि चरण दास : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 और 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार अलग-अलग, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रेणी-वार कितने आरक्षित पद भरे जाने बाकी थे ;

(ख) बकाया आरक्षित पदों को भरने के लिए अगस्त, 1989 में आरम्भ किये गये विशेष अभियान और अब वर्तमान अभियान के दौरान कितने-कितने पद भरे गए हैं; और

(ग) जून, 1989 से अब तक इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में कितने आरक्षित पदों को अनारक्षित किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्तम बेहेरा) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) आई० डी० पी० एल० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में बकाया रिक्त स्थानों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	30-6-89 को बकाया		30-6-1990 को बकाया	
	अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० जा०	अ० ज० जा०
(क)	09	05	09	05
(ख)	15	07	15	07
(ग)	72	91	72	91
(घ)	15	47	15	47

(ख) बकाया आरक्षित पदों के भरने के लिए अगस्त, 1990 में चलाए गए विशेष अभियान और अब वर्तमान अभियान के दौरान कोई स्थान नहीं भरा गया है।

(ग) आई० डी० पी० एल० में जून, 1989 से कोई पद अनारक्षित नहीं किया गया है।

"साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स कोरबा ईस्ट" में कर्मचारियों की भर्ती

[हिन्दी]

*169. श्री लरंग साय :

श्री रेशम लाल जांगड़े : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान "साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स कोरबा ईस्ट" में मध्य प्रदेश से बाहर के लगभग 2'0 कर्मचारियों की भर्ती के बारे में कोई जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जांच इस बीच पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) औद्योगिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 11-1-1988 को एक निर्णय दिया था कि 234 व्यक्ति, जिन्होंने नियत मजदूर के रूप में कार्य करने का दावा किया है, वे दिनांक 8-12-1984 से पुनः नियोजित किए जाने के हकदार थे। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रबन्धन ने इस निर्णय के विरुद्ध जबलपुर मध्य प्रदेश में एक रिट याचिका दायर की, जिन्होंने इस आशय का एक अन्तरिम आदेश दिया कि यदि कोई व्यक्ति, जिसका मामला न्यायालय को भेजा गया है, प्रबन्धन के सामने पेश होकर उपयुक्त साक्ष्य द्वारा प्रबन्धन को इस बात से सन्तुष्ट कर देता है कि वह व्यक्ति एक नियत मजदूर था, उस व्यक्ति के नियुक्ति के मामले पर विचार किया जा सकता है और अन्यथा उक्त व्यक्ति के उपयुक्त पाये जाने पर उसे नियोजित कर दिया जाएगा। यह मामला काफी लम्बी अवधि से विवादाधीन रहा है और रिट याचिका पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने 230 व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में पत्र जारी कर दिए हैं। तीन व्यक्ति पहले ही नियुक्त थे और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। चूंकि रोजगार पाने वाले व्यक्तियों के सही व्यक्ति होने के सम्बन्ध में शिकायतें थी, अतः साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने जून, 1990 में इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया। इस सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया के विमानों का संकटकालीन स्थिति में उतारना

[अनुवाद]

*170. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स और एयरइण्डिया के विमानों को कितनी बार संकटकालीन स्थिति में भूमि पर उतरना पड़ा और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की तुलना में यह संख्या कितनी कम अथवा अधिक है;

(ख) क्या संकटकालीन स्थिति में विमानों के उतरने की संख्या में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस तरह से विमानों के भूमि पर उतरने को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) संकट-काल में विमानों के भूमि पर उतरने के कारण जन और धन की हुई हानि का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स और इण्डिया के सम्बन्ध में आपातकालीन अवतरण की संख्या निम्न प्रकार है :—

अवधि	इण्डियन एयरलाइन्स	एयर इण्डिया
अगस्त, 1989— जुलाई, 1990	2	2
अगस्त, 1988— जुलाई, 1989	7	1
अगस्त, 1987— जुलाई, 1988	1	0
अगस्त, 1986— जुलाई, 1987	1	1

(ग) सभी विमानों में बैक-अप प्रणाली होती है जिसका सहारा तब लिया जाता है जब प्रणाली फेल हो जाती है। विमान-चालकों को भी इस प्रणाली के फेल हो जाने के मामलों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कारणों का पता लगाने के लिए नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा सभी आपातकालीन अवतरणों की जांच की जाती है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से, नागर विमानन के महानिदेशक रख-रखाव और प्रशिक्षण प्रणालियों और अनुसूचियों पर अनुसूचियों पर निगरानी भी रखते हैं।

(घ) आपातकालीन अवतरण की वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई और न कोई व्यक्ति घायल हुआ। आपातकालीन अवतरण के कारण प्रत्यक्ष रूप से कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ।

विदेशी सहयोग

*171. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 से औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी तथा अन्य विदेशी सहयोग सम्बन्धी कितने समझौते हुए;

(ख) इन सहयोग समझौतों की व्यापक शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन समझौतों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : 1 दिसम्बर, 1989 से 31 जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान कुल 465 विदेशी सहयोग अनुमोदन मंजूर किए गए थे, जिनमें विदेशी निवेश के 145 अनुमोदन शामिल हैं।

(ख) इन अनुमोदनों की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग प्रस्तावों पर यथा लागू विदेशी इक्विटी की भागीदारी की सीमा, तकनीकी जानकारी, इंजीनियरी, ड्राइंग व डिजाइन एवं परामर्शदायी सेवा के रूप में प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए दी जाने वाले शुल्क की राशि, रायल्टी के भुगतान की सीमा, लिया जाने वाला निर्यात दायित्व, स्वदेशीकरण करने की अवधि, सहयोग समझौते की अवधि आदि शामिल है।

(ग) विदेशी सहयोग अनुमोदन दो वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, और इस अवधि में उद्यमियों को विदेशी सहयोग समझौते को अन्तिम रूप देना होता है। तकनीकी जानकारी ड्राइंगों, डिजाइनों, दस्तावेजों, निर्माण और चालू करने आदि के लिए दी जाने वाली एक मुश्त राशि का भुगतान सामान्यतया तीन मानक किश्तों में विदेशी सहयोगी को करने की अनुमति है, जिसमें से 1/3 राशि के रूप में पहली किश्त भारतीय रिजर्व बैंक में समझौता दर्ज करने और पूंजीगत माल की स्वीकृति यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद, 1/3 राशि के रूप में दूसरी किश्त तकनीकी दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर और 1/3 राशि के रूप में तीसरी व अन्तिम किश्त वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर अथवा भारतीय रिजर्व बैंक में समझौता दर्ज कराने के चार वर्ष बाद, जो भी पहले हो, दी जावेगी। रायल्टी का भुगतान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से जोड़ा जाता है। जब कभी लाभ होता है और लाभांश घोषित किया जाता है तब, जहां कहीं लागू होता है, लाभ तथा लाभांश का भुगतान किया जाता है। अन्तर्ग्रस्त विभिन्न भुगतानों के अस्थिर स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इस अवस्था में प्रश्नाधीन अवधि के दौरान मन्जूर किए गए अनुमोदनों के सम्बन्ध में वर्षवार विदेशी मुद्रा के व्यय का निश्चित अनुमान बताना सम्भव नहीं होगा।

रुग्ण लघु उद्योग एकक

*172. श्री टी० बशीर :

श्री प्रकाश कोको शहाभट्ट : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रुग्ण लघु उद्योग एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1989 में तथा 1990 में अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे एककों को कितनी राशि के ऋण दिए गए और इन एककों पर कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों में उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) रुग्णता सम्बन्धी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जाते है। छोटे रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े जून, 1988 तक उपलब्ध हैं। रुग्ण लघु उद्योग एककों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (सरकारी क्षेत्र) के बैंकों सहित) द्वारा दिए गए ऋण में से जून, 1987 तथा जून, 1988 के अन्त में उन उद्योगों (एककों) के नाम बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इन एककों को 1989 और 1990 के दौरान दिये गये ऋणों की राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ऋण एककों में से जो एकक जीर्ण समझे जाते हैं उन्हें पुनर्वास के लिए चुन लिया जाता है ताकि उनकी सहायता करके उन्हें पुन: काम के लायक बनाया जा सके और वे औद्योगिक उत्पादन कर सकें। जून, 1988 तक, बैंकों द्वारा 8347 एकक उपचार कार्यक्रम के अधीन लाये गए थे।

विवरण

(राशि करोड़ रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एककों की संख्या		बकाया राशि	
		जून, 1987	जून, 1988	जून, 1987	जून, 1988
1.	आंध्र प्रदेश	14064	18277	108.19	149.53
2.	असम	3542	11438	12.66	24.27
3.	बिहार	7870	14567	61.12	78.54
4.	गुजरात	5211	5421	114.99	144.41
5.	गोआ	1261	779	13.57	10.46
6.	हरियाणा	1819	2212	38.44	46.26
7.	हिमाचल प्रदेश	665	731	8.08	7.12
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2290	2671	9.66	12.05
9.	कर्नाटक	5105	8494	95.64	120.15
10.	केरल	11805	18554	92.76	126.66
11.	मध्य प्रदेश	11053	12407	45.49	61.77
12.	महाराष्ट्र	11457	15959	277.55	371.89
13.	मणिपुर	932	1249	0.86	1.72
14.	मेघालय	122	657	1.56	1.02
15.	नागालैंड	14	51 1	0.13	0.83
16.	उड़ीसा	7229	9125	32.50	33.41
17.	पंजाब	1834	2699	35.51	53.20
18.	राजस्थान	8657	40362	39.61	49.78
19.	तमिलनाडु	25146	31245	167.48	201.92
20.	त्रिपुरा	556	792	0.53	1.55

21. उत्तर प्रदेश	16287	22499	125.74	171.94
22. पश्चिम बंगाल	18129	22738	167.37	186.73
23. अण्डमान तथा निकोबार	—	—	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	22	13	0.02	0.03
25. दादर नगर हवेली	5	4	0.14	0.11
26. दिल्ली	2577	3288	83.49	115.02
27. मिजोरम	—	151	—	0.32
28. पांडिचेरी	366	281	3.31	2.07
29. सिक्किम	1	71	0.01	0.36
30. चण्डीगढ़	204	238	5.72	6.60
31. दीव तथा दमन	3	3	0.12	0.13
योग :	158226	217436	1542.25	1979.85

मिजोरम में बैराबी पन-बिजली परियोजना

*173. डा० सी० सिलवेरा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मिजोरम में बैराबी पन-बिजली परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितना खर्च आने की सम्भावना है;

(ग) इससे कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन होने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए कोई अन्तरिम कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(च) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री शिवेन गौस्वामी) : (क) और (ख) मिजोरम की बहुद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना, बैराबी (चलेश्वरी), जिसकी प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट होने की परिकल्पना की गई है, इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई थी। निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अक्तूबर, 1988 में स्वीकृत कर दिया गया था।

(1) परियोजना की लागत की केवल 60% राशि (अर्थात् 273.95 करोड़ रुपये की समग्र अनुमानित लागत में से 171.24 करोड़ रुपये की राशि) विद्युत उत्पादन हेतु आवंटित की जावेगी।

(2) जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा परियोजना को स्वीकृत किया जाना है तथा लागतों के बंटवारे के लिए सम्बन्धित विभागों की सहमति प्राप्त की जानी है।

(3) परियोजना को पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से भी स्वीकृत किया जाना है। परियोजना के विद्युत सम्बन्धी घटक हेतु 171.24 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि जिसमें 17.18 करोड़ रुपये (अप्रैल, 1938 के मूल्य स्तर के आधार पर) की पारेषण लागत भी शामिल है, के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है।

(ग) 120 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता से 90% विक्षमनीय वर्ष में परियोजना से विद्युत उत्पादन की मात्रा 345 मिलियन यूनिट होने की सम्भावना है।

(घ) से (च) यह परिकल्पना की गई है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक दृष्टि से परियोजना के केवल विद्युत उत्पादन सम्बन्धी घटक को ही स्वीकृति प्रदान की है। जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1989 में इसे अस्वीकार किया जा चुका है। परियोजना रिपोर्ट में निर्माण की अवधि 7 वर्ष होने की परिकल्पना की गई है। अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् ही परियोजना का क्रियान्वयन आरम्भ किया जा सकता है।

कोल इंडिया लि० में रोजगार के अवसर

*174. श्री डी० अमात : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कम्पनियों ने कुछ ऐसे क्षेत्र निश्चित किए हैं जहां कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) इस नीति का कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कम्पनियों में जनशक्ति और कोयले की लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने और उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाए जाने की दृष्टि से कोयला उद्योग-III के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति के एक उप दल ने "सभी व्यक्तियों के लिए—सभी रोजगार" प्रणाली की शुरूआत अथवा बहु-रोजगार संकल्पना की शुरूआत करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए विभिन्न रोजगारों का स्वरूप, जिनमें इस प्रणाली को यंत्रिकृत भूमिगत खानों के लिए लाभकारी रूप में अंगीकार किया जा सकता है, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) फेस कन्वेयर तथा स्टेज लोडर, आदि का प्रचालन।

(2) कटाई तथा लदान मशीनों, आदि का प्रचालन।

(3) ड्रिलिंग परिचालन।

(4) विस्फोटक तथा स्टेमिंग सामग्री, आदि का संचलन।

(5) फेसों, आदि की ड्रेसिंग।

(6) फेसों के आसपास के क्षेत्रों में गेट सड़कों तथा फेस सपोर्ट की स्थापना/स्थानान्तरण।

(7) कन्वेयर स्थानान्तरण।

(8) जल छिड़काव।

(9) खराबी के दौरान विद्युतीय तथा यंत्रीकृत फिटरों की सहायता करना।

(10) कोयले की सफाई तथा लदान।

(11) कोई अन्य दुर्घटनाग्रस्त रोजगार अथवा फेस कार्य से सम्बद्ध कोई अन्य कार्य।

(ग) इस प्रणाली का ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि० और वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि० की कुछ खानों में प्रायोगिक आधार पर प्रयोग किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य श्रम शक्ति में कमी किया जाना नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार के जरिए उतने ही व्यक्तियों से अधिक उत्पादन कराना है। चूंकि विभिन्न मामलों में उत्पादकता से सुधार तथा कोयले के उत्पादन की लागत में कमी किए जाने में भिन्नता आने की संभावना है, किन्तु इस संबंध में एक आम मात्रा का कार्य किया जाना संभव नहीं है।

दरभंगा-सकरी लाइन पर बिजुली के निकट हाल्ट स्टेशन बनाना

[हिन्दी]

*175. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा-सकरी लाइन पर बिजुली के निकट हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस हाल्ट की कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) हाल्ट का औचित्य नहीं है।

रेल परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु बांड

[अनुवाद]

*176. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** :

प्रो० मधुनाथ पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु पब्लिक बांड जारी कर धनराशि जुटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में रेल परियोजनाओं के संबंध में भी इसी प्रकार के बांड जारी करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को किन राज्यों में शुरू किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सभी रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से धन जुटाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां ।

(ख) कोंकण रेलवे परियोजना के लिए वित्त पोषण इस प्रकार किया जायेगा :—

(1) लागत के 25 प्रतिशत की धनराशि केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल राज्यों की समीकृत सहभागिता द्वारा, तथा

(2) शेष 75 प्रतिशत वित्तीय बांड जारी करके जुटायी जायेगी।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) वित्त पोषण के स्रोत समग्र तंगियों तथा सेक्टर-वार परियोजनाओं की प्राथमिकता पर निर्भर करेंगे बशर्ते योजना आयोग योजना की आवश्यकता को समझे ।

दादर और ठाणे के बीच स्थानीय रेलगाड़ियां

*177. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्यमान स्थानीय रेलगाड़ियों में भारी भीड़ को देखते हुए दादर और ठाणे के बीच स्थानीय रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्रीजार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी हां, लेकिन तत्काल नहीं ।

प्रमुख विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

*178. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने के लिए राडार, आई० एल० एस० और वी० ओ० आर० जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात करने के संबंध में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इलेक्ट्रानिक विभाग के बीच कोई मतभेद है, यद्यपि उपरोक्त चीजों का देश में ही निर्माण होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वस्त्र और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं है ।

(ग) बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण की परियोजना, ठेका देने की तारीख से 30 महीने के अन्दर पूरा हो जाने की आशा है ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

*179. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एटा जिले में अनेक गांवों में खम्भे बिना बिजली की व्यवस्था के पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये कब से बिजली की व्यवस्था के बिना हैं तथा इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) प्रत्येक जिले में गांव-वार विद्युतीकरण की प्रगति के संबंध में प्रश्न में पूछी गई सूचना का रख-रखाव केवल राज्य स्तर पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, तारों (कन्डक्टर्स) की कमी और निधियों की अनुपलब्धता के कारण एटा जिले के एक गांव नमशः मनोरा का विद्युतीकरण नहीं किया गया था, यद्यपि वहां बिजली के खम्भे मार्च, 1990 से पहले लगा दिए गए हैं। इसी प्रकार, एटा जिले के पहले से विद्युतीकृत गांवों गजोरा तथा बहेटा में भार विस्तार संबंधी कार्य को निष्पादित करने और पहले से विद्युतीकृत गांव सरावल के एक पुरवा खजूरा का विद्युतीकरण करने के लिए बिजली के खम्भे लगा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इन कार्यों को 1990-91 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है बशर्ते निधियां तथा अन्य निवेश उपलब्ध हों।

होटल उद्योग को राज सहायता पुनः आरम्भ करना

[अनुवाद]

*180. श्री आर० जीवरत्नम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का होटल उद्योग सहित कुछ उन उद्योगों को भवनों के निर्माण के लिए जो राजसहायता पहले दी जा रही थी, उसे पुनः आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, जिसके अधीन केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों को अपने स्थिर पूंजी निवेश पर पूंजीगत राजसहायता के पात्र होते थे, 1-10-1988 से समाप्त कर दी गई है। किन्तु वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों में स्थित लघु एककों के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना पुनः चालू करने पर विचार कर रही है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने का विस्तार

[हिन्दी]

*181. श्री सूर्यनारायण सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बरौनी तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने और इसकी अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका कब तक विस्तार किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) बरौनी रिफाइनरी को 3.8 मि० टन प्रति वर्ष की क्षमता से कार्य करने के लिए 19.5 करोड़ रुपये की कुल लागत पर उपयोगिताओं/स्थल दूर सुविधाओं को बढ़ाने की परियोजना अभी सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वायुदूत के विरुद्ध शिकायत

[अनुवाद]

*182. **श्री हुन्नान मोल्लाह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वायुदूत के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है कि उसने गलत ढंग से ऐसी उड़ानों के लिए चार्टर उड़ानों का किराया वसूल किया है, जो कि वास्तव में नियमित यात्री उड़ानें थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

तावा छतरपुर खानों में कोयले की खुदाई

[हिन्दी]

1880. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठाखेड़ा कोयला क्षेत्र सारणी बिजली घर की कोयले की आवश्यकता पूरी करता रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तावा और छतरपुर खानों का सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो वहां कोयले का कुल कितना भंडार पाया गया है; और

(घ) वहां खनन कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) सारणी विद्युत गृह की अधिकांश आवश्यकताएं पाथरखेड़ा खानों से पूरी की जाती है। इस विद्युत गृह की कोयले की मांग पाथरखेड़ा खान से प्राप्त उत्पादन से अधिक होने के कारण उक्त विद्युत गृह की कोयले की बकाया आवश्यकताओं को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की अन्य खानों से पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। तावा ब्लाक तथा छतरपुर-टी ब्लाक से उत्खनन किए जाने

योग्य भंडारों का क्रमशः लगभग 25 मि० टन तथा 4 मि० टन होने की सूचना मिली है। किन्तु उक्त भण्डारों का वाणिज्यिक रूप से दोहन किए जाने को आर्थिक रूप में अलाभकारी पाया गया।

संयुक्त स्टाक कम्पनियां

[अनुवाद]

1881. **श्री सुबाष वसाश्रेय देसमुख** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त स्टाक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनियों और सरकारी कम्पनियों की संख्या और उनकी अलग-अलग कुल आस्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से कितनी संयुक्त स्टाक कम्पनियों ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने वार्षिक लेखों में लाभ दर्शाया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 31-3-1990 को कम्पनी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीकृत 2,01,305 कम्पनियां कार्यरत थीं। इनमें 1100 सरकारी कंपनियां, 20,254 गैर-सरकारी पब्लिक कंपनियां तथा 1,77,139 गैर-सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल थीं। वर्ष आधार पर, इन कंपनियों की कुल परिसम्पत्तियों सहित, वित्तीय आंकड़े एकत्र करना न तो व्यावहारिक है तथा न ही साध्य है। फिर भी, वर्ष 1987-88 के लिए, 969 सरकारी कंपनियों, 2,174 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों तथा 142 गैर-सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों जिनमें प्रत्येक की प्रदत्त-पूंजी 50 लाख रुपये या इससे अधिक थी, के वित्तीय आयामों का विस्तृत अध्ययन किया गया था। इन पर अनुसंधान लेख तैयार किए गए थे और कम्पनी कार्य विभाग की पत्रिका "कम्पनी न्यूज एण्ड नोटस" के जुलाई (1989) तथा जून (1990) के अंकों में उन्हें प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, इन कंपनियों की कुल परिसम्पत्तियों की स्थिति जो प्रकट होती है नीचे दी गई है :—

कंपनियों के प्रकार	अध्ययन किए गए तुलन पत्रों की संख्या	कुल परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपये में)
सरकारी कंपनियां	969	1,20,757
गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये तथा इससे अधिक है	2174	73,818
गैर-सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये तथा इसके अधिक है	142	1,768

(ख) विभिन्न वर्षों में, तुलन पत्रों के अध्ययन के आधार पर अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

कंपनियों के प्रकार	1987-88		1986-87		1985-86	
	अध्ययन किए गए तुलन पत्र	लाभ कमाने वाली कंपनियों की संख्या	अध्ययन किए गए तुलन पत्र	लाभ कमाने वाली कंपनियों की संख्या	अध्ययन किए गए तुलन पत्र	लाभ कमाने वाली कंपनियों की सं०
सरकारी कम्पनियां	*969	448	*836	398	*907	478
वृहद आकार की गैर-सरकारी पब्लिक लि० कम्पनियां जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए तथा इससे अधिक है	2174	1445	2244	1395	1856	1317
वृहद आकार की गैर-सरकारी प्राइवेट लि० कंपनियां जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये तथा इससे अधिक है	142	85	176	लागू नहीं	171	लागू नहीं

* इनमें कुछ कंपनियों के नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र शामिल है।

निर्यात के सामान की विमानों द्वारा ढुलाई

1882. **श्री जे० पी० अग्रवाल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में दिल्ली और अन्य हवाई अड्डों से हाल ही में निर्यात के लिए सामान की विमानों द्वारा ढुलाई की समस्या की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये जाने वाले दीर्घावधि उपायों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) (i) ओपन स्काई नीति को स्थायी आधार पर रखा गया है ताकि विदेशी विमान वाहक अपने परिचालनों की योजना दीर्घकालीन आधार पर बना सकें।

(ii) भाड़े की दरों को मांग और पूर्ति की स्थिति द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ा गया है।

(iii) अधिक मात्रा में मालवाही क्षमता को आकर्षित करने की दृष्टि से अनिवार्य दरों को समाप्त करना।

(iv) एयर इंडिया के विमान बेड़े को प्राप्ति के कार्यक्रम में कोम्पो विमान को तरजीह दी गई है।

(v) एयर इंडिया को निदेश दिए गए हैं कि जब नए विमान उपलब्ध हो जाएं तो वे अपने पुराने बी-747 यात्री विमान को मालवाही विमान में बदल दें।

(vi) विदेशी वाहकों को यात्री टर्मिनेटर आवृतियों के लिए कोम्बी विमान के मामले में समर्थन दिया जाना।

(vii) एयर इंडिया के पास उपलब्ध मालवाही क्षमता के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से बाड़ी देशों के लिए शटर सेवा की संभावना का पता लगाना।

हैदराबाद से विदेशों के लिए एयर इण्डिया की उड़ानें

1883. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद से विदेशों के लिए जाने वाली एयर इण्डिया की वर्तमान उड़ानों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या ये उड़ानें यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का, उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) एयर इंडिया द्वारा इस समय हैदराबाद से जेद्दाह के लिए दो साप्ताहिक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें परिचालित की जा रही हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं है।

हंगरी को मारुति कारों का निर्यात

1884. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी को और अधिक मारुति कारों का निर्यात किया जा रहा है जैसाकि इस आशय का समाचार दिनांक 10 जून, 1990 के "संडे मेल" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या इसमें विदेशी चाट होने और दुर्लभ मुद्रा में भारी संकटों एवं फालतू पुर्जों का आयात करने के बावजूद इन कारों का आयात किया जा रहा है; और

(ग) मारुति उद्योग द्वारा कारों का निर्माण शुरू किए जाने से अब तक प्रौद्योगिकी, फालतू पुर्जों आदि का समूचा आयात करने सहित मारुति परियोजना पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई और उस मद के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई जिस देश में विकसित नहीं किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने हंगरी को अब तक 2505 वाहन निर्यात किए हैं। 670 कारें सितम्बर, 1990 में जहाज से भेजी जा रही हैं। अन्य 330 कारें नवम्बर, 1990 तक भेजी जाने की संभावना है।

(ख) निर्यात के कारण कोई विदेशी चाट नहीं उठाया जा रहा है। हंगरी कारों की बिक्री अमरीकी डालरों में है, और इसके फलस्वरूप दुर्लभ मुद्रा में काफी शुद्ध आमदनी होगी।

(ग) प्रारम्भ से वर्ष 1989-90 के अंत तक 852.69 मिलियन अमरीकी डालर की कुल विदेशी मुद्रा खर्च हुई। इसी अवधि में निर्यात, माना गया निर्यात और विदेशी मुद्रा के बदले चरेलू बिक्री से कुल 62.42 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

कोयम्बतूर विमानपत्तन पर प्रकाश की व्यवस्था

1885. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानपत्तनों पर प्रकाश की व्यवस्था करने पर कुछ कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या कोयम्बतूर विमानपत्तन पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए भूमि प्रकाश सुविधाओं पर लगभग 50.00 लाख रुपए।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं है।

बिहार और पश्चिम बंगाल द्वारा दामोदर घाटी निगम को देय राशि

1886. **श्री के० एस० राव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें इन राज्यों के बिजली बोर्डों को बिजली सप्लाई हेतु दामोदर घाटी निगम की भारी राशि की ऋणी है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रत्येक दो राज्यों द्वारा देय राशि का ब्यौरा क्या है और यह कब से देय है;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम ने अपने मंत्रालय से इन दो राज्य सरकारों से इस विषय पर बातचीत करने के लिये अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ इस विषय पर बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकले ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जुलाई, 1990 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की गई बिजुत से संबंधित बिहार राज्य बिजली बोर्ड और प० बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की ओर निगम की बकाया राशियां क्रमश: 202.19 करोड़ रुपये तथा 40.18 करोड़ रुपये है। जहां तक बिहार राज्य बिजली बोर्ड का संबंध है, जबकि बकाया राशियों का काफी बड़ा हिस्सा दिसम्बर, 89 के बाद बकाया राशि के रूप में है, तीन बिल अप्रैल, 86, जून, 86 तथा नवम्बर, 86 से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल राज्य

बिजली बोर्ड के मामले में बकाया राशियां अक्तूबर, 88 के बाद से बकाया राशि के रूप में हैं जबकि दो बिल अप्रैल, 87 तथा मई, 87 से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है और उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

मूल्यों में वृद्धि पर रोक

[हिन्दी]

1887. **श्री रामलाल राही** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1989 में सीमेंट, ईंटों, लोह (इस्पात) की छड़ों, उर्वरक, एंगल आयरन, खाद्य तेल, वनस्पति तेल के थोक और खुदरा बाजार मूल्य क्या थे;

(ख) उक्त वस्तुओं के जुलाई, 1990 के अंत में खुदरा और थोक बाजार मूल्य क्या थे;

(ग) मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) नवम्बर, 1989 के दौरान तथा 28-7-1990 को समाप्त होने सप्ताह के दौरान विशिष्ट मदों की थोक मूल्य सूची विवरण-I में तथा फुटकर/उपभोक्ता मूल्यों की सूची विवरण-2 में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) **सीमेंट** : सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण, बढ़ती हुई मांग, निवेश की लागत में वृद्धि तथा वितरण लागत और स्थानीय मूलभूत उत्पादन संबंधी कठिनाइयां हैं। सरकार उत्पादन बढ़ाने तथा सीमेंट को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीमेंट उद्योग को कोयला, बैंगन एवं अन्य मूलभूत सहायता की ध्यानपूर्वक और निरंतर निगरानी कर रही है। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि फुटकर स्तर पर कोई मुनाफाखोरी न हो और उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे बाजार में हस्तक्षेप करके बड़ी मात्रा में अपनी नामित एजेंसियों के माध्यम से सीमेंट खरीदकर उसे जरूरतमंद लोगों के बीच बांट दें।

ईंट : ईंटों की थोक मूल्य सूची में नवम्बर, 1989 से जुलाई, 1990 के अंत तक की अवधि के दौरान कोई वृद्धि नहीं बताई गई है। दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 की अवधि के दौरान ईंटों के फुटकर मूल्य (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) से पता चलता है कि दिल्ली, मद्रास और बंगलूर में कोई वृद्धि नहीं हुई। तथापि, त्रिवेंद्रम में फुटकर मूल्यों में न्यूनतम वृद्धि हुई है।

लोहा (इस्पात) राड्स, तथा एंगल आयरन : संयुक्त संयंत्र समिति के तत्वावधान के में एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित कुछ मदों के मूल्य की व्यवस्था की जाती है। गौण उत्पादक बाजार शर्तों के आधार पर अपने मूल्य निर्धारित करते हैं। लोहा एवं इस्पात मदों के संबंध में संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों में वृद्धि का प्रमुख कारण, 1990-91 के केन्द्रीय बजट के अनुसार 20-3-1990 से प्रभावी उत्पादन शुल्क की दरों में वृद्धि होना है।

उर्वरक : नवम्बर, 1989 से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान उर्वरकों का थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन नहीं हुआ। किसानों के लिए उपभोक्ता मूल्यों पर भी यही बात लागू होती है।

खाद्य तेल तथा वनस्पति तेल : 1989-90 के मौसम में तिलहनों की कम फसल होने के कारण हाल के महीनों (विशेषकर दिसम्बर, 1989 से) खाद्य तेलों के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। इनके मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ, उत्पादन शुल्क पर छूट/रियायत देना, फुटकर एवं थोक विक्रेताओं के लिए स्टाक सीमा में कमी करना, वनस्पति-गत तेलों को गैर-परम्परागत तेलों के साथ मिश्रित करना तथा जन वितरण व्यवस्था के माध्यम से आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति में वृद्धि करना शामिल हैं। उच्च एवं उदार आयात के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी बाधाओं के कारण, खाद्य तेल मूल्यों में वृद्धि को समाविष्ट करने के लिए आपूर्ति प्रबंध नीति के विवेकपूर्ण मिश्रण को प्रस्तुत किया गया है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों-प्रशासनों को समय-समय पर सटोरियों, जमाखोरों, काला बाजरियों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजती रही है।

विवरण-1

चुने गए मदों की थोक मूल्य सूची में परिवर्तन (आधार : 1981-82)

मद		नवम्बर 1989 की सूची	28-7-90 को समाप्त होने वाले सप्ताह की सूची (अनंतिम)	% परिवर्तन कालम-3 कालम-2
1		2	3	4
1.	सीमेंट	152.4	169.9	+11.5
2.	अग्नि सह ईंटें	117.5	117.5	कोई परिवर्तन नहीं
3.	बार तथा छड़ें	193 9	195.4	+ 0.8
4.	उर्वरक	99.1	99.1	कोई परिवर्तन नहीं
5.	एंगिल – चैनल्स तथा सैक्शन्स	200.8	203.5	+ 1.3
6.	खाद्य तेल	179.0	217.3	+21.4
7.	वनस्पति	198.2	231.9	+ 16.9

स्रोत :—आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय।

विवरण-2

चुने गये मदों के फुट मूल्य/उपभोक्ता मूल्य

मद	नवम्बर 1989	जुलाई 1990
1. सीमेंट (रु० प्रति बैग)		
दिल्ली	76 से 78	92 से 95
कलकत्ता	83 से 88	85 से 92
बम्बई	82 से 85	90 से 95
मद्रास	69 से 74	84 से 87
2. ईंट* (रु० प्रति 100 नग)		
दिल्ली	182.00	182.00
मद्रास	900.00	700.00
बंगलौर	600.00	600.00
त्रिवेंद्रम	490.00	500.00

* नवम्बर, 1989 तथा जुलाई, 1990 के स्थान पर ये मूल्य दिसम्बर, 1989 तथा मार्च, 1990 के हैं।

स्रोत : राष्ट्रीय भवन संगठन

3. वार तथा छड़ें (जे० पी० सी०) आधार मूल्य : (रु० प्रति मी० टन)		
5.5 से 12 एम० एम०	6610	6715
12 से 36 एम० एम० से ऊपर	6360	6465
36 एम० एम० से ऊपर	6410	6515

असमान एंगिल तथा जैड (z) सैक्शन

स्रोत : इस्पात विभाग

4. उर्वरक (किसान के लिए अधिकतम बिक्री मूल्य : रु० प्रति मी० टन)		
यूरिया (46% एन)	2350	2350
अमोनियम सल्फेट (21% एन)	1650	1650
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25% एन)	1700	1700
डाइ-अमोनियम फास्फेट (18:46 : 0)	3600	3609
सिंगल सुपर फास्फेट (16% पी 205)	950	950

स्रोत : उर्वरक विभाग

5. खाद्य तेल तथा वनस्पति तेल ** (रु० प्रति कि० ग्राम)

(क) वनस्पति		
दिल्ली	26.60	34.45
बम्बई	29.00	39.00
भुवनेश्वर	30.00	38.00
मद्रास	29.00	39.00
(ख) मूंगफली का तेल		
अहमदाबाद	22.00	34.00
भोपाल	24.00	32.60
बम्बई	26.00	33.00
मद्रास	23.00	33.00
(ग) सरसों का तेल		
दिल्ली	20.70	29.45
पटना	21.00	30.00
भुवनेश्वर	20.00	33.00
कटक	20.00	31.50

** नवम्बर, 1989 तथा जुलाई, 1990 के स्थान पर 25-11-1989 तथा 1-8-1990 के मूल्य दिये गये हैं।

स्रोत : नागरिक आपूर्ति विभाग।

एअर इंडिया को लाभ/हानि

[अनुवाद]

1888. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

डा० वेंकटेश काबडे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के प्रथम छः महीनों में एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स को कितना-कितना लाभ/घाटा हुआ है;

(ख) क्या एअर इण्डिया ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितनी नयी योजनाओं की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो शुरू की गई/प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एयर इण्डिया को इस वर्ष पर्यटन टिकट रद्द किये जाने के कारण घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जनवरी से जून, 1990 के दौरान, एयर इण्डिया ने जहां लगभग 98.50 करोड़ रुपये का (अनन्तिम) लाभ कमाया, वहीं इण्डियन एयरलाइन्स को लगभग 32.50 करोड़ रुपये का (अनन्तिम) घाटा हुआ।

(ख) और (ग) जी, हां। पर्यटन का विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से एयर इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय वाहक कम्पनी के रूप हुई तभी से भारत में इसका विकास कर रही है और पर्यटन विभाग तथा पर्यटन उद्योग के सहयोग से कार्य कर रही है। एयर इण्डिया अधिकांश पर्यटन उत्पादक क्षेत्रों से विशेष प्रोत्साहक किरायों और पर्यटन के विकास के लिए विशेष पैकेजों की पेशकश करती है। भारत में यातायात को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के परामर्श से विशेष स्कीमें भी शुरू की गई हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) जर्मनी, फ्रांस और जापान स्थित एयर इण्डिया के कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्हें चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई, 1990 के दौरान भारत आने वाले पर्यटक ग्रुपों से घाटे हुए हैं।

रेल पथों के किनारे वृक्षारोपण

[हिन्दी]

1889. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी को जमा होने से रोकने के लिए रेल पथों के दोनों ओर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रिफैम्पिसिन का उत्पादन

[अनुवाद]

1890. श्री मदन लाल खुराना : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने रिफैम्पिसिन का उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ख) देश में रिफैम्पिसिन के अन्य निर्माताओं के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक निर्माता द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इसका कितना उत्पादन किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) मध्यवर्ती/उपांतिम स्तरों से रिफैम्पिसिन का उत्पादन करने वाले अनेक उत्पादक हैं।

संगठित क्षेत्र में रिफैम्पिसिन का केवल एक विनिर्माता है अर्थात् मे० सुपिन लैब्स लि० है; जिसके उत्पादन को सरकार द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है। इस कम्पनी के पिछले 3 वर्षों के उत्पादन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

इकाई : टन

1987-88 : 60.68

1988-89 : 56.79

1989-90 : 26.19 (*)

(अनुमानित)

पन्तनगर (नैनीताल) हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

1891. **श्री एम० एस० पाल** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पन्तनगर (नैनीताल) हवाई अड्डे का विस्तार करने और उसे आधुनिक बनाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हल्द्वानी में हवाई अड्डे का निर्माण करने का भी विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

छोटी कारों का उत्पादन

[अनुवाद]

1892. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मारुति उद्योग लि० और जापान की इसकी सहायक कम्पनी सुजुकी मोटर से कोई ऐसा संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि सुजुकी मोडल्स द्वारा भारत को अपनी छोटी कारों का समस्त उत्पादन अन्तरित कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार को इस प्रकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी मोटर कम्पनी के बीच एक समझौता हुआ है कि वर्ष 1992 के बाद सुजुकी 800 सी० सी० कारों का उत्पादन और यूरोप को निर्यात बन्द कर देगी और मारुति उद्योग लिमिटेड ही इस बाजार को इस कार की आपूर्ति का एकमात्र स्रोत होगा। सरकार दोनों कम्पनियों के निर्णय का स्वागत करती है।

सैनिटरी टाउल तौलियों का निर्माण

1893. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्यमियों की तौलियों के उत्पादन को अनुमति दी गई है, जोकि लघु उद्योगों के लिए एक आरक्षित मद है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन एककों द्वारा प्लांट और मशीनरी में किया गया निवेश, अनुमति दिये जाने के समय लघु उद्योगों के लिए निर्धारित निवेश सीमा के अन्तर्गत था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) गैर लघु उद्योग क्षेत्र में दो औद्योगिक एकक 1967-68 से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मद सैनिटरी तौलियों का विनिर्माण कर रहे हैं। इनमें से एक में आरक्षण की तारीख से पूर्व उत्पादन हो रहा था, तथा दूसरे को लघु उद्योग एकक के रूप में पंजीकृत किया गया तथा जिसे कार्यान्वयन अवधि के दौरान आयात शुल्क ढांचे में परिवर्तनों के फलस्वरूप संयन्त्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई मशीनरी की तटागत लागत उच्चतम सीमा से अधिक हो जाने पर कार्य जारी रखने (सी० ओ० बी०) के लिए लाइसेंस दिया गया था।

मुम्बई में गंदी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं

1894. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री महाराष्ट्र में रेल पथों के आस-पास बनी गंदी बस्तियों के बारे में 20 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में रेल लाइन से 30 फुट की सीमा से बाहर की रेलवे भूमि पर बनी गंदी बस्तियों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसका कार्यान्वयन कब किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए झोंपड़ियों में रहने वालों को संरक्षा जोन से हटाने, गंदी बस्तियों के सुधार से संबंधित कार्य शुरू करने से पहले रेल पथ से 30 फुट की दूरी पर चार दीवारी के निर्माण का आश्वासन देने जैसी शर्तें अभी तक पूरी नहीं की हैं। उन्होंने रेलों द्वारा फालतू रेलवे भूमि चालू बाजार मूल्य पर अथवा आदान-प्रदान के आधार पर दिए जाने की पेशकश को भी स्वीकार नहीं किया है जिससे कि राज्य सरकार गंदी बस्ती अहग्रेडेशन परियोजना को कार्यान्वित कर सके। राज्य सरकार को इस भूमि को दीर्घकालिक आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 6 प्रतिशत दर पर लाइसेंस पर लेने का विकल्प भी दिया गया है।

विमानों में यात्रा के दौरान धूम्रपान पर प्रतिबन्ध

1895. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में यात्रा के दौरान धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार का एअर इंडिया और वायुदूत जैसी अन्य एयरलाइनों की उड़ानों में यात्रा के दौरान भी ऐसा ही प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 6 जून, 1990 से इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी सभी अन्तर्देशीय उड़ानों में धूम्रपान पर पाबन्दी लगा दी है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी का पालन करते हुए पड़ोसी देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में इस पर पूरी पाबन्दी नहीं लगाई है। तदनुसार, कुछ प्रतिशत तक धूम्रपान निषेध किया गया है।

(ख) और (ग) वायुदूत ने अपनी सभी उड़ानों में धूम्रपान पर पहले ही पाबन्दी लगा दी है। इसके विपरीत एअर इंडिया ने अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनी होने और लम्बी दूरी के प्रचालन करने के कारण अपनी उड़ानों में धूम्रपान पर पाबन्दी नहीं लगाई है। एअर इंडिया ने धूम्रपान न करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विमान में कुछ जोन/सीटें "धूम्रपान न करने वाले यात्रियों के प्रयोग के लिए" निर्धारित कर दी हैं।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं

1896. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में कितने मूल्य का कारोबार हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न करों का भुगतान करने के बाद इस कारपोरेशन ने कितना लाभ कमाया;

(ग) क्या निकट भविष्य में आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में तेल शोधनशाला का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बिक्री	कर के पश्चात लाभ
1988-89	3445.36	173.90
1989-90	3779.46	200.26

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

1897. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस कनेक्शनों के लिए राज्यवार कितने आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कुल कितने नए कनेक्शन आवंटित किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश को चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने नए गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं और इस वर्ष कितने कनेक्शन आवंटित किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सूचना विवरण-पत्र में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान, पूरे देश में 10 लाख नए एल० पी० जी० कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। नए कनेक्शन, उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अधीन चरणवार तरीके से दिए जाते हैं बशर्ते कि एल० पी० जी०, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, नए डिस्ट्रीब्यूटरों का चालू किया जाना और डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां की प्रतीक्षा-सूची को ध्यान में रखा जाता है। इस संबंध में कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पहली अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में चालू वर्ष के लगभग 10,360 एल० पी० जी० के नए कनेक्शन दिए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित राज्य	(आंकड़े लाख में) दिनांक 1-2-1990 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों की लगभग संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.03
3.	असम	0.51
4.	बिहार	1.05
5.	गोआ	0.40
6.	गुजरात	4.96
7.	हरियाणा	2.39
8.	हिमाचल प्रदेश	0.28
9.	जम्मू और कश्मीर	0.28

1	2	3
10.	कर्नाटक	1.33
11.	केरल	1.39
12.	मध्य प्रदेश	2.69
13.	महाराष्ट्र	9.27
14.	मणिपुर	0.07
15.	मेघालय	0.07
16.	मिजोरम	0.06
17.	नागालैंड	0.08
18.	उड़ीसा	0.19
19.	पंजाब	3.18
20.	राजस्थान	3.29
21.	सिक्किम	0.01
22.	तमिलनाडु	3.76
23.	त्रिपुरा	0.13
24.	उत्तर प्रदेश	8.38
25.	वैस्ट बंगाल	3.58
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अण्डमान और निकोबार	0.01
27.	चण्डीगढ़	0.43
28.	दादर और नागर हवेली	0.01
29.	दिल्ली	4.88
30.	दमन और द्वीप	0.05
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	0.04
	योग	54.67

कोटा, राजस्थान में हवाई अड्डा

[अनुवाद]

1898. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा स्थित वर्तमान हवाई अड्डा विमानों के लिए असुरक्षित हो गया है क्योंकि इसके चारों ओर रिहायशी कालोनियां बन गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोटा की मास्टर प्लान में आरक्षित भूखण्ड में जेट विमानों के उतरने के लिए एक हवाई अड्डे का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं। तथापि, राज्य सरकार से विमान क्षेत्र की परिधि के अन्दर भवन निर्माण के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने को कहा गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जेट विमान परिचालनों के लिए वर्तमान विमान क्षेत्र के विकास अथवा नये हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

तालचेर-भुवनेश्वर एक्सप्रेस का पुरी तक विस्तार

1899. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर-भुवनेश्वर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को पुरी तक बढ़ाये जाने की कोई मांग की गई है;

(ख) क्या भुवनेश्वर और तालचेर के बीच बराबर नाराज, एक दैनिक रेलगाड़ी चलाये जाने की भी मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ए० एम० ई० परीक्षा के प्रश्न पत्रों का लीक होना

1900. श्री ए० विजय राघवन : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक द्वारा आयोजित ए० एम० ई० परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लीक होने के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाये हैं ताकि भविष्य में प्रश्न पत्र लीक न हो सकें ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। जांच से यह पाया गया कि अलग फेंके हुए साइक्लोस्टाइल पेपर से पेपर लीक हो गया था। तत्पश्चात पूरी

परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षाओं को पुनः आयोजित किया गया। नए प्रश्न पत्र तैयार किए गए और सभी केन्द्रों में भेज दिए गए।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :—

(1) परीक्षा अनुभाग में चार वर्ष से अधिक के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण।

(2) प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी प्रश्न पत्र के मुद्रण लिफाफे में सील करने, प्रेषण करने और पुनः प्रेषण के लिए बचे हुए शेष प्रश्न पत्रों को गुप्त अलमारी में रखने संबंधी मामलों को सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(3) एक नयी मशीन प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की गुप्त रूप से छपाई करेगी और मास्टर स्टेंसिल को स्वयं ही नष्ट कर देगी।

(4) सभी अस्वीकृत और प्रयोग में न आने वाले प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं भी उक्त मशीन द्वारा तत्काल नष्ट कर दी जाती हैं।

(5) प्रश्न पत्रों का कूरियर सेवाओं द्वारा प्रेषण किया जाता है।

(6) आगुन्तकों का परीक्षा अनुभाग में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है। परीक्षा के संबंध में आगुन्तकों को पूछताछ के लिए निदेशक के पास सम्पर्क करना अपेक्षित है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में कर्मचारियों की संख्या

1901. **श्री शिबू सोरेन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों तथा विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में रोजगार के लिए विस्थापित व्यक्तियों के कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(घ) विस्थापित व्यक्तियों के लम्बित पड़े सभी मामलों का कब तक निपटान किया जाएगा; और

(ङ) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों को कब भरा जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या, श्रेणी-वार, नीचे दी गई है :—

(दिनांक 1-7-90 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	संख्या
(1) अधिकारी	3046
(2) मासिक आधार पर	18361
(3) दैनिक आधार पर	46374

1		2
(4) रोजनदारी आधार पर		31661
(5) अनियत		685
		100127
(6) कोयला खान कल्याण संगठन में कर्मचारियों की संख्या (से० को० लि० के स्वामित्वाधीन)		173
	जोड़	100300

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या, वर्ग-वार, नीचे दी गई है :—

ग्रुप	अनु० जाति	अनु० जनजाति
ए	60	70
बी	210	139
सी	13650	10012
डी	6277	5235
सफाई कर्मचारी	1707	1
जोड़	21904	15457

वर्तमान में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में 3875 भू-वंचित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया

(ग) और (घ) विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित 14 मामले सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में नियुक्त किए जाने के लिए लम्बित पड़े हैं। इन मामलों को शीघ्र निपटाए जाने की संभावना है।

(ङ) सरकार ने सितम्बर, 1993 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित बाकी बची रिक्तियों को भरे जाने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया है।

पेट्रोलियम उत्पादों का बिक्री मूल्य

1902. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) सरकार द्वारा बड़े पेट्रोलियम उत्पादों के वुनियादी अधिकतम बिक्री मूल्य, भंडारण स्थान

पर मूल्य कैसे निर्धारित किये जाते हैं और क्या ये मूल्य देश में सभी भंडारण स्थानों, मुख्य पत्तन और देहाती प्रतिष्ठानों दोनों में एक समान हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इनमें कितनी भिन्नता है और इनके क्या कारण हैं;

(ग) बुनियादी अधिकतम बिक्री मूल्यों के संघटक क्या हैं और क्या इनमें कम्पनियों के प्रत्येक बड़े उत्पादों में कुल मुनाफे के घटक भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने तेल कम्पनियों को कितना लाभ अर्जित करने की अनुमति दी है; और

(ङ) क्या बुनियादी अधिकतम बिक्री मूल्य और सी० आई० एफ० के बीच कोई संबंध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री कीमतों की मूल अधिकतम सीमा (भंडारण स्थल की कीमतों) में इन बातों का विचार किया जाता है - कच्चे माल का उत्पादन=सामग्री की लागत, परिशोधन-लागत एवं रिफाइनरियों में निवेश पर प्रतिलाभ, विपणन की लागत तथा विपणन कम्पनियों में निवेश पर प्रतिलाभ। पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण-स्थल पर की कीमतों के निर्धारण में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर आधारित विभिन्न उत्पादों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की मूल बिक्री कीमतों की अधिकतम सीमा सभी रिफाइनरी-स्थलों पर एक समान है। देहाती क्षेत्रों और डिपो की कीमतों का निर्धारण, निकटतम रिफाइनरी-स्थल की कीमत के आधार पर जमा (+) परिकल्पित रेलवे माल-भाड़ा के आधार पर किया जाता है। इसमें कांडला, गोवा, ओखा और कलकत्ता के क्षेत्रों का निर्धारण शामिल नहीं है जहां परिवहन की लागत की गणना कोस टैंकरों द्वारा क्रमशः बम्बई के कांडला, गोवा, ओखा और हल्दिया से कलकत्ता की जाती है।

(ख) स्थान तथा परिकल्पित माल-भाड़ा और स्थानीय करों, उपकरों आदि के कारण मुख्य बन्दरगाहों और देहाती क्षेत्रों की कीमतें अलग-अलग होंगी।

(ग) भंडारण-स्थल पर मूल बिक्री कीमत की अधिकतम सीमा के घटक निम्नलिखित हैं :—

रिफाइनरी स्थल पर कीमत

सीमा/उत्पाद शुल्क

विपणन लागत/अतिरिक्त राशि

भाड़ा अधिभार पूल

लागत और माल भाड़ा अधिभार

उत्पाद कीमत समायोजन

रिफाइनरी स्तर पर, रिफाइनरियों में निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में प्राप्त कुल लाभ को रिफाइनरी कीमत में शामिल कर लिया जाता है। बिक्री कीमत की मूल अधिकतम सीमा के निर्धारण

के लिए विपणन स्तर पर विपणन की अतिरिक्त राशि के रूप में निवेश पर प्रतिलाभ को भी शामिल किया जाता है।

(घ) सरकार ने शुद्ध-राशि पर 12% कर पश्चात् प्रतिलाभ के रूप में और तेल कम्पनियों के मानकी ऋणों पर भारित औसत ब्याज की दर पर ब्याज के रूप में लाभ की अनुमति दी है।

(ङ) जी, नहीं।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करना

1903. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में रुग्ण एककों की जांच करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकारों की एक संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई समिति गठित की गई है अथवा करने का विचार है, यदि हां, तो कब और इसके विचारार्थ विषय क्या होंगे; और

(ग) क्या इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार का पश्चिम बंगाल में उन रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है जिनसे श्रमिक वर्ग में अत्यधिक रोष पैदा हो गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) इस विभाग को केन्द्र सरकार को दिए गये ऐसे किसी सुझाव के बारे में जानकारी नहीं है।

(ग) देश में रुग्ण उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए भारत सरकार की एक समान नीति है। किसी रुग्ण इकाई के पुनर्जीवन के प्रस्ताव पर विचार नीति संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

लघु उद्योग के क्षेत्र के लिए उद्योग

1904. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की एक सूची तैयार की है जिन्हें लाइसेंस लेने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सूची में शामिल किए गए मदों सहित अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओकार लेना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली का उत्पादन

1905. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान बिजली उत्पादन में प्रतिस्थापना के आधार पर वृद्धि हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के बिजली उत्पादन क्षमता में श्रेणीवार, जैसे पन-बिजली, ताप बिजली, परमाणु-बिजली, गैर-परम्परागत ऊर्जा के रूप में कुल कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) राज्य-वार संयंत्र भार गुणक और उत्पादन क्षमता कितनी है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 1989-90 के दौरान ऊर्जा का वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 10.8% अधिक था। ताप विद्युत का उत्पादन 13.3% अधिक था, न्यूक्लीय उत्पादन 20.7% कम था और जल विद्युत उत्पादन 7.2% अधिक था।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार 4687.7 मे० वा० की क्षमता जोड़ी गई थी :

ताप विद्युत	4167 मे० वा०
जल विद्युत	509.9 मे० वा०
गैर-पारम्परिक ऊर्जा	10.8 मे० वा०
कुल	4687.6 मे० वा०

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्पादन क्षमता एवं संयंत्र भार गुणक का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	विद्युत उत्पादन क्षमता एवं संयंत्र भार गुणक का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	
	31-3-90 की स्थिति के अनुसार क्षमता (मे० वा०)	संयंत्र भार गुणक (%) 1989-90
हरियाणा	1780.32	44.1
हिमाचल प्रदेश	273.57	
जम्मू कश्मीर	262.04	—
पंजाब	3048.94	60.8
राजस्थान	1721.93	49.7
उत्तर प्रदेश	5527.24	59.0
गुजरात	4202.43	61.4
मध्य प्रदेश	3087.60	57.8
महाराष्ट्र	8185.32	82.0
गोवा	—	—

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	4064.44	65.3
कर्नाटक	2645.20	76.9
केरल	1476.50	—
तमिलनाडु	3874.38	66.3
बिहार	1549.43	31.9
उड़ीसा	1574.42	35.6
पश्चिम बंगाल	2584.38	42.7
सिक्किम	21.29	—
असम	537.19	27.8
मणिपुर	24.49	—
मेघालय	133.76	—
नागालैंड	6.12	—
त्रिपुरा	46.65	—
अरुणाचल प्रदेश	22.48	—
मिजोरम	25.82	—

एकलाखी-बलूरघाट रेल लाइन

1906. डा० गुलाम यजदानी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में एकलाखी से बलूरघाट तक नई रेल लाइन बिछाने को कब स्वीकृति दी गई थी और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था;

(ख) इस रेल लाइन की अनुमानित लागत क्या है तथा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के बजट में इसके लिए कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) एकलाखी से बलूरघाट तक नयी रेल लाइन स्वीकृत की गई थी और उस पर 1983-84 में कार्य शुरू किया गया था।

(ख) इस रेल लाइन की अनुमानित लागत 47.18 करोड़ रुपये है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण केवल सांकेतिक रूप में 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में केवल 1000 रुपये ही आवंटित किए जा सके।

(ग) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उप-नगरीय रेलवे मुम्बई के लिए रैकों की खरीद

1907. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के पास मुम्बई में अपनी उपनगरीय सेवाओं के लिए कुल कितने रैक हैं;

(ख) काफी समय से टूटी-फूटी हालत में होने के कारण कितने रैक बेकार हो गए हैं;

(ग) मध्य रेलवे ने (मुम्बई उपनगरीय क्षेत्र के लिए) कितने नए रैकों का क्रयादेश दिया गया है; और

(घ) रैकों की शीघ्र सप्लाई प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 86.

(ख) निर्धारित आयु के आधार पर 31-3-1990 को 18 मोटर सवारी डिब्बों तथा 61 ट्रेलर सवारी डिब्बों का बदलाव किया जाना था।

(ग) और (घ) क्रयादेश रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं। मध्य तथा पश्चिम रेलों पर मुम्बई उपनगरीय क्षेत्र की तात्कालिक मांग पूरी करने के लिए 1990-91 में 72 सवारी डिब्बों का निर्माण किए जाने की योजना बनाई गई है। मैसर्स जेस्पस से कहा गया है कि वह 1991-92 में सवारी डिब्बों का निर्माण 72 से बढ़ाकर 90 तथा इसके बाद बढ़ाकर 102 कर दें।

रघुनाथ एक्सप्रेस का पुन: चलाया जाना

1908. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लोगों ने पुरी-तिरुपति एक्सप्रेस के रूप में विख्यात रघुनाथ एक्सप्रेस को पुन: चलाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

आसनसोल-दामोदर सैक्शन का रख-रखाव

1909. **श्री वृषभचन्द्र मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे के आसनसोल-दामोदर सैक्शन पर सुधार करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इसमें ऊपरी पुर्वों, अर्थात जी० टी० रोड पर बी० एन० आर० पुल को चौड़ा करने का कार्य शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के आसनसोल-दामोदर खंड पर रेलें यात्री सुविधा सम्बन्धी कतिपय कार्य कर रही हैं जैसे दामोदर स्टेशन पर पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म के स्थान पर निचली सतह के प्लेटफार्म की व्यवस्था तथा बर्नपुर स्टेशन पर यात्री गाड़ियों

को सम्हालने की सुविधाओं सहित लैटफार्म पर शायबान की व्यवस्था। इसके अलावा, इस खण्ड पर 1.7 कि० मी० में रेल पथ के नवीकरण का कार्य चल रहा है। इस खण्ड पर शेष रेल पथ का नवीकरण पिछले छह वर्षों के दौरान पहले ही पूरा कर दिया गया था।

नियमानुसार, लागत में भागीदारी के आधार पर राज्य सरकार के साथ मिलकर चौड़े सड़क-मार्ग सहित मौजूदा पुल का पुनर्निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियों में दुर्घटनाएं

1910. श्री हाराधन राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लि० की क्रमश: विभिन्न सहायक कम्पनियों में वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जिनमें लोगों की मृत्यु हो गई/वे अपंग हो गए/आंशिक रूप से अपंग हो गए ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उक्त सूचना को सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

खिलौने और गुड़िया बनाने के लिए विदेशी सहयोग

1911. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खिलौने और गुड़ियां के लिए कितने विदेशी सहयोग को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा खर्च होती है;

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है; और

(घ) ऐसे विदेशी सहयोग समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) 1985 से 1988 के बीच सरकार ने खिलौने, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक सहायक सामग्री के निर्माण के लिए छ: विदेशी सहयोग प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। जून, 1988 के पश्चात कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) उपर्युक्त प्रस्तावों में स्वीकृत अनुमोदन की शर्तों के अनुसार तकनीकी जानकारी शुल्क की अदायगी में 1,74,750 (शुद्ध कर) अमरीकी डालर की कुल रकम अन्तर्ग्रस्त है। अनुमोदन की शर्तों में 3% से 5% के बीच रायल्टी की अदायगी भी शामिल है लेकिन रायल्टी की अदायगी को नियन्त्रित करने वाली मानक शर्तों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए कर लगेंगे। इसके अलावा, अनुमोदनों में अलग-अलग कम्पनियों द्वारा प्रतिमास आयातित डाकों की सी० आई० एफ० लागत की आधार पर करों के अधीन 1% से 1.5% की दर से किराये के भुगतान का भी प्रावधान है।

(ग) कम्पनियों द्वारा दिए गए निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य के आधार पर अनुमानित विदेशी मुद्रा से आय लगभग 3878.70 लाख रु० थी।

(घ) आधुनिक नीतियों, जिनका शैक्षिक तथा वैज्ञानिक मूल्य है, के आधार पर खिलौनों के निर्माण की आवश्यकता पर विचार करते हुए, ऐसे सहयोगों को स्वीकृति दी जाती है।

राजस्थान की परियोजनाओं के लिए धनराशि

1912. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वीकृति औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार, छः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य में हैं और जिनका केन्द्रीय निवेश 376.58 करोड़ रुपये है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, राजस्थान में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए :—

	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1987	3	1
1988	1	2
1989	1	1
1980 (मई तक)	—	—

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की एक नयी एकीकृत परियोजना "रमपुरा—अगुचा—चोदरिया माइन्स स्मेल्टर" सीसा और जिंक के क्रमशः 30,000 और 70,000 मी० टन उत्पादन के लिए इस समय कार्यान्वित की जा रही है जिसकी कुल स्वीकृत लागत 617.20 करोड़ रुपये है। ये खानें भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं जबकि कन्सट्रेटर स्मेल्टर कम्पलेक्स चित्तौड़गढ़ जिले मे स्थित है। इस परियोजना को 1990-91 के मध्य तक पूरा कर लिये जाने की योजना है।

वाशिंग मशीन बनाने के लिए विदेशी सहयोग

1913. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "वाशिंग मशीन" बनाने के लिए विदेशी सहयोग मन्जूर करने हेतु तकनीकी जानकारी, पूंजीगत सामान और उपकरणों के लिए कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान वाशिंग मशीनों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन प्रत्येक मामले में अलग-अलग होता है और यह विदेशी सहयोग की अवधि के अनुमानों पर आधारित होता है। प्रोग्रामेबल वाशिंग मशीन बनाने के लिए विदेशी सहयोग पर विचार बैंक की गारण्टी पर विदेशी सहयोग का अन्तः प्रवाह और बहिर्गमन के 2 : 1 के आधार पर न्यूनतम निर्यात वचनबद्धता पर किया जाता है। निर्यात की वचनबद्धता को विदेशी सहयोग की अवधि में पूरा करना होता है।

कर्नाटक एक्सप्रेस (परभनी-नई दिल्ली) में महिला (वर्थ) आरक्षण कोटा

1914. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक एक्सप्रेस में परभनी से नई दिल्ली के लिए द्वितीय (वर्ष) आरक्षण कोटा उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या भविष्य में परभनी के लिए यह कोटा उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसमें श्रेणी-वार कितनी सीटों के आरक्षण कोटा उपलब्ध कराया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कर्नाटक एक्सप्रेस लम्बी दूरी की एक अत्यन्त लोकप्रिय गाड़ी है। विभिन्न स्टेशनों पर उपलब्ध आरक्षण कोटों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है जिनमें किसी तरह के समायोजन की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार परभनी पर कोटा आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पोरबन्दर हवाई अड्डे का विकास

1915. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

श्री बलवन्त मणवर : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पोरबन्दर हवाई अड्डे के विकास के बारे में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) गुजरात में कितने हवाई अड्डों/विमान क्षेत्रों की मरम्मत/आधुनिकीकरण अथवा विस्तार किया जाना है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री शिवराज पोस्वाली) : (क) जी, हां।

(ख) एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 3.00 लाख रुपए की नाममात्र व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) कोई तात्कालिक आवश्यकता न होने की दृष्टि से इस काम को कम प्राथमिकता दी गई है। टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य का शुरू होना भी तटरक्षक बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि सौंपे जाने पर निर्भर करता है।

(ङ) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

गुजरात के हवाई अड्डों की संख्या जिनको आधुनिक बनाया जाना है/विस्तार किया जाना है

क्रम सं०	हवाई अड्डा	नियोजित सुविधा
1.	बड़ौदरा	(क) क्रैश फायर टेंडर—1
		(ख) आठवीं योजना में प्रस्तावित उपकरण अवतरण प्रणाली
		(ग) आठवीं योजना में प्रस्तावित दूरी मापक उपस्कर
2.	अहमदाबाद	(क) एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली—1
		(ख) डी० वी० ओ० आर०—संस्थापन की योजना 1990-91 में की गई—उपस्कर उपलब्ध।
		(ग) वायु मार्ग निगरानी राडार—आठवीं योजना में प्रस्तावित।
		(घ) ए० एस० आर०-आठवीं योजना में प्रस्तावित।
		(ङ) सीमित अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए धावनपथ का 9000 फुट तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण।
3.	केशोद	(क) क्रैश फायर टेंडर—1
4.	पोरबन्दर	(क) क्रैश फायर टेंडर—2
5.	राजकोट	(क) क्रैश फायर टेंडर—1
		(ख) वी० ओ० आर०—संस्थापनाधीन।

[कश्मीर में अनन्तनाग में रसोई गैस की एजेंसियां

1916. श्री प्यारे लाल हान्डू : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर के अनन्तनाग जिले में विभिन्न व्यक्तियों के पास कितनी-कितनी रसोई गैस की एजेंसियां हैं; और

(ख) इस जिले में अभी तक रसोई गैस के कितने कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर के अनन्तनाग जिले में दो एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्यरत हैं और विवरण

1-4-1990 की स्थिति के अनुसार, इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के जरिए लगभग 4281 एल० पी० जी० कनेक्शन दिए गए हैं।

गुजरात में रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1917. श्री बलवन्त मन्वर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस की मासिक मांग और सप्लाई की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) गुजरात में जिलावार रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है और वर्तमान में गुजरात की रसोई गैस की मासिक मांग कितनी है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) गुजरात में एल० पी० जी० की प्रतीक्षा सूची के जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं। फिलहाल गुजरात में एल० पी० जी० सिलिंडरों की आवश्यकता 10.41 लाख सिलिंडर प्रतिमाह के लगभग है।

(ग) देश भर में एल० पी० जी० कनेक्शन उपभोक्ताओं के मात्रांकन के वार्षिक कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से जारी किये जाते हैं बशर्ते कि एल० पी० जी० उपलब्ध हो। गैस की उपलब्धता को उत्पादन और आयात के जरिये बढ़ाई जाती है।

विवरण-I

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एल० पी० जी० की मासिक मांग	एल० पी० जी० की मासिक आपूर्ति
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	14,105	12766
2.	असम	3,297	3025
3.	अरुणाचल प्रदेश	107	105
4.	बिहार	4,863	4499
5.	गुजरात	14,896	14852
6.	गोवा	1,262	905
7.	हरियाणा	4,972	4983
8.	जम्मू और कश्मीर	1,267	1174
9.	कर्नाटक	8,650	8116

1	2	3	4
10.	केरल	4,867	3976
11.	हिमाचल प्रदेश	890	893
12.	मध्य प्रदेश	10,496	10189
13.	महाराष्ट्र	34,361	30771
14.	मणिपुर	350	296
15.	मिजोरम	177	125
16.	मेघालय	278	238
17.	नागालैंड	224	191
18.	उड़ीसा	1,656	1607
19.	पंजाब	7,417	7331
20.	राजस्थान	6,604	5890
21.	सिक्किम	63	63
22.	तमिलनाडु	14,610	13109
23.	त्रिपुरा	269	224
24.	उत्तर प्रदेश	19,947	19726
25.	वैस्ट बंगाल	10,253	9743
	संघ राज्य क्षेत्र		
26.	चंडीगढ़	1,123	1120
27.	दिल्ली	15,387	15194
28.	दादर और नगर हवेली	20	23
29.	दमन और द्वीप	50	54
30.	पांडिचेरी	255	234
31.	अंडमान और निकोबार	64	64
32.	लक्यद्वीप	—	—
	योग :	1,82,294	1,71,546

1 टन=लगभग 70.4 सिलिंडर

विवरण-2

क्रम संख्या	जिला	एम० पी० जी० कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की लगभग संख्या
1.	अहमदाबाद	121779
2.	अमरेली	5961
3.	साबरकान्था	5650
4.	बांसकान्था	11879
5.	बड़ौदा	41898
6.	भड़ौच	16458
7.	भावनगर	38755
8.	गांधीनगर	10300
9.	जामनगर	9958
10.	जूनागढ़	15916
11.	खेड़ा	25590
12.	कच्छ	6503
13.	मेहसाणा	48033
14.	पंचमहल	14476
15.	राजकोट	36798
16.	सुरेन्द्रनगर	9638
17.	सूरत	84155
18.	वलसाद	13311
19.	डांग	—
	योग	527058

बिहार की लालभटिया कोयला खानों के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

[हिन्दी]

1918. श्री साईमन मरांडी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राजमहल परियोजना के आद्यभट्टिया कोयला खानों के विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(ख) उनका पुनर्वास कब तक किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) वर्तमान में खनन के क्रियाकलापों को केवल चाट सिमरा गांव तक ही बढ़ाया गया है। इस गांव के आवासों के लिए मुआवजे की राशि की अदायगी कर दी गई है। इस सम्बन्ध में प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सभी आधारभूत ढांचों की सुविधाओं के साथ वैकल्पिक स्तरों को भी विकसित किया गया है। अभी तक चाट सिमरा गांव के 5 परिवारों को स्थानान्तरित किया गया है। चाट सिमरा गांव के बकाया ग्रामीणों को नए स्थलों पर स्थानान्तरित किए जाने के लिए राजी किया जा रहा है।

कोयला उत्पादन के संबंध में भारत-सोवियत प्रोटोकोल

[अनुवाद]

1919. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राव वाडियर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला उत्पादन के सम्बन्ध में सोवियत रूस के साथ प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह करार कब तक प्रभावी रहेगा; और

(ग) सोवियत रूस की सहायता से देश में कोयला उत्पादन के लिए चयन की गई कोयला खानों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) 2000 ई० तक की अवधि के लिए कोयला उद्योग के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत तथा सोवियत संघ के बीच नवम्बर, 1985 में एक दीर्घावधि कार्यक्रम के सहयोग पर हस्ताक्षर हुए। दिनांक 24 जुलाई, 1990 को सोवियत संघ के साथ चालू सहयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम की समीक्षा किए जाने के लिये एक प्रोटोकोल पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। 2000 ई० तक सहयोग के संशोधित दीर्घावधि कार्यक्रम के अन्तर्गत सोवियत संघ की सहायता के लिए विनिर्दिष्ट की गई कोयले की परियोजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 तक भारत में डिजाईन की जाने वाली तथा निर्माण कार्य किये जाने वाले कोयले की परियोजनाओं में सहयोग किये जाने की योजना।

I. चालू परियोजनाएं

1. निगाही ओपनकास्ट कोलियरी (साईंस-कोलफील्ड्स लि०)

खान के लिए कार्यकारी दस्तावेज का तैयार किया था जिसमें ओपनकास्ट कोलियरी के प्रथम चरण की सूचना दिया जाना। 1990-91

(कोलियरी को 4.2 मि० टन/प्रतिवर्ष क्षमता उत्पादन तक लिया जाना)

4.2 मि० टन/प्रति वर्ष के निर्माण कार्य पर डिजाइनर का पर्यवेक्षण 1990-94

उपकरणों की 4.2 मि० टन/प्रति वर्ष आपूर्ति 1990-94

2. खादिया ओपनकास्ट कोलियरी (मार्डन कोलफील्ड्स लि०)

उपकरणों की आपूर्ति 1990-95

3. पावरडीह खानरी (भारत कोकिंग कोल लि०)

कार्यकारी दस्तावेजों का तैयार किया जाना 1990-93

निर्माण-कार्य पर डिजाइनर का पर्यवेक्षण 1990-93

उपकरणों की अपूर्ति 1990-91

4. झांजरा भूमिगत खान (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)

कार्यकारी दस्तावेजों को तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता 1990-92

निर्माण कार्य पर डिजाइनर का पर्यवेक्षण 1990-92

उपकरणों की आपूर्ति 1990-94

II. परियोजनाएं जिनमें सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद सहायता दिए जाने की सम्भावना है।

1. मुकुन्दा ओपनकास्ट कोलियरी (भारत कोकिंग कोल लि०)

देशीय अग्नि शमन में तकनीकी सहायता 1990-95

2. कपूरिया और जरजरी-धर्माबन्ध खाने (भारत कोकिंग कोल लि०)

व्यवहारिकता अध्ययन तैयार किया जाना 1990-91

परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जाना 1991-92

3. भीदुर तथा दक्षिणखन्द्रा (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)

अनुसंधान अध्ययन में सहयोग 1990-92

परियोजना रिपोर्ट तैयार करना 1992-93

4. रानीगंज कोलफील्ड (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)

निम्नलिखित पर अध्ययन शुरू किया जाएगा :

(i) विस्फोटन पैरामीटर का अनुमान तथा सतही ढांचों का संरक्षण 1992-95

(ii) खानों में पानी भरने का अनुमान तथा न्यूनीकरण के उपाय 1992-95

(iii) स्वदेशीय कोयला क्षमता का विश्लेषण 1991-93

5. गोल्टी 1 तथा 2 (सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०)

एक लांगवाल उपकरण की आपूर्ति की संविदा पर सितम्बर, 1990 में हस्ताक्षर किये जाएंगे। उपकरणों की आपूर्ति सितम्बर, 1991 में पूरी हो जाएगी।

6. रवीन्द्रा खानी नई तकनीक (सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०)

दिसम्बर, 1990 तक एक लांगवाल उपकरण की आपूर्ति की संविदा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उपकरणों की आपूर्ति दिसम्बर, 1991 तक पूरी हो जाएगी।

7. प्रकाशन खानी 1-2 खानें (सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०)

नवम्बर, 1990 तक यूरिया फारमल्डीहाइड का प्रयोग पूरा हो जाएगा। भौतिकी-यांत्रिक विशेषताओं का अध्ययन का निर्धारण दिसम्बर, 1990 तक पूरा हो जाएगा।

भारत में कोयला परियोजनाओं के डिजाइन तथा निर्माण कार्य में 1995-1996 से 1999-2000 तक सहयोग योजना

1. मोहर ओपनकास्ट (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०) 1995-2000

2. कुमारी ओपनकास्ट भारत कोकिंग कोल लि०) 1995-2000

3. मुकुन्दा ओपनकास्ट (भारत कोकिंग कोल लि०) 1995-2000

4. कपूरिया तथा खरखरी-धरमाबंद खानें (भारत कोकिंग कोल लि० 1995-2000

5. श्रीपुर तथा दक्षिनखंदा खानें (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०) 1995-2000

उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन

[हिन्दी]

1920. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल/डीजल पम्पों के आवंटन हेतु पात्र उम्मीदवारों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं;

(ख) इस वर्ष उत्तर प्रदेश में कितने पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पेट्रोल/डीजल पम्पों के आवंटन में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेट्रोल पम्प आवंटित किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) तेल कम्पनियां संबंधित तेल चयन बोर्डों से प्राप्त हुई सिफारिशों के आधार पर पेट्रोल/डीजल की डीलरों की नियुक्ति करती हैं। आय शैक्षिक योग्यता, निवास, श्रेणी, आयु आदि सम्बन्धी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन करते समय तेल चयन बोर्डों द्वारा निम्नलिखित बातों का विचार किया जाता है :

(1) व्यक्तित्व

(2) व्यापारिक योग्यता/सेल्समैनशिप

(3) वित्त का प्रबंध करने की क्षमता और सुविधाएं मुहैया कराने की सामर्थ्य

(4) डीलर के रूप में कार्य करने की तत्परता; और

(5) सामान्य आकलन और पाठ्येतर गतिविधियां कार्यकलाप।

(ख) यद्यपि उत्तर प्रदेश में 201 खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए स्थानों को अनुमोदित कर दिया गया है तथापि यह बताना संभव नहीं है कि इनमें से कितने इस वर्ष चालू हो जाएंगे।

(ग) 5% डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए निर्धारित कर दी गई हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता सेनानियों की श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान एक पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप आवंटित की गई है।

बांद्रा और कुर्ला टर्मिनल

[अनुवाद]

1921. **श्री लालाराम पोटदुखे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुम्बई में बांद्रा तथा कुर्ला टर्मिनलों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का विचार है ताकि लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के संचालन में सुविधा हो सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त टर्मिनलों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) बांद्रा टर्मिनल को मार्च, 1991 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तथापि, इसका पूरा होना, रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने पर निर्भर करेगा।

जहां तक कुर्ला टर्मिनल का सम्बन्ध है, एक प्राइवेट पार्टी, जिसके पास इसके लिए अपेक्षित भूमि का एक भाग है, द्वारा दावा किए जाने के कारण इसके चालू किये जाने में बाधा पड़ी है। मामला न्यायाधीन है।

"एण्टीबायोटिक्स ड्रग्स" के मूल्य

1922. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत एण्टीबायोटिक औषधियों के मूल्यों की तुलना में दिल्ली में इनके वर्तमान मूल्य कितने हैं;

(ख) क्या कम मूल्य का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत मुख्य एण्टिबायोटिक प्रपुंज औषधों की कीमतें बताने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है। सरकार द्वारा नियत कीमतें अधिकतम बिक्री कीमत है और विनिर्माता प्रपुंज औषधों को उन कीमतों पर बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं जो ऐसी कीमतों से अधिक न हों। औषधों की बाजार-कीमतों को मानीटर नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) सूत्रयोगों की कीमतें नियत करते समय प्रपुंज औषध की अधिसूचित कीमत या वास्तविक खरीद कीमत, जो भी कम हो, पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	एण्टिबायोटिक का नाम	डी०पी०सी०ओ०, 1987 के अन्तर्गत नियत कीमत (रु० प्रति किग्रा०)
1.	बेंजाथीन पेनिसिलकेन जी	1639.80
2.	एम्पिसिलीन ट्रीहाइड्रेट	1925.00
3.	एम्पिसिलीन एनहाइड्रोस	2631.00
4.	एमोक्सिसलीन ट्रीहाइड्रेट	2660.00
5.	रिफाम्पिसिन	3500.00
6.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट सायनाबायोटिक्स	1049.00
	अन्य :	1147.00
7.	क्लोरोमाइसिन एस्टोलेट	2489.00
8.	क्लोरोमाइसिन स्टीरेट	2076.00
9.	क्लोरोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड सक्सीनेट	3532.00

1	2	3
10.	ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एच०सी०एल०	822.00
11.	ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एम्फोटेरिक	914.00
12.	सेफालैक्सीन मोनोहाइड्रेट	4842.00
13.	प्रोकेन पेनिसिलीन जी	1127.00/बीयू
14.	जेन्टामाइसीन सल्फेट	12500.00
15.	टेट्रासाइक्लीन एच०सी०एल०	1022.00

रामकृष्ण पुरम, दिल्ली में बिजली के खम्भे हटाना

1923. श्री सी० शिवासन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली/नई दिल्ली के रामकृष्ण पुरम सहित विभिन्न खम्भों में प्राधिकारियों द्वारा चौड़ी की गई सड़कों पर खड़े बिजली के खम्भों को, उन सड़कों को चौड़ा किये हुए एक वर्ष बाद भी हटाया नहीं गया है जिससे यातायात की समस्या हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन खम्भों को शीघ्र हटाने हेतु क्या कदम उठाये गये है/उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार, सड़क चौड़ा करने की प्रक्रिया के दौरान बिजली के खम्भों का स्थान बदलने/उसे हटाने में डेसू को, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं डी० डी० ए० आदि जैसी सड़क का रख-रखाव करने वाले संबंधित अभिकरणों द्वारा अपेक्षित प्राक्कलित शुल्क जमा किए जाने के बाद सामान्यतया छह से आठ महीने लगते हैं। आर० के० पुरम क्षेत्र में, डेसू बैंकटेश्वर मार्ग एवं संगम मार्ग के खम्भों का स्थान बदलने संबंधी कार्य पूरा कर चुका है। बैंकटेश्वर मार्ग और कामाकुटी मार्ग संबंधी कार्य के लिए ठेका दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आर० के० पुरम क्षेत्र में तमिल संगम मार्ग एवं कुछ अन्य मार्गों पर स्थित खम्भों का स्थान बदलने के कार्य का निष्पादन डेसू द्वारा दिल्ली नगर निगम से अपेक्षित शुल्क प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विलम्ब से चलना

1924. श्री येलैय्या नन्दी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से अत्यधिक विलम्ब से चल रही हैं;

(ख) क्या हाल के विगत समय में आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस रेलगाड़ी लगातार विलम्ब से चल रही है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान यह रेलगाड़ी कितनी बार अपने गंतव्य स्थान पर एक घंटे विलम्ब से पहुंची;

(घ) इसके बार-बार विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश के लिए इस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के आने-जाने में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ताकि यह अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय पर पहुंचे ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) जुलाई, 1990 के दौरान आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का समय पालन 58 प्रतिशत था।

(ग) 158.

(घ) खतरे की जंजीर खींचना, दुर्घटनाएं, खराब मौसम, बन्द और उपस्करों की खराबी जैसे अप्रत्याशित कारण।

(ङ) गहन निगरानी और चौबीसों घंटे नियंत्रण।

दिल्ली, चण्डीगढ़ और पंजाब में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

1925. श्री कृपाल सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकार का विचार दिल्ली, चण्डीगढ़ और पंजाब में किन-किन क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने का है; और

(ख) इन क्षेत्रों में गैस एजेंसियां/पेट्रोल पम्प आवंटित करने के क्या मानदण्ड हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पूर्ववर्ती आवंटन में उठाए गए विभिन्न कदमों की दृष्टि से, यह बता पाना संभव नहीं है कि इनमें से कितनों को चालू वर्ष के दौरान आवंटित किया जाएगा।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार, एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप उन कस्बों/शहरों के लिए चरणबद्ध तरीके से खुली हुई है जहां की आबादी 20,000 और इससे अधिक (1981 की जनगणना के अनुसार) हो और साथ ही मांग संभाव्यता हो बशर्ते कि उत्पाद उपलब्ध हो। पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना चरणों में उन स्थानों पर की जा रही है जहां मात्रा-दूरी मानदण्ड संतोषजनक है बशर्ते कि उत्पाद समग्र रूप से उपलब्ध हो।

विवरण

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप
पंजाब	1. बैंस, जिला होशियारपुर	1. गुरदासपुर
	2. लुधियाना, जिला लुधियाना	2. लुधियाना
	3. करहेरी, जिला पटियाला	3. भटाला
	4. दोदहुर, जिला फरीदकोट	4. मोगा
	5. गासिब, जिला, लुधियाना	5. फिरोजपुर
	6. भटिंडा, जिला भटिंडा	6. लुधियाना (3 स्थान)

1		2
	7. अलामवाला, जिला फरीदकोट	7. मंसा
	8. भोलिमवाली, जिला फरीदकोट	
	9. खुई-खेड़ा, जिला फिरोजपुर	
	10. बेमवाल, जिला भटिंडा	
	11. सम्बी, जिला फरीदकोट	
	12. लुधियाना, जिला लुधियाना	
	13. मोहोली, जिला रोपड़	
	14. जलालाबाद, जिला फिरोजपुर	
	15. पटियाला, जिला पटियाला	
	16. तलवाड़ा, जिला होशियारपुर	
चण्डीगढ़	1. सेक्टर 34 (समुदाय काम्प्लेक्स)	शून्य
	2. सेक्टर 34	
दिल्ली	1. बसन्त गांव	1. यमुना विहार (2)
	2. महरोली-गुड़गांव रोड	2. मयूर विहार
	3. लक्ष्मी नगर	3. पीतमपुरा

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबन्ध और मजदूर संघ के बीच समझौता

1926. श्री छविराम अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबन्ध और मजदूर संघ के बीच अन्तरिम राहत की जगह अग्रिम भुगतान करने के लिए दिनांक 26-4-1990 को किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में "रेलवे स्टेशनों" का विकास

1927. श्री पलास बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने रेलवे स्टेशनों का सुधार किया गया और उनमें क्या-क्या सुविधाएं करायी गयीं तथा इन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) क्या वर्ष 1990-91 में पश्चिम बंगाल में कुछ और रेलवे स्टेशनों के विकसित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री आर्वं फर्नान्डीज) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 928.96 लाख रुपये की लागत से 159 रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया है। इस संबंध में, प्रतीक्षालयों की व्यवस्था/विस्तार, ऊपरी पैदल पुलों और प्लेटफार्मों पर सायबानों की व्यवस्था, प्लेटफार्मों को ऊंचा करने, स्टेशन की इमारत में सुधार करने, रोशनी व्यवस्था में सुधार करने, पीने के पानी की सुविधाओं, ऊंचे वर्ग के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्षों और विश्रामालयों की व्यवस्था करने से संबंधित विभिन्न कार्य किए गए थे।

(ख) जी हां।

(ग) 1990-91 के दौरान पश्चिम बंगाल में 269.62 लाख रुपये की लागत से 103 रेलवे स्टेशनों का विकास करने का प्रस्ताव है।

विमान सेवाओं पर "ओपन स्काई पालिसी" का प्रभाव

1928. श्री ए० चार्ल्स : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान "ओपन स्काई पालिसी" के अन्तर्गत सेक्टर-वार कितनी विमान उड़ानें संचालित की गयीं;

(ख) "ओपन स्काई पालिसी" के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्या इस नीति से एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स अथवा वायुदूत की बिक्री और लाभ-प्रदता प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) ओपन स्काई नीति का उद्देश्य विदेशी विमान कम्पनियों को भारतीय बाजार में आसान पहुंच की अनुमति देते हुए कार्गो वहन क्षमता में वृद्धि करना और नियोत कार्गो के आवागमन को सुविधाजनक बनाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं है।

तंजावूर और मद्रास के बीच वायुदूत सेवा

1929. श्री एस० सिंगरावडीवेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजावूर और मद्रास के बीच वायुदूत सेवा रद्द कर दी गई है और इसके बदले त्रिची और मद्रास के बीच वायुदूत शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तंजावूर और मद्रास के बीच वायुपूत सेवा पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) विमान क्षमता की कमी के कारण वायुपूत लिमिटेड के लिए तत्काल तंजावूर के लिए अपनी सेवा पुनः शुरू करना संभव नहीं होगा।

हावड़ा स्टेशन पर पान की टोकरियों की बुकिंग

1930. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हावड़ा स्टेशन पर पान की टोकरियों की बुकिंग पर पाबन्दी लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयातित कच्चे तेल का मूल्य

1931. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान आयातित कच्चे तेल की रुपये में प्रति मीट्रिक टन औसत अवतरित लागत कितनी-कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वदेशी कच्चे तेल की प्रति मीट्रिक टन औसत प्रति कुआं (वेल हैड कोस्ट) लागत कितनी थी;

(ग) उत्पादक राज्यों को कितनी रायल्टी दी गई और कितनी रायल्टी स्वदेशी कच्चे तेल के औसत प्रति कुआं लागत (एवरेज वेल-हैड कोस्ट) में सम्मिलित की गयी;

(घ) रायल्टी का अन्तिम संशोधन किस तारीख को किया गया था;

(ङ) क्या उत्पादक राज्य दी जा रही रायल्टी से संतुष्ट हैं अथवा क्या उन्होंने रायल्टी में वृद्धि करने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान आयातित कच्चे तेल की भारित औसत अवतरित लागत क्रमशः 1727 रुपये, 1587 रुपये और 1965 रुपये प्रति टन थी।

(ख) वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक कच्चे तेल के उत्पादन की औसत लागत निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लागत (रुपए प्रति टन)	
	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	आयल इंडिया लिमिटेड
1987-88	1215	1225.56
1988-89	1319	1311.28
1989-90	1637	3569.17

(ग) वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89 के लिए 192 रुपये प्रति टन की दर से रायल्टी का भुगतान किया गया था और वर्ष 1989-90 के लिए असम और गुजरात राज्यों को 192 रुपये प्रति टन के अलावा 100 रुपये प्रति टन की दर से तदर्थ अतिरिक्त रायल्टी का भुगतान किया गया था कि 1-4-87 से 31-3-1990 की अवधि के लिए दर को अन्तिम रूप देने के मामले के लम्बित होने तक है।

(घ) रायल्टी की दर को विगत में 1-4-1984 से संशोधित किया था।

(ङ) जी, नहीं। राज्य सरकारों ने रायल्टी की दर में वृद्धि की मांग की थी।

(च) सरकार ने 1-4-1987 से कच्चे तेल की रायल्टी की दर को संशोधित करने का निर्णय लिया था। तथापि, गुजरात के मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि रायल्टी की दर के संशोधन का सम्पूर्ण मुद्दा एक समिति को भेजा जाना चाहिए। एक समिति गठित करने का प्रश्न अब सरकार के विचाराधीन है।

ए-320 एयरबस सौदे के लिए स्विटजरलैंड को अनुरोध-पत्र

1932. प्रो० रूपचन्द पाल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने ए-320 एयरबस सौदे के सम्बन्ध में स्विस बैंक के मुख्य दस्तावेजों का जब्त करने और गवाहों से जिरह करने के बारे में स्विटजरलैंड को एक अनुरोध पत्र भेजने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पहले ही 29-3-90 को एक नियमित मामला संख्या 2(क)/90-ए० सी० यू० (11) दर्ज कर दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत कमी

1933. श्री जे० चोक्का राव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को लगातार विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यहां विद्युत की कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए पश्चिम क्षेत्र से उपलब्ध "आफ पीक सरपल्स" विद्युत का उपयोग करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उचित अन्तर-क्षेत्रीय सम्पर्क के अभाव के कारण बम्बई हाई की गैस को जलाया पड़ रहा है, जबकि इस गैस का उपयोग, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के उरान बिजली घर में विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है; और

(घ) क्या सरकार का पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों के बीच उचित अन्तर-क्षेत्रीय सम्पर्क स्थापित करने के लिए आठवीं योजना के दौरान पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव है, ताकि एक क्षेत्र की फालतू विद्युत का दूसरे क्षेत्र में सदुपयोग किया जा सके ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) उत्तरी क्षेत्र में 8वीं एवं 9वीं योजना के दौरान व्यस्तमकालीन ऊर्जा की कमी होने की सम्भावना है और ऊर्जा की कमी केवल 8वीं योजना के दौरान पड़ेगी। दक्षिणी क्षेत्र में 8वीं एवं 9वीं योजना के दौरान व्यस्ततमकालीन कमी के साथ-साथ ऊर्जा की कमी पड़ेगी। पश्चिमी क्षेत्र में 8वीं एवं 9वीं योजनावधि के दौरान व्यस्ततमकालीन ऊर्जा की कमी पड़ने की सम्भावना है परन्तु ऊर्जा अधिशेष होने की प्रत्याशा है। किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष विद्युत ऊर्जा का सदुपयोग देश के अन्य क्षेत्रों की ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। बाम्बे हाई में गैस जलाने का कारण समुद्र से समुद्र के बाहर गैस निकालने की सम्पीडन एवं अन्त: समुद्री पाइपलाइनों की सुविधाओं की अनुपलब्धता है। महाराष्ट्र स्थित विद्यमान 672 मेगा वाले उरन गैस टर्बाइन केन्द्रों के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय द्वारा 4.5 एम० सी० एम० डी० गैस का लिंकेज पहले ही सुनिश्चित कर लिया गया है। महाराष्ट्र में 8वीं योजना के दौरान चालू किए जाने के लिए 3X120 मेगा की अपशिष्ट ऊष्मा यूनिटों का कार्य भी प्रगति पर है।

(घ) पश्चिमी तटपट से दक्षिणी क्षेत्र को प्राकृतिक गैस ले जाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण से सम्बन्धित मुद्दों का परीक्षण करने हेतु सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अन्त:मंत्रालयीन दल का गठन किया गया है। इस दल का गठन मई, 1990 में किया गया था और इसके द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अन्दर प्रस्तुत कर दिए जाने की प्रत्याशा की गई है।

कर्नाटक को मिट्टी के तेल की सप्लाई

1934. **श्रीमती वासवराजेश्वरी** :

श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जून 1990 को मिट्टी का तेल अतिरिक्त मात्रा में सप्लाई करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से जून, 1990 तक राज्य सरकार को प्रत्येक महीने कितनी-कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया;

(ग) जून, 1990 के बाद राज्य को कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया है; और

(घ) कर्नाटक को मिट्टी के तेल की उसकी पूरी मांग के अनुसार सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) कर्नाटक सरकार ने जून, 1990 के लिए 8000 मि०टन अतिरिक्त मिट्टी के तेल की मांग की है।

(ख) जनवरी से जून, 1990 तक राज्य सरकार को निम्नानुसार आबंटन किया गया है :

महीना	आबंटन (मी०टन)
जनवरी, 1990	39,615
फरवरी, 1990	39,615
मार्च, 1990	35,256
अप्रैल, 1990	34,256
मई, 1990	34,256
जून, 1990	34,256

(ग) जुलाई-अक्तूबर, 1990 की अवधि के लिए कर्नाटक के लिए मिट्टी के तेल की आबंटन 35,638 मि० टन प्रति माह है।

(घ) मानसून ब्लाक 1990 (जुलाई-अक्तूबर) के लिए कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों के लिए मिट्टी के तेल की आबंटन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि से 4% बढ़ाकर किया गया है। यह राज्य सरकार के वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त माना गया है। वर्तमान विदेशी मुद्रा संकट को देखते हुए सभी राज्यों/राज्य क्षेत्रों को दी गई मात्रा की तुलना में कर्नाटक को अधिक मात्रा में आबंटित करना व्यवहार्य नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय की गई धनराशि

[हिन्दी]

1935. श्री नन्द लाल मीणा : क्या ऊर्जा मन्त्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) इससे प्रत्येक राज्य में छोटे और सीमांत किसानों को कितने प्रतिशत लाभ हुआ ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान ग्राम विद्युतीकरण पर 2287.76 करोड़ रु० की धनराशि व्यय की गयी है। इससे 459.37 करोड़ रु०, जोकि 1989-90 का प्रत्याशित व्यय है, भी शामिल है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाले निवेशों में से एक है। इसलिए मात्र

ग्राम विद्युतीकरण से छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राप्त लाभों का परिमाण निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

उड़ीसा में नया विमानपत्तन खोलना

[अनुवाद]

1936. श्री रवि नारायण पाणि : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उड़ीसा में कोई नया विमानपत्तन खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) राज्य में वर्तमान चारों हवाई अड्डे मौजूदा आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

पश्चिम बंगाल और बिहार की खानों से कोयले की सप्लाई

1937. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर० एस० राकेश : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और बिहार की खानों में बिजली की कमी से कोयले की सप्लाई और कोयले के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 के दौरान इन राज्यों में स्थित खानों से प्रतिमाह तथा खान-वार अनुमानत: कितनी मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत की कमी के कारण बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि० तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के कोयले के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। इन कम्पनियों में अप्रैल से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उत्पादन में हुई अनुमानित हानि को नीचे दर्शाया गया है :—

माह	ई० को० लि०	भा० को० को० लि०	से० को० लि०	जोड़
अप्रैल, 90	1.78	0.45	0.45	2.68
मई, 90	2.96	0.45	0.65	4.06
जून, 90	2.75	2.00	1.00	5.75
जुलाई, 90	3.94	2.15	1.70	7.79

कोयले का कम उत्पादन होने के कारण भी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

(ग) जनवरी से जुलाई, 90 की अवधि के दौरान ईस्टर्न लि०, भा० को० को० लि० तथा से० को० लि० से हुए कोयले के प्रेषण दिया गया है।

(लाख टन में)

माह	ई० को० लि०	भा० को० को० लि०	से० को० लि०
जनवरी, 90	22.28	20.27	24.16
फरवरी, 90	19.68	18.28	23.01
मार्च, 90	22.97	23.00	27.60
अप्रैल, 90	22.29	21.04	24.90
मई, 90	20.01	19.95	22.77
जून, 90	19.08	17.79	21.48
जुलाई 90	15.41	15.52	18.99

बंका में लाकरीकोला गांव में कोयले के भण्डार

[हिन्दी]

1938. श्री जनार्दन यादव . क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंका के लाकरीकोला गांव में कोयले के बड़े-बड़े भण्डारों का पता लगा है;

(ख) क्या सरकार का इन स्थानों का सर्वेक्षण कराने तथा वहां पर कोयला खनन के प्रबन्ध करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उक्त सूचना को सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में साल्ट रिफाइनरी एण्ड सोल्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट की स्थापना

1939. श्री माहेश्वरीसिंह । क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में डेंग नामक स्थान पर "साल्ट रिफाइनरी एण्ड सोल्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट" स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। यह प्रस्ताव दरांग में मण्डी रॉक-साल्ट डिपोजिट्स के सदुपयोग के लिए घोल खनन प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा उच्च कोटि के 99.9% शुद्ध परिशोधित आयोडाइज्ड लवण का 33,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने के लिए द्वितीय चरण में,

बरोग में, जो मण्डी (हिमाचल प्रदेश) से 10 कि० मी० उत्तर में स्थित है, एक साल्ट रिफाइनरी की स्थापना करने के सम्बन्ध में है। इस परियोजना के प्रथम चरण, अर्थात घोल खनन की पूंजीगत लागत 3.03 करोड़ रुपये (विदेशी मुद्रा 82.9 लाख) होने का अनुमान है। आरम्भिक कार्यों के लिए 50 लाख रुपये की राशि दी गई है, इस परियोजना का निर्माण कार्य 1991-92 में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

भोपाल गैस पीड़ितों के दावों का निपटारा

[अनुवाद]

1940. **श्री कल्पनाथ राय :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "भोपाल गैस विक्टिम्स रैलीटुडे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) गैस पीड़ितों के दावों को बिना किसी विलम्ब के निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सरकार ने प्रश्नाधीन समाचार को देखा है।

(ख) पीड़ितों की तात्कालिक कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 200 रुपए की अन्तरिम राहत देने का निर्णय किया है। दुर्घटना के समय भोपाल के गम्भीर रूप से प्रभावित 36 म्यूनिसिपल वार्डों के रहने वाले सभी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे और नाबालिगों बालिगों को समान दर पर भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 3-8-1990 तक योजना के लाभग्राहियों के लिए 1,35,458 बैंक खाते खोले गए हैं।

(ग) भोपाल गैस पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि अभी अन्तिम रूप से तय नहीं की गई है क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीन है।

कम्पनियों को डी० पी० ई० ए० नोटिस

1941. **श्री बसन्त साठे :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 100 चुनी हुई कम्पनियों को ड्रग प्राइस इक्वेलाइजेशन अकाउन्ट (डी० पी० ई० ए०) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने का विचार है जबकि औषधि निर्माताओं की संख्या 10,000 से भी अधिक है;

(ख) क्या सरकार को कम्पनियों को नोटिस जारी करने में भेद-भाव की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या डी० पी० ई० ए० नोटिस जारी किए जाने के कारण ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स उद्योग में आवश्यक औषधियों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप नए पूंजी निवेश को गहरा धक्का लगा है तथा आवश्यक औषधियों की मांग और पूर्ति में काफी अन्तर हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो औषधि उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए इसमें विश्वास के वातावरण का सृजन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) केवल उन्हीं मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं जो डी० पी० सी० ओ०, 1979 के पैरा 4 और 7 और डी० पी० सी० ओ०, 1987 के पैरा 14 और 15 और न्यायालयों के निर्णयों के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए किसी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) अधिक वसूल की गई राशियों और अनभिप्रेत लाभों की वसूली के लिए जारी नोटिसों का निवेश से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि ऐसे निवेशों का वित्त पोषण कम्पनी के आयज वित्तीय संसाधनों से किया जाता है न कि अनधिकृत लाभों से जिन पर उत्पादकों का अधिकार नहीं है। देश में आवश्यक औषधों का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है और वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(घ) उचित विधिक प्रक्रिया के अनुसार देय राशियों के अन्तिम निर्धारण से पहले संबंधित कम्पनी विसंगति को ध्यान में लाने, यदि कोई हो, के लिए अवसर भी दिया जाता है।

नेपा पेपर मिल्स लिमिटेड का कच्चे माल की खरीद

[हिन्दी]

1942. **श्री अमृतलाल बल्लभदास तारवाला** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा लिमिटेड, नेपानगर ने धूलिया (महाराष्ट्र) से कच्चा माल (बांस) खरीदने के लिये महाराष्ट्र सरकार के साथ करार किया था;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत कितनी मात्रा में बांस की खरीद की जानी है;

(ग) करार के अनुसार नेपा मिल द्वारा कच्चे माल की पूरी मात्रा किस तारीख तक उठाई जानी थी;

(घ) यदि पूरी मात्रा नहीं उठाई गई है, तो उसकी कितनी मात्रा शेष है और इसके परिणामस्वरूप मिल को कितना नुकसान हुआ है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) नेपा लिमिटेड ने लगभग 16,178 नोशनल टन कच्चे माल (बांस) की खरीद के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ अनुबन्ध किया था। तथापि 10-7-1990 तक (मानसून की शुरुआत से पूर्व) कुल 4,997.62 नोशनल टन बांसों को काटा गया एवं ढोया गया तथा बचे हुए माल की कटाई इसलिये नहीं हो सकी क्योंकि ठेके के कुछ क्षेत्र सरदार सरोवर बांध के जलमग्न क्षेत्र के अधीन आते हैं एवं नर्मदा बचाओ आन्दोलनकारियों द्वारा आन्दोलन

किया जा रहा था। अगले कार्य मौसम में बांस को एकत्र करने के लिए समय-सीमा में समुचित वृद्धि करने की अनुमति देने अथवा महाराष्ट्र सरकार (वन विभाग) के पास जमा की गई राशि को लौटाने के लिये मामले पर महाराष्ट्र सरकार से बातचीत की गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

[अनुवाद]

1943. श्री पी० एम० सईद :

श्री जी० एस० वासवराज : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने और अधिक विद्युत का उत्पादन करने की दृष्टि से हाल ही में सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ करने की योजना है और विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन और इसकी सप्लाई कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) और विद्युत विभाग के बीच 1990-91 के लिए जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं उसमें वर्ष के दौरान 46475 मिलियन यूनिट का उत्पादन लक्ष्य रखने, 312 मेगावाट के क्षमता संवर्धन कार्यक्रम एवं 1880 सर्किट कि० मी० लम्बी पारेषण लाइनों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस समझौता ज्ञापन में वर्ष के दौरान कुल बिक्री एवं कर रहित लाभ के लक्ष्य क्रमशः 2429.72 करोड़ रुपए तथा 257.18 करोड़ रुपये रखे जाने की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान जिन यूनिटों को चालू किये जाने का कार्यक्रम है वे निम्नानुसार है :—

औरैया गैस आधारित विद्युत परियोजना की एक यूनिट	...102 मेगावाट
विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना की एक यूनिट	...210 मेगावाट
	312 मेगावाट

इन यूनिटों से वाणिज्यिक उत्पादन सामान्यतया इनके चालू होने की तारीख से 6 महीने के बाद शुरू होता है।

कोयले के उत्पादन में कमी

[हिन्दी]

1944. श्री तेज नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में कोयले के उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है और पांच वर्ष पहले इसकी स्थिति क्या थी;

(ग) क्या सरकार का कोयला खानों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कोयला खानों की कुल संख्या कितनी थी ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं। वास्तव में कोयले के उत्पादन में निरन्तर पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1985 में कोयला उत्पादन करने वाले अग्रणीय देशों में भारत का छठा स्थान था। वर्ष 1989-90 में चीन, अमेरिका, सोवियत संघ तथा पोलैंड के बाद भारत पांचवे स्थान पर आता है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयला और लिग्नाइट पर कार्यकारी ग्रुप ने वर्तमान 200.87 मि० टन (1989-90) के कोयला के उत्पादन के स्तर पर आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1994-95) में मि० टन उत्पादन में वृद्धि होने का प्रक्षेपण किया है। उत्पादन में वृद्धि वर्तमान खानों, चालू परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

(ङ) देश में कोयला खानों की कुल संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

कोल इंडिया लि०	—439
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	— 66
अन्य	— 11
(कैप्टिव कोलियरी)	————
जोड़ :	516
	————

एयर इंडिया द्वारा माल उठाया जाना

[अनुवाद]

1945. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका आयातकों ने कोई ऐसी शिकायत की थी कि एअर इंडिया ने अपना वचन पूरा नहीं किया है और अधिकांश माल नहीं उठाया है;

(ख) यदि हां, तो एअर इंडिया द्वारा समय पर माल न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कारण कितनी विदेशी मुद्रा का घाटा हुआ है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(क) और (ग) प्रश्न नहीं है।

दिल्ली के औद्योगिक एककों का स्थानान्तरण

[हिन्दी]

1946. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में औद्योगिक एकक ऐसे क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं जिनमें औद्योगिक कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक एककों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली प्रशासन के अनुसार, दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम की सीमा क्षेत्र के भीतर असंग क्षेत्रों में 31-12-1989 को कार्य कर रहे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक इकाइयों को तदर्थ आधार पर दर्ज करने का निर्णय लिया है। यह एक बार का अभ्यास होगा और कुछ मानदंडों के अधीन होगा। नियोजित कालोनियों, अनधिकृत कालोनियों, ऊपरी मंजिल, खतरनाक क्षेत्र, आपत्ति जनक, प्रदूषणकारी, स्वास्थ्य तथा अग्नि संकट वाले क्षेत्रों में स्थापित इकाइयां ऐसी रंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगी।

विदेशी पूंजी निवेश

[अनुवाद]

1947. **श्री आर० एन० राकेश** :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री दौलत राम सारण :

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ विदेशी पूंजी निवेशकों द्वारा भारत में पूंजी निवेश करने अथवा कुछ चयनित क्षेत्रों में पूंजी निवेश किये जाने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार है,

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव कब से कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार की विदेशी नीति चयनात्मक है और यह ऐसे निवेशों को उन क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने के लिए बनायी गई है जिनमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है अथवा जहां उत्पादन का अंतर बहुत है अथवा जो देश की निर्यात क्षमता बढ़ाने में सहायक होंगे। यद्यपि सरकार की बुनियादी नीति का उद्देश्य बाहरी स्रोतों पर अनावश्यक निर्भरता को कम करना है, सरकार यह मानती है कि विकसित देशों में तेजी से हो रही प्रौद्योगिकीय उन्नतियों के साथ गति बनाये रखने के लिये उत्पादन प्रौद्योगिकी को लगातार अद्यतन बनाना भी इतना ही जरूरी है। अतः प्रौद्योगिकी का आयात चयनात्मक है और इसकी अनुमति प्रायः प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख अथवा आयात प्रतिस्थापन विनिर्माण में अथवा स्वदेशी उद्योग को सक्षम एवं प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी मौजूदा प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने में समर्थ करने के लिये दी जाती है।

नेशनल एयरोनाटिकल्स लिमिटेड द्वारा लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का विकास

1948. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एयरनाटिकल्स लिमिटेड ने देश में एअर टैक्सी आपरेटरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विकसित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है;

(ग) ऐसे कितने विमानों का निर्माण किये जाने का अनुमान है; और

(घ) इन विमानों का निर्माण कब से शुरू किये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला का एक बहु-रोल हलका परिवहन विमान के विकास करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं है।

बूटाडाइन और स्टाइरीन रसायनों का आयात

[हिन्दी]

1949. **श्री राजवीर सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री बूटाडाइन और स्टाइरीन रसायनों के आयात के बारे में 8 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7945 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1990 में बूटाडाइन और स्टाइरीन रसायनों का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर आयात किया गया था और यदि हां, तो इस आय में मूल्यों में कितना अन्तर था;

(ख) किन-किन रसायन कंपनियों ने इसका आयात किया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो जांच न कराने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : बूटाडाइन और स्टाइरीन दोनों चालू आयात-नीति में ओ० जी० एल० के अन्तर्गत हैं। अत; इन उपयोगकर्ता संभरकों के साथ सीधे ही तय किये गये मूल्यों पर उनका सीधे ही आयात करते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विजाग्वरम गैस-आधारित विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

1950. **श्रीमती के० जमुना :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में विजाइवरम गैस-आधारित विद्युत संयंत्र के दूसरे एकक को प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को, कृष्णा गोदावरी बेसिन से विद्युत का उत्पादन करने के लिए प्रतिदिन करीब 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध होने की सम्भावना है। आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में 400 मे० वा० का संयुक्त साइकिल गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, विजेश्वरम में 3 × 100 मे० वा० गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो तथा राजामुन्दरी के समीप 3 × 100 मे० वा० ताप विद्युत केन्द्र की परियोजना रिपोर्ट को आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा संशोधित करके 400 मे० वा० किया जा रहा है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्रतीक्षित है।

तमिलनाडु की गैस पर आधारित बिजली परियोजनाएं

1951. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने कावेरी बेसिन में भारी मात्रा में उपलब्ध गैस का उपयोग करके तमिलनाडु में गैस पर आधारित परियोजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तमिलनाडु में गैस-आधारित विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, गैस-आधारित विद्युत परियोजनाओं से लगभग 7485 मेगावाट की कुल क्षमता जोड़ने की परिकल्पना की गई है। उन विभिन्न गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं जिनसे 8वीं योजना अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होने की संभावना है, का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	8वीं योजना के दौरान लाभ
एक.	**केन्द्रीय क्षेत्र**			
1.	कवास गैस आधारित विद्युत परियोजना (जी०पी०पी०)	गुजरात	4 × 100 + 2 × 100	600

1	2	3	4	5
2.	कठलगुड़ी जी० पी० पी०	असम	6×131+ 3×30	270
3.	दादरी जी० पी० पी०	उत्तर प्रदेश	4×131.3 2×146.5	817.2
4.	अंटा जी० पी०पी० विस्तार	उत्तर प्रदेश	3×100+ 3×10	430
5.	गंधार जी पी० पी०	गुजरात	650	650
6.	गोदावरी जी० पी० पी०	आंध्र प्रदेश	800	800
7.	रोक्षिया जी० पी० पी०	त्रिपुरा	10×8	80
8.	फरीदाबाद जी० पी० पी०	हरियाणा	4×130+ 2×140	800
6.	त्रिपुरा जी० पी० पी०	त्रिपुरा	500	500
			उप जोड़	4947.2
बी.	राज्य क्षेत्र			
1.	उरण अपशिष्ट ऊष्मा (डब्ल्यू० एच०)	महाराष्ट्र	3×120	360
2.	विजेश्वरम जी० पी० पी० (यूनिट–3)	आंध्र प्रदेश	2×33+ 1×33	33
3.	लकवाह सोपान-दो	असम	3×20	60
4.	लकवा डब्ल्यू० एच०	असम	1×22	22
5.	रामगढ़	राजस्थान	1×3	3
6.	वतवा जी० पी० पी०	गुजरात	2×33.5+ 1×35	102
7.	उतराण जी० पी० पी०	गुजरात	3×30+ 1×45	135
8.	गंधार जी० पी० पी०	गुजरात	600	600
9.	पीपरवार जी० पी० पी०	गुजरात	750	750
10.	करायकल जी० पी० पी०	पांडिचेरी	3×5+ 1×7.5	22.5
11.	अमगुरी जी० पी० पी०	असम	8×30+ 4×30	360
12.	डेसू डब्ल्यू० एच०	दिल्ली	3×30	90
			उप जोड़	2537.5
			कुल जोड़ (एक व दो).....	7484.7

सुमितोमो कारपोरेशन पर प्रतिबन्ध

1952. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री माधवेन्द्र दत्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुमितोमो के अधीन पांच जापानी कम्पनियों के संघ पर प्रतिबन्ध हटा दिया है;

(ख) यह प्रतिबन्ध कब, किन-किन परिस्थितियों के अन्तर्गत और किन-किन कारणों से लगाया गया था; और

(ग) यदि प्रतिबन्ध हटा दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं और यह कब से हटाया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जुलाई, 1988 में समाचार-पत्रों की रिपोर्टों में बताया गया था कि मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन ने करार के लिए संविदा की शर्तों का उल्लंघन करके एक भारतीय कम्पनी अर्थात मैसर्स ज्योत्सना होल्डिंग्स को दलाली के रूप में कुछ राशि का भुगतान किया है। यह सूचना मिलने पर मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन से एक स्पष्टीकरण मांगा गया जिसका उन्होंने यह जवाब दिया कि उन्होंने मैसर्स ज्योत्सना होल्डिंग्स को एक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है न कि एजेंट के रूप में। संसद में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए और भारत के प्रथम ऊपर यहां सालिसिटर और भारत के महान्यायवादी की कानूनी राय के आधार पर सरकार ने 23-12-1989 यह निर्णय लिया कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और गैस अथारिटी आफ इंडिया मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन के नाम से कार्य करने वाले फर्मों के कंसोर्सियम को आगे कोई कार्य न दें। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को यह भी सलाह दी गई थी कि वे उपयुक्त राहत हेतु कार्यवाही आरम्भ करें।

बाद में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा 9-2-1990 को उसके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आदेश जारी किये गये कि वे जापानी फर्मों के कंसोर्सियम को आगे कोई काम न दें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पठानकोट-बैजनाथ-पपरोला छोटी लाइन को मीटर लाइन में बदलना

1953. **श्री डी० डी० जनोरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट और बैजनाथ-पपरोला छोटी रेल लाइन को जिसे के० डी० रेलवे के नाम से जाना जाता है, मीटर लाइन में बदलने हेतु व्यावहारिकता-अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए आरक्षित भूमि

1654. बाबा सुच्चा सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय नगर और ग्राम नियोजन के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए 123 एकड़ भूमि आरक्षित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भूमि में से कितनी भूमि का उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ग्राम नियोजन का उल्लंघन करते हुए अनेक उद्योग स्थापित किये गये हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बात को निश्चित करने का है कि पंजाब के नियोजित विकास के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि में ही उद्योग स्थापित किए जायें ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) पंजाब राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब के नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने अपनी योजनाओं में पूरे राज्य में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के लिए 113.26 वर्ग कि० मी० भूमि निर्धारित की है ।

(ख) उपर्युक्त 113.26 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में से 18.0 वर्ग कि० मी० क्षेत्र का पहले ही औद्योगिक प्रयोग किए जाने की सूचना है ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) औद्योगिक एकक का सही स्थापना-स्थल और इस प्रयोजन के लिए भूमिका आबंटन राज्य सरकार का विषय है । इस समय राज्य सरकार पंजाब में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए स्थापना-स्थल सम्बन्धी नीति बना रही है ।

तलचर-सम्बलपुर रेल लाइन

1955. श्री के० प्रधानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू योजना अवधि के दौरान तलचर-सम्बलपुर रेल लाइन बिछाने के लिए और अधिक राशि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रेल लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) इस परियोजना का निर्माण कार्य किस समय तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री आर्क फर्नान्डीज) : (क) और (ख) 1990-91 के दौरान तालचेर-सम्बलपुर नई लाइन परियोजना के लिए 25.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । आठवीं योजना की शेष अवधि में परिव्यय आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । इस कार्य को पूरा करने के लिए कुल 100 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है ।

(ग) और (घ) परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

वनचिनाड एक्सप्रेस के स्टाप

1956. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन जिला नगरों के क्या नाम हैं जहां वनचिनाड एक्सप्रेस नहीं रुकती है;

(ख) क्या इन जिलों में स्टाप बनाने के लिए लोगों ने मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद यादव) : (क) अल्लेप्पी और पट्टनमतिट्टा।

(ख) जी हां।

(ग) जांच की गई है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

रायचूर ताप विद्युत संयंत्र

1957. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार को रायचूर ताप विद्युत संयंत्र का दूसरा एकक प्रारम्भ करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे विभाग सामान्य दर पर कोयला सप्लाई करने के लिए सहमत नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार को अपने वर्तमान संयंत्रों में बिजली पैदा करने के लिए पड़ोसी राज्यों से कोयला मंगाना पड़ेगा; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का कर्नाटक में विद्युत संयंत्रों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) कर्नाटक में कोई अभिज्ञात कोयला क्षेत्र नहीं है इसलिए ताप विद्युत उत्पादन हेतु बाहर स्थित अन्य क्षेत्रों से कोयला सप्लाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। रायचूर ताप विद्युत केन्द्र को मैसर्स सिंगरैनी कोलरीज के साथ लिंक किया गया है जिसका कोयला उत्पादन कम है इसलिए सभी लिंक किये गये विद्युत केन्द्रों की समग्र आवश्यकता को इस कोयला क्षेत्र से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार लिंक किये गये ताप विद्युत केन्द्रों की कोयला सम्बन्धी मांग को आंशिक रूप से अन्य कोयला क्षेत्रों से पूरा किया जाता है और जहां तक सम्भव होता है कम से कम लागत वाले विकल्प को मद्देनजर रखते हुए रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई की जाती है।

(ग) देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की विभिन्न सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा सतत रूप से मानिटरिंग की जाती है और तदनुसार उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

इन्दौर और भोपाल के बीच अन्तर-नगरीय रेल सेवा

[हिन्दी]

1958. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इन्दौर और भोपाल के बीच अन्तर-नगरीय रेल-सेवा शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से आरम्भ की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे में प्रतापगंज-बीरपुर रेल लाइन

1959. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में प्रतापगंज से बीरपुर तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इसके लिए भूमि अधिग्रहित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस रेल लाइन के बिछाने सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नायलोन टायरों का उत्पादन

1960. श्री बलपत सिंह परस्ते : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नायलोन टायरों के उत्पादन में इनका निर्यात करने की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने कितना निर्यात कोटा निश्चित किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारत से टायरों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कलकत्ता और हावड़ा के लिए उप नगरीय रेल सेवाएं

[अनुवाद]

1961. श्री अमल दत्त : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हावड़ा के लिए उप नगरीय रेल सेवाओं में सुधार हेतु लाइनें बढ़ाने, विद्युतीकरण का विस्तार करने, विद्युतीकृत लाइनों और सिगनल व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे से प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी नहीं। 1991-92 में आरम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए इस तरह के प्रस्ताव सितम्बर, 1990 में ही प्राप्त होने हैं।

इगतपुरी-मनमाड और भुसावल के बीच एक समानांतर रेलवाड़ी और अटल रेलगाड़ियां चलाना

1962. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इगतपुरी-मनमाड और भुसावल के बीच पंचवटी एक्सप्रेस एक और रेलगाड़ी तथा अटल सेवाएं चलाने और बम्बई से इगतपुरी के बीच लोकल ट्रेन सेवा बढ़ाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री आर्यं फर्नान्डीज) : (क) जी हां ।

(ख) जांच कर ली गई है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

हिमाचल प्रदेश के लिए विमान सेवा

[हिन्दी]

1965. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विमान सेवाएं आरम्भ करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का शिमला और कुल्लू तथा कांगड़ा और धर्मशाला के बीच डोनियर विमान की उड़ान की संख्या में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कुल्लू, धर्मशाला शिमला के लिए प्रतिदिन कितनी उड़ानें उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) वायुदूत पहले ही हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला, कुल्लू और धर्मशाला के लिए अनुसूचित सेवाओं का परिचालन कर रहा है ।

(ख) से (घ) हिमाचल प्रदेश के स्टेशनों के लिए विमान सेवाओं के परिचालन के लिए उपलब्ध की गई क्षमता वर्तमान यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई है ।

सूरत-अलगांव के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाना

1964. श्री सी० डी० पाणित :

श्री काशीराम राणा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरत से अलगांव तक दोहरी रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रेल मार्ग पर कब तक दूसरी रेल लाइन बिछा दी जाएगी ?

रेल मन्त्री (श्री आर्यं फर्नान्डीज) : (क) और (ख) अमलनेर से धर्मांगांव तक 25 कि० मी०

में दोहरी लाइन बिछाने का काम अनुमोदित कर दिया गया है। उधना से जलगांव (306 कि० मी०) तक शेष खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का भी 1990-91 के बजट में अनुमादित कर दिया है। सूरत से उधना तक पहले ही दोहरी लाइन विद्यमान है।

(ग) इस समय यह बताना कठिन है कि समूचे खंड में दोहरी लाइन बिछाने का कार्य कब पूरा होगा।

दिल्ली और विशाखापट्टनम के बीच विमान सेवा

[अनुवाद]

1965. डा० विश्वासनाचम : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय विशाखापट्टनम से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा स्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पुन: शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली-भुवनेश्वर विमान सेवा को विशाखापत्तनम तक बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली और विशाखापत्तनम के बीच सीधी उड़ान की सेवा पुन: प्रारम्भ किया जा सकेगा जब ए-320 विमानों की बन्द सेवाओं को शुरू किया जायेगा तथा पर्याप्त बी-737 परिचालनात्मक विमान क्षमता उपलब्ध हो जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) भुवनेश्वर के लिए वर्तमान सेवाएं दिल्ली-रायपुर-भुवनेश्वर-दिल्ली सैक्टर पर सप्ताह में पांच बार के आधार पर और दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर-दिल्ली सैक्टर पर सप्ताह में दो बार के आधार पर परिचालित की जा रही है। ये सेवाएं उच्च सीट फैक्टर के आधार पर चल रही हैं और इनको विशाखापत्तनम तक बढ़ाने से कोई लाभकारी प्रयोजन हल नहीं होगा।

कोयला खान परियोजनाएं

1966. श्री वसुदेव आचार्य : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान मन्जूर की गई कोयला खान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ग) दिनांक 1-4-1985 से 31-3-1990 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि० की स्वीकृत की गई कोयला खान परियोजनाओं का कोयला संसद्ग विवरण-पत्र में दिया गया है। इसी तरह की सूचना सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० से तथा उन परियोजनाओं के संबंध में सूचना जिनमें कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है तथा कार्य शुरू किए जाने से संबंधित कारणों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उक्त सूचना को-सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

दिनांक 1-4-85 से 31-3-90 की अवधि के बीच स्वीकृत की गई कोयला परियोजनाएं

कंपनी	स्वीकृत परियोजनाएं (कुल संख्या)	क्षमता (मि० टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु०)
ई० को० लि०	37	31.26	1739.54
भा० को० को० लि०	46	13.92	449.76
से० को० लि०	37	29.85	1224.86
मा० को० लि०	8	29.30	1645.42
वे० को० लि०	35	15.43	636.00
सा० ई० को० लि०	49	33.72	914.37
जोड़ :	212	153.48	6659.98

संसद भवन में रेलवे आरक्षण

1967. श्री आर० गुन्डू राव :

श्री कृपाल सिंह :

श्री कल्पनाथ सोनकर :

श्री कमल चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के अतिथियों के लिए विभिन्न रेलवाड़ियों में रेलवे वर्ष का संसद भवन का कोटा हाल ही में समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या संसद सदस्यों को अपने अतिथियों के लिए रेलवे आरक्षण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान रेलवे आरक्षण प्रणाली की पुनरीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रथम श्रेणी के लिए भी यह सुविधा आरम्भ करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) संसद सदस्यों के सहयोगियों के लिए स्थान की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न गाड़ियों में दूसरे दर्जे के शयनयान में शायिकाओं का कोटा उस समय निर्धारित था जब संसद सदस्य पहले दर्जे में यात्रा करने के पात्र थे तथा उनके सहयोगी दूसरे दर्जे में यात्रा करने के पात्र थे तथा उनके सहयोगी दूसरे दर्जे में। चूंकि अब संसद सदस्यों के सहयोगी उनके साथ पहले वातानुकूल 2 टियर दर्जों में यात्रा करने के पात्र हैं इसलिए संसद भवन के बुकिंग कार्यालय में इस प्रकार के कोटे बनाये रखने का कोई आवश्यकता नहीं है संसद सदस्यों द्वारा अपने मेहमानों आदि के लिए प्रस्तुत आरक्षण पर्चियों पर संसद भवन के बुकिंग कार्यालय में स्थित कंप्यूटर टर्मिनलों में कार्रवाई की जाती है जिसका नई दिल्ली के कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय में लगे मुख्य आरक्षण कंप्यूटर से सीधा सम्पर्क है।

(ग) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) ऊपर दिए गए भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है।

खादी ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत बड़े गांवों में उद्योग स्थापित करना

1968. श्री संजय लाल :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री पी० एम० सईद : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत बड़े गावों में उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खादी ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत अन्य ग्रामोद्योग भी शामिल किये जायेंगे;

(ग) यदि हां तो नये ग्रामोद्योगों के नाम क्या हैं;

(घ) इन उद्योगों द्वारा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में से परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इन्हें क्या सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने आदिवासियों तथा हरिजनों को इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) केo वीo आईo सीo योजना के अधीन उद्योग का स्थापना स्थल केo वीo आईo सीo अधिनियम के अनुसार है। संशोधित अधिनियम के अनुसार "ग्राम्य उद्योग" से तात्पर्य "ग्रामीण क्षेत्र" में स्थित किसी ऐसे उद्योग से है जो बिजली के प्रयोग से अथवा इसके बिना किसी वस्तु का निर्माण

करता है अथवा कोई सेवा प्रदान करता हो और जिसमें प्रति कामगार अथवा कर्मचारी अचल पूंजी निवेश 15,000 रु० अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक ना हो। "ग्रामीण क्षेत्र" से तात्पर्य किसी "गांव" अथवा किसी कस्बें में शामिल क्षेत्र से है जिसकी जनसंख्या 10,000 अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट जनसंख्या से अधिक ना हो।

(ख) और (ग) 1-4-1990 की स्थिति के अनुसार के० वी० आई० सी० द्वारा 70 और ग्रामोद्योगों का पता लगाया गया है जिन्हें पहले की इसकी परिसीमा के अन्तर्गत खादी और 26 ग्रामोद्योगों के अलावा चरणबद्ध रूप में के० वी० आई० सी० की परिसीमा के अन्तर्गत सहायता दी जाएगी। इन 70 नये ग्रामोद्योगों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) के० वी० आई० सी० अपनी परिसीमा के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए वित्तीय और राजकोषीय सहायता, कच्चे माल, विपणन, प्रशिक्षण और तकनीकी अवस्थापना के माध्यम से उचित सेवा सुविधाएं देती है। वित्तीय सहायता, सहायता की स्वीकृति पद्धति के अनुसार दी जाती है। खादी ऋण ब्याज मुक्त होते हैं जबकि ग्रामोद्योग ऋण पर के० वी० आई० सी० की ब्याज राजसहायता के अन्तर्गत बजट सम्बन्धी सहायता से प्राप्त 4% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। कार्यान्वयन कर रही एजेन्सियों को खादी और ग्रामोद्योग दोनों ऋणों पर 4% वार्षिक वहन करना होगा। सूती खादी की कुछ वस्ताओं और पॉलीवस्त्र सहित खादी की अन्य किस्मों पर पूरे वर्ष छूट दी जाती है। कुछ अवधि के लिए विशेष छूट भी दी जाती है। ये सुविधाएं के० वी० आई० सी० द्वारा पता लगाये गये नये उद्योगों को दी जाएंगी।

(ङ) और (च) के० वी० आई० सी० के अधीन ग्राम्य चमड़ा, अखाद्य तेल, बीज इकट्ठा करना, मधुमक्खी पालक, फाइबर, ऊनी खादी, बुनी हुई टसर, रेशम इत्यादि जैसे कुछ उद्योग अनुसूचित जातियों के कारीगरों और आदिवासियों को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं। आदिवासियों और हरिजनों को के० वी० आई० कार्यक्रमों के और लाभ देने के लिए के० वी० आई० सी० द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपायों में ये शामिल हैं :—(1) देश के चुने हुए जिलों जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों की जनसंख्या काफी है, में विशेष कार्यक्रम चलाना (2) राज्यों को के० वी० आई० सी० के कुल बजट आबंटनों में अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से आबंटन करना (3) विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए उपयुक्त अलग योजनाओं का सुनिर्देशन करना (4) इस समय एच० बी० टी० डब्ल्यू० एस० ए० के लिए लागू 75%अनुदान और 25% ऋण सहायता का उदार प्रतिमान देश के अन्य भागों में भी लागू करना ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कारीगरों को लाभ पहुंचाया जा सके बशर्ते कि ये गरीबी की रेखा के नीचे हों (5) प्रमुख संस्थानों को 2.50 करोड़ रु० की अधिकतम सीमा के अलावा अतिरिक्त सहायता की अनुमति देना बशर्ते कि ये अतिरिक्त धनराशि का उपयोग विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए करें।

विवरण

1988-89 के लिए पता लगाए गए नए उद्योग

समूह 1 खनिज आधारित उद्योग

1. मन्दिरों और भवनों के लिए पत्थर की कटाई, सिलाई, नक्काशी और उत्कीर्णन।

2. पत्थर से बनाई गई उपयोगी वस्तुएं।

समूह 2 वन आधारित उद्योग

3. कागज के कप, प्लेट, थैले तथा अन्य कागज कंटेनरों का विनिर्माण।
4. कागज से बनाई गई अन्य सभी लेखन सामग्री सहित अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण, जिल्दसाजी, लिफाफा बनाना, रजिस्टर बनाना।
5. टट्टी तथा झाड़ू निर्माण।
6. वन उत्पाद का संचय, संसाधन तथा पैकिंग।
7. फोटो फ्रेम बनाना।

समूह 3 कृषि आधारित तथा खाद्य उद्योग

8. पिथ कार्य, पिथ, चटाई तथा माला इत्यादि का विनिर्माण।
9. काजू संसाधन
10. पत्ते से कप बनाना।

समूह 4 पोलिमर तथा रसायन आधारित उद्योग

11. रेक्सिन, पी० वी० सी० इत्यादि से उत्पाद।
12. हाथी दांत उत्पादों सहित सींग तथा हड्डी।
13. मोमबत्ती, कपूर तथा सील करने हेतु लाख बनाना।

समूह 5 इंजीनियरी तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा

14. पेपर मिलों, बिलपों, सुरक्षा पिनों, स्टोव पिनों आदि का विनिर्माण।
15. सजावटी बल्बों, बोतलों, ग्लास आदि का विनिर्माण।
16. छतरी सज्जीकरण।
17. सौर एवं वायु ऊर्जा उपकरण।
18. पीतल से हस्तनिर्मित बर्तनों का विनिर्माण।
19. तांबे से हस्तनिर्मित बर्तनों का विनिर्माण।
20. कांस्य से हस्तनिर्मित बर्तनों का विनिर्माण।
21. पीतल, तांबे तथा कांस्य से बनी अन्य वस्तुएं।
22. रेडियो का उत्पादन।
23. रेडियो के साथ लगी हुई अथवा न लगी हुई कैसेट प्लेयरों का उत्पादन।
24. वोल्टेज स्टेबिलाइजरों का उत्पादन।
25. इलैक्ट्रानिक घड़ियां।

26. रेडियो के साथ लगे हुए अथवा न लगे हुए कैसेट रिकार्डर।

समूह 6 वस्त्र उद्योग (खादी के अतिरिक्त)

27. हौजरी।

28. दर्जीगीरी और सिलेसिलाए कपड़े तैयार करना।

29. नायलोन/सूत से मछली पकड़ने के जाल का हाथ से निर्माण करना।

समूह 7 सेवा उद्योग

30. कपड़ों की धुलाई (लॉन्ड्री)

31. नाई।

32. मलसाजी।

33. विद्युत वायरिंग तथा इलैक्ट्रानिक घरेलू यंत्रों और उपकरणों की सेवा।

34. डीजल इंजन, पम्प सेटों आदि की मरम्मत।

1989-90 के दौरान शामिल किए गए 36 नए उद्योगों की सूची
(1-5-89 की स्थिति के अनुसार)

I. खनिज पर आधारित उद्योग

1. स्लेट और स्लेटी का विनिर्माण

2. प्लास्टर आफ पेरिस का विनिर्माण

3. बर्तन धोने का पाउडर

4. इंसुलेटिंग

5. सोने, चांदी, पत्थर, शंख और सिन्थेटिक सामग्री से आभूषण बनाना

6. गुलाल रंगोली का विनिर्माण

7. चूड़ियों का विनिर्माण

8. रंग, पिगमेंट, वार्निस और डिस्टम्पर का विनिर्माण

II. वनों पर आधारित उद्योग

9. पटसन उत्पादों (फाईबर उद्योग के अन्तर्गत) का विनिर्माण

III. पालिमर और रसायन पर आधारित उद्योग

10. पैकिंग वस्तुओं का प्लास्टिक का विनिर्माण

11. बिन्दी बनाना

12. मेंहदी बनाना

13. अनिवार्य तेलों का विनिर्माण

14. शैम्पू का विनिर्माण

15. बालों पर लगाने वाले तेलों का विनिर्माण

16. डिटर्जेन्ट धुलाई के पाउडर का विनिर्माण (गैर अल्कोहलिक)

IV. इंजीनियरी और अपरम्परागत ऊर्जा

17. नक्काशी लकड़ी और कलात्मक फर्नीचर बनाना

18. टिन बनाना

19. मोटर वाईंडिंग

20. वायर नेट बनाना

21. लोहे के ग्रिलें बनाना

22. ठेलों, बैलगाड़ियों, छोटी नौकाओं, साइकिलों, साइकिल रिक्शा, यांत्रिक ठेलों इत्यादि जैसे ग्रामीण परिवहन वाहनों का भी विनिर्माण

23. संगीत के उपकरणों का विनिर्माण

V. वस्त्र उद्योग (खादी के अलावा)

24. कपड़े पर चित्रकारी बनाना

25. खिलौने और गुड़िया बनाना

26. धागे के गोले और ऊन की बालों की लच्छी बनाना

27. बढ़ाई

28. सर्जिकल बैंडेज का विनिर्माण

29. स्टोव की पिनें

VI. सेवा उद्योग

30. टायर वल्कनाईसिंग यूनिट

31. स्प्रे कीटनाशकों, पम्प सेटों इत्यादि के लिए कृषि सेवा

32. लाउडस्पीकर जैसे साउंड सिस्टम्स को किराये पर लेना

33. एम्पलीफायर माईक इत्यादि

34. आर्ट बोर्ड पेन्टिंग

35. साईकिल मरम्मत की दुकानें

36. राजगीरी

कागज मिलों के लिए पुनर्वास संबंधी एकमुश्त योजना

1969. श्री सिखिहो सेमा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों से गेलेकी आरक्षित वन क्षेत्र से नागालैंड में तुली स्थित नागालैंड पल्प और पेपर मिल तक गैस पाइप लाइनें बिछाने के लिए केन्द्रीय सरकार और असम सरकार की मंजूरी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गैस पाइप लाइनों को बिछाने से सम्बन्धित कार्यक्रम क्या है; और

(ग) पेपर मिल के लिए कार्यान्वयन और पुनर्वास सम्बन्धी एकमुश्त योजना के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जुलाई, 1990 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गेलेकी तेल क्षेत्र से नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड, तुली तक भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए पर्यावरण और वन सम्बन्धी "क्लीयरेंस" दे दी है। वन विभाग, असम सरकार ने अब मण्डलीय वन अधिकारी को दिनांक 2-8-1990 को भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए वन भूमि देने के लिए निदेश जारी कर दिए हैं।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित के लिए शुरू से कार्रवाई प्रारम्भ की जानी है :—

(I) ओ० एन० जी० सी० के साथ गैस की उपलब्धता ।

(II) गैस पाइप लाइन बिछाना ।

(III) गैस फायर्ड बॉयलरों के लिए दिए गए आदेश को पुनः प्रचलित करना और उन्होंने इस बारे में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

अल्कोहल और शीरे का उत्पादन

1970. श्री सुधीर गिरि : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक अल्कोहल और शीरे की राज्यवार कुल मांग और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में इनका मांग की अपेक्षा कम उत्पादन होता है; और

(ग) कमी वाले राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार राज्यों में अल्कोहल और शीरे का आधिक्य है। अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इनकी कमी है।

(ग) कमी वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की मांग आधिक्य वाले राज्यों से अन्तर राज्य आवंटनों के माध्यम से पूरी की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अल्कोहल		शीरा	
		1988-89 के दौरान उत्पादन (वास्तविक)	राज्यों द्वारा 1989-90 के लिए अनुमानित अल्कोहल की मांग	1989-90 के दौरान उत्पादन (वास्तविक)	राज्यों द्वारा 1989-90 के लिए अनुमानित मांग
		(लाख लिटर में)		(लाख टनों में)	
1.	आंध्र प्रदेश	598.86	152.90	2.370	3.500
2.	आसाम	8.50	5.00	0.051	0.093
3.	बिहार	215.40	80.00	1.482	1.650
4.	गुजरात	338.66	685.86	2.059	4.680
5.	हिमाचल प्रदेश	1.15	2.00	—	0.061
6.	जम्मू और कश्मीर	20.45	1.50	—	0.170
7.	हरियाणा	185.00	11.00	1.093	1.028
8.	केरल	44.67	7.00	0.047	0.634
9.	कर्नाटक	495.00	259.56	2.720	3.430
10.	महाराष्ट्र	1894.89	1500.00	9.560	11.000
11.	मणीपुर	—	0.70	—	—
12.	मेघालय	—	0.80	—	—
13.	नागालैंड	4.15	0.50	0.031	0.043
14.	उड़ीसा	20.31	6.50	0.084	0.214
15.	पंजाब	236.77	162.00	1.159	2.154
16.	राजस्थान	64.33	15.00	0.070	0.676
17.	पांडिचेरी	38.28	16.00	0.231	0.259
18.	मध्य प्रदेश	259.83	30.00	0.298	3.719
19.	सिक्किम	—	0.85	—	—
20.	तमिलनाडु	711.10	450.00	4.370	4.200
21.	दिल्ली	—	10.00	—	0.020

1	2	3	4	5	6
22.	चण्डीगढ़	—	3.00	—	0 005
23.	गोवा	—	15.00	0.046	0.037
24.	दादरा और एन०एच०	—	5.00	—	0.005
25.	प० बंगाल	92.21	725.00	0.018	0.820
26.	त्रिपुरा	—	1.08	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	644.57	1305.00	9.780	13.520
28.	दमन	16.41	5.80	—	0.407

कागज का उत्पादन

1971. **श्री बाबू भाई मेघजी शाह :**

श्री सज्जन राव डाकणे : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में कागज की कमी के कारण, कागज के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों का कागज के कुल उत्पादन तथा खपत का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कागज के अधिक उत्पादन और इसकी सुलभ उपलब्धता के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान कागज के उत्पादन में प्रयोग किए गए विदेशी पल्प/रद्दी कागज का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) कागज उद्योग के भिन्न-भिन्न प्रकार के घरेलू मांग के अनुसार भिन्न-भिन्न किस्म के कागज बनाते हैं। सरकार को मानक किस्मों के कागज की सामान्य कमी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, जिसके परिणामस्वरूप इनके मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि हुई हो।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान कागज और गत्ते का कुल उत्पादन निम्नलिखित है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मी० टन)
1987	16.80
1988	17.20
1989	18.50 (अनन्तिम)

देश में अधिकांश मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जाती है।

(ग) और (घ) कागज उद्योग के निरन्तर विकास के लिए नीति सम्बन्धी उपाय करना एक अनवरत प्रक्रिया है। कागज उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए कुछ विशिष्ट रियायतें/प्रोत्साहन दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

(1) वजन के अनुसार जिस कागज में खोई, कच्ची पटसन और मेस्टा से बनी लुगदी का अंश कम से कम 75 प्रतिशत है उसे उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

(2) जो बड़ी/मझोली/छोटी कागज मिलें कम से कम 50 प्रतिशत कृषि अवशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करती है उनसे रियायती दर पर उत्पाद-शुल्क वसूल किया जाता है।

(3) कृषि अपशेष पर आधारित कागज और कागज बोर्ड उद्योग को न्यूनतम आर्थिक क्षमता योजना के अन्तर्गत रख दिया गया है जिसकी क्षमता 33,000 टी० पी० ए० निर्धारित की गई है।

(4) ओ० जी० एल० के अधीन लकड़ी की लुगदी, लकड़ी के चिप्स, लट्ठों तथा रद्दी कागज का कम सीमा शुल्क की दर पर आयात करने की अनुमति है।

(5) गैर एम० आर० टी० पी०/गैर फेरा कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है, बशर्ते कि किसी केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित एकक में परियोजना के लिए निवेश 50 करोड़ रुपये तक अथवा किसी गैर-पिछड़े क्षेत्र में स्थित एकक में निवेश 15 करोड़ रुपये तक हो और वह कुछ मानक शर्तें पूरी करती हो।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए लुगदी/रद्दी कागज के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (हजार मी० टन)	मूल्य (रु० करोड़ में)
1987-88	474	238.54
1988-89	394	252.18
1989-90	451	303.88

रेलवे के लिए अलग बिजली-घरों की स्थापना

[हिन्दी]

1972. श्री हरीश पाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग का रेल पथों के शीघ्र विद्युतीकरण के लिए अपने पृथक बिजली-घर स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है, इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री आर्यं फर्नांडीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एच० एम० टी० घड़ियों के उत्पादन में वृद्धि

[अनुवाद]

1973. श्री उदयसिंहराव नानासाहिब गायकवाड़ : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एच० एम० टी० के विभिन्न एककों में एच० एम० टी० की घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए एच० एम० टी० के विभिन्न घड़ी निर्माता एककों के लिए पृथक-पृथक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कोल्हापुर एकक के विस्तार के लिए कितनी धनराशि व्यय की जावेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एच० एम० टी० आठवीं योजना में प्रतिवर्ष 72 लाख घड़ियों के उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने का विचार कर रही है।

(ग) एच० एम० टी० को कोल्हापुर में बड़ी इकाई नहीं है। तथापि, वहां एक संयोजक इकाई है जो राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित की गई है।

औषधों का मूल्य सूचकांक

1974. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधों का मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के लिए किन-किन औषधों को लिया जाता है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक औषध की कितनी बिक्री होती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एल० गुरुपादस्वामी) : (क) निम्नलिखित प्रमुख औषधों मूल्य सूचकांक के निर्धारण के लिए थोक बिक्री सूची में है।

1. सोडियम सोलिसीलेट आई० पी०
2. क्लीनाइल सल्फेट पाउडर आई० पी०
3. बेन्जाइल प्रोकीन पेनिसिलीन आई० पी०
4. स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट आई० पी०
5. क्लोरोमोनिकोल बी० पी० पाउडर
6. टेट्रासाइक्लिन (हाइड्रोक्लोराइड)
7. विटामिन ए पाल्मीटेट एमडीयू) ग्रा०
8. विटामिन बी साइनोकोब्बालामीन
9. विटामिन सी

10. पास सोडियम

11. एमोडीक्वीन एच० सी०

12. आई० एन० एच०

(ख) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा अलग-अलग औषधों के बिक्री कारोबार को मानीटर नहीं किया जाता है।

सेन्ट्रल मार्केटिंग एजेंसीज फार एस० एस० आई० प्रोडक्ट्स

1975. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1990 के "डेक्कन हेराल्ड" में "सेंट्रल मार्केटिंग एजेंसी फार एस० एस० आई० प्रोडक्ट्स सून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों को दी जाने वाली प्रस्तावित रियायतों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, हां।

(ख) "लघु और कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास एवं औद्योगिक स्वीकृतियों सम्बन्धी कार्य विधियों में परिवर्तनों के लिए नीति सम्बन्धी उपायों" के बारे में एक पत्र 31-5-90 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। नीति सम्बन्धी पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ लघु, सहायक तथा अत्यन्त छोटे एककों में निवेश सीमा में वृद्धि करने, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु क्षेत्र के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता को दुबारा शुरू करने, पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने, लघु क्षेत्र में निर्माण के लिए आरक्षित मदों में वृद्धि करने के उद्देश्य से आरक्षण नीति की समीक्षा करने, लघु एककों के लिए आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सुविधाएं दिलाने, महिलाओं और युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल देते हुए उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं दिलाने तथा अफसर-शाही नियन्त्रणों को कम करने के लिए कार्य-विधियों को सरल बनाने, इत्यादि का प्रावधान है।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर दूसरा टर्मिनल भवन

1976. **श्री अजीत कुमार पांजा** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे में दूसरे टर्मिनल भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे पर 19.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। निर्माण कार्य सितम्बर, 1988 में शुरू हो गया था। नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन की व्यस्तम समय में 1425 यात्री हैण्डल करने की क्षमता होगी। यह टर्मिनल भवन 1-$\frac{1}{2}$ तल का भवन है जिसमें आने और जाने वाले यात्रियों को अलग-अलग रखा जाएगा और उन्हें अलग-अलग तलों पर हैण्डल किया जाएगा। इस टर्मिनल में टैक्सी ट्रैक को जोड़ने वाले दो इनकाण्टेक्ट बेज, अलग-अलग कार-पार्क और

हाइवे से एक एप्रोच रोड़ होगी। इस टर्मिनल में चलसोपानों, लिफ्टों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम सी० सी० टी० वी०, ऐरोब्रिजों, वाहक पट्टियों, सामान लिफ्टों आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड की सभी आधुनिक सुविधाएं और 10 एयरलाइन चैक-इन काउंटर, 20 अप्रावासन काउंटर बैंक, बीमा और स्वास्थ्य काउंटर होंगे।

औरंगाबाद और मुम्बई के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान

1977. श्री लोकेन्द्र सिंह : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले खजुराहो इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के माध्यम से औरंगाबाद और मुम्बई से जुड़ा हुआ था;

(ख) क्या ये उड़ानें अब रद्द कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार का विचार इन उड़ानों को पुनः नियमित रूप से प्रारम्भ करने का है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) खजुराहो और औरंगाबाद और खजुराहो और मुम्बई के बीच अपर्याप्त यात्री मांग के कारण, खजुराहो होकर विमान सेवा का परिचालन बन्द कर दिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

सन् 2010 तक पेट्रोल की मांग

1978. श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुमानों की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार अगले दो दशकों के अन्त तक देश में पेट्रोल की मांग वर्तमान 53 मिलियन टन से बढ़कर 186 मिलियन टन हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मांग को पूरी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सरकार ने, भारत में सन् 2009-10 तक तेल की मांग पर टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान को देखा है।

(ख) सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) ग्रास-रूट रिफाइनरियों की स्थापना और वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार।

(2) देश में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन से सम्बन्धित गतिविधियों को तेजी से बढ़ाना ।

(3) अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के उपायों को उच्च प्राथमिकता देना ।

लद्दाख में हेलीकाप्टर सेवा

[हिन्दी]

1979. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को लद्दाख में चाध-धाध और नुब्रा के अगम्य क्षेत्रों में हेलीकाप्टर सेवाएं करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार का लद्दाख में हेलीकाप्टर सेवा कब तक प्रारम्भ करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पवन हंस लिमिटेड के बेड़े में मौजूद हेलीकाप्टर इतनी अधिक ऊंचाई पर परिचालन के योग्य नहीं है ।

खान-पान की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

1980. **श्री वी० राजरवि वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे खान-पान सेवा ने खाद्य पैकटों आदि के मूल्यों में भारी वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) मानक भोजन/नाश्ता और चाय/कॉफी के कपों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है । बहरहाल कुछ क्षेत्रीय रेलों ने इन्सटेंट कॉफी और थाली भोजन से भिन्न कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) लागत को ध्यान में रखते हुए यह मूल्य वृद्धि उचित समझी जाती है ।

एअर टैक्सी संचालन पर आपत्ति

1981. **प्रो० के० वी० थामस** :

श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों ने गैर-सरकारी एअर टैक्सी सेवा शुरू करने पर आपत्ति व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस की कर्मचारी यूनियनों/संघों का विचार है कि इससे अन्तर्देशीय क्षेत्र से इंडियन एयरलाइन्स की स्थिति कमजोर हो जाएगी। सरकार का विचार है कि इंडियन एयरलाइन्स प्रबल अन्तर्देशीय वाहक कम्पनी बनी रहेगी। हवाई टैक्सी स्कीम, राष्ट्रीय वातायात नीति समिति की सिफारिशों के अनुसरण में शुरू की गई थी और उसकी अपनी भूमिका है। सरकार भी यह आशा करती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यकुशल, प्रतिस्पर्द्धात्मक और उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी हों।

हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

1982. श्री महेश्वर सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की उन जल-विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा उन परियोजनाओं के नाम क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) इस वर्ष, परियोजना-वार, केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी अनुदान राशि जारी की गई है;

(ग) पार्वती परियोजना का सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किया गया था;

(घ) इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ङ) इस वर्ष मांगी गई धनराशि की तुलना में जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) हिमाचल प्रदेश की उन जल विद्युत परियोजनाओं, जिनके सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है और उन परियोजनाओं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चालीय वर्ष 1990-91 के दौरान अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(ग) 1969 में।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मई, 1990 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन एवं सर्वेक्षण अन्वेषणाधीन जल विद्युत स्कीमों की सूची।

(क) हिमाचल प्रदेश की क्रियान्वयनाधीन जल विद्युत (ज० वि०) स्कीमें।

	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	भाखड़ी	3×42=126
2.	उहल तीन	4×17.5=70
3.	धनवी	3×7.5=22.5

1		2
4.	नज	3×3.5=10.5
5.	बनेर	3×4=12
6.	चिरोट	3×1.5=4.5
7.	एस० बी० पी०-भाबा आँगुमेंटेशन प्रोजेक्ट	—
8.	नाथपा झाकरी	6×250=1500
9.	चमेरा चरण-I	3×180=540

(ख) हिमाचल प्रदेश की सर्वेक्षणाधीन एवं अन्वेषणाधीन (बड़ी एवं मध्यम) जल विद्युत स्कीमें ।

क्रम सं०	जल विद्युत परियोजना का नाम	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मेवा०)
1	2	3
1.	रेणुका बांध ज० वि० परियोजना	40
2.	बुहानगल ज० वि० परियोजना	24
3.	बसपस ज० वि० परियोजना चरण-I	150
4.	पार्वती चरण-1 ज० वि० परियोजना	750
5.	पार्वती चरण-2 ज० वि० परियोजना	800
6.	मालाना ज० वि० परियोजना	60
7.	ग्यास्पा ज० वि० परियोजना	240
8.	करचम वांतगों	600
9.	एलियान ज० वि० परियोजना	50
10.	हिलरा बांध ज० वि० परियोजना	240
11.	धमवारी सुंडा ज० वि० परियोजना	60
12.	रामपुर हाइडल स्कीम	600
13.	बुधिल ज० वि० परियोजना	81
14.	छम् बांध	275
15.	सुन्नी ज० वि० परियोजना	225
16.	पब्बार ज० वि० परियोजना (ठोंग् धामवारी)	60

1	2	3
17.	साले ज० वि० परियोजना	165
18.	रियोली	500
19.	बरहंग	115
20.	मोनी बांध	350
21.	रामपुर बेहना	400
22.	सोंग टोंग करचम	200
23.	थोंपान पोवारी	220
24.	जांगी तपोवन	175
25.	कुल्लू ज० वि० परियोजना	42
26.	धारोपा ज० वि० परियोजना	32
27.	मछेली ज० वि० परियोजना	18
28.	गंधेरनी ज० वि० परियोजना	100
29.	खासूहा डोगरी कुहू	120

राजा सांसी हवाई अड्डा अमृतसर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

1983. **सरदार अतिन्दर पाल सिंह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजा सांसी हवाई अड्डे, अमृतसर से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने का विचार है जिन्हें पहले विदेशी पर्यटकों और भारतीय पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू कब तक की जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) अमृतसर आने वाले यातायात की संभावना इतनी नहीं है कि आर्थिक रूप से सक्षम परिचालन को कायम रखा जा सके।

विकास केन्द्रों की स्थापना

[अनुवाद]

1984. **श्री पी० नरसा रेड्डी :**
कुमारी उमा भारती :
श्री एल० बी० सिंह :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री माधवराव सिंधिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने की योजना पर नए सिरे से समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकास केन्द्रों के लिए स्थलों के चयन के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान ध्यान में रखते हुए समीक्षा के क्या परिणाम हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) सरकार ने जून, 1988 में देश के विभिन्न भागों में 100 विकास केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी योजना की घोषणा की। प्रथम चरण में विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में 70 विकास केन्द्र विकसित करने का विचार है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित 50 विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों का निर्धारण भी किया जा चुका है। विकास केन्द्र संबंधी योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित करने हेतु कार्य प्रारम्भ करने का विचार है। अन्तिम अनुमोदन किए जाने होने से पूर्व सभी स्थापना स्थलों की समीक्षा की जाएगी।

विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विद्युत उपक्रम

1985. **श्री आर० प्रभु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष प्रोत्साहन और छूट देकर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विद्युत उपक्रम स्थापित करने की अनुमति देने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति संबंधी निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन जुटाने एवं विद्युत की अधिकाधिक उपलब्धता बढ़ाने के एक उपाय के रूप में सरकार ने विद्युत उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी (विदेशी निजी निवेश समेत) प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार ने जिन प्रोत्साहनों का प्रस्ताव रखा है इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विद्युत के उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रोत्साहनों का अनुमोदन किया है :—

—ऋण इक्विटी का अनुपात बढ़ाकर 4 : 1 कर दिया गया है।

—लाइसेंसधारियों के लिए लाभ की निर्धारित दर जो इस समय 12% है बढ़ाकर 15% का अनुमोदन कर दिया गया है।

—प्रारम्भिक परियोजना तथा अनुवर्ती विस्तारों के लिए वास्तविक लागत (रिजर्व बैंक की

वर्तमान दर से 1% अधिक के स्थान पर) पर निर्माण के दौरान ब्याज की राशि का पूंजीकरण किये जाने की अनुमति दी गई है।

—लाइसेंस की प्रारम्भिक अवधि जो कि इस समय 20 साल है बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है तथा अनुवर्ती विस्तार के लिए प्रत्येक अवसर पर 20 वर्ष कर दी गई है।

—एकाधिकार प्रतिबन्धित व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट लाइसेंसधारियों को स्वीकृति प्राप्त करने की छूट दिए जाने का भी अनुमोदन किया गया है।

—अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि कम से कम 60% परिव्यय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के अलावा अन्य स्रोतों से जुटाए जायें तथा कम से कम 11% प्रवर्तकों के अंशदान से जुटाए जायें।

—राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जैसे अथवा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड की सहायता से प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों को विद्युत उत्पादन कम्पनियों के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

—इस प्रकार की विद्युत उत्पादन कम्पनियों को प्रचालनाधीन मानदण्डों तथा इष्टतम संयंत्र भारत अनुपात जिसका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई मूल्य ह्रास राशि की अधिक दर के आधार पर मानकीकृत निर्धारित दो खंड वाले टैरिफ के आधार पर बिजली बेचने की अनुमति दी गई है।

—यह आशा है कि विद्युत उत्पादन कम्पनियों के सफल प्रचालन से उनके लाभ की दर में भी सुधार होगा।

—सभी लाइसेंसधारियों/विद्युत उत्पादन कम्पनियों को विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा समेकित ग्रिड प्रचालन की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रचालन करना होगा।

—विद्युत क्षेत्र में विदेशी प्राइवेट निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने पर विचार करने और देश में विदेशी निवेश सम्बन्धी प्रक्रिया को उदार बनाने सम्बन्धी सामान्य नीति-ढांचे की सीमाओं के अन्तर्गत इस प्रकार की भागीदारी हेतु प्रावधान करने के लिए यह आवश्यक है कि उदारता सम्बन्धी उपायों के एक अभिन्न भाग के रूप में, विद्युत क्षेत्र में विदेशी प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी सम्बन्धी आवेदनों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण को प्राप्त करने हेतु आवेदनों को निपटाने सम्बन्धी सिंगल प्वाइण्ट स्वीकृति हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन किया जाए। उक्त उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड में केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के सचिवों को शामिल किया जाएगा और अपेक्षानुसार राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को सहयोजित किया जाएगा।

—संविदात्मक समझौते एवं मानकीकृत ट्-पार्ट टैरिफ के आधार पर कैप्टिव विद्युत उत्पादन यूनिटों को अधिशेष विद्युत राज्य बिजली बोर्डों को बेचने/वितरित किये जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

— विद्युत अधिनियमों में शीघ्र ही आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।

—निजी क्षेत्र की भागीदारी से सम्बन्धित प्रस्तावों पर शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही किए जाने के लिए विद्युत विभाग में एक विशेष सैल का सृजन किये जाने का भी प्रस्ताव है।

विदेशी मार्गों पर इण्डियन एयरलाइन्स उड़ानें

1986. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें विदेशों में भी चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सभी विदेशी मार्गों की उड़ानें केवल एयर इंडिया के लिए छोड़ने का कोई प्रस्ताव है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन की परिकल्पना मूल नियम, अर्थात वायु नियम अधिनियम, 1953 साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में की गई थी।

सिक्किम में हवाई पट्टी

1987. **श्री नन्दू थापा** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम में हवाई पट्टी का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसका निर्माण कब तक किया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आठवीं योजना अवधि में सिक्किम में हवाई पट्टी के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं है।

कर्नाटक में विद्युत की कमी

1988. **श्री वी० कृष्ण राव** :

श्री सी० पी० मुडालगिरियप्पा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में विद्युत की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या कर्नाटक में कुछ औद्योगिक केन्द्रों में विद्युत की 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का मंगलौर में एक ताप विद्युत संयंत्र शीघ्र ही स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जुलाई, 1990 के दौरान कर्नाटक में 22.8% ऊर्जा की कमी रही।

(ख) कर्नाटक में जुलाई, 1990 के दौरान 1000 के० वी० ए० से अधिक की संविदात्मक मांग वाले उच्च वोल्टता उद्योगों पर 10-50% ऊर्जा की कटौती और 10-20% मांग कटौती लागू की गई थी।

(ग) से (ङ) 8वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मंगलोर में 2×210 मे० वा० का एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

धूम्रपान पर प्रतिबंध

1989. श्री बलवंतराव डाकणे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने, अपने द्वारा संचालित सभी अस्पतालों, चिकित्सालयों और शिक्षा संस्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या रेल विभाग का विचार रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों में भी धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वातानुकूल शयनयानों और वातानुकूल कुर्सी यानों में धूम्रपान निषिद्ध कर दिया गया है। अन्य सवारी डिब्बों में; यदि कोई अन्य सहयात्री एतराज करता है तो किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान नहीं करना चाहिए।

भारत में विदेशी विमान सेवा

1990. श्री एम० डेनिस : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न उड़ानों को संचालित विदेशी विमान सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये एयरलाइनें रियायती दरों का लाभ उठाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) कुल 41 विदेशी एयरलाइनें भारत के लिए/भारत से या भारत से होकर 277 साप्ताहिक उड़ानें परिचालित कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं। भारत के लिए/भारत से या भारत से होकर सेवाओं का परिचालन करने

वाली सभी विदेशी एयरलाइनों से अवतरण/पार्किंग और मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभारों की वसूली एक समान दर से की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं है।

गोवा में नमक उद्योग को बढ़ावा

1991. **प्रो० गोपालराव मायकर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोवा में नमक उद्योग को बढ़ावा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) गोवा में नमक उद्योग को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सौर वाष्पीकरण द्वारा नमक के निर्माण के लिए जलवायु सम्बन्धी स्थितियां अनुकूल नहीं है और वैज्ञानिक आधार पर नमक का निर्माण करने के लिए भूमि उपयुक्त नहीं है।

महाराष्ट्र एक्सप्रेस को गोंडिया तक चलाना

[हिन्दी]

1992. **श्री कंकर मुंजारे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोल्हापुर और नागपुर के बीच चल रही महाराष्ट्र एक्सप्रेस को जनता की मांग को देखते हुए आगे गोंडिया तक चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रूपसा-बांगरी पोसी रेल लाइन का विस्तार और इसे बड़ी रेल लाइन में बदलना

[अनुवाद]

1993. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में रूपसा-बांगरीपोसी रेल लाइन के विस्तार और इसे बड़ी रेल लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रूपसा-बांगरीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा इसका गुरुमहीशानी और दालभूमगढ़ तक विस्तार करने के लिए 1981 में एक सर्वेक्षण किया गया था। उस समय आमान परिवर्तन पर 11.07 करोड़ रुपये और इसके विस्तार पर 9.56 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था। अब रूपसा-बांगरीपोसी के आमान परिवर्तन पर 47.45 करोड़ रुपये और इसके दालभूमगढ़ तक विस्तार पर 39.25 करोड़ रुपये की

क्षमता आने का अनुमान लगाया गया है। दालमूमगढ़ और चाकुलिया के बीच पहले से ही बड़ी रेल लाइन मौजूद है।

पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण को अद्यतन करने का कार्य अनुमोदित किया जा चुका है।

बिहार के कटिहार जिले में ताप विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

1994. श्री युवराज : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में केवल तीन ताप विद्युत संयंत्र हैं जबकि इसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बारह ताप विद्युत संयंत्र है;

(ख) क्या बिहार में बिजली संकट के कारण कृषि और उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है;

(ग) क्या पूर्वी बिहार के कटिहार जिले में 500 मेगावाट क्षमता का एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) इस समय बिहार में तीन ताप विद्युत केन्द्र प्रचालित हैं और उत्तर प्रदेश में 11 ताप विद्युत केन्द्र प्रचालित हैं।

(ख) बिहार में कृषि एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए कोई सांविधिक विद्युत कटौती नहीं है और विद्युत की कमी को राज्य में विद्युत की दिन-प्रतिदिन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए लोड शैडिंग/प्रतिबन्धों का सहारा लेकर पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ) बिहार में उत्तरी कर्णपुरा में केन्द्रीय क्षेत्र में 2×500 मे०वा० का एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विशाखापत्तनम-बैलाडिला रेल लाइन की मरम्मत

1995. श्री अरविन्द नेताम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चक्रवात के कारण विशाखापत्तनम-बैलाडिला रेल लाइन अतिग्रस्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की सम्पत्ति के नुकसान होने का अनुमान है; और

(ग) इस लाइन की मरम्मत में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री आर्य कुमारमंगलम) : (क) कोट्टवलासा-किरंदुल लाइन, जो बैलाडिला खानों को सेवित करती है, अभी हाल में आए चक्रवात में अतिग्रस्त हो गई थी।

(ख) रेल लाइन के अतिग्रस्त हो जाने के कारण लगभग 8 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

(ग) यह लाइन 22-6-90 को यातायात के लिए फिर से खोल दी गई है।

बिहार में रेल-मार्गों का विस्तार

1996. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने बिहार में रेल मार्गों के सुधार और विस्तार के लिए भावी योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग को बिहार राज्य सरकार से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने विगत में निम्नलिखित नई लाइनों के निर्माण तथा आमान परिवर्तनों का सुझाव दिया था :—

नई लाइनें

1. लालमटिया-काहलगांव
2. हजारी बाग के रास्ते रांची-गिरिडीह
3. देवघर-दुमका
4. डेहरी-आन-सोन पिपराडीह-जदुनाथपुर-भवनाथपुर
5. आरा-सासाराम

आमान परिवर्तन (मीटर लाइन/छोटी लाइन से बड़ी लाइन)

1. मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज
2. कटिहार-जोगबनी

(ङ) रांची-हजारी बाग नई लाइन को सर्वेक्षण के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। दुमका-मंदार हिल के लिए सर्वेक्षण का काम 91-92 में शुरू किया जाएगा। मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण का काम अभी हाल ही में पूरा किया गया है। बिहार सरकार के अनुरोध पर राइट्स ने डेहरी-आन-सोन पिपराडीह-जदुनाथपुर-भवनाथपुर के लिए मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

जालन्धर स्टेशन पर उच्चाधिकारी आरक्षण कोटा

1997. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है कि जालन्धर सिटी रेलवे स्टेशन पर फ्रन्टियर मेल और अम्मू तवी मेल में उच्चाधिकारी आरक्षण कोटा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस स्टेशन से अति

महत्वपूर्ण व्यक्ति अधिक संख्या में रेलगाड़ियों में चढ़ते हैं, जालन्धर सिटी स्टेशन पर इन गाड़ियों में उच्चाधिकारी आरक्षण कोटा देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जालन्धर सिटी रेलवे स्टेशन पर 2904 फ्रंटियर मेल में पहले दर्जे में दो यात्रिकाओं और 4034 जम्मू तवी मेल में दूसरे दर्जे में दो यात्रिकाओं का आपातकालिक कोटा उपलब्ध है । इसके अलावा, गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशनों पर इन गाड़ियों में निम्नलिखित आपातकालिक कोटा उपलब्ध है जिसका जालन्धर सिटी से चढ़ने वाले अति विशिष्ट व्यक्ति भी लाभ उठा सकते हैं :—

	वातानुकूल पहला दर्जा	वातानुकूल 2-टियर	पहला दर्जा	3-टियर
अमृतसर में				
2904 फ्रन्टियर मेल	2	4	2	4
जम्मू तवी में				
4034 जम्मू तवी मेल	2	4	2	6

पूर्वोत्तर रेलवे में विकलांगों के लिए आरक्षण

1998. श्री राम बहादुर सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986, 1987 और 1988 में पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय में विकलांगों को रोजगार देने के लिए कोई आरक्षण कोटा निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान आरक्षण कोटा के अनुसार वर्षवार कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(घ) इनको रोजगार देने में यदि कहीं कोई खामियां रही हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रेलों पर अपनाये गये सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ग्रुप "सी" और "डी" में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं । इसमें नेत्रहीन व्यक्तियों, बधिर व्यक्तियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक-एक प्रतिशत का आरक्षण शामिल है । तथापि, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उन्हीं नौकरियों में रोजगार दिया जावेगा जो उनके लिए उपयुक्त हों।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खान्देश निगम

1999. श्री प्रताप राव वी० भोंसले : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कुछ भारतीय कन्टेनर निगम स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो निगम में अब तक श्रेणी-वार कितने-कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और इसके लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय के अधीन ऐसे कुछ और उपक्रम भी कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती हेतु किन-किन मानदण्डों को अपनाया जाता है;

(ङ) क्या मंत्रालय के कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इनमें से प्रत्येक उपक्रम में नियुक्ति किया गया है; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक उपक्रम में ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित मानदण्डों का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है तथा इनका वेतन किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) कन्टेनर निगम ने अभी तक 57 नियुक्तियां की हैं जिनमें 14 कार्यपालकों, 38 गैर-कार्यपालकों तथा 5 सेवानिवृत कर्मचारियों की नियुक्तियां शामिल हैं, नियुक्तियां इस प्रकार की गई हैं —(i) खुले बाजार से —1, (ii) प्रतिनियुक्ति के आधार पर —46, (iii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति करके 5 तथा (iv) तदर्थ/नैमित्तिक नियुक्तियां —5

(ग) जी हां।

(घ) रेल मंत्रालय के अधीन चार और उपक्रम यथा रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड कार्य कर रहे हैं। इन संगठनों में भर्ती का मापदण्ड इस प्रकार है :—

1. खुले बाजार से—समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से।
2. प्रतिनियुक्ति/समाहन के आधार पर।
3. सेवानिवृत कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति करके—इन कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थाई परियोजनाओं/कार्यों को सम्हालने के लिए ठेके के आधार पर की जाती है।
4. नैमित्तिक नियुक्तियां —ये नियुक्तियां पूर्णतः तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अस्थाई कार्य के लिए की जाती हैं।
5. शुरू में दैनिक मजदूरी के आधार पर लगाए गए कर्मचारियों को नियमित करके।

(ङ) जी हां।

(च) इन संगठनों में सेवानिवृत रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को नियुक्त करने की कोई पूर्व नियोजित व्यवस्था नहीं है। तथापि, पुनर्नियुक्ति सीमित अवधि के लिए पूर्णतः ठेके के आधार पर की जाती है जो सेवानिवृत्त व्यक्तियों के अनुभव तथा इन संगठनों की आवश्यकता पर निर्भर करती

है। पुनर्नियुक्ति पर पेंशन सहित निर्धारित किया गया वेतन किसी भी हालत में लिए गए अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होता है।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आवंटन

[हिन्दी]

2000. डा० बंगाली सिंह :

श्री शिवशरण वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन महीनों के दौरान खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियां और कितने पेट्रोल पम्पों का आवंटन किया गया;

(ख) इनमें से खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियां और पेट्रोल पम्प अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटित किए गए; और

(ग) यदि उन्हें खाना पकाने की गैस की कोई एजेंसी और पेट्रोल पम्प आवंटित नहीं किए गए, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) मई और जुलाई, 1990 के बीच एक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप और दो पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें आवंटित की गई हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति की श्रेणी के तहत कोई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित नहीं की गई है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के 25% आरक्षण के प्रति आवंटन विपणन योजना में बनाए गए रोस्टर के अनुसार किया जाता है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में क्षमता उपयोग

[अनुवाद]

2001. श्री एल० बी० सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में कम क्षमता उपयोग और कम लाभ वाला उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी दयनता के कारणों का पता लगाया है और इसके लिए उपचारात्मक उपाय शुरू किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन विभिन्न कारणों का पता लगाया गया है, वे हैं, कम उत्पादन और लाभ-प्रदता, कुछ मोड केन्द्रों में सन्तुलित मोड में कमी और अलाभकारी ऋणादेश तथा कार्यशील पूंजी की कमी आदि। कारपोरेशन की कार्यशील पूंजी में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए

उपचारी उपायों में, व्यय में मितव्ययिता, लागत नियंत्रण, सर्वोत्तम क्षमता उपयोग के लिए उत्पाद मिश्रण का विविधीकरण और निर्माण के लिए विशेषतः आवृति मदों के लिए और अधिक क्यादेश प्राप्त करना तथा बेहतर वस्तु सूची नियंत्रण आदि शामिल है।

विशाखापत्तनम में नैप्था क्रैकर परियोजना

2002. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने नैप्था क्रैकर इकाइयों को स्थापित करने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(ख) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम—आंध्र प्रदेश में नैप्था क्रैकर की अनुप्रवाह (डाउन स्ट्रीम) परियोजनाओं के लिए लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान नैप्था क्रैकर परियोजनाओं की स्थापना के लिए (क्रैकरों की पहले के अनुमोदित क्षमता के विस्तार सहित) 3 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ऐसे निर्णय तकनीकी आर्थिक आधार पर उचित समय पर लिए जाते हैं।

हरदोई जिले में भारी उद्योग की स्थापना

[हिन्दी]

2003. **श्री चांद राम** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरदोई जिले में भारी उद्योग स्थापित किया गया है;

(ख) क्या यह जिला विकास प्रयोजनार्थ एक "पिछड़ा क्षेत्र" घोषित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस जिले के उद्यमियों को सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) किसी राज्य के किसी जिले विशेष का उद्योगीकरण करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। किन्तु उद्योगीकरण को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार कई प्रोत्साहन देती है जैसे औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी में प्राथमिकता, केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में एकक लगाने वाले उद्यमियों को रियायती वित्त आदि। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला वर्ग "ग" पिछड़ा जिला घोषित किया गया है और यह जिला उपर्युक्त प्रोत्साहन पाने का पात्र है। वर्ष 1987 से वर्ष 1990

(मई, 1990 तक) के दौरान इस जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए तीन आशय पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें से 1988 में एक आशय पत्र और 1989 में दो आशय पत्र जारी किये गये।

(ग) केन्द्रीय पिछड़ा राजसहायता योजना 1-10-1988 से बन्द कर दी गई है। राजसहायता के जिलेवार भुगतान के बारे में सूचना नहीं रखी जाती।

स्कूटर इंडिया लि० को पुनः पूरी क्षमता से चालू करना

[अनुवाद]

2004. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें स्कूटर इंडिया लिमिटेड को पुनः चालू करने के लिए कोई नए प्रस्ताव मिले हैं क्योंकि इसे बन्द तो नहीं किया लेकिन उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा दिये गये धन को केवल कम्पनी के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी देने के लिए व्यय किया जा रहा है न कि उत्पादन में विविधता लाने के लिए, जिससे इसे बन्द होने से बचाया जा सके;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में प्रभावित श्रमिकों कर्मचारियों, अधिकारियों और इंजीनियरों के ठोस प्रस्तावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के अध्ययन का कार्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया को सौंपा है। अध्ययन के लिए संदर्भ के निबन्धनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में 2/3 पहियों वाले वाहनों के विद्यमान उत्पादन के लिए चालू बाजार स्थिति का अध्ययन, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए किसी उत्पादन करने की क्षमता और उत्पाद के लिए विपणन जो विद्यमान ब्रांड प्रमुखों के साथ सफलतापूर्वक स्पर्धा में आ सके, विविधीकरण के क्षेत्रों आदि का अध्ययन शामिल है। आई० डी० बी० आई० से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी अध्ययन रिपोर्ट अधिमानतः 30 सितम्बर, 1990 से पहले प्रस्तुत कर दें।

सूरत में उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करना

[हिन्दी]

2005. **श्री काशीराम राणा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत के निकट "हाजा एक्सटेंशन" में उद्योगों की स्थापना हेतु अब तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) गुजरात के सूरत जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए 1987 से 1990 (मई, 1990 तक) तक की अवधि के दौरान 45 औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किए गए थे। गुजरात के सूरत जिले में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस

सम्बन्धी 7 आवेदन पत्र कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी सभी आवेदन पत्रों को यथा संभव शीघ्र निपटा दिया जाए।

अजमेर-खंडवा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

2006. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अजमेर-खंडवा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का है ताकि औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी पत्तनों में राजस्थान को माल लाने-ले-जाने में सुविधा हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के लिए विमान सेवा

[हिन्दी]

2007. **श्री राम प्रसाद चौधरी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई और अन्य महानगरों से गोरखपुर के लिए नियमित विमान सेवा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार की विमान सेवा द्वारा गोरखपुर को अन्य महानगरों से जोड़ने की कोई योजना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) एयरबस ए-320 विमानों के परिचालन बन्द करने की वजह से विमान क्षमता की भारी कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स इस समय गोरखपुर को विमान सेवा से जोड़ने की स्थिति में नहीं है।

(ग) जी, हां।

जहीराबाद में बना सड़क का उपरि पुल

[अनुवाद]

2008. **श्री एम० भागा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विकाराबाद-पारली सेक्शन पर जहीराबाद में सड़क के एक उपरि पुल का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए पूर्ण योजना को अन्तिम रूप देने तथा नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति देने के साथ रेलों को प्रस्ताव प्रायोजित करने के बाद ही रेलवे कार्रवाई करेगी।

रोहिणी आवासीय क्षेत्र के लिए बिजली की सप्लाई

2009. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा सारे पश्चिमी पीतमपुरा तथा रोहिणी के सभी सेक्टरों में बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो रोहिणी के सेक्टर 18 में बिजली के कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे।

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) डेसू के अनुसार डेसू पीतमपुरा एवं रोहिणी के ऐसे भागों में बिजली के कनेक्शन दे रहा है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। डेसू रोहिणी के सेक्टर 18 में विद्युतीकरण की कई स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है और इस सेक्टर कार्य लगभग पूरा है। डेसू ने इस सेक्टर को अक्तूबर, 1990 से कनेक्शन देने का प्रस्ताव किया है बशर्ते कि आवेदकों द्वारा सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।

"एक्स-रे" मशीन से सामान की जांच

[हिन्दी]

2010. **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसों तथा रेल गाड़ियों में बम फटने की घटनाओं को देखते हुए यात्रियों के सामान की जांच करने के लिए हवाई अड्डों पर व्यापक प्रबन्ध किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें "एक्स-रे" मशीन से जांच करना भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) देश के सभी हवाई अड्डों पर, जहां अनुसूचित उड़ानें प्रचालित की जाती हैं, न्यूनतम सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार, विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों और उनके सामान की छानबीन करने जैसे विमान-अपहरण निवारक उपाय लागू किए गए हैं। हाथ के सामान की हस्त-जांच की जाती है और जहां कहीं एक्स-रे मशीन उपलब्ध है वहां मशीन से जांच की जाती है जहां एक्स-रे मशीन उपलब्ध न हो, वहां साथ ले जाए गए सामान की जांच आकस्मिक आधार पर हाथ से की जाती है। सामान के मालिक द्वारा अपने सामान की पहचान किये बिना कोई सामान विमान में नहीं चढ़ाया जाता।

मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें

2011. **श्री बिलदी सिंह भूरिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में कौन-कौन-सी नई रेल लाइनें बिछाने की योजना है; और

(ख) इन लाइनों को बिछाने का कार्य कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित नयी लाइन परियोजनाएं अनुमोदित की गयी हैं।

परियोजना का नाम	पूरा होने का वर्ष
1. सतना-रीवा	1991-92 के दौरान पूरा करने की योजना बनाई गई है।
2. गुना-इटावा (अधिकांशत: मध्य प्रदेश में)	*
3. कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच (आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में)	1990-01 के दौरान पूरा करने की योजना बनाई गई है।
4. गीघरा-दाहोद-इन्दौर और देवास-मकसी (अधिकांश: मध्य प्रदेश में)	*

*इनका पूरा होना आगामी वर्षों में ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रेलवे सूचना व्यवस्था

[अनुवाद]

2012. डा० ए० के० पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सूचना व्यवस्था केन्द्र कब से कार्य कर रहा है;

(ख) रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे सूचना व्यवस्था केन्द्र पर कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) इसके उद्देश्यों और वर्तमान कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस केन्द्र द्वारा अर्जित लाभ व हानि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र 1-7-1987 से कार्य कर रहा है।

(ख) रेलवे द्वारा अभी तक क्रिस को इसकी विकासात्मक गतिविधियों के लिए 20 लाख रुपये की राशि दी गई है।

(ग) क्रिस का उद्देश्य भारतीय रेलों पर कंप्यूटरीकरण की सभी गतिविधियों के लिए एजेंसी के रूप में काम करना है कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :—

(i) कंप्यूटरीकृत माल भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली का अभिकल्प विकास तथा कार्यान्वयन;

(ii) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन;

(iii) रेलों से संबद्ध कार्मिक प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, अस्पताल प्रबन्ध आदि जैसे अन्य प्रबन्ध सूचना प्रणाली के अनुप्रयोगों का विकास तथा

(iv) कंप्यूटर संस्थापनाओं का अनुरक्षण।

(घ) किस रेल मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित एक पंजीकृत सोसायटी है और यह लाभ न कमाने वाले निकाय के रूप में काम करती है।

सातवीं योजना में बिजली का उत्पादन

2013. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) 7वीं योजना के दौरान लक्ष्य एवं विद्युत का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार था;

वर्ष	लक्ष्य (मि० यू०)	वास्तविक उत्पादन (मि० यू०)	लक्ष्य
1985-86	170,000	170,037	100%
1986-87	190,000	187,605	98.7%
1987-88	205,000	201,894	98.5%
1988-89	226,500	221,125	97.6%
1989-90	251,300	245,141	97.5%

कमी, मुख्यतया निम्न प्रणाली मांग, नई चालू यूनिटों के स्थिरीकरण में विलम्ब, अपर्याप्त आपूर्ति एवं कोयले की असन्तोषजनक गुणवत्ता आदि के कारण हुई थी।

डीजल रेल-पथ को विद्युत रेल-पथ में बदलना

2014. **श्री नकुल नायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डीजल रेल-पथ को विद्युत रेल-पथ में बदलने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) इस दिशा में दक्षिण पूर्व रेलवे में 31 मार्च, 1990 तक क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां, केवल उन्हीं खण्डों पर जहां विद्युतीकरण करना औचित्यपूर्ण है।

(ख) 31-3-90 को विभिन्न रेलों पर विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर नीचे दिया गया है :—

रेलवे		विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर
1.	मध्य	1859
2.	पूर्व	1259
3.	उत्तर	945
4.	दक्षिण	646
5.	दक्षिण मध्य	891
6.	दक्षिण पूर्व	2158
7.	पश्चिम	1494
8.	पूर्वोत्तर	—
9.	पूर्वोत्तर सीमा	—
	जोड़	9252

(ग) किसी अन्य क्षेत्रीय रेलवे की तुलना में दक्षिण पूर्व रेलवे पर सबसे अधिक विद्युतीकृत मार्ग कि० मी० है।

बिलाडा-बेर और मेडता सिटी-अजमेर रेल लाइन

[हिन्दी]

2015. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बिलाडा से बेर तक और मेडता सिटी से अजमेर तक यातायात हेतु रेल लाइनें बिछाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) बिलाडा और बेर के बीच नई मीटर लाइन के निर्माण के लिए 1983 में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से यातायात की अपर्याप्त संभावनाओं का पता चला था इसलिए निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

1983 में किए गए सर्वेक्षण को अद्यतन करने का अनुमोदन कर दिया गया है।

1986 में पुष्कर के रास्ते अजमेर और मेडता रोड के बीच मीटर लाइन बिछाने के लिए एक टोह इंजीनियरी सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से यातायात की अपर्याप्त संभावनाओं का पता चला अतः इस परियोजना को ताक पर रख दिया गया।

टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को परेशान किया जाना

[अनुवाद]

2016. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच करने के बहाने यात्रियों को परेशान करने के बारे में दक्षिण की ओर आने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या केरल एक्सप्रेस रेलगाड़ी में ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस प्रकार यात्रियों को परेशान किये जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) यद्यपि इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपराध के प्रमाणित मामलों में दोषी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जाती है।

मिदनापुर जिला पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज

2017. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में साबंग पी० एम० के कतिपय क्षेत्रों में तेल प्राप्त होने की कुछ संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) इस क्षेत्र में ड्रिलिंग सहित अन्वेषण का कार्य चल रहा है। तेल/गैस की प्राप्ति की संभावना पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा।

(ख) साबंग क्षेत्र में और इसके आसपास भू-कंपीय आंकड़े एकत्र किए गए हैं और इस आंकड़े पर आधारित अध्ययन के आधार पर अन्वेषी स्थान चांदकुरी-1 में ड्रिलिंग कार्य किया गया और छोड़ दिया गया है। एक और स्थान चांदकुरी-बी को ड्रिलिंग के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

मध्य प्रदेश में बाटलिंग प्लांट द्वारा एल० पी० जी सिलेंडरों की कम सप्लाई

[हिन्दी]

2018. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में स्थित एल० पी० जी० रीफिल प्लांट द्वारा पिछले कई दिनों से कम मात्रा वाले सिलेंडरों की सप्लाई किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या 300 एल०पी०जी० सिलेंडरों में से 50 से अधिक कम मात्रा वाले सिलेंडर वितरकों को सप्लाई किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में स्थित एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र द्वारा कम भार के सिलेंडरों की आपूर्ति की दो घटनाएं हाल ही में जानकारी में आई हैं। एक घटना उस समय की है, जब बाटलिंग संयंत्र में आकस्मिक अग्नि-शमन प्रशिक्षण चल रहा था, जनवरी, 1990 में भोपाल स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन के एक एल०पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर के यहां असावधानीवश 66 कम भार वाले सिलेंडरों का लदान हो गया था। इसका पता चलते ही, जब डिस्ट्रीब्यूटर ने इस मामले की रिपोर्ट कारपोरेशन से की, तब विधिवत जांच के बाद उन सिलेंडरों के बदले दूसरे सिलेंडर दे दिये गये। दूसरी घटना में, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के एक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर ने भिटोनी एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र द्वारा दिए गए एक एल० पी० जी० रिफिल को मई, 1990 में लौटा दिया था। एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्रों को यह निर्देश हैं कि वे डिलीवरी से पहले सख्ती से निरीक्षण कर लें ताकि डिस्ट्रीब्यूटरों को दिए गए सिलेंडरों का भार और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

नागदा अग्निकांड के प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

2019. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नागदा में क्रूड नैप्था के टैंकरों में लगी आग के कारण हुई जान और माल की क्षति के लिए मुआवजा देने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या रेलवे ने इस अग्निकांड में हुई क्षति के दावे स्वीकार कर लिए हैं और यदि हां, तो मुआवजे के भुगतान में और विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका भुगतान कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) चूंकि इस दुर्घटना के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं पाया गया था इसलिए कानूनन वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तथापि, जिन 19 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई थीं उन्हें 4750 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्लेटफार्मों पर वृक्ष लगाना

[अनुवाद]

2020. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना छत वाले रेलवे प्लेटफार्मों पर छाया हेतु वृक्ष लगाने की एक ठोस योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। जहां कहीं प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। वहां रेलवे प्लेटफार्मों पर छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। यह कार्य 1990-91 तक पूरा हो जाएगा।

जनजातीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस की एजेंसियां

2021. श्री कड़िया मुण्डा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्यवार कितनी रसोई गैस की एजेंसियां और कितने पेट्रोल पम्प आवंटित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का जनजातीय लोगों को और अधिक एजेंसियां आवंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। एक विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए और अधिक डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है जिन्हें उनकी आबादी के अनुपात में संयुक्त रूप से आरक्षित 25% कोटे के तहत भरा जाना है, इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में 70%, मेघालय और नागालैंड में 80% और मिजोरम में 90% आरक्षण है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनजातियों को आवंटित एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों की संख्या	
		खुदरा बिक्री केन्द्र	एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप
1.	आंध्र प्रदेश	16	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	5
3.	असम	15	8
4.	बिहार	15	10
5.	गोआ	1	—
6.	गुजरात	29	28

1	2	3	4
7.	हरियाणा	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	2
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—
10.	कर्नाटक	2	2
11.	केरल	1	3
12.	मध्य प्रदेश	20	22
13.	महाराष्ट्र	29	39
14.	मणिपुर	10	3
15.	मेघालय	19	5
16.	मिजोरम	9	3
17.	नागालैंड	8	6
18.	उड़ीसा	15	10
19.	पंजाब	—	—
20.	राजस्थान	28	11
21.	सिक्किम	1	—
22.	तमिलनाडु	4	2
23.	त्रिपुरा	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	—	—
25.	वैस्ट बंगाल	8	7
26.	अंडमान और निकोबार	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	2	—
29.	दमन और द्वीप	—	—
30.	दिल्ली	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—
	योग :	255	182

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करना

2022. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को रेल कर्मचारियों के मामले में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) रेल कर्मी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें जिन्हें सामान्यतया सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, को इस मंत्रालय के रेल कर्मियों के लिए अपना लिया गया है और कार्यान्वित कर दिया गया है।

टिकटों की बिक्री

[हिन्दी]

2023. श्री राजमंगल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट लिए यात्रा करने वालों पर किये जाने वाले जुर्माने राशि 14 रुपये से बढ़ाकर 54 रुपये कर दी गई है;

(ख) क्या विभिन्न रेलवे स्टेशनों में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर रेलवे में सीवान रेलवे स्टेशन पर यात्री खिड़की की क्षमता से अधिक टिकटों की बिक्री की जाती है और जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी कठिनाइयां होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) 1-7-90 से लागू रेल अधिनियम 1989 में न्यूनतम अधिक प्रभार की राशि 50 रुपये कर दी गई है जबकि पुराने अधिनियम में यह 10 रुपये थी।

(ख) और (ग) किराये के भुगतान पर टिकट जारी किए जाते हैं बशर्ते स्थान उपलब्ध हो।

पटना हवाई अड्डे का विकास

2024. प्रो० सैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास पटना हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण, विस्तार और विशेष मरम्मत करने संबंधी निर्माण कार्यों की अनेक योजनाएं 1983 से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान पटना हवाई अड्डे के विकास हेतु कौन-सी योजनाएं शुरू करने का विचार है और इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय होने की आशा है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) इस समय पटना हवाई अड्डे पर सभी आधुनिक यात्री, विमचालन और अवतरण सुविधाएं हैं। अन्तर्देशीय टर्मिनल में सामान के हैंडलिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट की स्थापना से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं।

सरकारी वाहनों का दुरुपयोग

[अनुवाद]

2025. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई नियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने के लिए विद्यमान नियमों को पर्याप्त समझा जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में आगे और क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) स्टाफ कारों के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए पहले से ही नियम हैं। इन नियमों में यह विनिर्दिष्ट है कि किस प्रकार की यात्रा को ड्यूटी के संबंध में की गई यात्रा समझा जायेगा लाग बुक का रख-रखाव किया जायेगा आदि। इसके अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का भी उपयुक्त रूप से पालन किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड द्वारा एथलीन आक्साइड की सप्लाई

2026. श्री हरिन पाठक : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड ने अपने विद्यमान औद्योगिक ग्राहकों को सप्लाई किये जाने वाले एथलीन आक्साइड का कोटा कम कर दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड को विभिन्न उद्योगों को एथलीन आक्साइड की सप्लाई करने के संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० (आई० पी० सी० एल०) ने अपने ग्राहकों को इथाइलीन आक्साइड के आवंटित कोटे में कमी नहीं की है। किन्तु जब कुल वचनबद्धताओं से उत्पादन की उपलब्धता कम हो, तो तब एकरूप आधार पर आनुपातिक कटौतियां की जाती हैं। आई० पी० सी० एल० को कोई विशिष्ट मार्गदर्शी कपरेखा जारी करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

उत्तर प्रदेश में रेल लाइनें बिछाना और छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना

[हिन्दी]

2027. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाने और मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी लम्बी रेल लाइन बिछाई जायेगी और कितनी लम्बी रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदला जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नई लाइनों और आमान परिवर्तनों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है और 8वीं योजना के दौरान इन पर निर्माण कार्य जारी रहेगा।

नई लाईनें	लम्बाई	लागत करोड़ रुपयों में
1. रामपुर-न्यू हल्दवानी (लालकुआं-काठगोदाम के आमान परिवर्तन सहित)	87 कि० मी०	56.00
2. बगहा-सितौली	28 कि० मी० (उत्तर प्रदेश में 14 कि० मी०)	154.65
3. मथुरा-अलवर	120 कि० मी० (उत्तर प्रदेश में 30 कि० मी०)	69.43
4. गुना-इटावा	348 कि० मी० (उत्तर प्रदेश में 28 कि० मी०)	248
आमान परिवर्तन (मीटर लाइन से बड़ी लाइन)		
1. काशीपुर-लालकुआं	72 कि० मी०	15.00
2. छारा-भोंडिहार	171 कि० मी० (उत्तर प्रदेश में 153 कि० मी०)	85.13

ब्रेक वैनों का निर्माण

[अनुवाद]

2028. श्री धर्मन्ना मोल्लम्मा साहुल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में ब्रेक वैनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अधिक संख्या में नये ब्रेक वैनों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) समग्र रूप से ब्रेक यानों की कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 1990-91 तथा 1991-92 के लिए माल डिब्बा उत्पादन कार्यक्रम में बड़ी लाइन के नये ब्रेक यानों का निर्माण भी शामिल है।

वर्ष	संख्या
1990-91	280
1991-92	170

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

2029. श्री ए० के० राय : क्या उद्योग मन्त्री बोकारो में इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा ने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के बारे में 8 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7954 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों को 10 वर्षों से अधिक समय तक अस्थाई रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इससे श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं होता है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को श्रम मंत्रालय से नैमित्तिक श्रमिकों को अनिश्चित अवधि से बिना नियमित किये ही अस्थाई रखने के सम्बन्ध में कोई परिपत्र प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के बोकारो में कार्यरत अस्थाई श्रमिकों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के बोकारो स्थित कार्यालय में अकुशल और अन्य श्रेणियों के अनियत कामगार हैं जिनकी काफी समय पहले स्थानीय भर्ती की गई

की। इन कामगारों को 1987 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार लाभ और सुविधाएं दी जाती हैं। समझौते के नियमितीकरण खण्ड के अनुसार इनमें से जिन कुछ कामगारों ने आवेदन किया, उन्हें भी नियमित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय ने अपने दिनांक 23-1-1990 के कार्यालय ज्ञापन सं० 16026/90-एल० डब्ल्यू० द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों के सम्बन्ध में, नियमितीकरण/अनियमितीकरण के लिए यदि कोई नीति है तो उसकी और उसके ब्यौरों की सूचना दें।

(ङ) श्रमिकों की मांग पर विचार करके कम्पनी ने उन श्रमिकों में से, जिन्होंने आवेदन दिया था, 100 श्रमिकों को नियमित वेतनमान देने का प्रस्ताव किया है तथा शेष को अस्वीकृत कर दिया गया है। समझौते के अधीन लाभों का फायदा उठाने के बावजूद अधिकांश श्रमिकों ने समादेश याचिकाएं दायर की हैं जिन्हें घटना उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।

सिवान रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

[हिन्दी]

2030. **श्री जनार्दन तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के सिवान रेलवे स्टेशन पर भारी यातायात को देखते हुए इस स्टेशन के पश्चिम छोर पर अन्दर ढाला और पूर्वी छोर पर सीसवन ढाला में एक ऊपरी पुल का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक बिहार सरकार ने नियमानुसार इसकी हिस्सा लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ-साथ सिवान रेलवे स्टेशन के निकट इन दोनों समपारों में से किसी भी समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के बारे में रेलवे को कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है।

सतना और भोपाल के बीच सीधी रेल सेवा

2031. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना से भोपाल के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार 1 अक्तूबर, 1990 से सतना से भोपाल के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) सप्ताह में दो दिन चलने वाली 171/1172 इन्दौर-हावड़ा क्षिप्रा एक्सप्रेस सतना और भोपाल के बीच सीधी सेवा उपलब्ध कराती है।

बिहार में मोतीहारी में रसोई गैस के कनेक्शन जारी करना

2032. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में मोतीहारी में रसोई गैस के नये कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में किस वर्ष तक के पंजीकृत व्यक्तियों को गैस कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं;

(ख) जो व्यक्ति अभी भी प्रतीक्षा सूची में है उन्हें अभी तक रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे;

(ग) तीन-चार वर्षों से जो व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में है, उन्हें कब तक गैस कनेक्शन जारी न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रसोई गैस कनेक्शन जारी करने में इस विलम्ब को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) मोतीहारी, जिला पूर्वी चम्पारन बिहार में 28-11-86 तक पंजीकृत व्यक्तियों को एल० पी० जी० कनेक्शन दे दिए गए हैं।

(ख) से (घ) उपभोक्ताओं के नामांकन की वार्षिक योजना के अधीन प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को एल० पी० जी० कनेक्शन दिया जाता है। उत्पाद की कमी और अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की वजह से, यह बताना संभव नहीं है कि प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को कनेक्शन कब तक दिए जा सकेंगे। उत्पादन और आयात में वृद्धि करके उत्पाद की उपलब्धता को बढ़ाया जाता है। बड़ी मात्रा में एल० पी० जी० के आयात और परिवहन के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाओं को बनाने का भी प्रस्ताव है।

पवनहंस लिमिटेड के पास वेस्टलैंड हेलीकाप्टर

2033. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1990 तक पवनहंस लिमिटेड के पास कुल कितने वेस्टलैंड हैलीकाप्टर थे;

(ख) कितने हैलीकाप्टरों का वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) क्या हैलीकाप्टरों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार पवनहंस लिमिटेड के पास 19 वेस्टलैंड हैलीकाप्टर हैं।

(ख) वेस्टलैंड हैलीकाप्टरों की सेवाएं, विशेषज्ञ समिति द्वारा उनकी परिचालनात्मक तथा सुरक्षा पहलुओं की जांच होने तक, 21 दिसम्बर, 1989 से रोक दी गई थी। समिति द्वारा सिफारिश की गई प्रतिबन्धित स्थितियों के अधीन, हैलीकाप्टरों के परिचालनों की अनुमति दी गई है।

(ग) पवनहंस लिमिटेड की आठवीं योजना अवधि के दौरान बेड़ा क्षमता में वृद्धि करने का योजना है।

दिल्ली में भारी उद्योग स्थापित किया जाना

2034. **श्री तारीक सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भारी उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस प्रतिबन्ध को हटाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का दिल्ली में कुछ सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एकक स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओकार लेना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण

[अनुवाद]

2035. **श्री हेत राम :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण के विरोध में पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पम्पों के बन्द होने के खतरे की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण की रोकथाम करने के लिए तथा पेट्रोल पम्पों के बन्द होने की आशंका से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने है/उठाने का विचार किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए नियमानुसार कदम उठाए जा रहे है :

(I) पेट्रोल पम्पों पर फिल्टर पेपर जांच

(II) सप्लाई और प्राप्ति प्वाइंटों पर एच० एम० डी० घनत्व और तापमान रिकार्ड करना

(III) मिट्टी के तेल के साथ परफ्यूरल मिलाना

(IV) पेट्रोल पम्पों की अकस्मात चैकिंग करने के लिए चलती-फिरती प्रयोगशालाएं आरम्भ करना।

(V) तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पम्पों और मिट्टी के तेल की एजेंसियों का निरीक्षण

(VI) राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों को किए जा रहे वितरण को विनियमित करने और आवश्यक वस्तुओं के व्यापार तथा किसी प्रासंगिक और पूरक मामलों के लिए उचित

आदेश जारी करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

राज्य स्तरीय तेल समन्वयक, पश्चिमी बंगाल ने तेल कम्पनियों को सलाह दी है वे अपने डीलरों को समझाएं कि पश्चिमी बंगाल सरकार को बिना जानकारी दिए वे हड़ताल पर न जाएं।

बिहार में पेट्रोल की खपत

[हिन्दी]

2036. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पेट्रोल और डीजल की वार्षिक खपत कितनी है और इस मरंग को पूरा करने के लिए वहां कितने पेट्रोल पम्प हैं;

(ख) बिहार में पेट्रोल और डीजल की खपत में वृद्धि की वार्षिक दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार, सारे देश में पेट्रोल और डीजल की एक समान दरों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठोस प्रयास कर रही है;

(घ) क्या बिहार में पेट्रोल का बिक्री मूल्य दिल्ली में पेट्रोल के बिक्री मूल्यों से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) पिछले तीन-तीन वर्षों के दौरान बिहार में पेट्रोल तथा डीजल की वर्षवार खपत निम्नलिखित है :

(टन)

वर्ष	पेट्रोल	डीजल
1987-88	10,57,78	9,42,955
1988-89	11,61,80	10,91,877
1989-90	13,51,03	11,95,734

दिनांक 1-4-1990 की स्थिति के अनुसार एम० एस०/एच० एस० डी० खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या 892 है।

(ख) बिहार में पेट्रोल और डीजल की खपत में वृद्धि निम्नलिखित रही है :—

प्रतिशत वृद्धि

वर्ष	पेट्रोल	डीजल
1988-89	9.83%	15.79%
1989-90	16.28%	9.51%

(ग) जी नहीं।

(घ) बिहार में अलग-अलग स्थानों पर बिक्री-कीमत अलग-अलग होगी। इस समय पटना में इसकी कीमत 10.04 रुपये प्रति लीटर है जबकि दिल्ली में इसकी कीमत 9.84 रुपये प्रति लीटर है।

(ङ) सरकार पेट्रोल तथा डीजल की मंडारण स्थल पर कीमत निर्धारित करती है जो पूरे देश में एक समान होती है। परन्तु, माल ढुलाई भाड़ा, राज्य बिक्री कर और स्थानीय उपकरों के आधार पर अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग खुदरा बिक्री कीमतें होती हैं।

दिल्ली और कानपुर के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

[अनुवाद]

2037. **श्री केशरी लाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कानपुर के बीच कहीं न रुकने वाली सुपरफास्ट (द्वितीय श्रेणी) रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह गाड़ी कब से शुरू कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बडगरा रेलवे स्टेशन (केरल)

2038. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बडगरा रेलवे स्टेशन, पालघाट डिवीजन में नव-निर्मित द्वितीय प्लेटफार्म के काफी संकीर्ण होने तथा इसमें शेड एवं अन्य जन-सुविधाओं के न होने के कारण जनता को इसका प्रयोग करने में होने वाली असुविधाओं के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यहां पर यात्रियों को आवश्यक जन-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्लेटफार्म की चौड़ाई यातायात के वर्तमान स्तर को सम्हालने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। बडगरा में अन्य बुनियादी सुविधाएं भी सम्हाले जा रहे यातायात के अनुरूप उपलब्ध हैं। यातायात में वृद्धि होने से आवश्यक होने पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी जो धन की उपलब्धता तथा अन्य स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

कोट्टायम का आरक्षण कोटा

2039. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोट्टायम रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आरक्षित कोटा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमनवाड़ी में पुन: रेलवे स्टाफ बनाना

2040. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काचीगुडा से जयपुर मीटर गेज रेल लाइन पर मीनाक्षी एक्सप्रेस के लिए महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में अमनवाडी नामक स्थान पर बनाया गया पब्लिक स्टाप 30 अप्रैल, 1990 को समाप्त कर दिया गया था;

(ख) क्या इस पब्लिक स्टाप को बहाल करने के लिए वर्ष 1990 के अप्रैल और मई महीनों में वहां की जनता ने आंदोलन किया था; और

(ग) क्या सरकार का उक्त स्टाप को फिर से बहाल करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं।

दक्षिण भारत में चलने वाली रेलगाड़ियों में पुराने डिब्बों की जगह नये डिब्बे लगाना

2041. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण भारत में चलने वाली (1) वेनाड एक्सप्रेस (2) वांचीनाड एक्सप्रेस, (3) आइलैंड एक्सप्रेस (4) परशुराम एक्सप्रेस और (5) त्रिवेन्द्र-पद्मास एक्सप्रेस रेल-गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में नये डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन रेलगाड़ियों के पुराने डिब्बों के स्थान पर नये आधुनिक डिब्बे लगाये जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इन गाड़ियों में कोई भी जीर्ण-शीर्ण सवारी डिब्बे उपयोग में नहीं हैं। सवारी डिब्बों को बदलना एक सतत् प्रक्रिया है।

शिरडी, महाराष्ट्र में हवाई अड्डा/हवाई पट्टी का निर्माण

2042. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में शिरडी में एक हवाई अड्डा/हवाई पट्टी का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि महाराष्ट्र सरकार शिरडी पर एक विमान क्षेत्र के निर्माण की इच्छुक है। तथापि, इस संबंध में उन्होंने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

रुग्ण औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

2013. श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री नकुल नायक :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री प्यारे लाल हांडू : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कुल कितने रुग्ण औद्योगिक एकक हैं;

(ख) इन रुग्ण एककों की उत्पादन क्षमता का उपयोग न करने के कारण सरकार को प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि ः राजस्व की हानि हो रही है;

(ग) सरकार ने कुल कितने रुग्ण एककों का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है और ऐसे कितने एकक और शेष हैं;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में घाटे में चलने वाले एककों को बंद करके नए एकक स्थापित करने की योजना तैयार करने का विचार है; और

(ङ) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने के लिए क्या नीति अपनाने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त देश में रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस परिभाषा के अनुसार एकत्र किये जाते हैं जो इसमें अपनाई हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक से मिले नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जून, 1988 के अन्त तक लघु उद्योग और गैर लघु उद्योग श्रेणी के रुग्ण औद्योगिक एककों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जो आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं उनमें रुग्ण एककों की उत्पादन क्षमता का उपयोग न हो पाने के कारण सरकार को हुई राजस्व हानि की कुल राशि का उल्लेख नहीं होता।

(ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन सरकार ने अब तक देश भर में 55 औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने का प्राधिकार दिया है। एक विशेष अवधि के दौरान, 7 एकक अनधिसूचित कर दिए गए थे, 9 एककों का राष्ट्रीयकरण केन्द्र सरकार द्वारा तथा 33 एककों का राष्ट्रीयकरण राज्य सरकारों द्वारा किया गया था। इस समय 6 ऐसे औद्योगिक उपक्रम हैं जिनका प्रबन्ध केन्द्र सरकार ने उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन अपने हाथ में लिया था और यह अब भी केन्द्र सरकार के अधीन ही चल रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरूत्थान करने के लिए भारत सरकार द्वारा सारे देश में एक समान नीति अपनाई गई है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैं :—

1. सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० आर०)" नामक एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है। इसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन:स्थापन पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश जिए गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन: स्थापना पैकेज बनाते हैं।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें उन माप-दण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुन:स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

5. लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमान्त धन योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुन:स्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- रु० से बढ़ाकर 50,000/- रु० कर दिया गया है।

6. कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद राहत योजना की भी घोषणा की गयी। यह योजना किसी भी एकक पर लागू होगी जिसमें किसी भी पिछले पांच लेखा वर्षों में अधिकतम निवल मूल्य 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संचित हानियों द्वारा कम हुआ है। उक्त एकक की पुनर्स्थापना आधुनिकीकरण अथवा दिशांतरण पैकेज निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण पाने के हकदार होंगे जिसके लिए राहत अवधि 3 वर्ष होगी और इसे 7 वर्षों के भीतर अदा करना होगा जो इस योजना के स्वीकृति होने के बाद 3 वर्षों के लिए इसके वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50 प्रतिशत होगा। दिए गए ऐसे "उत्पाद ऋणों" की कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/निशान्तरण की कुल लागत से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

7. एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की जा रही है जो अत्यन्त लघु और लघु उद्योगों के लिए एपेक्स बैंक के रूप में करेगा। इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 250 करोड़ रुपए होगी इसे आई० डी० बी० आई० द्वारा दिया जायेगा।

विवरण

जून, 1988 के अन्त में लघु उद्योग और गैर-लघु उद्योग श्रेणी के रुग्ण एककों का राज्यवार वर्गीकरण :—

(करोड़ रुपये)

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र	रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या	बकाया राशि	गैर-लघु उद्योग रुग्ण एकक	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6
1.	असम	11,438	24.27	4	6.64
2.	मेघालय	657	1.02	1	1.24
3.	मिजोरम	151	0.32	—	—
4.	बिहार	14,567	78.54	30	75.26
5.	अरुणाचल प्रदेश	13	0.03	—	—
6.	प० बंगाल	22,738	186.73	163	467.59
7.	नागालैंड	511	0.83	—	—
8.	मणीपुर	1,249	1.72	—	—
9.	उड़ीसा	9,125	33.41	12	36.52
10.	सिक्किम	71	0.36	—	—
11.	त्रिपुरा	792	1.55	1	0.80
12.	अण्डमान और निकोबार	—	—	—	—
13.	उत्तर प्रदेश	22,499	171.94	70	155.33
14.	दिल्ली	3,288	115.02	23	49.74
15.	पंजाब	2,699	53.20	22	14.14
16.	हरियाणा	2,212	46.26	34	53.37
17.	चण्डीगढ़	238	6.60	24	41.84
18.	जम्मू और कश्मीर	2,671	12.05	1	15.34
19.	हिमाचल प्रदेश	731	7.12	9	9.17
20.	राजस्थान	10,362	49.78	43	93.11

1	2	3	4	5	6
21.	गुजरात	5,421	144.41	124	402.79
22.	महाराष्ट्र	15,959	371.89	255	866.69
23.	दमन और द्वीव	3	0.13	—	—
24.	गोवा	779	10.46	16	18.28
25.	दादर और नगर हवेली	4	0.11	1	0.57
26.	मध्य प्रदेश	12,407	61.77	36	91.31
27.	आंध्र प्रदेश	18,277	149.53	69	128.06
28.	कर्नाटक	8,494	120.15	76	153.18
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
30.	तमिलनाडु	31,245	201.92	112	229.92
31.	केरल	18,554	126.66	33	112.49
32.	पाण्डिचेरी	281	2.07	3	2.50
	योग :	2,17,436	1,979.85	1,172	3,025.88

पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट

2044. **श्री राघवजी :**

श्री कंकर मुंजारे :

श्री कैलाश मेघवाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट करने की संभावनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल का मिलावट रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार कितने मामलों का पता लगाया गया और कितने मामले दर्ज किए गए ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) मिट्टी के तेल के साथ पेट्रोल और डीजल को मिलाने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(I) पेट्रोल पम्पों पर फिल्टर-पेपर परीक्षण

(II) सप्लाई तथा प्राप्ति दोनों स्थानों पर एच० एस० डी० के ताप तथा घनत्व की रिकार्डिंग

(III) फुरफुरल के साथ मिट्टी के तेल को मिलाना

(IV) पेट्रोल पम्पों पर अचानक जांच के लिए चलते-फिरते प्रयोगशाला को लागू करना

(V) तेल कंपनी के अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पम्पों और मिट्टी के तेल की एजेंसियों का नियमित निरीक्षण।

(VI) आवश्यक वस्तुएं अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों को वितरण तथा आवश्यक वस्तुओं के व्यापार तथा किसी आकस्मिक एवं पूरक मामलों के नियंत्रण की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ग) संलग्न विवरण पत्र में पिछले एक वर्ष अर्थात अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा पता लगाए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

508 मामलों में से 90 मामले उत्पाद में मिश्रण से सम्बन्धित हैं और शेष मामले अन्य कदाचारों से सम्बन्धित हैं। उत्पाद में मिश्रण से सम्बन्धित मामलों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

राज्य	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	92
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	0
बिहार	11
चण्डीगढ़	0
गुजरात	39
गोआ	2
हरियाणा	17
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	1
कर्नाटक	4
केरल	16
महाराष्ट्र	54

1	2
मध्य प्रदेश	49
मणिपुर	0
मिजोरम	0
नागालैंड	0
नई दिल्ली	4
उड़ीसा	3
पंजाब	69
पांडिचेरी	0
राजस्थान	9
तमिलनाडु	18
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	97
पश्चिम बंगाल	19
कुल	508

देश में विद्युत की मांग और उपलब्धता

[अनुवाद]

2045. प्रो० महादेव शिवनकर ।

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री राम प्रसाद चौधरी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत की कुल मांग कितनी है और विद्यमान विद्युत संयंत्रों से विद्युत की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध होती है;

(ख) चालू योजना के दौरान विभिन्न चरणों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु चालू विद्युत परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इस प्रकार विद्युत की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) अप्रैल-जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान, देश में ऊर्जा की मांग 86303 मिलियन यूनिट थी जबकि इसकी उपलब्धता 79744 मिलियन यूनिट थी ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

आठवीं योजना तथा परवर्ती अवधि के दौरान समकालिक किए जाने हेतु स्वीकृत स्कीमें

परियोजना/क्षेत्र/ राज्य का नाम	कुल प्रतिस्थापित क्षमता (मे० वा०)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	
बादूपुर	10.00
पानीपत यूनिट-6	210.00
जोड़ हरियाणा	220.00
हिमाचल प्रदेश	
बसेर	12.00
गज	110.50
भारजी	126.00
बनखी	22.50
थिरोट	4.50
उहल-तीन	70
जोड़ हिमाचल प्रदेश	245.50
पंजाब	
बीन बांध	600.00
यू० बी० बी० सी०-दो	45.00
बारीवाल	3.00
रोपड़ थरम-तीन	420.00
जोड़ पंजाब	1068.00
उत्तर प्रदेश	
विष्णु प्रयाग	480.00
मकवर व्यासी	300.00, 120.00
मनेरी-दो	304.00

1	2
श्रीनगर	330.00
सोबला	6.00
कन्चौती	2.00
कुलगढ़	1.20
कोटाबाग	0.20
अनपारा "बी"	1000.00
ऊंचाहार विस्तार	420.00
टांडा यूनिट-4	440.00
जोड़ उत्तर प्रदेश	3403.40
राजस्थान	
जाखाम	5.50
माही आर० एम० सी०	0.80
इटावा	0.50
धौरसालपुर	0.91
चरणवास	1.20
पुगल	1.50
कोटा यूनिट-5	210.00
रामगढ़ जी० टी०	3.00
जोड़ राजस्थान	223.41
जम्मू एवं कश्मीर	
अपर सिंध चरण-2	70.00
अपर सिंध दो यूनिट-3	35.00
कारगिल	3.75
पहलगाम	3.00
जोड़ जम्मू व कश्मीर	111.75
केन्द्रीय क्षेत्र	
पुलहस्ती	390.00

1	2
चमेरा I	540.00
टिहरी	1000.00
टनकपुर	120.00
नाथपा झाकरी	1500.00
उरी	480.00
सलाल दो	345.00
एन० सी० टी० पी० पी०	840.00
दाबरी सी० सी० जी० टी०	525.00
	292.00
आर० ए० पी० पी० एक्सटेंशन	470.80
एन० ए० पी० पी०	470.00
जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र	6972.20
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	1200.00
सरदार सरोवर	250.00
गुजरात	
कडाना पी० एस० एस० दो	120.00
पनाम नहर	2.00
धारोई आर० बी० ब आर० बी० सी०	2.00
	0.60
धमनगंगा	1.00
कच्छ लिग्नाईट	140.00
गांधीनगर विस्तार	210.00
सिक्का विस्तार	120.00
कच्छ लिग्नाईट विस्तार	70.00
जोड़ गुजरात	665.60
मध्य प्रदेश	
बीरसिंहपुर	20.00

1	2
हसदेव	120.00
बोधघाट	500.00
बानसागर टोन्स	315.00
	30.00
	60.00
टावा एल० बी० सी०	12.00
भीमगढ़	2.40
बारना	1.50
नर्मदा सागर	1000.00
बीरसिंहपुर	420.00
बीरसिंहपुर विस्तार	420.00
पेंच	420.00
जोड़ मध्य प्रदेश	3320.90
महाराष्ट्र	
भंडारदारा	10.00
	34.00
उज्जैनी	12.00
मानिकडोह	6.00
कनहेर	4.00
सूर्या	6.00
डिम्भे	5.00
बारना	16.00
कोयना चरण-4	1000.00
धूपगंगा	24.00
सूर्या आर० बी० सी०	0.75
मजेलगांव	2.25
करंजवान	3.00
चन्द्रपुर यूनिट 5 व 6	1000.00
खाप्परखेड़ा विस्तार	420.00

1	2
उरण डब्ल्यू० एच० यूनिट 1, 2 व 3	360.00
जोड़ महाराष्ट्र	2903.00
गोवा	
अम्जुनेम	1.20
सलोलिया	2.00
जोड़ गोवा	3.20
केन्द्रीय क्षेत्र	
कवास गैस सी० सी० टी०	400.00
	200.00
काकरपारा	470.00
विंध्याचल	1260.00
जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र	2330.00
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	
बलिमेला	60.00
अपर सिलेरू दो	120.00
श्रीसैलम एल० बी० पी० एच०	990.00
पन्ना एहोबिलम	20.00
एन० आर० सागर एल० बी० सी०	60.00
मंटूर नहर	4.00
मुद्दानर	420.00
विजेश्वरम सी० सी० जी० टी०	99.00
जोड़ आंध्र प्रदेश	1773.00
कर्नाटक	
घाटप्रभा	32.00
कालीनदी दो	120.00
	150.00
शिवपुर	18.00

1	2
माल्लापुर	9.00
वराही	230.00
	9.00
गंगवाली	210.00
शरावती टी० आर०	240.00
मदूर नहर	1.50
रायचूर यूनिट 3 व 4	420.00
डीजल सैट्स	78.00
बंगलौर डी० जी०	128.00
जोड़ कर्नाटक	1645.50
केरल	
कक्कड़	50.00
लोअर परियार	180.00
शुद्धपट्टी	2.00
मलायपूझा	2.50
मवट्टापूझा	6.00
चिमौनी	2.50
पूयानकूट्टी	240.00
काल्लाडा	15.00
पिप्पाड़ा	3.00
पोरिंगलकुथू	16.00
कुटियाडी	2.50
जोड़ केरल	519.50
तमिलनाडु	
कुंडाह 5 विस्तार	30.00
सथानूर बांध	15.00
पायकारा अल्टीमेट	150.00
लोअर भवानी माइक्रो	8.00
तूतीकोरिन विस्तार	420.00

1	2
उत्तरी मद्रास	630.00
बेसिन ब्रिज जी० टी०	120.00
जोड़ तमिलनाडु	1373.00
केन्द्रीय क्षेत्र	
नेवेली दो माइन विस्तार	840.00
नेवेली दो विस्तार यूनिट-०	210.00
कायगा	470.00
जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र	1520.00
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	
उत्तरी कोइल	24.00
चांदिल	8.00
तेनू बोकारो	1.00
सोन पूर्वी नहर	3.30
सोन पश्चिमी नहर	6.60
पूर्वी मंडक नहर	15.00
तेनूघाट	420.00
तेनूघाट विस्तार	630.00
जोड़ बिहार	1107.90
डी० वी० सी०	
बोकारो "बी" विस्तार	420.00
मेजिया	630.00
जोड़ डी० वी० सी०	1050.00
उड़ीसा	
अपर इन्द्रावती	600.00
पोट्टेक	6.00
रेंगाली विस्तार	150.00
अपर कोलाब विस्तार	80.00
इब ता० वि० केन्द्र	840.00

1	2
जोड़ उड़ीसा	1676.00
सिक्किम	
म्यांग्चू	4.00
अपर रोंग्नीचू	8.00
जोड़ सिक्किम	12.00
पश्चिम बंगाल	
राम्मम	50.00
तीस्ता प्रपात I	22.50
तीसता प्रपात 2-4	45.00
सी०ई०एस०सी० प्रतिष्ठापन	135.00
कोलाघाट विस्तार	630.00
बक्रेश्वर	630.00
जोड़ पश्चिम बंगाल	1512.50
केन्द्रीय क्षेत्र	
कोइलकारो	690.00
फरक्का चरण-2	20.00
फरक्का चरण 3 यू-6	1000.00
कहलगांव	500.00
तलचेर सुपर ताप विद्युत	840.00
स्कीम	1000.00
जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र	4050.00
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
असम	
लोअर बोरपानी	100.00
ब्रानसिरि	19.95
लाकवा जीटी फेज 2	60.00
लाकवा अपशिष्ट ऊष्मा	22.00
बोरगोलाई	60.00
जोड़ असम	261.95

1	2
मणिपुर	
थोउबाल	7.50
वूनिंग	1.00
जोड़ मणिपुर	8.50
मेघालय	
उमियम उमतरू	60.00
नागालैंड	
लिकिमरो	24.00
मीपको	
दोयंग	75.00
रांगानादी	405.00
गारो हिल्स	60.00
कैथालगुड़ी सीसो	270.00
जोड़ मीपको	810.00

8वीं योजना तथा परवर्ती अवधि के दौरान समकालित किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीमें

स्कीम का नाम	कुल क्षमता (मे०वा०)
उत्तरी क्षेत्र	
हिमाचल प्रदेश	
कोल बांध	600.00
जोड़ हिमाचल प्रदेश	800.00
जम्मू और कश्मीर	
राजौरी	3.00
चनानी यू-2 और 3	2.00
	4.00
सेवा चरण-3	6.00
पाम्पोर 2 जीटी	100.00
जोड़ जम्मू और कश्मीर	115.00

1	2
पंजाब	
शाहपुरकान्डी	94.00
एस०वाई०एल० नहर	36.00
	14.00
यू० बी० डी० सी० III	30.00
भटिण्डा टी०पी०एस०	420.00
जोड़ पंजाब	594.00
उत्तर प्रदेश	
लौहारी नागपाला	282.00
पाला मानेरी	400.00
राजघाट 50% शेयर	22.50
खाराहो	72.00
बाबेल	3.09
जोड़ उत्तर प्रदेश	779.50
दिल्ली	
डेसू अपशिष्ट उष्मा	90.00
जोड़ दिल्ली	90.00
केन्द्रीय क्षेत्र	
सावलकोट	600.00
बगलिहार	450.00
चमेरा II	300.00
धौलीगंगा	280.00
टिहरी चरण II	1000.00
कोटेश्वर	400.00
रिहन्द विस्तार	1000.00
यमुना नगर	840.00
बिरसिंघसार लिग्नाईट	240.00
अन्ता सी०सी०जी०टी०	300.00
	130.00
जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र	5540.00

1	2
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	
वातवा सी०सी०जी०टी०	67.00
	35.00
ग्रुटरात सी०सी०जी०टी०	90.00
	45.00
गांधी नगर सी०सी०जी०टी०	600.00
जोड़ गुजरात	837.00
मध्य प्रदेश	
राजघाट 50% शेयर	22.50
महेश्वर	400.00
जोड़ मध्य प्रदेश	422.00
महाराष्ट्र	
घाटघार पी०एस०एस०	250.00
भीरा पी०एस०एस०	150.00
चन्द्रपुर यू-7	500.00
जोड़ महाराष्ट्र	900.00
केन्द्रीय क्षेत्र	
विन्ध्याचल विस्तार	1000.00
चन्द्रपुर एस०टी०पी०एस०	1000.00
जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र	2000.00
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	
आलापुट बांध (50%)	9.00
जोड़ आंध्र प्रदेश	9.00
केरल	
अन्नाकायम	8.00
जोड़ केरल	8.00

1	2
तमिलनाडु	
पाराळायर	25.00
जोड़ तमिलनाडु	25.00
पांडिचेरी	
कारेकाल ओ०सी०जी०टी०	15.00
	7.50
जोड़ पांडिचेरी	22.50
केन्द्रीय क्षेत्र	
नैवेली आई०एम०सी० विस्तार	420.00
मंगलौर टी०पी०एस०	420.00
कायमकुलम	420.00
जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र	1260.00
पूर्वी क्षेत्र	
उड़ीसा	
जालापुट बांध (50%)	9.00
जोड़ उड़ीसा	9.00
दामोदर घाटी निगम	
मैथान आर०बी०सी०	840.00
जोड़ दामोदर घाटी निगम	840.00
केन्द्रीय क्षेत्र	
रणजीत II	60.00
उत्तर करनपुरा	1000.00
जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र	1060.00
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
असम	
अंगूरी में गैस आधारित ताप विद्युत स्कीम	360.00
जोड़ असम	360.00
मिजोरम	
सेरछुई	9.00

1	2
अरुणाचल प्रदेश	
[illegible]	6.00
नीपको और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	
रोखिया जी०टी०	80.00
कथालगुरी पी०एस०एस०	120.00
कोपिली विस्तार	100.00
जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र	300.00

8वीं योजना तथा परवर्ती अवधि के दौरान समकालिक किए जाने हेतु स्वीकृत स्कीमें

स्कीम का नाम	राज्य	कुल क्षमता (मे०वा)
उत्तरी क्षेत्र		
फरीदाबाद सी०सी०जी०टी०	रा०ता०वि०नि०/हरियाणा	520.00 280.00
डब्ल्यू०वाई०सी० चरण-III	हरियाणा	16.00
जोड़ (उ० क्षे०)		816.00
पश्चिमी क्षेत्र		
कवास सी०सी०जी०टी०	गुजरात	476.00 274.00
कोरबा पश्चिम यू-5 और 6	मध्य प्रदेश	420.00
बी०एस०ई०एस०	महाराष्ट्र	500.00
गांधार सी०सी०जी०टी०	रा०ता०वि०नि०/गुजरात	440.00 210.00
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)		2320.00
दक्षिणी क्षेत्र		
डिगीर	आंध्र प्रदेश	15.00
विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	1000.00
विजयवाड़ा III	आंध्र प्रदेश	420.00
कोचीन सी०सी०जी०टी०	केरल	60.00

1	2	3
गोदावरी सी०सी०जी०टी०	रा०ता०वि०नि०/आंध्र प्रदेश	520.00
		280.00
जोड़ (द० क्षे०)		2325.00
पूर्वी क्षेत्र		
कालेज खोला	सिक्किम	2.00
जालधाका I विस्तार	पश्चिम बंगाल	9.00
जालधाका II विस्तार	पश्चिम बंगाल	4.00
पटना ताप विद्युत स्कीम	बिहार	135.00
गौरपुर	पश्चिम बंगाल	120.00
जोड़ (पू० क्षे०)		270.00
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र		
केन्द्रीय क्षेत्र		
त्रिपुरा में गैस आधारित ताप विद्युत स्कीम	रा०ता०वि०नि०/ त्रिपुरा	500.00
जोड़ (उ०पू०क्षे०)		500.00

पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन में तेल एवं गैस की खोज

2046. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए आधे दर्जन से भी अधिक परीक्षण स्थलों का पता चलता है;

(ख) क्या पता लगाये गए उक्त स्थलों से गंडक बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस निकालने की सम्भावनाओं का पता चलता है;

(ग) क्या सरकार का गंडक बेसिन में बिना खोजे गए शेष परीक्षण स्थलों में ड्रिलिंग कार्य जारी रखने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तीन परीक्षण स्थलों पर खुदाई की गई है और एक और स्थल खुदाई हेतु उपलब्ध है। तथापि, अब तक कोई हाइड्रोकार्बन होने के संकेत नहीं मिले हैं। तेल और गैस उत्पादन के लिए इस क्षेत्र की सम्भावना के बारे में टिप्पणी करना समयपूर्व होगा।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को क्षेत्र निर्धारित स्थानों की खुदाई करने की योजना है।

आयल इण्डिया लिमिटेड ने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में पड़ने वाले बंडक बेसिन में लगभग 33020 वर्ग कि०मी० क्षेत्र के ब्लाक के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस हेतु राज्य सरकारों का आवेदन किया है और 8वीं योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र में भूकम्पी सर्वेक्षण कराने और कुछ अन्वेषी खुदाई कराने की योजना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अगरतला और कलकत्ता के बीच विमान सेवायें

2047. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगरतला और कलकत्ता के बीच पर्याप्त विमान सेवा न होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय इण्डियन एयरलाइन्स ए-320 सेवाओं के बन्द किए जाने के कारण विमान क्षमता की भारी कमी का सामना कर रही है। ए-320 विमानों की सेवाएं पुनः शुरू किए जाने के पश्चात इण्डियन एयरलाइन्स का अगरतला-कलकत्ता सैक्टर पर सीट क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वायुदूत पहले ही इस सैक्टर पर दैनिक एफ-27 सेवाएं तथा सप्ताह में तीन दिन डोर्नियर सेवाएं परिचालित करती है।

बंगलौर और दिल्ली के बीच रेलगाड़ी

2048. **श्री सी० पी० मुद्दाल गिरियप्पा** :

श्री वी० कृष्ण राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और दिल्ली के बीच प्रतिदिन एक ही रेलगाड़ी चलती है;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी में भारी भीड़ रहती है और प्रतीक्षा सूची भी काफी लम्बी होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस गाड़ी के डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब से; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ यात्री प्रतीक्षा-सूची में रह जाते हैं।

(ग) गाड़ी पहले ही 21 बोगियों से चल रही है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम सेंट्रल स्टेशन पर कम्प्यूटर टर्मिनल

2049. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए मूल प्रस्ताव में कितने कम्प्यूटर टर्मिनल मंजूर किये गए थे;

(ख) क्या इस स्टेशन से कुछ कम्प्यूटर टर्मिनलों को अन्य स्टेशनों में स्थानांतरित किये जाने का कोई नया प्रस्ताव रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) त्रिवेन्द्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली के स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत 11 आरक्षण टर्मिनलों, 1 पूछताछ टर्मिनल तथा 4 सेवा टर्मिनलों का अनुमोदन किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के अधीनस्थ उत्पादन केन्द्र

2050. **श्री पी० सी० थामस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में केन्द्र सरकार के विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के अधीन राज्य-वार स्थापित उत्पादन केन्द्रों का ब्योरा क्या है;

(ख) उनमें से विशेषकर केरल में, कितने केन्द्र लाभ में चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का घाटे में चल रहे केन्द्रों में उत्पादन की किस्मों को बदलने का विचार है;

(घ) केरल में मुवात्तुपुझा में स्थित विस्तार केन्द्र की स्थिति क्या है और इसमें कुल कितना निवेश किया गया है;

(ङ) क्या विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की किसी समिति ने वहां की समस्याओं की जांच तथा अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो इसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र सेठा) : (क) विकास आयुक्त (लघु उद्योग), भारत सरकार के अधीन सारे देश में केवल दो उत्पादन केन्द्र हैं। ये दो केन्द्र केरल राज्य में एट्टुमानूर और तिरुवल्ला में स्थित हैं।

(ख) कोई नहीं।

(घ) मुवात्तुपुझा के विस्तार केन्द्र पर 1989-90 के दौरान 0.39 लाख रुपये का उत्पादन और विक्रय हुआ। 17 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण मिला तथा 1989-90 में परिचालन व्यय 4.42 लाख रुपये हुआ। इस केन्द्र में किये गये निवेश निम्नांकित हैं :—

1. भूमि की लागत	8604 रुपये
2. भवन की लागत	46523 रुपये
3. मशीनों की लागत	228240 रुपये

(ग), (ङ) और (च) प्रस्ताव है कि एट्टुमानूर तथा तिरुवल्ला के उत्पादन केन्द्रों और एट्टिंगल तथा मुवात्तुपुझा के विस्तार केन्द्रों को दो प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाए। प्रशिक्षण और उत्पाद विकास पर बल दिया जाएगा। समस्याओं को समझने, इन केन्द्रों के अन्तिम रूप की सिफारिश करने तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के तरीके सुझाने हेतु अभी हाल ही में अधिकारियों का एक दल गठित किया गया है। अधिकारियों के इस दल ने अभी इन केन्द्रों का निरीक्षण नहीं किया है तथा उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

जबलपुर-गोंदिया रेलवे लाइन का नवीकरण

[हिन्दी]

2051. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-गोंदिया रेलवे लाइन के नवीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी लागत आएगी और यह परियोजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब और हरियाणा में ऊपरि पुल

[अनुवाद]

2052. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे द्वारा निकट भविष्य में पंजाब और हरियाणा में कितने ऊपरि पुलों का निर्माण किया जायेगा और इनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा तथा प्रत्येक पुल को पूरा किये जाने सम्बन्धी चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : पंजाब और हरियाणा के सभी 15 स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण निकट भविष्य में किया जाना है। अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

विवरण

पंजाब और हरियाणा में 15 ऊपरी सड़क पुलों पर निकट भविष्य में किए जाने वाले निर्माण कार्य का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	कार्य का विवरण	कार्य के पूरा होने का सम्भावित समय लक्ष्य
	पंजाब	
1.	लुधियाना के निकट ऊपरी सड़क पुल	1991-92
2.	भटिंडा के निकट ऊपरी सड़क पुल	1991-92
3.	पटियाला के निकट ऊपरी सड़क पुल	1992-93
4.	डिंघवा के निकट ऊपरी सड़क पुल (पुनर्निर्माण)	1991-92
5.	शेरपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल	1991-92
6.	फगवाड़ा (जी० टी० रोड) के निकट ऊपरी सड़क पुल	1991-92
7.	चहेरू के निकट ऊपरी सड़क पुल	1991-92
	हरियाणा	
8.	रोहतक के निकट ऊपरी सड़क पुल	1990-91
9.	पानीपत के निकट ऊपरी सड़क पुल (कि०मी० 88/89 पर समपार सं० 53-बी के बदले)	अभी तक निर्धारित नहीं।
10.	पानीपत के निकट ऊपरी सड़क पुल (कि०मी० 86.979 पर समपार सं० 51-ए के बदले)	अभी तक निर्धारित नहीं।
11.	सोनीपत के निकट ऊपरी सड़क पुल	अभी तक निर्धारित नहीं।
12.	हिसार के निकट ऊपरी सड़क पुल	1992-93
13.	करनाल के निकट ऊपरी सड़क पुल	रेलवे का भाग पूरा हो गया है। पुल के पहुंच मार्गों को पूरा करने की समय सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।
14.	फरीदाबाद (बड़खल) में ऊपरी सड़क पुल	अभी तक निर्धारित नहीं।
15.	बल्लभगढ़ में ऊपरी सड़क पुल	अभी तक निर्धारित नहीं।

उपर्युक्त निर्माण रेलवे और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पूरे किये जाने हैं।

मीनार एक्सप्रेस में सोलापुर से बम्बई तक का आरक्षण कोटा

2053. श्री एस० बी० पोरड : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीनार एक्सप्रेस में सोलापुर से बम्बई और बम्बई से सोलापुर के लिए वातानुकूलित शयनयान में कोई आरक्षण कोटा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार का वातानुकूलित शयनयान में सोलापुर से बम्बई आने-आने के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) सोलापुर 2101 मीनार एक्सप्रेस द्वारा यात्रा करने के लिए वातानुकूल शयनयान में चार शायिकाओं का कोटा उपलब्ध है। सोलापुर तक उपलब्ध स्थान का उपयोग बम्बई में सोलापुर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को बुकिंग के लिए किया जाता है। विपरीत दिशा में बम्बई के लिए सोलापुर को कोई कोटा नहीं दिया गया है क्योंकि बम्बई के लिए प्रारम्भिक स्टेशन से या सोलापुर से पहले के स्टेशनों से सीधे बम्बई आने वाले यात्रियों द्वारा आरक्षित स्थान का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।

ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की लागत लेखा परीक्षण रिपोर्ट

2054. श्री सुधाम वसन्तराव देशमुख :

श्री वसंत साठे : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों ने गत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम के अधीन वर्ष-वार लागत लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों की लागत लेखा परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार उनकी अन्तिम उत्पादन लागत की समरी प्रकाशित करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों को शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने का निदेश देने का है जिससे कि शेयर-धारक इन कम्पनियों की वार्षिक स्थिति से अवगत हो सकें ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अन्तर्गत गत 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख की उपधारा (10) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार उस कम्पनी को जिसके लागत रिकार्डों की लेखा परीक्षा हो चुकी है, इसके सदस्यों को लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के प्रस्तुत किए जाने के बाद पहली बार वार्षिक सामान्य बैठक किए जाने के नोटिस के साथ उक्त रिपोर्ट का पूर्ण या उतना भाग जितना कि इसके निमित्त विनिर्दिष्ट हो, शेयर-धारियों को करने का निदेश दे सकती है। तथापि, सभी कम्पनियों को, अपने सदस्यों को लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट वितरित करने हेतु निदेश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वित्तीय वर्ष	लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों की संख्या
1	2
1985-86	433
1986-87	391
1987-88	421
1988-89	415
1989-90	477

मध्य प्रदेश में कोयला भंडार एकक

[हिन्दी]

2055. श्री एस० सी० वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में कुल कितने भंडार एकक स्थापित किए गए हैं और इनमें से वस्तुतः कितने एकक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन कोयला भंडार एककों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन एककों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) कोल इंडिया लि० के कोयला के 4 स्टाकयार्ड मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें से भोपाल, कटनी, इंदौर तथा रायपुर में एक-एक स्टाकयार्ड कार्यरत है।

(ख) कोल इंडिया लि० का दो और कोयले के स्टाकयार्ड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, अर्थात् जबलपुर तथा ग्वालियर में एक-एक स्टाकयार्ड स्थापित किए जाने का।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कोयले का सर्वेक्षण

[अनुवाद]

2056. श्री एस० सी० वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दशक पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कोयला निकाला गया था, और यदि हां, तो वहां पर किस किस्म का कोयला पाया गया था;

(ख) क्या सरकार ने नरसिंह पुर जिले में उपलब्ध कोयले का खनन करने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मोहापानी कोयला क्षेत्रों की खानों में कोयले का खनन कार्य वर्ष 1862 से 1927 के दौरान किया जाता था। पुरानी रिपोर्टों तथा रिकार्डों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उक्त अवधि के दौरान लगभग 1.70 मि० टन उच्च कोटि का अ-कोककर कोयले का उत्खनन किया गया।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मोहापानी कोयला क्षेत्र लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर के लघु क्षेत्र का कोयलाधारी क्षेत्र है और यह क्षेत्र भू-गर्भीय तौर बहुत अस्त-व्यस्त है। इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि अन्वेषण कार्य बहुत किफायती किया जाना है।

बिहार में कोयले पर रायल्टी

[हिन्दी]

2057. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 तक बिहार में कोयला खानों से निकाले गए कोयले की लागत पर रायल्टी दी जाती थी किन्तु वर्ष 1971 के बाद ये रायल्टी कोयले के वजन के आधार पर दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो जिस प्रकार असम अथवा गुजरात में कोयले के वर्तमान मूल्य पर रायल्टी दी जा रही है, उसी प्रकार कोयले के वर्तमान मूल्य के आधार पर रायल्टी देने से बिहार की वार्षिक आय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) यह सही है कि वर्ष 1971 के बाद से कोयले की रायल्टी की दरें टन के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। कोयले की रायल्टी की दरों के संशोधन के मामले पर विचार करने के लिए गठित किए विभिन्न अध्ययन दलों की यह राय थी कि यथा मूल्य निर्धारण के लिए, खान मुहाना कीमत का सही निर्धारित किया जाना आवश्यक है जो कि न केवल एक कठिन कार्य है अपितु इसके कारण राज्यों तथा बड़े उपभोक्ताओं के साथ विवाद होने की भी संभावना होगी। इस कार्य में अनियमितता भी आएगी चूंकि नई खानों, जहां प्रति टन पूंजीगत निवेश अपेक्षाकृत काफी अधिक था, की तुलना में कम पूंजीगत निवेश वाली पुरानी खानों में कोयला उत्पादन की मुहाना कीमत कम होगी।

कोयले की रायल्टी की दरों का निर्धारण कोयले के ग्रेडों के आधार पर किया जाता है और न कि इन दरों में परिवर्तन उन राज्यों के अनुसार किया जाता है जिनमें उक्त कोयले का उत्पादन किया गया है।

तरल गैस की बिक्री आरम्भ करना

[अनुवाद]

2058. श्री के० एस० राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में तरल गैस नामक खाना पकाने की एक नई गैस की बिक्री आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान एल० पी० जी० गैस के मुकाबले इस नई "तरल गैस" के क्या फायदे हैं; और

(घ) यह तरल गैस बाजार में कब और किसके द्वारा निर्बाध रूप से उपलब्ध करायी जाएगी और इसका मूल्य कितना होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पैराक्सिलीन का आयात

2059. **श्री के० एस० राव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डी० एम० टी० और पी० टी० ए० के उत्पादन हेतु वर्ष 1989-90 के दौरान इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लि० ने पैराक्सिलीन का कितनी मात्रा में आयात किया है,

(ख) पैराक्सिलिन के आयात में कितनी विदेशी मुद्रा अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या देश में पैराक्सिलीन के भारी मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० ने पैराक्सिलीन के आयात हेतु जापान की मित्सुई कंपनी से कोई सौदा किया है;

(घ) यदि हां, तो इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लि० के माध्यम से पैराक्सिलीन की कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है, और

(ङ) देश में उत्पादित पैराक्सिलीन उपलब्ध होने के बावजूद इसका आयात किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ङ) मांग और पूर्ति के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए आई० पी० सी० एल० ने एक सरणीबद्ध एजेंसी के रूप में डी० एम० टी० के उत्पादकों के लिए 1989-90 में 42199 मी० टन पैराक्सिलीन का आयात किया। इसमें 28.419 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त थी। इसमें मेसर्स मित्सुई से दो पार्सल शामिल थे।

नए क्षेत्रों में ड्रिलिंग

2060. **श्री के० एस० राव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का ऐसे नए क्षेत्रों में जहां तेल की अभी तक समुचित रूप से खोज नहीं की गई है, तेल की खोज के लिए ड्रिलिंग कार्य आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल के नए खोज कार्य पर अनुमानत: कितना व्यय किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक अन्वेषित नए क्षेत्रों को अन्वेषी/परिभाषी ड्रिलिंग के लिए लिया जा रहा है। ये स्थान हैं— मध्य प्रदेश में तमिया, अनहोनी, दीवारी तथा जाबरा, महाराष्ट्र में पदमपुर तथा उमर्दी और आंध्र प्रदेश में नगराम तथा अड्डरावपेट।

उपर्युक्त नए क्षेत्रों के अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों के अन्वेषी ड्रिलिंग का काम भी हाथ में लिया गया है, जैसे — राजस्थान का मेजलर और शाहगढ़ उप बेसिन, बम्बई अपतटीय शैल्फ का उत्तर-पश्चिमी भाग, ऊपरी असम में चनसोरी घाटी, पूर्वी त्रिपुरा और दक्षिणी कछार, तातीपाका दक्षिण-पूर्व क्षेत्र, कृष्णा-गोदावरी बेसिन का पसरलापुड़ी क्षेत्र, कैम्बे का शल्फ, गुजरात तट के साथ-साथ का क्षेत्र खाटर, कैम्बे बेसिन में डीप डिप्रेशन की पूर्वी सीमान्त, उत्तरी गुजरात में पाटन डिप्रेशन।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान ऐसे क्षेत्रों में लगभग 30.00 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है।

मंगलौर तेल शोधनशाला की क्षमता बढ़ाना

2061. श्री के० एस० राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर तेल शोधनशाला की क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ग) तेल शोधनशाला पर उसकी मूल क्षमता की दृष्टि से अनुमानत: कितना अर्थ आता है और क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि की दृष्टि से कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) इस समय मंगलौर में कोई रिफाइनरी नहीं है। तथापि, 3 मि० टन प्रतिवर्ष क्षमता की एक नई रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० और इण्डियन रेयन एण्ड इंडस्ट्रीज लि० की एक सह-भागीदारी में एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी मार्च, 1989 में निगमित की गई। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1988 में प्रस्तुत की गई। यह प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड के विचारार्थ अगस्त, 1989 में प्रस्तुत किया गया। एक संशोधित प्रस्ताव अगस्त, 1990 में सार्वजनिक निवेश बोर्ड के विचारार्थ भेजा गया।

रसोई गैस के मूल्यों में कमी

2052. श्री मुत्तायलली रामचन्द्रम : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस के मूल्यों में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) रसोई गैस को एक मुख्य ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एल० पी० जी० को मुख्य ईंधन के रूप में बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० और हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० को घाटा

2063. श्री मदन लाल खुराना :

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० और हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० घाटे में चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन्हें कितना घाटा हुआ है और यह घाटे होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान ये हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) को कोई घाटा नहीं हुआ है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान आई० डी० पी० एल० को हुए शुद्ध घाटे निम्न प्रकार है :

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	शुद्ध घाटा
1987-88	30.22
1988-89	46.42
1989-90 (अस्थाई)	48.21

आई० डी० पी० एल० को हुए घाटों के कारणों में भारी ब्याज देयता, श्रमिकों की कम उत्पादकता, अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि, बिजली शुल्क में वृद्धि, वेतन और मजदूरी में वृद्धि, बाजार सम्बन्धी रुकावटें, बिजली बन्द होना/बिजली की अनियमित सप्लाई आदि शामिल हैं।

केरल में रसोई गैस कनैक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

2064. श्री टी० बशीर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार केरल में, जिला-वार, रसोई गैस के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे; और

(ख) इन पंजीकृत व्यक्तियों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश भर में नये एल० पी० जी० कनेक्शन उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के तहत एक चरणबद्ध तरीके से जारी किये जाते हैं बशर्ते कि एल० पी० जी० उपलब्ध हो। इसकी उपलब्धता को बढ़े हुए उत्पादन और आयात के जरिए बढ़ाया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	जिला	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की लम्बित संख्या (31-3-90 को)
1.	त्रिवेन्द्रम	16172
2.	क्विलोन	8956
3.	पथानामथिटा	13372
4.	ऐलेगी	11473
5.	कोटयाम	20237
6.	इडुकी	3155
7.	इरानुकुलम	27542
8.	त्रिचूर	15017
9.	पल्लीघाट	9378
10.	मलापुरम	3365
11.	कालीकट	11868
12.	कैन्नोर	7882
13.	वायनाड	700
14.	कासरगोड	5134
		154245

जयनगर में भारतीय खाद्य निगम गोदाम तक रेल लाइन का विस्तार

[हिन्दी]

2 65. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत जयनगर

रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बों से, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक खाद्यान्न के लदान और उतराई के समय कितनी मात्रा में खाद्यान्न की चोरी की गई;

(ख) क्या खाद्यान्न की चोरी रोकने और अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बलों की तैनाती न किये जाने के लिए, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे ही डिब्बों में लदान सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान रेल लाइन का कुछ मीटर तक विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेल लाइन को बिछाने का कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बों से, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक खाद्यान्न के लदान और उतराई के समय खाद्यान्न की उठाईगीरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"भेल" के कर्मचारियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल

2066. श्री भोवेन्द्र झा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारी वहां चार माह से अधिक समय से कार्यरत ड्राफ्टमैनों के लिए प्रवेश स्तर रखने, सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को उपलब्ध पदोन्नति के अवसर और सुविधाओं के बराबर अवसर देने की मांग के लिए पिछले लगभग चार महीनों से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें पूरी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। बी०एच०ई०एल० भोपाल के "ड्राफ्टसमैन" श्रेणी के कर्मचारी 10-4-1990 से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मुख्य मांग अपने प्रवेश स्तर के उन्नयन की है

(ख) बी० एच० ई० एल० में यह विषय शिखर स्तर द्विपक्षीय फार्मूले के अन्तर्गत प्रोन्नति नीति के लिए गठित की गई उप समिति के विचाराधीन है।

सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को फ्लैट/प्लाट उपलब्ध कराना

[अनुवाद]

2067. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को फ्लैट/प्लाट उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) स्व वित्त पोषण के आधार पर सेवारत/सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के लिए मकानों/फ्लैटों की व्यवस्था करने हेतु सितम्बर, 1989 में रेल मन्त्रालय के संरक्षण भारतीय रेल कल्याण संगठन नामक एक संगठन की स्थापना की गयी है। यह संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का 21 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। रेल मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रमों के कर्मचारी भी इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं। सदस्यता के प्राथमिक पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31-8-1990 है। विनिष्ट योजनाओं के बारे में विज्ञापन बाद में जारी किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रामाणिक उड़ान योग्यता प्रमाण-पत्र के बिना इण्डियन एयरलाइंस की उड़ानें

2068. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली-बम्बई हवाई मार्ग सहित विभिन्न हवाई मार्गों पर अपने विमान प्रामाणिक उड़ान योग्यता प्रमाण-पत्र के बिना उड़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान तथा 1990 में अब तक उड़ानों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) इस अपेक्षा के उल्लंघन की कोई जानकारी सरकार को नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं है।

कर्नाटक के ताप विद्युत संयंत्र

2069. श्री अनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में कितने ताप विद्युत संयंत्र है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में किन-किन स्थानों पर नये ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) एक— रायचूर यूनिट 1 तथा 2 (प्रत्येक 210 मेगावाट)।

(ख) 8वीं योजना संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित परियोजनाओं को स्थापित किए जाने की सम्भावना है : —

(1) रायचूर यूनिट 3 तथा 4 (2×210 मेगावाट)

(2) कोलार, बिदर, जामखंडी और हुबली में जी० जी० सैट (12×6.4 मेगावाट) (स्कीम संशोधनाधीन है)

(3) येलहंका डी० जी० सैट (6 × 21.32 मेगावाट)

(4) मंगलोर ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट)—राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

मंगलोर-बंगलोर तथा मंगलोर-हुबली रेल मार्ग का रख-रखाव

2070. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान मंगलोर-बंगलोर तथा मंगलोर-हुबली रेलमार्ग की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार किया गया है; और

(ख) इन रेल-पथों की मरम्मत के लिए क्या अन्य उपाय करने का विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) चालू वर्ष (1990-91) के दौरान खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि नीचे दी गई है :—

(i) मंगलोर-बंगलोर—20 लाख रुपये

(ii) मंगलोर-हुबली – 170 लाख रुपये

(ख) ये दोनों रेल लाइनें पहले ही सुविकसित हैं और इनका निर्धारित मानकों के अनुसार अनुरक्षण किया जा रहा है ।

आंध्र प्रदेश में नन्दयाल-येरागुंडी रेल लाइन

2071. **श्री राजमोहन रेड्डी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में नन्दयाल से येरागुंडी तक नई रेल लाइन बिछाने हेतु मंजूरी देने का है;

(ख) इस रेल लाइन के बिछाने पर लगभग कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या सरकार का विचार रायलसीमा को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने और वहां पर दीर्घ-कालिक अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां पर प्राथमिकता के आधार पर रेल लाइन बिछाने का है जैसा कि सरकार की घोषित नीति है कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1983-84 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 126 कि० मी० लम्बी नई बड़ी लाइन पर उस समय के मूल्यों के आधार पर 49.48 करोड़ रुपये की लागत आने तथा 3.79% की दर से प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तालचेर और हावड़ा के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

2072. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तालचेर और हल्दिया के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत

2073. श्री सुदाम बलाराम देशमुख : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल की गत तीन वर्षों में उत्पादन लागत कितनी-कितनी थी; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान भंडारण की अवस्था में अंतिम बिक्री मूल्य में शामिल किए गए करों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड गत तीन वर्षों अर्थात 1987-88 से 1989-90 की कच्चे तेल की उत्पादन औसत लागत निम्न प्रकार से है :—

लागत रुपए प्रति टन

वर्ष	ओ० आई० एल०	ओ० एन० जी० सी०
1987-88	1225.56	1215
1988-89	1311.28	1319
1989-90 (अनंतिम)	1559.17	1637

तेल उद्योग धारित मूल्य अवधारण पर कार्य करता है और उस निर्धारित क्षमता स्तर के संदर्भ में कच्चा तेल संसाधित करने के लिए मानकी लागतों और लाभ की प्रतिपूर्ति की जाती है। अलग-अलग उत्पादों की उत्पादन लागतों का आकलन अलग से नहीं किया जाता है। कच्चे तेल के प्रति टन धारित मूल्य सूचकांक के एक क्रम द्वारा विभिन्न उत्पादों को आवंटित किया जाता है। अलग-अलग उत्पाद के भंडारण बिन्दु मूल्य पर निर्णय लेने के लिए विभिन्न रिफाइनरियों के विभिन्न उत्पादों के आवंटित इस धारित मूल्य के भारित औसत में विपणन लागतों और लाभों, भरण-प्रभारों, उत्पाद/सीमा शुल्क और अन्य अधिकारों को जोड़ा जाता है। गत तीन वर्ष के दौरान भारत में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल के भंडारण बिन्दु पर मूल्य नीचे दिए गए हैं।—

भंडारण बिन्दु पर मूल्य

तारीख को	पेट्रोल (एम०एस०87) (रु० प्रति कि०लि०)	डीजल (एच०एस०डी०) (रु० प्रति कि०लि०)	खाना पकाने की गैस (एल०पी०जी०) पैक-शुदा (घरेलू) रु०/टन	मिट्टी का तेल (एस०के०ओ०) (रु०/कि०लि०)
15-1-87	6694.07	3095.55	3448.98	1956 63
9-1-88	7694.07	3095.95	3448.98	1956.93
20-3-90	8944.07	3633.53	3448.98	1956.93

(ङ) बिक्री की कीमत में शामिल करों तथा लेवी का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है : —

(I) रायल्टी

(II) तेल उपकर

(III) सीमा शुल्क

(IV) उत्पाद-शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क

(V) बिक्री कर-यथा लागू

(VI) चुंगी—यथा लागू

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

2074. **श्री सुधाम देशमुख** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने किन-किन मदों का उत्पादन किया है;

(ख) गत पांच वर्षों में इन मदों की मानक लागत और वास्तविक लागत कितनी-कितनी थी;

(ग) क्या मानक लागत तथा वास्तविक लागत में कोई अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा किए जाने वाले उत्पाद नीचे दिए गए हैं :—

	मुख्य उत्पाद	सह-उत्पाद
1.	खान-I तथा II से लिग्नाइट	1. फेनाल
2.	ताप विद्युत गृह-I तथा II से विद्युत	2. आर्थो क्रेसोल
3.	यूरिया	3. मल्टीवैलेन्ट फेनाल
4.	कोक	4. मेटा पारा क्रेसाल
5.	नेफोलिन (घुला क्षार)	5. जाईलेनाल

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य उत्पादों के उत्पादन की मानक लागत (एस० सी०) तथा वास्तविक लागत (ए० सी०) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान ब्रिकेटिंग तथा कार्बनीकरण संयंत्र से कोक उत्पादन और वर्ष 1989-90 के दौरान खान-II से उत्खनन किए गए लिग्नाइट के मामले में प्रतिकूल अन्तराल 5% से अधिक था (उत्पादन की वास्तविक लागत मानक लागत के 5% से अधिक थी)। कोक के संबंध में प्रतिकूल अन्तराल का कारण पुराना ब्रिकेटिंग एवं कार्बनीकरण संयंत्र और लिग्नाइट के संबंध में वर्ष 1989-90 के दौरान उत्पादन की कम मात्रा थी।

विवरण

उत्पाद	यूनिट	85-86	86-87	87-88	88-89	1989-90 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7
1. लिग्नाइट	रु०/टन					
(खान-I)						
(I) एस०सी०	रु०/टन	118.97	134.29	147.40	153.45	167.68
(II) ए०सी०	रु०/टन	120.90	128.20	126.93	137.10	148.09
2. लिग्नाइट						
(खान-II)						
(I) एस०सी०	रु०/टन	—	199.60	190.08	155.96	189.02
(II) ए०सी०	रु०/टन	—	133.74	188.40	161.10	211.08
3. विद्युत						
(टी०पी०एस०II)						
(I) एस०सी०	पी०एस०/के०डब्लू०एच०आर०	37.69	36.21	39.73	42.81	44.35
(II) ए०सी०	पी०एस०/के०डब्लू०एच०आर	34.41	36.97	40.87	44.10	45.11
4. विद्युत						
(टी०पी०एस०I)						
(I) एस०सी०	पी०एस०/के०डब्लू०एच०आर	—	66.07	52.42	52.15	49.51

1	2	3	4	5	6	7
(II) ए०सी०	पी०एस०/ के०डब्लू०एच०आर०	—	55.66	47.36	48.99	50.58
5. यूरिया (उर्वरक)						
(I) एस०सी०	रु०/टन	3549.55	3788.52	3876.84	4022.17	4111.10
(II) ए०सी०	रु०/टन	3490.61	3702.83	3897.00	2830.23	3775.16
6. कोक (बी० और सी०)						
(I) एस०सी०	रु०/टन	1079.32	1073.46	1158.53	1266.26	1377.69
(II) ए०सी०	रु०/टन	1079.47	1189.99	1306.37	1409.61	1453.11

नोट : 1. खान II तथा थर्मल II ने वाणिज्यिक उत्पादन केवल वर्ष 1986-87 में आरम्भ किया।

2. प्रश्न सं० (ए) के उत्तर में वर्णित की गई उप-उत्पादित वस्तुएं बी तथा सी संयंत्रों द्वारा उत्पादित की गई है। इन उत्पादों से वसूली को कोक के उत्पादन की लागत में कमी के रूप में माना जाए।

3. बले धुलाई संयंत्र द्वारा बले की धुलाई का कार्य एक बहुत ही छोटे संयंत्र द्वारा (6000 टन/प्रतिवर्ष) किया जाता है। इस संयंत्र से प्राप्त राजस्व कंपनी के कुल लाभ की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। हालांकि इस संयंत्र का प्रचालन अब रोक दिया गया है। अत: इन उत्पादों के उत्पादन से संबंधित लागत के आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दुपहिया स्कूटर निर्माता कम्पनियों की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2075. **श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत दुपहिया स्कूटर निर्माता कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इन कंपनियों ने गत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम में किए गये प्रावधान के अनुसार लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कंपनियों द्वारा उत्पादित स्कूटरों की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) प्राइवेट सेक्टर में जो कम्पनियां दुपहिया स्कूटरों का निर्माण करती हैं उनके नाम तथा जिन वर्षों के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं या जिन्हें गत 5 वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अंतर्गत लागत लेखा परीक्षा के आदेश जारी किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों में वित्तीय सम्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादन लागत सहित विभिन्न निवेशों की लागत, बिक्री तथा लाभ की सीमा जैसी सूचनाएं अन्तर्विष्ट हैं। इन मामलों में उत्पादन की लागत को अनावृत करना उचित नहीं होगा।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष
1.	बजाज आटो लि०	1985-86 तथा 1988-89
2.	महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०	1986-87 तथा 1988-89
3.	ओटोमोबाईल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०	1988-89
4.	केलविनेटर लिमिटेड	1987-88
5.	एल० एम० एल० लि०	1988-89
6.	गुजरात नर्मदा आटो लि०	1887-88
7.	काइनेटिक होंडा लि०	1989-90

होंडा पोर्टेबल वेल्डर ई० डब्ल्यू 170 का उपयोग

[हिन्दी]

2076. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1985 से अब तक जापान से होंडा पोर्टेबल वेल्डर ई० डब्ल्यू 170 के कितने सैट खरीदे हैं और इनके प्रति सैट की कीमत कितनी है तथा इनके सप्लायरों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) ऐसे कितने सैटों को वास्तव में काम में लाया गया है और ये किन-किन स्थानों पर लगाये गये हैं;

(ग) क्या इन सैटों को चलाने हेतु सरकार के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) उपयोग में लाये जा रहे सैटों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) समय-समय पर किए गए निर्णय के अनुसार रेलों ने 1985 से लेकर अब तक मैसर्स नवकेतन प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता से 174 सैट होंडा पोर्टेबल वेल्डर ई० डब्ल्यू 170 खरीदे हैं जिनकी लागत 48,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये के बीच है।

(ख) 168 सेट। एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां, लगभग 200 प्रशिक्षित कर्मचारी।

(घ) ऊपर (ख) में उल्लिखित 168 सेटों में से 5 सेटों की मरम्मत की जा रही है तथा 6 सेटों को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा गया है।

(क) रेलवे	मेडल-वार विवरण	सेटों की संख्या
	विवरण	
मध्य	भुसावल	4
	शोलापुर	10
	बम्बई	3
	झांसी	2
	जबलपुर	5
	भोपाल	1
	नागपुर	1
उत्तर	मुरादाबाद	2
	फिरोजपुर	5
	इलाहाबाद	4
	दिल्ली	8
दक्षिण	मद्रास	3
	पालघाट	3
	मदुरै	3
	मैसूर	2
	बेंगलूर	2
	तिरूचिरापल्ली	2
	तिरुवनंतपुरम	2
दक्षिण पूर्व	बिलासपुर	15
	आद्रा	6
	चक्रधरपुर	7
	खड़गपुर	5
	खोरधा	2
	नागपुर	2
	वाल्तेरू	5
दक्षिण मध्य	सिकन्दराबाद	15
	गुंतकल	7
	हैदराबाद	4
	हुबली	4
	विजयवाडा	14

1	2	3
पश्चिम	भावनगर	7
	बड़ोदरा	3
	राजकोट	1
	जयपुर	2
	कोटा	6
	बम्बई	1

पटसन से कागज का उत्पादन

[अनुवाद]

2077. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज बनाने के प्रमुख आदान के रूप में पटसन और केनफ, को गैर-परम्परागती कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाने का प्रस्ताव अव्यवहारिक प्रतीत होता है;

(ख) क्या आस्ट्रेलिया और अमरीका "केनफ" आधारित कागज मिलों की स्थापना के लिए व्यापक पूंजी निवेश कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय पटसन प्रौद्योगिकी की अनुसंधान प्रयोगशालाओं में भी पटसन से अखबारी कागज बनाने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में कुछ प्रगति हुई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार पटसन के माध्यम से कागज बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां तो अब तक ये प्रयास किस सीमा तक किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय सूखी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर ने भारतीय पटसन प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से केनफ से अखबारी कागज के विनिर्माण हेतु पायलट प्लांट टेस्ट किए हैं जिससे उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। केनफ पर आधारित कागज मिलों की स्थापना के लिए अन्य देशों द्वारा किए गए निवेश के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। सरकार ने ऐसे कागज को उत्पाद शुल्क से पहले छूट दे दी है जिसकी सूखी फिनिश में 75 प्रतिशत अथवा अधिक जूट फायबर हो।

रेल लाइनों का नवीकरण

2078. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय घिसी-पिटी और अत्यधिक पुरानी कुल कितने किलोमीटर रेल लाइन का नवीकरण किए जाने और उसके बदले जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा रेल लाइनों के नवीकरण के लिए इस बीच कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और इस कार्य पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में सभी कमजोर लाइनों को शामिल किया गया है ताकि रेलगाड़ियों का तेजी से और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(घ) क्या विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा अधिक भारी पटरियां समय पर उपलब्ध कराया जाना और रेलवे द्वारा कंक्रीट के स्लीपरों का अधिमानत: स्वयं निर्माण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना भी तैयार की गई है ताकि ढांचागत दोषों से बचा जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 1-4-1990 को लगभग 12,000 कि०मी० लम्बे जीर्ण-शीर्ण तथा पुराने रेलपथों का नवीकरण किया जाना बाकी था।

(ख) जी हां। आठवीं योजना के दौरान रेलों ने 23,500 कि०मी० रेलपथ अर्थात औसतन प्रतिवर्ष 4,700 कि०मी० रेलपथ का नवीकरण करने की योजना तैयार की थी। इससे 12,000 कि० मी० रेलपथ नवीकरण के बकाया कार्य को पूर्णत: पूरा किया जा सकेगा तथा वार्षिक औसत प्रोद्भूत 2300 कि०मी० रेलपथ नवीकरण का भी ध्यान रखा जा सकेगा। 23,500 कि०मी० रेलपथ के नवीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए 6,585 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की आवश्यकता है। तथापि, संसाधनों की स्थिति सीमित होने के कारण ऐसा लगता है कि कुल बकाया कार्य नौवीं योजना के लिए शेष रह जायेगा। यह सुनिश्चित करने के सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे कि आठवीं योजना के अन्त तक उच्च घनत्व वाले मार्गों पर रेलपथ के नवीकरण का कार्य पूरा कर दिया जाए।

(ग) जी हां। आठवीं योजना में रेलपथ नवीकरण के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम में सभी मार्गों के कमजोर रेलपथ को शामिल किया गया है। योजना में बड़ी लाइन पर 6,700 कि०मि० तथा मीटर लाइन पर 5,300 कि० मी० रेलपथ के नवीकरण का कार्य शामिल है।

(घ) जी हां।

(ङ) भिलाई इस्पात संयंत्र ने 1989-90 से 60 कि० ग्रा० भार की 90 यू० टी० एस० पटरियों का निर्माण शुरू कर दिया है। आठवीं योजना अवधि में इन पटरियों का उत्पादन बढ़ाया जायेगा ताकि रेलों की आवश्यकता पूरी की जा सके। 1989-90 में 35.3 लाख कंक्रीट स्लीपरों का उत्पादन किया गया है। रेलों ने चालू वर्ष में 45 लाख कंक्रीट स्लीपरों के उत्पादन की योजना बनायी है और वर्तमान योजनाओं के अनुसार अगले 3 वर्षों के भीतर इसे प्रति वर्ष बढ़ाकर 57 लाख कंक्रीट स्लीपर तक किया जाना है। गुणवत्ता पर सीधे रेलों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है।

दलकोल्हा उत्तर सीमा रेलवे) के निकट ऊपरिपुल

2079. डा० गुलाम यजदानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमान्त रेलवे में दलकोल्हा रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरिपुल का निर्माण कार्य कब आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि विलम्ब का कोई कारण है, तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) राज्य सरकार द्वारा योजना अनुमोदित कर दिए जाने और रेलवे के पास अनुमानित लागत जमा कराने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) रेलवे द्वारा प्रस्तुत सामान्य व्यवस्था योजना का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न किया जाना।

थाने स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रुकना

2080. प्रो० रामगणेश कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाणे स्टेशन पर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के रुकने के लिए थाणे के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) इसमें क्या विशिष्ट मांगें/सुझाव हैं; और

(ग) इन मांगों/सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (i) इस समय कुछ गाड़ियां अप दिशा में तथा कुछ डाउन दिशा में ठहरती हैं। अभ्यावेदन में अप तथा डाउन दोनों दिशाओं में सभी गाड़ियों के ठहराने की मांग की गई है।

(ii) महाराष्ट्र में चल रही सभी गाड़ियों को ठहराव देना।

(iii) उत्तरी बम्बई, पूर्वी बम्बई तथा दक्षिणी बम्बई के बीच चलने वाली गाड़ियों में से कम से कम दो अतिरिक्त डाउन तथा अप गाड़ियों को ठहराव देना।

(iv) कुछ और गाड़ियों को ठहराव देना।

(ग) इनकी जांच की गई थी, लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

वास्को-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के लिए कराड़ स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था करना

2081. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2701/2702 वास्को-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के लिए कराड़ स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था करने और वहां से यहां/के लिए आरक्षण कोटा प्रदान करने की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जांच कर ली गई है लेकिन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

महाराष्ट्र की लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

2082. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र

राज्य बिजली बोर्ड ने स्वीकृति के लिए कौन-कौन सी विभिन्न विद्युत परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं और ये कब से लम्बित पड़ी हैं तथा इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	प्राप्ति की तारीख	अभ्युक्ति
1.	कोनल (जल-विद्युत) (संशोधित)	2×5=10	10/82	(1) डिजाइन/लागत अनुमानों हाईडल
			6/89	(2) सिविल डिजाइन, सिंचाई, सिविल कार्य संबंधी पहलुओं की लागत के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियां राज्य को भेजी गई थीं तथा इस संबंध में परियोजना प्राधिकारियों का उत्तर प्रतीक्षित है। लागत संबंधी संविभाजन के बारे में कुछ स्पष्टीकरणों के लिए राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है और ये प्रतीक्षित हैं। पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि से भी परियोजना हेतु स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
2.	पारली "ग" (ताप विद्युत)	2×210= 420	10/84 3/86	(1) कोयला लिंकेज एवं पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति (2) की प्रतीक्षा है।
3.	दाभोल गैस टर्बाइन संयुक्त साइकिल (ता०वि०)	4×120 (जी०टी०) +2×140 (एस०टी०) =760	3/89	ईंधन लिंकेज और पर्यावरण की दृष्टि से केन्द्र और राज्य की स्वीकृति, जल की उपलब्धता और राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
4.	रावास/मांडवा के समीप उरण संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन विस्तार चरण I	2×130 (गैस टर्बाइन) 1×150 (स्टीम ,,) =410	6/90	इस स्कीम का फिलहाल 8वीं अथवा 9वीं योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इस समय इसकी जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र में रसोई-गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

2083. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ठाणे जिले के ठाणे, कालवा, मुम्बरा, डोम्बीवली, कल्याण, उल्हासनगर, अम्बरनाथ, बदलापुर, बसई (न्यू बावे), भायंदर बसई, भिवाडी, शाहपुर कस्बों में घरेलू उपयोग हेतु रसोई गैस कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) उपर्युक्त कस्बों में से प्रत्येक में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं; और

(ग) सरकार का उपर्युक्त कस्बों में रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का निपटान करने और नये गैस कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ग) एल० पी० जी० के नए कनेक्शन, उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अधीन चरणबद्ध तरीके से समस्त देश में दिए जाते हैं बशर्ते कि एल० पी० जी० उपलब्ध हो। उत्पादन को बढ़ाकर और आयात द्वारा उपलब्धता में वृद्धि की जाती है। वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 17 नए एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए स्थानों को मंजूरी दे दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	शहर	प्रतीक्षा सूची पर व्यक्तियों की लगभग संख्या (1-8-90 तक)	एल०पी०जी० एजेंसियों की संख्या
1.	ठाणे	26,764	8
2.	कालवा	5,378	1
3.	मुम्बरा	2,925	1

1	2	3	4
4.	डोम्बीवली	22,853	9
5.	कल्याण	11,910	6
6.	उल्हासनगर	18,055	6
7.	अंम्बरनाथ	2,583	2
8.	बदलापुर	854	2
9.	वसई (गई बोचे)	7,128	2
10.	भायंदर	11,561	3
11.	वसई	9,874	2
12.	भिवार्डी	3,710	3
13.	शाहपुर	1,038	1

उड़ीसा में प्रतिदिन बिजली की उपलब्धता और मांग

2084. **श्री डी० अमात** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रतिदिन बिजली की कुल उपलब्धता और मांग क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से और अधिक बिजली के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) उड़ीसा में जुलाई, 1990 के दौरान विद्युत की मांग 21.6 मिलियन यूनिट/प्रतिदिन थी जबकि विद्युत की उपलब्धता 17.8 मिलियन यूनिट/प्रतिदिन थी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट संयंत्रों को कोयलों की सप्लाई

2085. **श्री डी० अमात** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में अनेक सीमेंट संयंत्र कोयले की कमी के कारण बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग के विकास आयुक्त से उपलब्ध सूचना के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र में तीन सीमेंट संयंत्रों ने कोयले की कमी के कारण क्लिन्कर का उत्पादन बन्द कर दिया है। ये संयंत्र निम्नलिखित हैं :—

(1) बगालकोट उद्योग लि०, कर्नाटक ।

(2) विष्णु सीमेंट लि०, आंध्र प्रदेश ।

(3) किस्ना सीमेंट वर्क्स, आंध्र प्रदेश ।

(ग) दक्षिण क्षेत्र में स्थित सीमेंट संयंत्रों को दी जाने वाली कोयले की आपूर्ति में सुधार किए जाने के प्रयासों में निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं :—

(1) कोल इंडिया के स्रोत से कोयला संयोजन तथा आपूर्ति की मंजूरी द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से कोयले की उपलब्धता की प्रतिपूर्ति किया जाना ।

(2) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से रेल-सह-समुद्र मार्ग के जरिए समुद्र तट के निकट स्थित कुछ संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति ।

(3) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से सड़क द्वारा ऐसे संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करना, जो संयंत्र सड़क द्वारा आपूर्ति प्राप्त करने को तैयार हों ।

(4) सीमेंट निर्माण में कोयले के बदले आंशिक रूप में लिग्नाइट का प्रयोग करने के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से लिग्नाइट की अधिक मात्रा में आपूर्ति ।

रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना

2086. श्री डी० अमात : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण की परियोजना रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो परियोजना को मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से रामागुंडम ताप विद्युत केन्द्र के चरण-दो में (679.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर) 210 मे० वा० की दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना के लिए परियोजना की साध्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सितम्बर, 1989 में प्राप्त हुई थी । राज्य प्राधिकारियों द्वारा जल एवं कोयला की उपलब्धता आदि जैसे सभी आवश्यक निवेश सुनिश्चित कर लिए जाने एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति सहित आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के बाद ही प्रस्ताव का तकनीकी-आर्थिक रूप से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित किया जा सकता है ।

त्रिपुरा के तेल और गैस के कुओं में आग

2087. श्री डी० अमात : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के तेल/गैस कुओं में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये जा रहे खोज कार्य के दौरान फरवरी, 1990 में भयंकर आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस आग के कारण हुए जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है और तेल/गैस की अनुमानित कितनी क्षति हुई; और

(ग) तेल/गैस कुओं में आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या सावधानियां बरती जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) 8 मार्च, 1990 को खुदाई कार्य के दौरान टिकना कूप नं० 3 (त्रिपुरा में टिकना संरचना में) से गैस और पानी का अनियन्त्रित प्रवाह (कूप में तेल नहीं था) निकला। बाद में इस रिसाव के परिणामस्वरूप 12 मार्च, 1990 को कूप में आग लग गई जिस पर 20 मार्च, 1990 को नियन्त्रण पाया गया। इस कूप को 24 मार्च, 1990 को बन्द कर दिया गया।

(ख) इनमें न तो कोई जनहानि हुई और न किसी व्यक्ति को गम्भीर चोट ही पहुंची। काफी संख्या में रिग उपस्कर बचा लिये गये। तथापि, कुछ रिग उपस्कर क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर खुदाई स्थल पर नियमित सुरक्षा ड्रिल हैं। इस घटना के कारणों की जांच करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जांच-पड़ताल की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपाय सुझाये गये हैं। जांच-पड़ताल की रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन हैं। सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गए कूपों में हाल के वर्षों में हुए धमाकों की घटनाओं की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल गठित करने का भी निर्णय लिया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मुकुन्दा परियोजना के लिए भूमि

2088. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मुकुन्दा परियोजना के लिए कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) भू-स्वामियों से भूमि अधिगृहीत करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(ग) इस परियोजना से कितने गांव प्रभावित हुए हैं;

(घ) मुआवजे की दर क्या है और प्रत्येक भू-स्वामी को अधिगृहीत भूमि की प्रति इकाई के लिए क्या मूल्य दिया गया है; और

(ङ) प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) मुकुन्द ओपनकास्ट परियोजना के लिए भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा अब तक 11 गांवों की 344.59 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अधिनियम

के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि की प्रत्येक यूनिट के लिए मुआवजा और इसकी कीमत का निर्धारण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

(ङ) वर्तमान नीति के अनुसार कोयला कम्पनियों द्वारा भू-वंचित व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं किया जाता है। किन्तु कुछ रिक्त स्थानों के उपलब्ध होने की स्थिति में, अकुशल/अर्द्धकुशल श्रेणी की नियुक्तियों में ऐसे व्यक्तियों को तरजीही दी जाती है जिनकी भूमि का कोयला परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण किया गया हो। एक पुनर्वास उपाय के रूप में कोयला कम्पनियां ऐसे व्यक्तियों को, जिनके आवास अधिग्रहीत कर लिए गए हैं, विकसित आवास स्थल उपलब्ध करा रही है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मुकुन्दा परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव

2089. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मुकुन्दा परियोजना उड़ने वाली कोयले की राख का उसके आस-पास के इलाके पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो वहां की पर्यावरणीय स्थिति को सही रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) सोवियत विशेषज्ञों द्वारा एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट झरिया कोलफील्ड्स में मुकुन्दा ओपेनकास्ट परियोजना के विकास के लिए तैयार की गई थी। तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ इस परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन में वायु प्रदूषण को भी शामिल किया गया था। परियोजना क्षेत्र की आसपास की वायु की गुणवत्ता की केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र (सी० एम० आर० एस०) धनबाद द्वारा जांच की गई थी। इसके बाद भारतीय खान स्कूल, धनबाद की वैज्ञानिकों द्वारा जांचों का एक नया सेट प्रस्तुत किया। इन जांचों में मुकुन्दा गांव के आसपास के क्षेत्र में निर्धारित स्तर से ऊंचे स्तर का वायु में प्रदूषण की मात्रा बताई गई है। सोवियत विशेषज्ञों ने भी मुकुन्दा गांव में वायु प्रदूषण को कम किए जाने के लिए व्यवहार्यता की जांच की थी। उनके अनुसार प्रस्तावित ओपेनकास्ट खान से धूल के कारण प्रदूषण को कम किया जाना संभव नहीं हो सकेगा चाहे उस खान में आधुनिक प्रौद्योगिकी का भी उपयोग कर दिया जाए और इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया है कि गांव को ओपेनकास्ट खान के प्रभाव के क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाए। मुकुन्दा ओपेनकास्ट परियोजना के विकासात्मक कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है।

कोयला खानों में अधिक

2090. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला खानों में कई कोयला खान मजदूरों को उनकी बहाली के

न्यायाधिकरण-निर्णय के बावजूद मुआवजे सहित अथवा बिना मुआवजे के अपने काम पर लौटने की अनुमति दी गई है;

(ख) समझौते के लिए कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इन पर अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने तथा मजदूरों को काम पर कब तक वापिस लिए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उक्त सूचना को सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

मध्य प्रदेश में पोलिस्टर प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना

[हिन्दी]

2091. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पोलिस्टर प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) मेसर्स मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के पास 309 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेसर्स गाल्फे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के सहयोग से मध्य प्रदेश के बिड जिले के मलानपुर में प्रति वर्ष 25,000 टन पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना करने हेतु आशय पत्र है । परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक स्वीकृतियां देने के बाद इस परियोजना को 30 माह में पूरा किए जाने की सम्भावना है ।

गैस पीड़ितों का पुनर्वास

2092. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों को सहायता देने और उनके पुनर्वास के लिए 371 करोड़ रुपये की एक कार्यकारी योजना भेजी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि दी गई है और क्या यह अनुदान के रूप में दी गई है; और

(ग) शेष धनराशि को मंजूरी कब तक दी जाएगी; और

(घ) कार्यकारी योजना के अन्तर्गत शेष राशि की मंजूरी में देरी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) 163.10 करोड़ रुपए की कार्य-योजना स्वीकृत की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच इस व्यय में भागीदारी पर विचार किया जा रहा है।

कोयला खानों में भूमि धसकने पर नियंत्रण के उपाय

[अनुवाद]

2093. **श्री हरिवंश राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संरक्षण की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने तथा कोयला खानों में और उनके आस-पास भूमि धसकने पर नियंत्रण के उपाय करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) वर्तमान में कोयला खानों के आस-पास पर्यावरणीय संरक्षण तथा धरातल नियंत्रण उपायों की आयोजना तथा क्रियान्वयन के लिए कोई अलग से प्राधिकरण स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पर्यावरणीय संरक्षण उपाय पर्यावरणीय प्रबंध योजनाओं के अंतर्गत आते हैं जो कि कोयला खनन परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों के एक भाग के रूप में होते हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—भूमि सुधार, वनारोपण, धंसाव का नियंत्रण तथा अनुरक्षण और वायु तथा जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों की प्रतिपूर्ति।

सिरेमिक टाइलों के लिए विदेशी सहयोग

2094. **प्रो० सालिनी भट्टाचार्य** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिरेमिक टाइलों के उत्पादन हेतु जिन विदेशी सहयोगों को स्वीकृति प्रदान की गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी और इससे निर्यात की सम्भावना बनेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इन विदेशी सहयोगों पर किया गया अनुमानित विदेशी मुद्रा व्यय 5 करोड़ रु० और पिछले तीन वर्षों के दौरान सिरेमिक टाइलों का अनुमानित निर्यात लगभग 7 करोड़ रु० का है।

विवरण

सिरेमिक टाइलों के विनिर्माण के लिए जिन्हें विदेशी सहयोग की मंजूरी दी गई है उन एककों के नाम इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	एकक का नाम
1.	मैसर्स मेटलेक्स सिरेमिक्स लि०, नई दिल्ली
2.	मैसर्स कजारिया सिरेमिक्स लि०, नई दिल्ली

3. मैसर्स बैल सिरेमिक्स लि०, नई दिल्ली
4. मैसर्स मुदेश्वर सिरेमिक्स लि०, हुबली
5. मैसर्स रिलायंस सिरेमिक्स लि०, मद्रास
6. मैसर्स अखिल सिरेमिक्स लि०, हैदराबाद
7. मैसर्स इंटरनेशनल सिरेमिक्स लि०, नई दिल्ली
8. मैसर्स इंडस सिरेमिक्स लि०, नई दिल्ली
9. मैसर्स रिजेन्सी सिरेमिक्स लि०, हैदराबाद
10. मैसर्स स्पारटेक सिरेमिक्स इंडिया लि०, मद्रास
11. मैसर्स रेस्टाइल सिरेमिक्स लि०, हैदराबाद
12. मैसर्स अनन्त राज वले प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली
13. मैसर्स फोरमोस्ट सिरेमिक्स लि०, नई दिल्ली
14. मैसर्स एम० जी० मित्तल, रायगढ़
15. मैसर्स भाटिया सिरेमिक्स लि०, कांदी, बम्बई
16. मैसर्स पृथ्वी सिरेमिक्स प्रा० लि०, बंगलौर
17. मैसर्स रूबराज तलवार, बम्बई
18. मैसर्स शक्ति सुगर लि०, कोयम्बतूर
19. मैसर्स इंडियन रेयन एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली
20. मैसर्स मोमानी पिलकिंगटन्स लि०, नई दिल्ली

पूर्वी उत्तर प्रदेश को ग्रिड विद्युत लाइनों का विस्तार

2095. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चार जिले, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया (पूर्वी उत्तर प्रदेश) जिलों की विद्युत कमी की समस्या पर विचार किया है ताकि इन जिलों में उद्योगों का विकास किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो गाजीपुर जिले में अपर्याप्त विद्युत सप्लाई के क्या कारण हैं तथा इन जिलों में काफी मात्रा में विद्युत सप्लाई करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ताकि औद्योगिक इकाईयां लगाने हेतु उद्यमियों को आकर्षित किया जा सके; और

(ग) जिला गाजीपुर और वाराणसी के कुल नगरों और गांवों में से कितने गांवों और नगरों में अभी बिजली नहीं पहुंची है और वहां बिजली कब तक पहुंचाई जायेगी ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजनायें

2096. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी से 31 जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में मंजूर की गई जल विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनमें देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी कब दी जायेगी ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में पहली जनवरी और 31 जुलाई, 1990 के बीच किसी भी जल विद्युत परियोजना को स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत और उसके परीक्षाधीन (छोटी एवं बड़ी) जल-विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नवत है :

परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	वर्तमान स्थिति
महेश्वर	10 X 40	यह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 9-5-1989 को स्वीकृत की गई थी। योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति मिलने के बाद दिया जायेगा।
(*) राजघाट	3 X 15	यह परियोजना 2-5-1985 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई थी । योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय वन दृष्टि से परियोजना स्वीकृत होने के बाद दिया जायेगा।
झाणसागर टोन्स पावर हाउस-4	2 X 15	यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परीक्षाधीन है । परियोजना प्राधिकारियों से वांछनीय सूचना प्राप्त होने के बाद इस मामले को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।
बोधघाट	4 X 125	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत इस परियोजना को स्वीकृत करने हेतु इसकी जांच कर रहा है । अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद परियोजना को मंजूरी दी जायेगी ।

(*) यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ।

मध्य प्रदेश की बोधघाट परियोजना

2097. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन्द्रावती नदी पर बोधघाट परियोजना को मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) बोधघाट जल-विद्युत परियोजना आयोग द्वारा फरवरी 1979 में मंजूर की गई थी। चूंकि परियोजना के लिए आवश्यक वन-भूमि परियोजना अनुमोदित होने के तत्काल बाद उपलब्ध नहीं कराई गई अत: इस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू हो गए। राज्य प्राधिकारियों ने केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सकक्ष वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव रखा है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति मिल जाने के बाद ही परियोजना को पुन: मंजूरी दी जाएगी।

केन्द्रीय ग्रिड से केरल को प्राप्त हुई बिजली

2098. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** :

श्री ए० चार्ल्स : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान वर्ष-वार केरल को केन्द्रीय ग्रिड से उसकी मांग की तुलना में सप्लाई की गई बिजली की प्रतिशत का ब्योरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय ग्रिड से केरल को वास्तव में कितनी मात्रा में बिजली सप्लाई की गई; और

(ग) इन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बिजली की यदि कम सप्लाई की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान केरल को केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से आपूर्त की गई विद्युत का विवरण निम्नवत है :—

वर्ष	अधिकृत हिस्से की विद्युत (मि० यू०)	वास्तविक आहरण (मि० यू०)		%
1987-88	1000.6	1080.2	(+)	7.9
1988-89	1371.7	1269.5	(—)	7.6
1989-90	1593.8	1137.5	(—)	28.7

(ग) तमिलनाडु और/या कर्नाटक पारेषण प्रणाली के माध्यम से अन्तरण द्वारा केरल दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय केन्द्रों से अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त करता है। वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान केरल को केन्द्रों से विद्युत की आपूर्ति कम होने के कारण, 15 मार्च, 1989 नागार्जुनसागर और कुडाप्पा के बीच एक ही 400 के० वी० सर्किट उपलब्ध होना और मई, 1989 में कुडाप्पा के

पास 4 नवम्बर डी/सी 400 के० वी० टावरों के ढह जाने की वजह से 400 के० वी० कुडाप्पा-बंगलोर और कुडाप्पा-मद्रास लाइनों का बन्दी होना था।

गुजरात को मिट्टी के तेल की सप्लाई

2099. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का जून, 1990 से गुजरात के लिए अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) गुजरात को किया गया मिट्टी के तेल का आवंटन निम्न प्रकार से है :

	1989		1990
जून	58020	जून	62081
जुलाई	57450	जुलाई	60887
अगस्त	58829	अगस्त	61277
सितम्बर	58829	सितम्बर	61277
अक्तूबर	59579	अक्तूबर	61277

ऊपर निर्दिष्ट आवंटनों से अधिक गुजरात को प्रतिरिक्त एस० के० ओ० देने का प्रस्ताव नहीं है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

2100. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का विचार कुटीर उद्योगों की विशेषकर, जनजातीय क्षेत्रों में स्थापना के बारे में एक योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास पहले से ही आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम हैं जिनमें पर्वतीय, सीमावर्ती और कमजोर वर्ग के क्षेत्र शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में राजसहायता के आधार पर उन्नत औजारों और उपकरणों की आपूर्ति करना शामिल है। आदिवासी क्षेत्रों की योजना में अन्य क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली सहायता की तुलना में सहायता का उदारीकृत पैटर्न का भी प्रावधान है। इन क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की योजनाएं विभागीय तौर पर तथा लघु संस्थानों के जरिये चलाई जाती हैं। समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो उद्योग अधिक

रोजगार के अवसर जुटाते हैं उनमें मुख्यत: ऊनी, खादी, कुटीर चमड़ा, साबुन बनाने के लिए अखाद्य तेलों का सत्व निकालने के लिए बीजों का एकत्रीकरण, मधुमक्खी पालन, रेशा तथा वन पर आधारित कई अन्य उद्योगों का उल्लेख किया जाता है।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

2101. श्री नन्दलाल मीणा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में आलम सिंचाई परियोजना में बिजली पैदा करने सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई थीं जिन्हें रिपोर्ट में शामिल किया जाना था, उक्त रिपोर्ट राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से अभी तक प्रतीक्षित है।

नेपा लिमिटेड का आधुनिकीकरण

2102. श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा लिमिटेड, नेपानगर का कुछ वर्ष पहले आधुनिकीकरण किया गया था ताकि उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण से पहले और बाद में उसका प्रतिमाह उत्पादन क्या था;

(ग) इसके आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च हुई और कितना समय लगा था;

(घ) उस कम्पनी का नाम क्या है जिसने आधुनिकीकरण का कार्य किया;

(ङ) क्या ठेके की शर्तों का उल्लंघन हुआ है;

(च) क्या आधुनिकीकरण कार्य के समय अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिकी मशीनें स्थापित की गई थीं; और

(छ) यदि हां, तो इन मशीनों के संचालन के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (छ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नेपा लिमिटेड ने विभिन्न संयंत्र गतिविधियों को संवर्धित करके बद्ध विद्युत को बढ़ाने एवं अखबारी कागज उत्पादन क्षमता को 67,500 एम० टी० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 88,000 एम० टी० प्रति वर्ष करने और साथ ही अखबारी कागज की गुणात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण नवीकरण एवं विस्तार की एक योजना को कार्यान्वित किया। इस योजना के कार्यान्वयन से अखबारी कागज के मासिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। 60.75 करोड़ रु० के अनुमोदित संशोधन लागत अनुमान

की तुलना में योजना की वर्तमान अनुमानित लागत 80.37 करोड़ रुपये है। सिविल कार्यों की अन्तर्संरचना के पूरा होने में विलम्ब के कारण एवं उपकरणों की डिलीवरी में विलम्ब तथा निष्पादन में अधिक समय लगने के कारणों से योजना के कार्यान्वयन के समय एवं लागत में वृद्धि हुई है। योजना कार्य के प्रमुख भाग का ठेका भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड, भेल, जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड और रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लिमिटेड आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया गया।

योजना के कार्यान्वयन होने के बाद, शक्ति गुणता, चमक, कोमलता मतलही फिनिश तथा अखबारी कागज की प्रति टन अधिक मीटर दर के दृष्टिकोण से अखबारी कागज की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार हुआ है। उत्पादन भी 6,600 एम० टी० प्रतिमाह तक बढ़ गया है तथा जुलाई, 1990 में उत्पादन 7002 एम० टी० था एवं वर्ष 1990-91 के लिए 78,000 एम० टी० का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के उपरान्त आधुनिकीकरण, नवीकरण एवं विस्तार की योजना के लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त जनशक्ति की परिकल्पना नहीं की गई। इस योजना के अधीन स्थापित विभिन्न, सूक्ष्म मशीनों/उपकरणों का स्वतन्त्र रूप से अनुरक्षण एवं प्रचालन करने के लिए नेपा लिमिटेड के निपुण तकनीकी अधिकारियों को इनकी स्थापना एवं चालू करने के समय तथा सप्लायरों के कार्यों पर देश विदेश में प्रशिक्षण दिया जाता है।

एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन दोहरा करना

[अनुवाद]

2103. श्री पी० ए० मुहम्मद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एर्णाकुलम और कायनकुलम के बीच एक वैकल्पिक बड़ी रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से एर्णाकुलम-अलेप्पी रेल लाइन (57 कि०मी०) 15-10-1989 को पहले ही चालू की जा चुकी है। अलेप्पी-कायनकुलम रेल लाइन (43 कि०मी०) का कार्य प्रगति पर है और जब यह लाइन पूरी हो जायेगी तब इससे एर्णाकुलम और कायनकुलम के बीच दो वैकल्पिक लाइनों की व्यवस्था होगी। कायनकुलम और कोल्लम के बीच दोहरी लाइन (41 कि०मी०) बिछाने का कार्य 1989-90 के बजट में अनुमोदित किया गया था तथा कोल्लम और तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल के बीच दोहरी लाइन (65 कि०मी०) बिछाने का कार्य 1990-91 के बजट में शामिल किया गया है।

दिल्ली से प्रस्थान करने वाली गाड़ियों में संसद सदस्यों के लिए आवासिकाओं का आरक्षण

2104. प्रो० सावित्री सदसनन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग द्वारा नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाली गाड़ियों में संसद सदस्यों के लिए आवासिकाओं के आरक्षण का कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कितने दिन पहले आरक्षण किया जा सकता है; और

(ग) क्या सरकार का इस सुविधा का उपयोग करने वाले संसद सदस्यों के नाम प्रतिदिन प्रकाशित करने का विचार है ताकि विवादों और कदाचारों से बचा जा सके ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां, ऊंचे दर्जों में ।

(ख) 60 दिन पहले ।

(ग) संसद सदस्यों के नाम सम्बद्ध आरक्षण चार्टों में मुद्रित किये जाते हैं, जो गाड़ी के प्रस्थान से पहले प्रदर्शित कर दिये जाते हैं । मौजूदा पद्धति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अहमदाबाद में रेलवे का नया डिवीजन खोलना

2105. **श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद क्षेत्र तीन रेलवे डिवीजनों अर्थात अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और ये डिवीजन अहमदाबाद के विकसित और औद्योगिक शहर से बहुत दूर स्थित है;

(ख) क्या दिन-प्रतिदिन रेलवे के सुचारु रूप से संचालन के लिए, रेलवे विभाग अहमदाबाद में एक अलग रेलवे डिवीजन बनाने पर सहमत हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और वहां पर नया डिवीजन कब तक खोल दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) फिलहाल अहमदाबाद में एक नये मण्डल के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन

2106. **श्री बागुन सुम्बरई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने वर्ष 1977 और 1987 में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या 15 प्रतिशत औद्योगिक भूखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित थे;

(ग) क्या विवरणिका के अनुसार औद्योगिक भूखण्डों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध आवंटितियों को सामान्य वर्ग के नये औद्योगिक भूखण्ड के लिए रियायती दरों पर 50 प्रतिशत राशि का ही भुगतान करना होगा;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त (ग) भाग में वर्णित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिये जाने वाली रियायत को समाप्त करने के क्या कारण हैं और निगम ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति से सम्बन्ध आवंटितियों को सामान्य वर्ग पर लागू दरों के समान दरों पर मांग पत्र जारी किया है;

(ङ) क्या निगम का सरकारी नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नरेला औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत रियायती दरों पर औद्योगिक भूखण्ड आवंटित करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी हां। दिल्ली प्रशासन के अनुसार डी० सी० एस० आई० डी० सी० ने 1976 और 1987 में आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे।

(ख) उस प्रशासन के अनुसार 1976 और 1987 के विज्ञापनों के अनुसार किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं था। परन्तु बाद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 15% का आरक्षण किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विकास केन्द्रों का चयन करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड

2107. **श्री प्रकाश वी० पाडिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास केन्द्र सम्बन्धी योजना के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों को क्या प्रोत्साहन और वित्तीय रियायतें दी गई तथा यह औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की विकास योजना के अंतर्गत पूर्व में दिये गये प्रोत्साहन की तुलना में कितने अधिक अथवा कम हैं; और

(ख) देश के विभिन्न भागों में विकास केन्द्रों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं और इन मानदण्डों की, इससे पहले औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का चयन करने सम्बन्धी मानदण्डों की तुलना में क्या स्थिति है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) नई विकास केन्द्र योजना के अधीन, चुनिंदा विकास केन्द्र, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किए गए श्रेणी "ख" पिछड़े क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उपलब्ध सभी प्रोत्साहनों को पाने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, विकास केन्द्रों को उच्च स्तर की आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वे उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए चुम्बक के रूप में कार्य कर सकें।

(ख) प्रोत्साहन योजनाओं के उद्देश्य से औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण योजना आयोग द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर किया गया था जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल उत्पादन, जो भी हो, जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का अनुपात, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, जनसंख्या के प्रति लाख फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या तथा प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भी शामिल है।

नई योजना के अधीन क्षेत्र, जनसंख्या तथा औद्योगिक पिछड़ेपन के विस्तार के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विकास केन्द्रों का आवंटन किया गया है। दूरी सम्बन्धी मानदण्ड, जिला, उप-मण्डल मुख्यालयों इत्यादि से निकटता तथा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों, रेल लीकों, विद्युत, जल आपूर्ति, दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक संस्थानों इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाओं तक पहुंच को ध्यान में रखकर इन विकास केन्द्रों के वास्तविक स्थापना-स्थल के सम्बन्ध में निर्णय किया जा रहा है।

त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए विमान का किराया

2108. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया में त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए भारत के अन्य स्थानों की तुलना में अधिक किराया लगता है;

(ख) यदि हां, तो त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए विमान किराया कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या दिल्ली से मुम्बई तक का विमान किराया, त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए निर्धारित विमान किराये की तुलना में कम है जबकि दिल्ली से मुम्बई तक की दूरी अपेक्षाकृत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) त्रिवेन्द्रम से गल्फ के लिए विमान किराया बम्बई की तुलना में अधिक है।

(ख) एयर इंडिया इयाटा मंच द्वारा निर्धारित किराये वसूल करता है। बम्बई-खाड़ी दूरी लगभग 1000 किलोमीटर कम है।

(ग) और (घ) दिल्ली से बम्बई का विमान किराया त्रिवेन्द्रम से गल्फ के किराये की तुलना में कम है परन्तु दिल्ली से बम्बई की दूरी (1137 किलोमीटर) त्रिवेन्द्रम से गल्फ की दूरी (2947 किलोमीटर) की तुलना में भी कम है।

भोपाल गैस पीड़ितों को अन्तरिम राहत

[हिन्दी]

2109. **श्री राम लाल राही :**

प्रो० के० वी० थामस :

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों को प्रतिमाह 200 रुपये की अंतरिम राहत दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस राहत को गैस पीड़ितों को शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि वास्तविक पीड़ितों को अंतरिम राहत नहीं दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ङ) अंतरिम राहत वितरण का काम प्रगति पर है। मध्य प्रदेश सरकार जो राहत के वितरण का कार्यान्वयन कर रही है, से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अगस्त, 1990 तक की स्थिति यह है कि इस योजना के लाभ-गहियों के लिए 1,३९,458 बैंक खाते खोले गये हैं। सभी पात्र-गोष्ठितों को शीघ्रता से वितरण करने के लिए राज्य सरकार सभी संभव कदम उठा रही है।

पंजाब में रेलवे स्टेशनों का सौन्दर्यीकरण

[अनुवाद]

2110. बाबा सुच्चा सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में रेलवे स्टेशनों को सुन्दर बनाने के लिए चालू वर्ष के दौरान कितना धन निर्धारित किया गया है;

(ख) सौन्दर्यीकरण के लिए रेलवे स्टेशनों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड रखे गए हैं; और

(ग) सौन्दर्यीकरण के लिए फिरोजपुर मंडल में चुने गए रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) 15.84 लाख रुपये।

(ख) स्टेशनों में सुधार करने के साथ-साथ उन्हें सुन्दर बनाने का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध आधार पर किया जाता है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) इस सम्बन्ध में फिरोजपुर मंडल के निम्नलिखित स्टेशनों पर विभिन्न कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है :—

(1) जम्मूतवी	(5) फिरोजपुर छावनी
(2) जालंधर सिटी	(6) फिरोजपुर सिटी
(3) मुकेरियां	(7) जलालाबाद
(4) फिल्लौर	(8) ध्यास

1990-91 के दौरान इन स्टेशनों के लिए 28.22 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना

2111. श्री कृपाल सिंह :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में "न्यूजप्रिंट प्लांट इन पंजाब टू गो आन स्ट्रीम सून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज के कारखाने का निर्माण कार्य कब शुरू होने की संभावना है;

(ग) निर्माण कार्य में विलम्ब और परियोजना लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सीमावर्ती राज्य के लोगों को इसमें रोजगार दिया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो इस कारखाने के लिए तकनीकी और अन्य योग्यताओं वाले कितने-कितने युवाओं की भर्ती की जायेगी; और

(च) इसके कितने कुशल और कितने अकुशल श्रमिकों की भर्ती की जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पंजाब एग्रो– इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि० ने सूचना दी है कि परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है। भूमि के अधिग्रहण तथा पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी अनुमति प्राप्त करने के कारण विलम्ब हुआ। निविष्टियों की कीमत में सामान्य वृद्धि तथा रुपए के अवमूल्यन की परियोजना लागत में वृद्धि का कारण बताया जाता है।

(घ) से (च) तकनीकी एवं अन्य योग्यताओं वाले लगभग 400 व्यक्तियों तथा 700 कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को परियोजना से सीधा रोजगार मिलने की सम्भावना है। संभावना है कि इनमें से बहुत से राज्य के निवासी होंगे।

जम्मू और कश्मीर में औद्योगिकीकरण

2112. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किए गए उपायों के एक हिस्से के रूप में गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेशों और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रभावशाली उपाय किए गए हैं; जिससे वहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गैर-सरकारी उद्यमियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने लघु, मध्य तथा बड़े औद्योगिक एककों के लिए प्रोत्साहनों का एक पैकेज शुरू किया है। ये प्रोत्साहन अन्य बातों के साथ-साथ भूमि तथा शेडों का आबंटन, कर में छूट और रियायत, मशीनरी पर बिक्री कर छूट डीजल जनरेटिंग सेटों तथा अन्य उपकरण की खरीद पर राजसहायता, उद्यमियों के प्रशिक्षण के बजीफे मूल्य खरीयता तथा विपणन सहायता प्रदान करते हैं।

जहां तक रोजगार अवसरों का संबंध है, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के अनुसार, 1989-90 के दौरान 1854 लघु औद्योगिक एककों का पंजीकरण किया गया है जिससे लगभग 8000 व्यक्तियों के रोजगार का सृजन होगा। चालू वर्ष के लिए, राज्य सरकार ने 2000 लघु औद्योगिक एककों के पंजीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा है और इनसे लगभग 9000 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन होगा।

स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, दिसम्बर, 1989 के अन्त तक 9562 एककों का पंजीकरण

किया गया है जिससे 22,600 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। चालू वर्ष के लिए, राज्य सरकार का इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1,600 एकड़ लगाने का विचार है जिससे 4260 व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों की व्यवस्था होगी।

रेलवे और बिजली-घरों द्वारा डीजल की खपत में बचत

2113. श्री जे० चोक्का राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे और बिजली-घरों द्वारा डीजल की खपत में कमी करने का विचार है ताकि उसकी बचत की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिति में कितना सुधार होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) डीजल की बचत और इसके कुशल उपयोग को निरंतर उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है लेकिन भारतीय रेलों पर बढ़ी हुई यातायात संबंधी बचनबद्धताओं के कारण डीजल की कुल खपत को कम करना संभव नहीं है।

ताप बिजली घरों में डीजल तेल का उपयोग अत्यन्त सीमित है तथा इसको और कम करने के लिए फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सड़कों को चौड़ा किया जाना

[हिन्दी]

2114. श्री एस० सी० वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के बेतूल और छिंदवाड़ा जिलों में कोयला परिवहन से जुड़ी सड़कों को मजबूत बनाने और चौड़ा करने के लिए मार्च, 1985 में मध्य प्रदेश सरकार से प्राक्कलन मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्राक्कलन प्राप्त हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) क्या इन्हें स्वीकृत किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन प्राक्कलनों की स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं और इन्हें किस तिथि तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से वास्तविक रूप में अनुमान वर्ष 1982 में प्राप्त हुए थे। उन्हें वर्ष 1985 में अनुमानों को अद्यतन किए जाने को कहा गया था। राज्य सरकार से संशोधित अनुमान मई, 1986 में प्राप्त हुए थे।

(ङ) जी, नहीं।

(ङ) राज्य की सड़कों के निर्माण-कार्य की मुख्यत: जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

राज्य सरकारें अपने आंतरिक संसाधनों के जरिए निधियों को जुटाने के अलावा सम्बद्ध राज्य में उत्पादित किए गए कोयले पर रायल्टी तथा अन्य कर लगाकर काफी राजस्व भी एकत्रित करती हैं। अत: उन्हें स्वयं ही सड़कों का निर्माण किए जाने के लिए निधियों का पता लगाना चाहिए, जिसमें कोयलाधारी क्षेत्र में स्थित सड़कों का निर्माण-कार्य भी शामिल है।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। सिकन्द्राराऊ के अन्दर हरिजन महिला के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसे मार दिया गया···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है···

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी सीट पर जाइये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ऐसा नहीं होगा।

श्री जगपाल सिंह : हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में हरिजनों को मरवा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं आपको ऐसे इजाजत नहीं दूंगा।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। क्या आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं बुलाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी चीज को मना नहीं करता। आप ज्वलन्त समस्या उठाना चाहते हैं मैं उसको देख रहा हूं, लेकिन आप लोग शांति से काम लीजिए। मैं सवाल के बारे में मना नहीं कर रहा हूं। इसलिए सदन को आप नियमों से चलने दीजिए।

श्री जगपाल सिंह : हरिजन विद्यार्थी को पीटा गया और पुलिस ने उसको उल्टा लटका दिया। वहां की सरकार ने नंगा कानून पुलिस के हाथों में दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : लोग फुटपाथ पर पड़े हैं, कोई सुनता नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी आप बैठ जायें। मैं ऐसे नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगपाल सिंह जी, आप पहले बैठ जाइए। मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री जगपाल सिंह : हरिजनों पर जो अत्याचार हुआ है···

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर हुए···

अध्यक्ष महोदय : राही साहब, मैंने आपको कहां मना किया है, पहले आप सब लोग बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप सबसे कहा कि आप लोग पहले बैठ जाइये तो बुलाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आप हाउस को नियम के अनुसार चलने देंगे या नहीं ? ऐसा नहीं चलेगा। मि० कुरियन, मैंने पहले भी कहा कि आप बैठ जायें तो मैं बुलाऊंगा लेकिन आपने क्या किया ?

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप अपनी सीट पर जाइये। आपकी कौन-सी सीट है ? वहां जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, व्यवस्था का सवाल सुनूंगा। क्या सवाल है ?

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं आपके मार्फत पूरे सदन का ध्यान एक गम्भीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूं। अलीगढ़ में सिकन्दरा गांव में···

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है जो आपको सुनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि पूरे देश के अन्दर महिलाओं की आबादी 50 प्रसेंट है। सिकन्दरा गांव में जाटव···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब क्यों खड़े हो जाते हैं। मैं सुन रहा हूं।

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार कल 193 के तहत देश के अन्दर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर चर्चा होनी थी लेकिन यह बड़े दुख की बात है और नेशनल फ्रंट सरकार के लिए

शर्म की बात है कि आज की कार्य सूची में इस 193 को निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है ? मैं यह जानना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहस होगी। अब आप बैठ जाइये।

कुमारी मायावती : उसको क्यों निकाल दिया गया ? अलीगढ़ में सिकन्दरा में जाटव शेड्यूल्ड कास्ट की 11 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है और शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी मारे गये हैं। वहां बहुत तनाव है। यह एक शर्मनाक घटना है। ऐसी ही मुरादाबाद-गजरोला में घटनाएं हुई हैं। महिलाओं के इस मामले···। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। मि० चिदम्बरम।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आइये श्री चिम्बरम को सुनते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : मैंने न्यायाधीश कुलदीप सिंह आयोग की रिपोर्ट से संबंधित मुद्दा उठाने की अनुमति मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मुद्दे पर बाद में आयेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि 198 का क्या हुआ ? वह आयेगा और उस पर बहस होगी।

कुमारी मायावती : उनके साथ धोखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें प्लीज।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। 193 के मामले···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उस पर बहस होगी। अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, आप पहले तय कर लीजिए कि कौन बोलेगा ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : इस पक्ष के बहुत से सदस्य महिलाओं पर अत्याचार

के बहुत से मामले उठाना चाहते थे। श्री जगपाल सिंह तीन हरिजन लड़कियों के साथ बलात्कार तथा हत्या का मामला उठाना चाहते थे। उनके पास इसके फोटो भी हैं। (व्यवधान)

स्वाभाविक तौर पर सदस्य बहुत ज्यादा उद्वेलित हैं। मुझे विश्वास है कि हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार तथा हत्या के मामले पर चिन्ता प्रकट करने के मामले में वे भी हमारे साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : सारा सदन चिन्तित है।

[हिन्दी]

पूरा हाउस कन्सर्ड है ?

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे (वर्धा) : वे अपनी चिन्ता कैसे प्रकट कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम इस पर तुरन्त चर्चा करवाना चाहते हैं।

नियम 193 के अन्तर्गत महिलाओं पर अत्याचार के विषय में चर्चा पहले ही कार्य सूची में सम्मिलित है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। परन्तु हमें बड़ा आश्चर्य है कि नियम 193 के अन्तर्गत महिलाओं पर अत्याचार के विषय में जो चर्चा कार्य सूची में आज के लिए निर्धारित की गई थी, उसे आज की कार्य सूची से बदल दिया गया है। मेरा यह सुझाव है कि यह हंगामा एकदम से समाप्त हो सकता है अगर आप जम्मू-कश्मीर विधेयक के तुरन्त बाद कार्य सूची में पहले उल्लिखित किए नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति प्रदान कर दो, यह मेरा सुझाव है और मुझे विश्वास है कि श्रीमती गीता मुखर्जी मेरा समर्थन करेंगी ?

श्रीमती गीता मुखर्जी (बंसकुरा) महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुझे प्रसन्न होना चाहिए अथवा अप्रसन्न होना चाहिए क्योंकि यह प्रस्ताव मेरा है। यह कार्यसूची में मेरे नाम पर है। (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, आपको मेरे अधिकारों की सुरक्षा करनी होगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत दी है, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : यह मत कहिए कि यह प्रस्ताव मेरा है। यह इस सदन की सम्पत्ति है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, एक लेडी मैम्बर बोल रही है, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे आशा है कि मुझे बोलने का अवसर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपको अनुमति है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : तो मैं आशा करती हूं कि वे मेरी बात में विघ्न नहीं डालेंगे प्रस्ताव मेरे नाम पर है और क्योंकि सोमवार को कभी-कभी गाड़ियां विलम्ब से आती हैं, इसलिए मैंने

माननीय मंत्री जी से यह चर्चा कल को रखने के लिए निवेदन किया था। परन्तु मुझे एक और बात कहनी है।...(व्यवधान)...क्या आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे अथवा नहीं? (व्यवधान)

अगर आप इसमें रुचि नहीं रखते तो अलग बात है अन्यथा इससे मुद्दा स्पष्ट हो जायेगा। यह एक वास्तविकता थी। मैंने यह देखा कि बस की कार्यसूची में चर्चा के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। मेरी इस चर्चा में रुचि यहां पर किसी से कम नहीं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि अगर इस पर आज चर्चा नहीं करवाई जाती तो कल के लिए इसका समय निर्धारित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : आज क्यों नहीं? (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसी कारण महिलाओं पर अत्याचार विषय पर कल चर्चा करवाने के लिए मैंने समय निर्धारित करने की मांग की है। कल की कार्यसूची में इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। मुझे यह पसन्द नहीं है। मैं यह चाहती हूं कि इसके लिए समय निर्धारित किया जाए। ताकि इस पर अवश्य ही चर्चा हो सके। यही मेरा सुझाव है। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : महोदय, नियम 376 के अन्तर्गत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। कल की विषय सूची में आपने देखा होगा कि महिलाओं पर अत्याचार विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी थी? यह विषय उससे पहले दिन भी कार्यसूची में था।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : पिछले तीन दिनों से यह विषय कार्य सूची में है।

श्री बसंत साठे : पिछले तीन दिनों से यह विषय कार्य सूची में आ रहा है। महोदय, आप देख रहे हैं कि सारा सदन इस संबंध में चिन्तित तथा उद्वेलित है। हरिजन महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार के नए-नए प्रकरण प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। (व्यवधान) हरिजन महिलाओं और आम तौर पर सभी महिलाओं के संबंध में (व्यवधान) अगर ऐसी कोई घटना हरिजन महिला के साथ होती है तो यह और भी गंभीर रूप ले लेती है। कमजोर वर्गों का ज्यादा शोषण होता है। यह चिन्ता का विषय है। हम केवल इतना चाहते हैं कि जब इस विषय में सारा सदन चिन्तित है तो इस मुद्दे को शून्य-काल के दौरान उठाने की बजाय, इस पर जम्मू-कश्मीर पर चर्चा के पश्चात, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जानी चाहिए ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जा सके। यह मेरा सुझाव है। मेरे विचार में सरकार इससे सहमत होगी और हम सब इस पर चर्चा कर सकेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर अत्याचार का विषय बहुत ही महत्व का विषय है और सारा सदन चाहता है कि इस पर बहस हो। आपने इसको स्वीकार भी किया हुआ है। अभी रिवाड़ी में जो कांड हुआ है जिसमें चलती ट्रेन में महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई, इसी तरह से देश में और भी इस तरह के कांड हो रहे हैं। इस बारे में यहां पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। नियम 193 के अन्तर्गत आपने इसे स्वीकार भी किया है और गीता मुखर्जी के नाम से बहस शुरू भी हो रही है। मुझे सिर्फ यह कहना था कि दोनों चीजों में कोई तालमेल बिठा दें, चाहे आज शाम को ही बैठकर डिस्कस

कर में कितनी देर आप करना चाहते हैं। यह जो गवर्नमैंट का बिजनस है, कहीं कांग्रेस पार्टी को यह शंका है कि गवर्नमैंट का बिजनस निकले ही नहीं।...(व्यवधान)

श्री अनपात सिंह : कांग्रेस पार्टी के बिना बिजनस चल नहीं सकता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

प्रो० विनय कुमार मल्होत्रा : मेरी जानकारी में है कि कांग्रेस पार्टी न तो प्रसार भारती का बिल, न लोकसभा का बिल, न दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा देने का बिल, न ही दूसरे बिल, किसी भी बिल को पास नहीं होने देना चाहती है। (व्यवधान)

आप रात को बारह बजे तक चलाइए, कांग्रेस पार्टी यदि इसके लिए तैयार हो तो रात बारह बजे तक बैठिए और महिलाओं पर अत्याचार पर बहस के साथ-साथ गवर्नमैंट के बिल निकाल दीजिए।(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : सदन के समय में ही यह सब लेना चाहिए, आपने इसको इम्पोर्टेंस दी है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, चाहे कलकत्ता में महिलाओं के बलात्कार का मामला हो, चाहे अलीगढ़ में महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद जिन्दा जलाने का मामला हो, चाहे गजरौला में नन्स के साथ बलात्कार का मामला हो या ट्रेन में महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला हो। बलात्कार की इन बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए आपने कृपा करके 193 के अन्दर डिसकशन मन्जूर किया। वह जब एक बार लिस्ट आफ बिजनस में या आर्डर शीट में आ जाता है तो वह हाउस की प्रापर्टी हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आप मुझे बोलने तो दीजिए। मेरा कहना यह है कि इसलिए उसमें दो मूवर रखे जाते हैं। अगर पहला मूवर एबसेंट हो तो दूसरे वाला मूवर जो लिस्ट आफ बिजनस में रहता है, वह बहस शुरू करता है। यदि दोनों ही न हों तो तीसरा-चौथा वाला जिन्होंने नोटिस दिया होता है, वह उसे मूव कर सकता है। हमारी पार्टी की तरफ से पांच माननीय सदस्यों ने इस पर नोटिस दिया था लेकिन किसी कारणवश बैलेट में उनका नाम नहीं आ पाया। माननीय गीता मुखर्जी ने कहा कि मैंने पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से रिकवैस्ट किया था कि मैं सोमवार को नहीं आ सकती हूं क्योंकि ट्रेन लेट हो सकती है, इसलिए सोमवार को इसे डिसकशन में न लिया जाये। मेरा इसमें प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जब एक बार 193 हाउस की प्रापर्टी बन गया, डिसकशन के लिए एलिस्ट हो गया तो उसके बाद प्राइवेट कनवर्सेशन के जरिये माननीय सदस्य को पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को इस तरह इसको नहीं करना चाहिए था। माननीय विनय कुमार मल्होत्रा और दूसरे सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे...(व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : भाषण देने की जरूरत नहीं है। अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : यह आशंका सदन के सभी सदस्यों के मन में है कि यह सरकार हरिजनों

पर ज्यादती के मामले और विशेषकर महिलाओं पर बलात्कार के मामलों पर बहस को टालना चाहती है। इन मामलों को सील करने का काम दोनों सहयोगी दल कर रहे हैं। इसलिए मैं रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि हाउस के राइट्स का जो हनन हुआ, जो ज्यादती हुई और लिस्ट आफ बिजनस का विरोध किया गया, उसको आप रैस्टोर करें। आप प्रायरिटी आइटम के रूप में इस 193 पर डिसकशन करायें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुभाषिनी अली जी को एलाउ किया है, आप बैठ जाएं।

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय, आप पहले इनको अपनी सीट पर भेजो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुभाषिनी जी, आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, बार-बार सीट छोड़ कर नहीं आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष जी, आज मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि वह लोग महिलाओं के साथ हमदर्दी जता रहे हैं जो लोग महिला आयोग जब पारित होने वाला था इसी सदन में तो 6 बजे के बाद वह बैठने के लिए तैयार नहीं थे। (व्यवधान)

ये कांग्रेस के नेता इस सदन में बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, महिला आयोग के विधेयक को पारित करने के लिए और आज इतनी हमदर्दी जताई जा रही है, हम सब लोग चिन्तित हैं। महिलाओं पर अगर अत्याचार होता है तो हम लोग सब चिन्तित हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे कहीं हो, हम लोग चिन्तित हैं और हम लोग चाहते हैं कि उस पर पूरी बहस हो···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। हो गया, सुभाषिनी जी।

श्रीमती सुभाषिनी अली : और हम चाहते हैं कि उस पर पूरी चर्चा हो, चाहे रात भर बैठना हो, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन महिलाओं का नाम लेकर आप राजनीति करेंगे, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। हो गया। वाजपेयी जी।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, अब कोई कांग्रेस का मैम्बर खड़ा होता है तो हम शान्ति से सुनते हैं, हम लोग शोर नहीं मचाते हैं लेकिन इन्होंने सुभाषिनी जी को सुनने तक नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इनको भी वही सीखना चाहिए, किसी को शोर नहीं मचाना चाहिए।

(व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : अध्यक्ष जी, सारे उत्तर प्रदेश में आज कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां महिलाओं के ऊपर रेप के केसिज नहीं हो रहे हों और बलात्कार नहीं हो रहे हों···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : सुन लीजिए। कोई जरूरी है कि आप इसी समय बोलें ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब रेप के केसिज होते हैं तो उसके बाद न उनकी एफ० आई० आर० लिखी जाती है और जो कल्प्रिट हैं, न उनको पकड़ा जाता है इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि···(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : पहले आप अपने गिरेबान में झांककर देखो। (व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : शाहजहांपुर के एक गांव मालला में मैं गई, वहां पूरे गांव में 60 औरतों का रेप एक साथ किया गया ··(व्यवधान)···और उसके बाद 14 दिन तक उत्तर प्रदेश का कोई नुमाइन्दा वहां नहीं गया। ऐसा नहीं था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए, बाजपेयी जी।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इस पर बहस शुरू हो गई ?

अध्यक्ष महोदय : मि० सत्यपाल मलिक। आप बोल चुकी हैं, आप बैठ जायें, बाजपेयी जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कह चुकी हैं। प्लीज टेक योर सीट।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : आप किसी भी मसले पर बैठकर बात करिये। यह तो दो घण्टे लगाएंगी, बाजपेयी जी।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : माननीय सदस्या ने, गीता जी ने कहा, उसके बाद इसमें बहस की जरूरत नहीं। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम कभी बहस से बचे नहीं बल्कि हमको तो कई बार लगता है, पिछले सैशन के आप आंकड़े देख लें किसी भी मामले पर, जितने मामले हैं···(व्यवधान)··· सुन तो लीजिए। हम आपकी ** सुनते हैं, आप मेरी पूरी बात भी नहीं सुनते।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : सुनने में क्या तकलीफ है, समझने में तकलीफ हो सकती है। (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : हमने पिछले सत्र के आंकड़े मंगवाये हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : उन्होंने कहा है कि "—" जो असंसदीय है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं सुना। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मन्त्री महोदय खड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर मन्त्री महोदय ने किन्हीं असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है तो मैं

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

इस पर विचार करूंगा और उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मन्त्री जी को बोलने देंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि अगर उसने कोई असंसदीय शब्द प्रयोग किए हैं तो मैं उन पर विचार करूंगा और उन्हें कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां तो, श्री सोमनाथ चटर्जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, उन्होंने एक असंसदीय शब्द प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने आपके विषय में कुछ कहा है ?

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या महिलाओं पर अत्याचार विषय पर चर्चा की मांग करना "—" है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। आप और क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ? कृपया अपने स्थान पर जाएं मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बुलाया है। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्य महोदय, हमें बताया गया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : जब हमने महिलाओं पर हुए अत्याचार पर चर्चा की मांग की थी तो उन्होंने यह कहा था कि यह "···" है। वे इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही-वृत्तांत देखूंगा और यदि उन्होंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है तो वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन पुजारी, अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सारे सदन में हंगामा मचा हुआ है। क्या इस पर उनका एकाधिकार है ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय कुछ कह रहे हैं और आप उन्हें सुनना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने कहा कि हम आपकी बहुत ** सुनते हैं, आप हमारी सेंसिबल बात भी नहीं सुन सकते हैं।··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ताकि मैं आपको सुन सकूं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : जब हमने महिलाओं पर अत्याचार पर चर्चा की मांग की थी तो उन्होंने इसे '···'' कहा था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनने दें कि उन्हें क्या कहना है। अगर आप इस प्रकार करेंगे तो मैं किसी को भी नहीं सुन सकता। श्री कुमारमंगलम, आप क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : जब हमने महिलाओं पर अत्याचार पर बहस की मांग की थी, तो संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इसे '····' कहा था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : मेरे माननीय मित्र श्री कुमारमंगलम जी जब मैं बोल रहा था तो मुझे डिसटर्ब कर रहे थे और मैं उनके काम की बात बोल रहा था कि हम बहस से बच नहीं रहे, इस पर कैसे बहस हो जायेगी। (व्यवधान)

जब इन्होंने मुझे डिसटर्ब किया तो मैंने कहा कि कुमारमंगलम जी तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने इनसे आजादी लेते हुए, लिबर्टी लेते हुए कहा कि हम आपकी ··** ··बात सुनते हैं, आप हमारी सेंसीबल बात ही सुन लें। अगर ये शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं तो आप कोरम के शब्द हटा लें। मेरा इरादा किसी को हैरान करने का नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरा उल्लेख किया है। आपको पहले मुझे सुनना चाहिये। उन्होंने इसे मान लिया है। उन्होंने मेरा नाम लिया है। मैंने सिर्फ यही पूछा था कि क्या उन्हें आप यह चर्चा कराने में कोई आपत्ति है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तो क्या हुआ ?

[अनुवाद]

उन्होंने इसे वापस ले लिया है।

(व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री एडवार्डो फैलीरो (मारमागाओ) : अध्यक्ष महोदय, वापस ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको मंत्री जी की भर्त्सना करनी चाहिए। महिलाओं पर अत्याचारों पर चर्चा के उल्लेख में मंत्रीजी का इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आपको कुछ सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बुलाया है। हमें उनकी बात सुननी चाहिए। सदन के वरिष्ट सदस्यों की कुछ तो इज्जत कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, विपक्ष के नेता द्वारा सदन को यह बतलाया गया था कि इस सदन की कार्यवाही के संचालन के मामले में वे रचनात्मक सहयोग देंगे। महिलाओं की चिन्ता करने का ठेका कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला हुआ है। हम सभी चिंतित हैं। वास्तव मे, श्रीमती गीता मुखर्जी ने यह नोटिस दिया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं दोबारा सदन के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार इस ओर से सदस्य दूसरी ओर के सदस्यों को ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें यह भी कहूंगा कि वे बाधा न डालें। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वरिष्ठ सदस्यों को बोलने के लिये बुलाया जाये, तो आपको व्यवधान नहीं डालना चाहिये। अब से, मैं सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करूंगा कि जब दूसरे सदस्य बोल रहे हों, तब वे व्यवधान न डालें। हां, श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुननी चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करते हैं। इस तरफ से, श्रीमती गीता मुखर्जी ने नोटिस दिया है। और हम सभी चर्चा के लिये सहमत थे। किन्तु उन्होंने कल तक के लिये स्थगन का अनुरोध किया था **(व्यवधान)** और एक बार जब आपने यह मान लिया···**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : नहीं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब आपने इसे कल के लिये निर्धारित कर दिया है, तो वे आपके निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकते। **(व्यवधान)** दूसरे, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने सारे महत्वपूर्ण विधानों पर यह सदन विचार करे।

हम यह सोचने पर मजबूर हो गये हैं कि यह सब प्रभार भारती विधेयक को रोकने के लिये किया जा रहा है। **(व्यवधान)** मैं यह सुझाव देता हूं कि यदि वे महिलाओं के बारे में वास्तव में चिंतित है, और वे इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आज 6.00 म० प० पर यह चर्चा शुरू की जाये, और इसे मध्य रात्रि तक जारी रखें। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। 6.00 बजे, हम इस पर चर्चा करेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री आडवाणी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि सदन 6.00 म० प० के पश्चात इस पर चर्चा करे ?

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिसेज बाजपेयी जी, आप सीनियर मेंबर हैं, मेहरबानी करके बैठ जाइए, मैंने आडवाणी जी को बुलाया है, आपको बोलने का मौका दिया था और आप बोल चुकी है, अब बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री साठे जी से और उनके सहयोगियों से अनुरोध करना चाहता हूं·· (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : अजेंडा से ड्राप कैसे हुआ बताइये आडवाणी जी, क्या आपसे पूछ कर हुआ, हम जानना चाहते हैं कि किससे पूछकर अजेंडा से ड्राप हुआ।(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं साठे जी से और उनके सहयोगियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह तीसरा सप्ताह इस सत्र का चल रहा है और तीसरे सप्ताह में अब तक जो स्थिति है वह यह है कि सिवाये विभन्न बिल के हमने कोई और विधायी कार्य नहीं किया है। यह ठीक है कि एक सप्ताह बहुत छोटा था।

श्री बसंत साठे : छुट्टियां आ जाएं तो हम क्या करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं मानता हूं कि मजबूरियां हैं, लेकिन संसद का कार्य प्राथमिक रूप से दो प्रकार का होता है, एक विधायी कार्य और दूसरा सार्वजनिक महत्व के प्रश्न। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिसेज बाजपेयी, आप बैठ जाइये। हमें सदन में एक डेकोरम रखना चाहिये। मैंने आपको बुलाया था, आप बोल चुकी हैं, अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिये।

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

मेहरबानी करके बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, ये दो प्रकार के जो कार्य हैं, जिनके ऊपर सबको गहराई से विचार करना चाहिए, एक तो लेजिसलेटिव वर्क है और साथ-साथ सार्वजनिक महत्व के प्रश्न, जैसे महिलाओं पर अत्याचार होता है, हरिजनों पर अत्याचार होता है, इन विषयों पर भी विचार करना हमारा दायित्व है। जो सीमित समय है, उस सीमित समय को कैसे बांटना है, इसका निर्णय बी० ए० सी० करती है। बी० ए० सी० की सिफारिश के अनुसार सारा काम होता है।

श्री बसंत साठे : यह पहले था, इसका निर्णय हो चुका था, आपको सबक बताया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी हैल्ड नहीं कर रहे हैं। साठे जी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में जो प्रस्ताव था, यहां पर प्रस्तुत किया गया, लेकिन कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपत्ति उठाई थी, मुझे लगता था कि शायद सदन में भी प्रस्ताव के बारे में आपत्ति उठाएंगे, लेकिन उस समय किसी ने आपत्ति नहीं उठाई और वह प्रस्ताव पास हुआ। (व्यवधान)

आप रिकार्ड देख लीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, जब वे बोल रहे हों तो क्या आपका खड़ा होना आवश्यक है?

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अपना भाषण नहीं रोक रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह निर्णय लिया गया था कि इस पर सोमवार, अर्थात् बीता हुआ कल, को चर्चा की जायेगी। उन्होंने हमारी जानकारी के बिना इसे बदल दिया है। वे सदन को गुमराह रहे हैं। (व्यवधान) वरिष्ठ सदस्य को सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यहां पर यह प्रस्ताव श्रीमती गीता मुखर्जी का है और जब पूरे सदन के लोग कह रहे हैं कि हम रात्रि के 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० जे० पी० कुरियन : हम यह नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या आप चाहते हैं कि प्रसार भारती विधेयक या लोकपाल विधेयक या दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने सम्बन्धी विधेयक को संसद में पारित न होने दिया जाए?

[हिन्दी]

पार्लियामेंट को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की इस नैगेटिव एप्रोच का विरोध कैसे किया जाए।

[अनुवाद]

हमें विचार करना पड़ेगा। (व्यवधान) विधायी कार्य सम्पन्न करना केवल सरकार की ही नहीं अपितु सारे संसद की जिम्मेदारी है। इसलिए, एक संसद सदस्य के रूप में, जो यह चाहता है कि प्रसार भारती विधेयक को पारित कर दिया जाए, लोकपाल विधेयक को पारित कर दिया जाए, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने सम्बन्धी विधेयक को पारित कर दिया जाए, प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी सम्बन्धी विधेयक को पारित कर दिया जाए, मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों का पालन किया जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पीठासीन अधिकारी के रूप में, आप यह सुनिश्चित करें कि उन प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

यहां से हम सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि रात भर बैठना पड़े तो भी हम चर्चा करेंगे। (व्यवधान) आप तैयार नहीं हैं तो चले जाइए। आप यह कहकर अपना मंतव्य साफ कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

आप अपने उद्देश्य से परे हट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठें। मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया था। मैं खड़ा हूं। मैंने व्यवस्था सम्बन्धी सभी प्रश्न सुने थे। मैं 17 अगस्त, 1990 के समाचार—भाग दो, में से पढ़ता हूं :

"पुन: विचार करने पर, लोक सभा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1989 पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए समय को 6 घण्टे से बढ़ाकर 8 घण्टे करने के लिए सहमत हुई। सभा इस बात पर भी सहमत हुई कि विधेयक को मंगलवार 21 अगस्त, 1990 को विचार करने और पारित करने के लिए लिया जाए।"

आज 21 अगस्त, 1990 है।

[हिन्दी]

इसलिए मेरा यह कहना है कि "औरतों पर एट्रोसिटीज" मामले पर सारा सदन और देश चिन्तित है। यह बहुत ज्वलंत और महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए औरतों पर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उस पर हम लोग कल चार बजे बहस करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी हम लोगों के सामने जो प्रस्ताव है, वह लेना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री कुरियन ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपके विनिर्णय पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। किन्तु, महोदय, यह भी सच है कि···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस पर नहीं। मैंने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है।

प्रो० जे० पी० कुरियन : कार्य-मंत्रणा समिति ने सोमवार को हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा करने की सिफारिश की थी। इसे कार्य सूची में शामिल किया गया था। इसे किसने हटाया ? क्या इसे आपकी अनुमति से हटाया गया था ? मैं केवल स्पष्टीकरण के लिए पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या इस विषय को आपकी अनुमति से हटाया गया था। कार्य-मंत्रणा समिति ने सिफारिश की थी कि इस पर सोमवार को चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कल 4 बजे म० प० पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न है। मैं आपके विनिर्णय से सहमत हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, क्या आप कृपा करके अपनी जगह पर बैठेंगे?

प्रो० पी० जे० कुरियन : इस सभा को कार्य सूची में सम्मिलित इस मद के बारे में जानने का, और यह जानने का अधिकार है कि क्या इसे आपकी अनुमति से हटाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वास्तविक नियन्त्रण रेखा के पार, पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर बमबारी की है। इतनी भारी तोपों और अग्नि बमों का प्रयोग किया गया है कि वे भारतीय इलाके में 500 मीटर अन्दर तक आकर गिरे। यह घटना ऐसे समय हुई है जबकि विदेश सचिव स्तर की बातचीत होने वाली है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर प्रधानमन्त्री 4 बजे म० प० पर एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : यह इतना गम्भीर मामला है तो इस पर फुल डिसकशन होना चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने इस घटना के बारे में कल सुना था। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर आतंकवादी बहुत अधिक सक्रिय हैं।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मैंने बता दिया है कि प्रधानमन्त्री 4 बजे म० प० पर एक वक्तव्य देंगे। मैं इस पर भी विचार करूंगा कि क्या इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अधीन भी चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है? 4 बजे म० प० पर सदन का

जो भी कार्य होगा उसे रोक दिया जायेगा और महिलाओं पर अत्याचार के बारे में चर्चा की जायेगी। क्या ऐसा है ?

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री वसन्त साठे : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है ? 4 बजे म० प० पर सदन का जो भी कार्य है उसे रोक दिया जायेगा और अत्याचार पर चर्चा शुरू की जायेगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री वसन्त साठे : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी० चिदम्बरम : उन अन्य मुद्दों का क्या होगा जिनके बारे में मैंने नोटिस दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उस बात पर आऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री बयान देंगे। आप बैठ जायें।

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। रोजाना दो घंटे बेकार की बातों में आया ही जाते हैं। जब कोई महत्वपूर्ण बात आती है तो कहते हैं कि समय नहीं है। जबकि सारा समय बेकार की बातें करने में ही निकल जाता है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : कश्मीर वाले मसले पर क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : 4 बजे प्रधान मन्त्री बयान देंगे। उसके बाद हो सकता है। चर्चा हो।

श्री मदन लाल खुराना : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि चर्चा हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने सूचना और प्रसारण मन्त्री से सम्बन्धित मुद्दा उठाया था और यह कहा था कि सूचना और प्रसारण मन्त्री ने किस प्रकार सदन को गुमराह किया है। बाद यह विषय प्रसार भारती विधेयक के कारण, जिस पर चर्चा होने वाली है, अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। यदि सरकार प्रसार भारती विधेयक के बाद इसी प्रकार मीडिया का प्रयोग करेगी तो हमें बहुत गम्भीर शंकाएं हैं ··(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको कल बताऊंगा।

श्री दिनेश सिंह : मैंने इसीलिए आपसे अर्ज किया कि यह मसला बहुत अहम् है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको क्यों उठा रहे हैं। यह मेरे विचाराधीन है। मैं अपनी राय बताऊंगा।

श्री विनेश सिंह : यह विशेषाधिकार का सवाल है। इस पर आपकी अनुमति हो जानी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : रेलवे से सम्बन्धित दो प्रश्नों को सेन्सर कर दिया गया था···

[हिन्दी]

श्री विनेश सिंह : आपकी अनुमति हो तो इसे आप विशेषाधिकार समिति के सामने भेज दें। या आप इजाजत दें तो हाउस में इस पर बात कर लें।

अध्यक्ष महोदय : यह विचारार्थ है, मैं अपना फैसला आपको सुनाऊंगा। विशेषाधिकार समिति में भेजने के लिए सबकी राय जानना जरूरी है।

श्री विनेश सिंह : प्रसार भारती बिल आ रहा है यह उससे सम्बन्धित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर को इस विषय में प्रेस को बयान नहीं देना चाहिए था। मैंने श्री अकबर से कह दिया है कि मुझे उनका पत्र समाचार पत्रों में आने के तीन दिन बाद मिला।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री पी० उपेन्द्र के विरुद्ध विशेषाधिकार सम्बन्धी नोटिस दिया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उस विषय पर आइए जिसे आप उठाना चाहते थे।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने श्री पी० उपेन्द्र के विरुद्ध विशेषाधिकार सम्बन्धी नोटिस दिया है। कृपया उस पर विचार करके आदेश दें। मैं केवल आपको इस पर विचार करने और आदेश देने का निवेदन कर रहा हूं। रेलवे के सम्बन्ध में दो प्रश्नों की अनुमति नहीं दी गई थी, उन्हें सेंसर किया गया था और मन्त्री ने कहा है कि कोई सेंसर नहीं किया गया था।

मैं जो इसका मुद्दा उठाना चाहता हूं वह यह है। महोदय, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह जांच आयोग का गठन किया गया था और इससे अपनी रिपोर्ट दे दी है। कानून के अनुसार की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए। उन्होंने पिछली बार यह कहकर इस अधिनियम का बड़ी धूमधाम के साथ संशोधन किया था कि प्रत्येक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी और वे सभा से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। अब इस मामले में क्या हुआ ? यह सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है। साथ ही संसद का सामना भी नहीं करना चाहती है, सभा पटल पर रिपोर्ट भी नहीं रखना चाहती है क्योंकि इसके साथ इन्हें की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों की जानकारी भी देनी पड़ेगी। इसके बदले, उन्होंने इसे चुपचाप ग्रन्थालय में रखवा दिया। ग्रन्थालय में चार या पांच प्रतियां हैं। इसमें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन नहीं है। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने और उल्लंघन किया है।

1.00 म० प०

हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या हम यही मानें कि सरकार इसे सभा पटल पर नहीं रखेगी ? क्या हम यही मानें कि जो ग्रंथालय में रखा गया है उससे कानून का अनुपालन हो गया है ? हम आप का विनिर्णय चाहते हैं। हम यह पूछते है कि क्या हम इस आधार पर आगे चलें कि इस सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की है ? फिर तो हमें उस पर चर्चा करनी चाहिये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि सरकार छः महीने के अन्दर-अन्दर यह रिपोर्ट सभा पटल पर रख सकती है···

श्री पी० चिदम्बरम : तो फिर उन्होंने इसे वहां क्यों रखा है ? उन्होंने ऐसा परोक्ष रूप में किया है जो वे सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने की गई कार्यवाही रिपोर्ट के बिना ही इसे ग्रन्थालय में रख दिया है। यह तो कानून का मखौल है···(व्यवधान) यदि यह रिपोर्ट वैध है, यदि उन्होंने पर पर कोई कार्यवाही नहीं की है तो मुझे की गई कार्यवाही की कोई चिन्ता नहीं है—हम इस रिपोर्ट इस सदन में चर्चा कर सकते हैं। यह ग्रंथालय में रखी गई है। आपको इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिये। वे इस रिपोर्ट को छुपा नहीं सकते है न ही वे कर्नाटक हेगड़े द्वारा किये गये कार्यों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। हम इस सभा में इस रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हैं।

1.02 म० प०

हिन्दी का प्रयोग तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के बारे में

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : एक गंभीर समस्या से हम सभी, विशेषकर दक्षिण भारत के निर्वाचित सांसद व्यथित हैं। वह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमने देखा कि कुछ दिन पूर्व इन्दौर में तीन मुख्यमंत्रियों ने इकट्ठे होकर एक सम्मेलन का आयोजन किया और अंग्रेजी को हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक संकल्प पारित किया कि तमिल बोलने वालों पर हिन्दी थोप दी जाए···(व्यवधान) इतना ही नहीं, हमें प्रधानमन्त्री की ओर से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संदेश केवल हिन्दी में प्राप्त हो रहे हैं दो भाषाओं में नहीं, जिनके कारण हमें उनका फिर अनुवाद कराना पड़ता है। यदि सरकार की यही मंशा है कि अंग्रेजी को समाप्त करें और हम सबों पर हिन्दी थोप दें तो हम इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते है क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और यह बरदाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस संबंध में नीति संबंधी वक्तव्य चाहते हैं। जनता दल के एक या दो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने इकट्ठे होकर··· (व्यवधान) मैं सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

पहले आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : श्री रंगराजन कुमारमंगलम अन्य माननीय सदस्यों को यह आदेश नहीं दे सकते हैं कि उन्हें क्या कहना है। मैंने आपको लिखा है। मैंने आपको एक नोटिस दिया है जो···(व्यवधान)

[इस समय श्री पी० आर० कुमारमंगलम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

1.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

एअर इंडिया के वर्ष 1990-91 के राजस्व तथा व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश; एअर इंडिया के वर्ष 1988-89 के वास्तविक व्यय का सारांश, वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के बजट प्राक्कलन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : श्री आरिफ मोहम्मद खान की ओर से मैं वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एअर इंडिया के वर्ष 1990-91 के राजस्व तथा व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1238/90]

(2) एअर इंडिया के वर्ष 1988-89 के वास्तविक व्यय का सारांश, वर्ष 1989-90 के बजट प्राक्कलन तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा वर्ष 1990-91 के बजट प्राक्कलन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1239/90]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत 15 जुलाई, 1990 का करार और 17 दिसम्बर, 1966 के मूल करार में संशोधन करने का करार

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) औषध (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1990, जो 27 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 173(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) औषध (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1990, जो 6 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 541(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1240/90]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 42 के अन्तर्गत 15 जुलाई, 1990 के करार, जो 17 दिसम्बर, 1966 के मूल करार में संशोधन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1241/90]

रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए भर्ती में उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों सम्बन्धी प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : श्री अजय सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रेल (पशुओं के लिए संक्रामक और स्पर्शजन्य रोगों के लिए सुरक्षा) नियम, 1990, जो 7 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 553(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल (पूरे वैगन भार या गाड़ी भार में परेषण की तौल) नियम, 1990, जो 3 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 615 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1242/90]

(2) 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भर्ती तथा पदोन्नति में उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की तुलना की गई भर्ती में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1243/90]

1.06 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

अवर सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 115 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 अगस्त, 1990 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 31 मई, 1990 को हुई उसकी बैठक में पारित किए गए जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1990 से निम्नलिखित संशोधन से सहमत हुई :

खंड 3 (नया)

खंड 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए —

"3. जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (1) में "लोक सभा या यथास्थिति राज्य की विधान सभा" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, "संसद या यथास्थिति राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।" — 1952 के अधिनियम सं० 60 की धारा 7 में संशोधन।

1.10 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.12 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.12 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हिन्दी का प्रयोग तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के बारे में – जारी

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, हमारे एक माननीय सदस्य श्री कुमारमंगलम जी

ने एक मुद्दे को उठाया। उस मुद्दे पर जो हमारी भावनाएं हैं, वह भावनाएं अकेले हमारी नहीं हैं बल्कि सारे देश की हैं और आप भी उसको अच्छे तरीके से जानते हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं तो हमेशा हिन्दी में ही बातचीत करता हूं। हिन्दी को ही नहीं बल्कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनको बढ़ावा देना और उनमें ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, उसके लिए काम करना सरकार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में संविधान भी स्पष्ट है। जो आफिशियल लैंग्वेज ऐक्ट विधान ने पास किया, इस सभा ने पास किया, वह भी बिल्कुल स्पष्ट है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसी सदन में माननीय श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने क्या यूनियन की भाषा नीति होगी, उसके विषय में अपनी बात कहते हुए जो एश्योरेंस सारे देश के लोगों को दिया था, और विशेष तौर पर उन लोगों को दिया था, जिन लोगों की भावनाएं उस समय किन्हीं-किन्हीं कारणों से गलतफहमियों के कारण हर्ट फील कर रहे थे, उसका अनुपालन किया जाना बहुत जरूरी है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं, वह ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें, कुछ व्यक्ति अपने राजनैतिक दृष्टिकोण के लिए··· (व्यवधान)···

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी सदर) : यह बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर पूरी बहस कराई जाय ताकि···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : मैं उसी सम्बन्ध में कहने वाला हूं।

[हिन्दी]

अपने राजनैतिक दृष्टिकोण के लिए, अपने फायदे के लिए हिन्दी, हिंदी, हिन्दी की बात करके और अंग्रेजी हटाओ का नारा देकर हिन्दी को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी भारतीय भाषा को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं और देश को भी फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने अति उत्साह में कहीं वह लोग देश की राष्ट्रीय एकता को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं, इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है···(व्यवधान) ···माननीय उपाध्यक्ष जी, हिन्दी से जितना प्रेम उनको है, उतना ही प्रेम मुझको भी है, उतना ही प्रेम भारत की दूसरी भाषाओं से भी है और उससे कई गुना प्रेम मुझको भारतीयता से है और भारत से है। इसलिए मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि अपने अति उत्साह में कुछ लोग हिन्दी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आफिशियल लैंगुएज एक्ट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन लोगों को ताकत मिल रही है जो अपने राजनैतिक फायदे के लिए कुछ प्रांतों में हमेशा हिन्दी के खिलाफ प्रोपेगण्डा करते रहे हैं, आफिशियल लैंगुएज एक्ट के खिलाफ प्रोपेगण्डा करते रहे हैं और···(व्यवधान)···आज उन ताकतों को हवा मिल रही है इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा और आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि वह इस प्रकार की जो गलतफहमियां पैदा हो रही हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री हरीश रावत : कुछ लोगों के कारण गलतफहमियों को दूर करने लिए इस विषय में उनकी

जो नीति है, उसको स्पष्ट करने की कृपा करें और यदि आप उचित समझें तो इस विषय में इस सदन में चर्चा भी होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और इसलिए मैं जो मेरे मित्र कुमारमंगलम जी ने कहा कि डी० एम० के लोग दक्षिण में तमिलनाडु के अन्दर यह माहौल तैयार करके एक विवाद को···(व्यवधान)···एक नये मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं। मैं उनकी बात का समर्थन करना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि इस विषय में यहां पर आकर वक्तव्य दे कि आखिर उनकी भाषा नीति क्या है। क्या कारण है कि आज कुछ राज्य अलग-अलग ढंग की बात कर रहे हैं। आखिर भारत के विषय में भी कुछ सोचना पड़ेगा, आप जाति के आधार पर बांटेंगे, साम्प्रदायिकता के आधार पर बांटेंगे, क्षेत्रीयता के आधार पर बांटेंगे और उसके बाद भाषा के आधार पर भी यदि बांटने का काम करेंगे तो इस बात को सहन नहीं किया जा सकता।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री कुरियन के सिवाय किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, हम वक्तव्य चाहते हैं। क्या वह वक्तव्य के द्वारा आश्वासन नहीं दे सकते हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : ये दो मैम्बर्स ही क्यों, सब मैम्बर्स इक्वल हैं, आपको सब को सुनना चाहिए, यह क्या बात हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मुझे हाउस कण्ट्रोल करने दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : कैसे कण्ट्रोल होगा। मेरा यह कहना है···

उपाध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आपकी भावना को मैंने समझ लिया। आप बैठ तो जाइए।

[अनुवाद]

श्री टी० गनीर (चिरायिकिल) : महोदय, मुझे भी एक बात कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री कुरियन को छोड़कर अन्य किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुरुषोत्तमन, कृपया बैठ जाइए। हां, कुरियन जी। वह जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। यह नियमित चर्चा नहीं हो रही है। एक विशेष मामले के रूप में मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

श्री अन्वाराशु इरा (मद्रास मध्य) : डी० एम० के० के रवैये के कारण ही मैं यह बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्वारासु, आपको समझना चाहिए। श्री कुरियन, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अत्यन्त ही संवेदनशील मामला है। मैं सदस्यों से अत्यन्त सावधान रहने का अनुरोध करूंगा। देश के विभिन्न भागों से आने वाले सदस्यों की भावनाओं को हम समझते हैं। यह मामला और जटिल न हो जाए, इसके लिए हम कुछेक प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। मैं इसे अपने ही तरीके से करने की अनुमति चाहता हूं तथा यदि सदस्यों को अपने विचार उचित समय पर तथा उचित तरीके से व्यक्त करने की अनुमति देना आवश्यक होता है तब ऐसा किया जा सकता है।...

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मेदनापुर) : उस स्थिति में, हमें समुचित चर्चा करनी चाहिए। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि हर सदस्य खड़ा हो जाए तथा जो चाहे वह कहना शुरू कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसका निर्णय कार्य मन्त्रणा समिति में करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है; यहां पर नहीं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय। श्री कुरियन मैं आपको केवल एक मिनट का समय दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : ये कांग्रेस वाले प्रिविलेज क्लास हैं हाउस में। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, भाषा के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं। देश को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। भाषा के नाम पर ये तोड़ना चाहते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : हिन्दी के दुश्मन डी० एं० पी० के लोग हैं।...(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : जो डी० एम० के० ने नहीं किया, वह इन्होंने करके दिखा दिया।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं हिन्दी में बोलूंगा, सुनिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, आपको केवल पीठासीन अधिकारी को ही सम्बोधन करना है। कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करके अपनी बात कहिए तथा यदि आप हिन्दी में अपनी बात कह सकते हैं, तो आप हिन्दी में बोल सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं केवल खुराना जी को बता रहा था...

उपाध्यक्ष महोदय : आपको श्री खुराना जी को नहीं बताना है; आपकी सभा को बताना है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यह एक अत्यन्त संवेदनशील मसला है तथा इसीलिए हमें इस मामले को और नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं और नहीं भड़कें। मैं यह अत्यन्त स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम सभी हिन्दी के पक्षधर हैं। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है तथा हिन्दी का सम्मान किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)** मैं हिन्दी में भी बोल सकता हूं। **(व्यवधान)** हम हिन्दी के बिलकुल खिलाफ नहीं हैं। परन्तु हमारे देश में काफी बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जो हिन्दी नहीं जानते हैं तथा उन्हें इसकी अच्छी जानकारी नहीं है जैसी कि अन्य व्यक्तियों को है। अतएव पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सभा को आश्वासन दिया था। **(व्यवधान)** मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वह सभा को यह अश्वासन दे कि पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए अश्वासन का इस सरकार द्वारा सम्मान तथा अनुपालन किया जाएगा। हम सभी हिन्दी का समर्थन कर रहे हैं तथा हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। परन्तु अंग्रेजी भी उतने समय तक रहनी चाहिए जब तक इस देश की जनता इसे चाहती हो। सरकार को इस आश्वासन का सम्मान करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में आश्वासन दे जिससे इस मसले पर देश का विभाजन न हो। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार ये एक ही बात कहेंगे। सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। जो बात रावत जी ने कही है वही बात वे कहने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**।

[अनुवाद]

श्री अन्बारासु इरा : *महोदय, प्रधान मन्त्री जी ने मुझे एक पत्र हिन्दी में लिखा है।*

उपाध्यक्ष महोदय : अन्बारासु जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, कृपया बैठ जाइये। जो कुछ श्री चार्ल्स कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, आपको समझना चाहिए कि आपकी पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार के निर्णय को जानना चाहा है। क्या आप सरकार को अपना निर्णय स्पष्ट करने नहीं देंगे? कृपया बैठ जाइये। यह नियमित चर्चा नहीं है। नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों के अन्तर्गत मैंने इसे एक विशेष मामले के रूप में इसकी अनुमति दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। सरकार को अपनी बात कहने दीजिये।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं भी इस हाउस का सदस्य हूं और हमको भी सरकार से पूछने का उतना ही अधिकार है, जितना कि उनको है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कठिनाईयां उत्पन्न करना चाहते है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्बारासु, आप बैठ जाइये। आप इसका महत्व जान जायेंगे।

श्री अन्बारासु इरा : हिन्दी लागू करने का यह तरीका नहीं है। मुझे प्रधान मंत्री जी से हिन्दी में एक पत्र मिला था। क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि यह अपने आप ही इस बारे में एक वक्तव्य दे ? वे इस संबंध में वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की भाषा नीति अत्यन्त स्पष्ट है। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के चुनावी घोषणापत्र, जिसका हम दृढ़तापूर्वक पालन कर रहे हैं, को पढ़कर सुनाता हूं :

"राज्य स्तर पर प्रशासन में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग ··

डा० तम्बि दुरै (करूर) : मैं इस पर आपत्ति उठा रहा हूं। भारत की प्रादेशिक भाषा क्या क्या है, मैं जानना चाहता हूं। सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं है। आप भाषा के आधार पर क्षेत्रों के विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। क्या आप देश का विभाजन करना चाहते हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी पूरी बात कहने दें।

(व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : उनकी मामला उठाने की आदत हो गई है। परन्तु वे उत्तर सुनना नहीं चाहते। उन्होंने यह मामला उठाया है परन्तु वे हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। यह क्या है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं खड़ा हुआ हूं। आप क्यों शोर मचा रहे हैं ? कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए कि एक मामला उठाया गया है। सरकार उत्तर दे रही है। मैं नहीं जानता कि आपको इस मामले पर विस्तार में चर्चा करनी चाहिए अथवा नहीं क्योंकि चर्चा के समय यदि हम एक दूसरे की संवेदनशीलता को चोट पहुंचाते हैं तब मामला और भी जटिल हो जाता है। इस पर भी मैं इस मामले पर निर्णय देना सभा, कार्य मंत्रणा समिति तथा अध्यक्ष के ऊपर छोड़ता हूं। हमें इसको और नहीं बढ़ाना चाहिये। कुछ मुद्दा उठाया गया है। सरकार उत्तर दे रही है। सरकार को अपनी बात कहने दें, तब हम निर्णय करेंगे। यदि यह आवश्यक है कि अन्य सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाये तथा आप अपने विवेकानुसार ऐसा चाहते हैं तक हम निश्चय करेंगे कि हमें इस सम्बन्ध में क्या करना है।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं घोषणा पत्र से पढ़ देता हूं।···(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम आपका घोषणा पत्र नहीं सुनना चाहते हैं। हम सरकारी नीति जानना चाहते हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : घोषणा पत्र मत पढ़िये। हमें सरकारी नीति बताइये।

श्री पी० उपेन्द्र : नीति यह है :

"प्रत्येक राज्य में प्रशासन में तथा शिक्षा के सभी स्तरों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।"

"पंडित नेहरू द्वारा भाषा नीति के सम्बन्ध में दिये गए आश्वासन को पूरा किया जाएगा और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे। उर्दू के संबंध में गुजरात समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। अन्य भाषाई ग्रुपों के अनुरोध पर आठवीं अनुसूची का विस्तार किया जाएगा।"

सरकार की यह नीति रही है। हम सख्ती के साथ इसका पालन कर रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : जो तीन मुख्य मंत्री बैठक कर रहे हैं उसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्स : हमें केवल हिन्दी में पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अगला मद लिया जाएगा।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार की यह नीति है। एक बैठक में···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दूंगा। यदि इस मसले पर चर्चा आवश्यक हुई तो इसका निर्णय कार्य-मंत्रणा समिति में किया जाएगा और फिर इस मसले पर चर्चा की जा सकेगी। सदन की यही प्रथा है। कृपया पहले बैठ जाइए। जब मैं खड़ा हुआ हूं तो पहले आपको बैठ जाना चाहिए। आप भी कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कांग्रेस दल के सचेतक से निवेदन करूंगा कि वह अपने सदस्यों से बात करें क्योंकि वह नेहरू नीति को लागू करना चाहते हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार इसे लागू करने जा रही है।

— — —

2.32 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : मैं भारतीय राज्य व्यापार नियम लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (आठवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

— — — —

2.33 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें रेलवे—1990-91

रेल मंत्री (श्री आर्यं फर्नान्डीज) : मैं वर्ष 1990-91 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

— — — —

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या आप अन्य बचे हुए मामलों को भी लेंगे जिनके लिए नोटिस दिया जा चुका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या अब उन मामलों को नहीं लिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : कौन से मामले ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिन मुद्दों पर हमने नोटिस दिए हैं और जिन्हें शून्य काल में उठाया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें यहां सदस्य के रूप में कार्य करना है। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन-सी प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों में ऐसा उपलब्ध नहीं है। हम सदन में इसकी चर्चा नहीं करते।

— — — —

2.34 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक में चित्रदुर्ग का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग

श्री सी० वी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : महोदय, चित्रदुर्ग कर्नाटक राज्य के मध्य में स्थित है। यह राज्य के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 चित्रदुर्ग से होकर गुजरता है। यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र है।

चित्रदुर्ग न केवल ऐतिहासिक स्थल है अपितु महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र भी है। यहां मदाकरी-नायिका का प्रसिद्ध किला भी है और ओणके ओबेवा की लोकप्रिय गुफाएं भी हैं यहां कई मन्दिर हैं और अन्य ऐतिहासिक स्मारक हैं। भारतीय पर्यटकों के अलावा यह स्मारक हजारों विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं।

इस ऐतिहासिक स्थान को प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की कर्नाटक के लोगों, विशेषकर चित्रदुर्ग जिले के लोगों की भारी मांग है। इससे सरकार को आय का साधन होने के अलावा हजारों बेरोजगार युवकों को काम भी मिलेगा।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पुरातत्व विभाग को इस मामले को शीघ्र देखने का निर्देश दें और चित्रदुर्ग को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करें।

(दो) बिहार में फतुहा और इस्लामपुर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर चालू किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री आर० एस० प्रसाद (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत बिहार राज्य के फतुहा (पटना) से इस्लामपुर तक चार वर्षों पूर्व तक छोटी रेल नियमित रूप से चला करती थी। भारत सरकार द्वारा इसे बन्द करा देने से उस घनी क्षेत्र के लोगों के समक्ष आवागमन की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़क यातायात से परिवहन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे (मीटर गेज की) बड़ी लाइन में बदलकर चालू करने की व्यवस्था जनहित में अविलम्ब की जाए।

(तीन) उड़ीसा में बैतरणी नदी पर बांध के निर्माण की परियोजना को मंजूरी देने और उसे आठवीं योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : महोदय, क्योंझर, बालेश्वर और कटक जिलों से होकर गुजरने वाली उड़ीसा की बैतरणी नदी पर बांध के निर्माण की शीघ्र आवश्यकता है। वर्ष भर नदी में कई बार बाढ़ आती है। ऊंची लहरों के कारण इससे खड़ी फसलों और मकानों को काफी क्षति होती है। प्रत्येक वर्ष मनुष्यों और पशुओं की इससे मृत्यु होती है। इस नदी पर बहुउद्देशीय बांध के निर्माण की उड़ीसा के लोगों की मांग काफी पुरानी है। इस बांध के लिए भूमि का चयन 1973 में ही हो गया था लेकिन इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव काफी लम्बे समय से सरकार के पास लंबित है जबकि इस बारे में कई बार स्मरण पत्र दिए जा चुके हैं। पर्याप्त बिजली के उत्पादन के अलावा इस बांध से कटक और बालेश्वर जिलों के काफी बड़े क्षेत्र में सिंचाई करने में सहायता मिलेगी।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस परियोजना को स्वीकृत करने और इसे आठवीं योजना में शामिल करने के लिए शीघ्र कदम उठायें।

(चार) टिहरी परियोजना में प्रस्तावित काफर बांध के निर्माण से प्रभावित 500 परिवारों के पुनर्वास का कार्य तेज किए जाने की मांग

श्री सी० एम० नेगी (गढ़वाल) : महोदय, टिहरी पन बिजली विकास निगम ने करोड़ों रुपयों

की टिहरी परियोजना के लिए काफर बांध बनाने का निर्णय किया है जिसके लिए निविदाएं प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त, 1990 है। परन्तु टिहरी के पांच हजार परिवारों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है। यदि वहां के लोगों को नहीं हटाया जाएगा तो वहां की स्थानीय जनता को बड़ा खतरा होगा क्योंकि भूमिगत सुरंगों को बन्द करने के कारण अथवा इस बांध के निर्माण के दौरान किसी अन्य भूल से यह क्षेत्र पानी में डूब सकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की जांच की जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर को जेली "ए" दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश शासन ने ललितपुर को पिछले दशक में जिला का दर्जा प्रदान किया था। आजादी के 43 साल पूरे हो जाने के बावजूद औद्योगिक आर्थिक व कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र पूरी तरह पिछड़ा है। विकास की ऐसी कोई प्रक्रिया यहां शुरू नहीं की गई जो ललितपुर को अन्य जिलों के बराबर ला सके।

ललितपुर जिले में कृषि योग्य जमीन का प्रतिशत अन्य जनपदों के हिसाब से न्यूनतम है। उस पर सिंचाई के भी पर्याप्त साधन नहीं हैं। एक दशक पूर्व ललितपुर झांसी जिले की प्रमुख तहसीलों में से एक था। पर जिला का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी उसे झांसी-ललितपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र घोषित कर उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को नकारते हुए उसे झांसी से जोड़े रखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विकास की सारी योजनाएं झांसी जिले के ही हिस्से में चली गई और ललितपुर पिछड़ता ही चला गया।

झांसी और ललितपुर को बी श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। क्रमोत्तर विकास की प्रक्रिया से झांसी का तो विकास जारी है पर ललितपुर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। आज तक ललितपुर जिला उद्योग शून्य है।

जिले की आबादी करीब बारह लाख है। यहां रोजगार की समस्या विकट है। जिले में वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के साथ जिले के चहुंमुखी विकास के लिए ललितपुर को "ए" जिले की श्रेणी में रखा जाए। जिससे कि उद्योगों को पनपने का मौका मिल सके। क्योंकि इस सब हालातों को देखते हुए इसे "बी" श्रेणी में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता।

(छः) राजस्थान में दूरसंचार का विस्तार किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि राजस्थान में दूर संचार तन्त्र के विस्तार के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। संचार मन्त्रालय के राज्यमंत्री ने लोक सभा में 24 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10218 के जवाब में कहा था कि विगत तीन वर्षों से राजस्थान के 9 जिलों में कोई नया पोस्ट आफिस नहीं खोला गया है। 1987-88 और 1988-89 के दौरान राज्य के 11 जिलों में कोई पोस्ट आफिस नहीं खोला गया है। यह बड़े खेद की बात है कि 1989-90 के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में एक भी पोस्ट आफिस नहीं खोला गया। राज्य के तारघरों के बारे में भी लगभग यही स्थिति है।

राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए काफी सम्भावनाएं हैं और अब उस राज्य में स्वदेशी

तथा विदेशी पर्यटन का काफी विस्तार हो गया है। आधुनिक दूरसंचार सुविधाओं की पर्यटन, जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए राजस्थान में दूरसंचार तन्त्र के विस्तार की अत्यन्त आवश्यकता है।

ऐसे ही मैं संचार मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान में दूरसंचार तन्त्र का अविलम्ब विस्तार किया जाए।

(सात) बालाघाट, मध्य प्रदेश में एक कागज का कारखाना खोले जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री शंकर मुंजारे (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, बालाघाट क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहां की जनसंख्या लगभग 12 लाख है, जिनके भरण-पोषण के लिए रोजगार के साधन नगण्य है। इस इलाके में बांस तथा अन्य सामान अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है जिससे एक कागज का कारखाना सरकारी क्षेत्र में खोलकर इस क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार के साधन तथा आर्थिक उन्नति के लिए अवसर दिया जा सकता है।

अत: बालाघाट में एक कागज कारखाना यथाशीघ्र खोलने पर सरकार विचार करे।

(आठ) पनिकोइली से रांची तथा क्योंझरगढ़ होते हुए पनिकोइली से राउरकेला तक सड़क चौड़ी करने का काम शीघ्र पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर) : उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार के पास उड़ीसा में पनिकोइली से बिहार में रांची तक वर्तमान सड़क को चौड़ा करने और उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। पनिकोईली जनजातीय बहुल और खनन क्षेत्र है। पनिकोइली से क्योंझरगढ़ होते हुए राउरकेला तक की सड़क को भी चौड़ा करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता है। क्योंझरगढ़ जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, की जनजातियों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है यद्यपि यह एक खनन क्षेत्र है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति सड़क को भी पूरा किये जाने की जरूरत है। उचित संचार व्यवस्था के अभाव में इस सम्पूर्ण क्षेत्र का पूरा विकास नहीं हो पाया है। इस जनजातीय बहुल क्षेत्र के विकास के लिए उचित सड़क संचार व्यवस्था बहुत जरूरी है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि पनिकोइली से रांची तक और पनिकोइली से क्योंझरगढ़ होती हुई राउरकेला तक की वर्तमान सड़क को चौड़ा करने के लिए उड़ीसा सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति को पूरा करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

(नौ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन आने वाले निधन कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सीय आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा करने के लिए उसके कार्यकरण पर ध्यान दिए जाने की मांग

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : मैं इस सभा को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत

आने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयां बताना चाहता हूं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कारगर ढंग से कार्य नहीं कर रही है। यद्यपि कर्मचारी बीमा योजना एक केन्द्रीय योजना है और इसका प्रशासन राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है। सभी राज्य सरकारें ई० एस० आई० अस्पतालों/औषधालयों को को उचित महत्व नहीं देती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा के किसी भी अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टर नहीं हैं। कर्मचारी राज्य बीमा के कुछ अस्पतालों/औषधालयों में सामान्य दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले रोगियों की ओर मेडिकल कालेज अस्पतालों और दूसरे जिला अस्पतालों में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। आजकल कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों का प्रयोग केवल अवकाश के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र लेने के लिए किया जाता है।

यह योजना गरीब कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी परन्तु आज इसका उचित ढंग से प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। अतः सरकार को इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

2.45 म० प०

जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां विधेयक — जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विषय संख्या 9, 10 और 11 पर एक साथ चर्चा शुरू करते हैं। श्री चित्त बसु बोल रहे थे। कृपया वह अपना भाषण जारी करें।

श्री चित्त बसु (बारसाठ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मेरे लिए अधिक समय नहीं बचा है। इसलिए मैं कुछ बातों का, जिन्हें मैं कल कहने वाला था, उल्लेख करूंगा। दोपहर बाद जब मैंने देश के बिगड़ते हुए सुरक्षा वातावरण के बारे में उल्लेख किया था और आज सभी समाचार-पत्रों में इसका जिक्र भी किया गया है—और मेरे विचार से आज 4 बजे माननीय प्रधान मन्त्री भी एक वक्तव्य देंगे कि कल और परसों कुपवाड़ा क्षेत्र में वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय सेना पर तोपों से हमला किया है।

[श्री चित्त बसु]

यह भी पता चला है कि पाकिस्तानी सेना ने कन्थगली, साफावाली, नांगवाली और तुलाखान गली में भारतीय सेना पर गोलीबारी की। यह भी पता चला है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी इन स्थानों का कश्मीर में घुसने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं यह समझता हूं कि कश्मीर की स्थिति के बारे में चर्चा करते समय हमें सुरक्षा माहौल सम्बन्धी इन बातों को याद रखना चाहिए।

मुझे यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित अनेक आतंकवादी वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट इन्तजार कर रहे हैं। उनकी संख्या दो हजार के करीब बतायी जाती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी और देश में उनके घुसने तथा जम्मू-कश्मीर में उनकी जो गतिविधियां जारी हैं उन पर रोक लगाने के लिए उचित कार्यवाही करेगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कल कुछ लोगों ने देश के संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने की मांग की है। जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 370 को संविधान में सम्मिलित किया गया था उसे बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं संविधान निर्मात्री सभा का उल्लेख करना चाहता हूं। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की वकालत करने वालों से मेरा अनुरोध है कि वे श्री गोपाल स्वामी अयंगर के इस भाषण को पढ़ें जो उन्होंने 17 अक्टूबर, 1949 को संविधान निर्मात्री सभा में दिया था। मेरे पास इसे पास इसे दोहराने का समय नहीं है। उन्होंने उन परिस्थितियों को बताने का, जिनके अन्तर्गत कश्मीर को कुछ मामलों में विशेष दर्जा दिया गया था, कष्ट किया था। मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि वे अनुच्छेद 371 के बारे में भी सोचें। अनुच्छेद 370 केवल कश्मीर के लिए ही अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 371, जिसके द्वारा अनेक राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, जो कुछ कहा गया है उसे बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत, असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अधिकतर राज्यों को कुछ विशेष प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। अब, यदि कुछ सदस्य अनुच्छेद 370 को निरस्त करना चाहते हैं तो मेरे विचार से अनुच्छेद 371 को भी निरस्त करने की मांग की जाएगी।

यदि कोई 'हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान' का नारा लगाए तो भारत का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। 'हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान' से भारत कहीं अधिक विशाल है। अतः अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की मांग कर उत्तेजना पैदा करना देश के हित में नहीं है। मेरा कहने का केवल यही तात्पर्य है कि दुर्भाग्यवश वे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। यह देश के लिए विनाशकारी साबित होगा और वे राष्ट्रविरोधी ताकतें जो जनमत संग्रह और स्वतंत्र कश्मीर की बात करती है उन्हें और मौका मिल जाएगा। निरस्त करने की लगातार मांगों से देश की एकता मजबूत नहीं होती बल्कि इसके विपरीत देश के अन्दर जो विभाजनकारी और अलगाववादी ताकतें हैं उन्हें बल मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे इस पर गौर करें और ऐसी मांग न करें।

मैं यह भी चाहूंगा कि गृहमन्त्री जम्मू-कश्मीर के बारे में राजनीतिक वास्तविकता पर गौर करें। राजनीतिक पार्टियां राज्य अथवा पूरे देश की राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस (आई) और नेशनल कांफ्रेंस के अतिरिक्त कोई भी प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी न तो थी और न है। लेकिन दुर्भाग्यवश, वे अलगाववादी और कट्टरपंथी ताकतों का मुकाबला नहीं कर पाए, और टिक नहीं पाए और जनता के सभी वर्गों के लोग जो कांग्रेस (आई) और नेशनल कांफ्रेंस के समर्थक थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कई मामलों में तो वे कट्टरपंथी ताकतों के साथ हो गये।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : यह ठीक नहीं है।

श्री चित्त बसु : यह श्री संतोष मोहन देव का कार्य है कि वे अपनी पार्टी को जम्मू-कश्मीर में व्यवस्थित करें।

श्री संतोष मोहन देव : वह हम स्वीकार करते हैं।

श्री चित्त बसु : और यह कश्मीर के माननीय सदस्यों का कार्य है कि वे अपने समर्थकों को कट्टरपंथी ताकतों के विरुद्ध खड़ा करें और देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करें। इसलिए मैं माननीय गृहमंत्री से यह कहना चाहता चाहता हूं कि यदि वे वहां राजनीति प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं तो कम से कम राजनीतिक ताकतों को फिर से सक्रिय बनाएं। कांग्रेस (आई) और नेशनल कांफ्रेंस को सक्रिय होना चाहिए। आतंकवादी विध्वंस के विरुद्ध उन्हें दृढ़ नीति तैयार करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार को कश्मीर के मामले में दृढ़ नीति तैयार करनी चाहिए। उनकी नीति दृढ़ नहीं है। उनकी नीति भी कट्टरपंथी और अलगाववादी ताकतों से समझौता करने की रही थी।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री चित्त बसु : मेरे पास समय नहीं है। मैं यही कहूंगा कि इस सरकार को भी देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के हित में कश्मीर के मामले में एक दृढ़ नीति तैयार करनी चाहिए। उस नीति में सशस्त्र प्रशासनिक उपायों को सावधानी पूर्वक शामिल किया जाना चाहिए ताकि आतंकवादियों को नियंत्रित किया जा सके और साथ ही साथ राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की पहल करनी चाहिए। यही एक विकल्प हमें इस समय दिखाई दे रहा है।

दूसरी बात मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में है। मैं नहीं मानता कि कश्मीर की समस्या मात्र सैनिक समस्या है। कश्मीर की समस्या राजनीतिक है और सभी राजनीतिक समस्याएं मानवीय अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ी होती हैं।

यह विधेयक जो सभा के समक्ष विचारार्थ है, दुर्भाग्यवश इसमें सेना को असाधारण विशेष

[श्री चित्त बसु]

शक्तियां दी गई हैं। साधारण परिस्थितियों में हम इस प्रकार की विशेष शक्तियों का विरोध करते। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह देश के व्यापक हित में आवश्यक है। लेकिन, मैं सरकार को सतर्क करना चाहता हूं कि सेना और अन्य अर्ध सैनिक बलों को उन विशेष शक्तियों का प्रयोग करने से रोका जाना चाहिए जो शक्तियां उन्हें दी जा रही है।

अन्त में, एक प्रस्ताव है जम्मू-कश्मीर को तीन भागों में बांटने का—लद्दाख को संघ शासित प्रदेश बनाया जाए, जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और घाटी को सीमित संप्रभुता दी जाए। यह भी एक निरर्थक प्रस्ताव है। मैं इसका विरोध करता हूं। मेरे विचार से सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर की एकता के बारे में लोगों को और भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। पूरे राष्ट्र की एकता के लिए जम्मू और कश्मीर की एकता की रक्षा करनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, सशस्त्र बलों के लिए विशेष शक्तियों की मांग का मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि मात्र शक्तियां प्रदान करना ही समस्या का समाधान नहीं है। तत्काल यह जरूरी है कि कश्मीर के बारे में एक स्पष्ट नीति बनाई जाए। आठ महीने बीतने के बाद भी कश्मीर के मामले में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। कश्मीर में केवल कठोर शक्तियों पर ही निर्भर करना सब कुछ नहीं है। हमें यह नीति तैयार करनी होगी। मेरे विचार से कई बार हमने रियायत और दण्ड देने की नीति के संदर्भ में चर्चा की है। रियायत और दण्ड देने की नीति उचित नीति के दायरे में ही उपयोगी हो सकती है। इसके लिए सर्वप्रथम एक मौलिक नीति तैयार करनी चाहिए और इस नीति के तहत ही आप निश्चित तौर पर रियायत और दण्ड देने की नीति का कार्यान्वयन कर सकते थे। मेरे विचार से रियायत और दण्ड देने की नीति नई है। हम सुबह में रियायत फिर दोपहर बाद दण्ड फिर शाम में रियायत और रात में दण्ड देने का कार्य नहीं कर सकते। रियायत और दण्ड देने की नीति का मतलब है कि हम एक बार रियायत देने की नीति पर चले और यदि रियायत देने की नीति काम नहीं करती है तो समुचित तरीके से दण्ड की नीति को कार्यान्वित करें। मैं आपको सीधा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरा यह सुझाव नहीं है कि हम इसका उसी तरह प्रयोग करें। यदि मैं इतिहास में जाऊं तो बीस के दशक के पूर्वार्ध में लार्ड हार्डिंग को यहां भेजा गया था। उसने दण्ड-नीति का पालन किया। जब वह विफल हुए, जब उनकी दण्ड-नीति विफल हो गई तब रियायत देने की नीति लागू की गई और इसके लिए लार्ड इर्विन को यहां भेजा गया। दूसरे शब्दों में यदि हम इस रियायत और दण्ड-नीति का अनुसरण करना चाहते ही हैं तो हमें एक मौलिक नीति तैयार करनी होगी और उसी से अपना कार्य शुरू करना होगा।

मानवाधिकारों के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना गया है। मेरे विचार से भी इससे मानवाधिकार का प्रश्न बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। लेकिन इन अधिकारों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कश्मीर घाटी के लोगों को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन

उनका क्या होगा जिन्हें निर्दयतापूर्वक गोली से मार दिया गया। हम एक समुदाय की बात कर रहे हैं। हम दूसरे समुदाय के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और मेरे विचार से, हमें पूरे देश की परिस्थिति के संदर्भ में विचार करना चाहिए। मेरे मित्र, प्रो० मोज, कई बार श्रीनगर के एक हिस्से में घटना उसकी चर्चा करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने इन दो उदाहरणों का कोई जिक्र नहीं किया जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। उदाहरणार्थ, एक भद्र व्यक्ति राज साहनी के नव विवाहित युवा पुत्र—जिसकी शादी मात्र एक माह पूर्व हुई थी, उसको उसके परिवार के सामने क्रूरतापूर्वक गोली मार कर हत्या कर दी गई और यह परिवार नेशनल कांफ्रेंस को विगत बीस वर्षों से धन और अन्य तरीकों से सहायता देता रहा है। दूसरी घटना वीरेन्द्र सूरी की है जिसकी हत्या उसकी पत्नी और पुत्री के सामने क्रूरतापूर्वक की गई। मैं यह नहीं कह रहा ये ही उदाहरण हैं। लेकिन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ किया जाना चाहिए। मेरे विचार से कश्मीर में जो सबसे बड़ी घटना घटी है वह यह है कि इस वर्ष अपने देश में ही अपने देशवासी शरणार्थी हो गये हैं। ऐसा कभी नहीं सुना गया था कि लोग अपने देश में ही शरणार्थी हो सकते हैं। यह भी कुछ सौ या हजार की संख्या में नहीं बल्कि पूरे एक लाख हैं। हम इस संबंध में क्या कर रहे हैं? मेरे विचार से, बहुत से लोग अपने ही देश में शरणार्थी हो गये और वर्तमान सरकार की नीति का सबसे निंदनीय पक्ष है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उन्हें कश्मीर घाटी में सुरक्षा क्षेत्र बनाना चाहिए था। किसी भी परिस्थिति में इन लोगों को इधर आने नहीं देना चाहिए था। श्रीनगर में ही रुकने के लिए उन्हें हर तरह की सुविधा दी जानी चाहिए थी। उन्हें वहां से आने की अनुमति देकर हमने क्या किया है। आपने ऐसा आभास देने का प्रयास किया है कि कश्मीर घाटी एक खास वर्ग के ही लोगों की है, एक समुदाय विशेष की है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

मैं गलत सूचना देने के एक और पहलू का जिक्र करना चाहूंगा। मेरे विचार से कश्मीर की घटनाओं के संबंध में जो दूसरी गड़बड़ी हुई है वह है सदन के दोनों पक्षों द्वारा गलत सूचनाओं को फैलाना। कांग्रेस (आई) के कुछ सदस्यों और साथ ही हमारे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा उन बातों को बार-बार दुहराया जाना जो सत्य नहीं है, सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई है कि मौलवी फारुक की शव यात्रा पर हमला किया गया था, उनके ताबूत पर गोलियां बरसायी गयी थीं। मौलवी फारुक को गोली मार देने के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल ले जाया गया था और फिर वापस लाया गया था। जब उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके घर लाया जा रहा था तो कुछ उपद्रवियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर आक्रमण किया और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भी जवाबी आक्रमण किया था। लेकिन उनका पार्थिव शरीर ताबूत में नहीं था। सर्वप्रथम तो यह एक स्ट्रेचर पर था। नम्बर दो, इसे घर में लाया गया था। दूसरे दिन शवयात्रा निकाली गई और उस समय कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। उस समय कोई समस्या नहीं थी क्योंकि सेना का पर्याप्त प्रबन्ध था और फिर बाद में हुआ क्या पता चला?

[श्री इन्द्रजीत]

इस बात को बताने के लिए मैं अपने मित्र श्री हरीश रावत जी का आभारी हूं। यह सरकार की बहुत बड़ी असफलता है कि उसने वास्तविकता प्रकट नहीं की। ताबूत पर कभी गोली नहीं लगी थी और फिर भी पश्चिम देशों के संचार माध्यमों ने इन सब खबरों की पुष्टि की। वास्तव में मैं बगदाद में था जब मैंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा कि ताबूत पर गोलियां चलायी गयी थी और उनका शरीर ताबूत से बाहर गिर पड़ा था।

3.00 म० प०

एक भारतीय होने के नाते मुझे अपने आप पर शर्म आयी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैं वापस लौटा और इस संबंध में छानबीन की, मैंने पाया कि यह खबर बिल्कुल गलत थी। ताबूत पर कभी भी गोली नहीं चलायी गयी थी और उनका शरीर ताबूत से बाहर नहीं गिर पड़ा था। उनका शरीर स्ट्रेचर पर था। मैंने इस संबंध में अपने एक साप्ताहिक स्तम्भ में लिखा तथा कश्मीर के एक निवासी ने यह स्वीकार किया कि मैंने जो कहा वह सही था। लेकिन फिर मैंने कहा कि वे इस संबंध में झमेला क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार फैलाई जा रही अफवाहों के संबंध में हमें कुछ करना चाहिए। कांग्रेस (आई) के कुछ लोगों ने कहा और मुझे आश्चर्य है कि मेरे अच्छे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी जी ने भी इसका उल्लेख किया था। मैं समझता हूं कि हमें सही बात पता करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम पश्चिमी देशों के प्रेस और संचार माध्यमों को इस प्रकार की अफवाहें फैलाने से रोकें जिससे कि हमारे देश और हमारे लोगों की बदनामी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में बोलूंगा। यह मुद्दा जम्मू और कश्मीर में हमारे द्वारा स्थापित सरकार के संबंध में है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमने वहां एक प्रकार से पुलिस ही बैठा दी है। नये राज्यपाल श्री सक्सेना, श्री वेद मारवाह और अन्य सलाहकारों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आक्रोश नहीं है। वे सब बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। श्री सक्सेना भी बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन सीमा पार हमारी यह छवि बन रही है कि हमने कश्मीर को एक प्रकार के पुलिस राज्य में बदल दिया है। जैसा कि कल मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने कहा था कि वहां निश्चित रूप से किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है। अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। डा० फारुख अब्दुल्ला को लाने के प्रयास किए गए हैं। मैं जानता हूं ये प्रयास वास्तव में कहां तक उचित हैं। शायद हम डा० फारुख अब्दुल्ला की उपस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। परन्तु फिर भी जब हम डा० अब्दुल्ला की उपस्थिति से लाभ उठाने के बारे में सोचते हैं हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार की सत्ता के दौरान अथवा उसके तुरन्त बाद डा० फारुख अब्दुल्ला उस समय जम्मू में उपस्थित थे और वे एक बार भी श्रीनगर जाने का साहस नहीं जुटा पाये थे। उनसे श्रीनगर जाने के लिए अनेकों बार कहा गया था परन्तु वे शान्त, सुरक्षित होकर

बैठे रहे तथा वे जम्मू में ही कहीं छिपे हुए थे। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है लेकिन मुझे यह कहना पड़ रहा है। मैं बहुत नाराज हूं। (व्यवधान)

श्री प्यारे लाल हाम्बू (अनन्तनाग) : क्या यह आपके द्वारा फैलायी जा रही अफवाह नहीं है ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : हाम्बू जी, मैं जानता हूं कि आप डा० फारुख अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। (व्यवधान)

श्री प्यारे लाल हाम्बू : आपको डा० फारुख अब्दुल्ला का नाम नहीं लेना है। आप 'मुख्यमंत्री' कह सकते हैं। क्या आपको ज्यादा से ज्यादा अफवाहें फैलाने का अधिकार है ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री डा० फारुख अब्दुल्ला के प्रति श्री हाम्बू की पहरी निष्ठा है। वे उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। मैं डा० फारुख को चुनौती देने के लिए तैयार हूं। वे सब बातें समाचार पत्र में हैं। (व्यवधान)

श्री प्यारे लाल हाम्बू : मैं कह रहा हूं कि आप अफवाह फैला रहे हैं और सच्ची जानकारी नहीं दे रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत : बार-बार इस सरकार द्वारा उनसे अनुरोध किया जा रहा था। माननीय मंत्री जी को यह कहने दीजिए कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है अथवा गलत। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप उनकी चिन्ता क्यों करते हैं ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : मेरे वरिष्ठ मित्र, श्री रंगा जी, यदि हम चाहें तो हम हर प्रकार से डा० फारुख अब्दुल्ला की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका विश्वास नहीं है कि ऐसा करना उचित होगा। मैं समझता हूं कि हमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मीर कासिम जी, जो कि दिल्ली में हैं, से मदद लेनी चाहिए। आप इस मामले में उन्हें शामिल क्यों नहीं करते हैं ? हमें डा० कर्ण सिंह जैसे व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए जिन्हें घाटी के प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और सम्मान प्राप्त है। मैं नहीं समझता हूं कि आप पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। आगे कुछ कहने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि डा० फारुख अब्दुल्ला व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र हैं। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि कश्मीर में हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसका समाधान वे कर पायेंगे। मुझे अभी तुरन्त बताया गया है कि एक बार फिर वे कल या आज सुबह लन्दन चले गये हैं।

आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं तथा मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वह मुद्दा यह है कि यदि वास्तव में हम कश्मीर समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें उन लोगों से सहायता लेनी होगी जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं और जिनका कोई स्वार्थ नहीं है तथा जो कश्मीर समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जो

[श्री इन्द्रजीत]

भारत के गृह मंत्री के रूप में नियुक्त करना वर्तमान सरकार या प्रधानमंत्री जी के पक्ष में उचित है। इससे हमारी बहुत ही अच्छी छवि बनी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उनकी नियुक्ति की प्रशंसा की है। मुझे यह विश्वास नहीं है और यह आशा करना उचित भी नहीं होगा कि अकेले श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जी कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढ़ लेंगे। हम निष्पक्ष हो सकते हैं लेकिन आत्मनिष्ठ तत्व हमेशा रहते हैं। वे कश्मीर से हैं। बहुत प्रकार की व्यक्तिपरक बातें हो सकती हैं और मैं तो समझता हूं कि हमें अथवा माननीय प्रधानमंत्री जी को श्री मुफ्ती के प्रति गलत अवधारणा नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे मंत्री को नियुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि कश्मीर समस्या पर ध्यान दे सकें और फिर उसके लिए एक समाधान ढूंढ़ सकें। पूर्ववर्ती सरकार की अवधि में हमारे सामने इसी प्रकार की एक समस्या थी। श्री बूटासिंह जी मेरे एक अच्छे मित्र हैं। दार्जिलिंग में शान्ति स्थापित करने की कोशिश करते समय हमें साथ मिलकर काम करने के अवसर प्राप्त हुए थे। लेकिन वहां भी मैं बार-बार यही बात दुहराता हूं कि आप पंजाब समस्या का समाधान तब तक नहीं ढूंढ़ सकते हैं जब तक कि आपके गृह मंत्री ऐसे हैं जो पंजाब के हैं और जो पंजाब की समस्याओं में उलझे हुए हैं, न सिर्फ समस्याओं में ही बल्कि वहां की राजनीति में भी उलझे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि श्रीनगर से हैं, कश्मीर से हैं, वे वहां की संकीर्ण राजनीति में सम्मिलित नहीं हैं, यह स्वीकार करना उचित नहीं है। अतः मैं वर्तमान सरकार के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर ध्यान दें और इसका समाधान ढूंढें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही आपका बहुत समय ले चुका हूं। एक बार फिर यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं सशस्त्र बलों के लिए अधिक अधिकार का समर्थन करता हूं लेकिन सिर्फ यही पर्याप्त नहीं होगा। हमें कश्मीर पर एक विश्वसनीय नीति तैयार की सबसे अधिक आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल शर्मा (उधमपुर) : डिप्टी स्पीकर सर, कल जब यहां पर बहस शुरू होने वाली थी, उसके पहले सुबह 10 बजे पाकिस्तान के तोपखाना ने कुपवाड़ा जिले के मछील में भारी फायरिंग की। ऐस्सेसमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री की होती है उसके मुताबिक वह मिलिटेंट्स को चाटी में एंटर कराना चाहते थे। एक कारण यह भी था कि वह देख रहे थे काफी बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स मारे जा रहे थे और पांच हफ्ते के बाद उस इलाके में बर्फ पड़ने वाली थी जिसकी वजह से सब रास्ते बन्द हो सकते थे, इस वजह से उन्होंने भारी तोपखाने से फायरिंग की। इस फायरिंग में उनकी फौज के 10 आदमी मारे गये और पांच जख्मी भी हुए। इस बात की खुशी है कि इस बारे में प्रधानमंत्री जी चार बजे बयान देने वाले हैं। कश्मीर की स्थिति कितनी गम्भीर हो रही है इस बात को सब जानते हैं। अगर हम जुलाई और अगस्त महीनों को देखें तो हमें पता लगेगा कि कि वहां इन दिनों टैरिस्टों के हौंसले

बहुत बुलन्द हुए। सीमेंट फैक्ट्री के मैनेजर श्री डी० एन० चौधरी का इन दिनों कत्ल हुआ और कल ही फारेस्ट आफिसर को डाक बंगले से निकलते समय मार दिया गया। हम बराबर यह देख रहे हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में टैररिस्ट्स की एक्टिवीटिज बराबर बढ़ रही हैं। जे० के० एल० एफ० के लोगों को पकड़ने के बावजूद भी लोग मारे जा रहे हैं। मैंने पहले भी यह कहा था कि वहां अफगान मुजाहिदीन आए हुए हैं और वह ये सब करवा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का टाप आफिसर इंटैलिजेंस का जो है वह ये सब ऐक्टिवीटिज करवा रहा है। इस बात को मुफ्ती साहब भी जानते हैं कि यासीन मलिक, हमीद शेख और जावेद नल्का ये सब घाटी में तोड़-फोड़ करवा रहे हैं। आपकी कश्मीर के बारे में कोई पालिसी नहीं है। सब आपने जगमोहन को वहां का राज्यपाल बनाया तो फारुख साहब ने इस पर रिजाइन कर दिया। इसके बाद उन्होंने वहां की असेम्बली को डिजाल्व कर दिया। इस बात को जब हमने उठाया तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कहा कि हमें इस बारे में पहले कुछ पता नहीं था। बाद में उन्होंने मेरे कहने पर खुद माना कि जगमोहन ने होम मिनिस्टर को लिखा था कि मैं असेम्बली को डिजाल्व करना चाहता हूं। अपनी सीट टेक-ओवर करने के बाद ही ऐसी रिपोर्ट उन्होंने होम मिनिस्टर के पास भेजी थी। असेम्बली डिजाल्व करने की वजह यह थी कि राज्य सभा की जो सीट मार्च में खाली होने वाली थी और कांग्रेस को मिलने वाली थी, वह उसको न मिल सके। इसके अलावा चार एम० एल० सी० की सीटें जो भरी जानी थीं उसको वह नहीं भरना चाहते थे। यह एक बहुत दुखद स्थिति है। जिस फारुख को यह हटाना चाहते थे, आज उसके पीछे यह भाग रहे हैं। आर्च फर्नान्डीज उनको बात करने के लिए विदेश में यहां घुमाते हैं। मेरा कहना यह है कि आप हुरैत से इस सम्बन्ध में बात करें।

कल चिदम्बरम जी ने कहा कि आप काजी नसार से बात कर रहे हैं, औरों से कर रहे हैं और मून साहब तो वह हैं, जिनके दो लड़के, जो 12 आतंकवादी आपने पकड़े, उनमें उनके दो लड़के शामिल थे, वह भी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, कई चीफ मिनिस्टर कश्मीर में बन रहे हैं, हमें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी क्या पालिसी है, क्या पालिसी नहीं है। एक तरफ जे० के० एल० एफ० के जो लोग पकड़े गए हैं, उनको आप दिल्ली बुलाते हैं, आपने कल कहा कि इसमें यासीन मलिक भी है। कोआपरेशन के सवाल का यह हाल है कि यासीन मलिक जब सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई हो रही थी तो उसने छलांग लगाई और चूंकि फोर्सेस उसको जानती नहीं थीं इसलिए यासीन मलिक को अस्पताल में ले गये और डाक्टरों ने उसको मृत बता दिया, उस वक्त आया, कहा गया कि नहीं, वह मर गया है और आधा मस्जिद में हमने उसको दफन किया है। आप 50 के करीब टैररिस्ट्स जोधपुर लाये हैं और 11 जम्मू लाये हैं और कोको हसन, जो जम्मू का एरिया कमान्डर है, वह नहीं बैठा है।

कश्मीर में कितना फारेन मनी आ रहा है, पहले भी हमें पता था, मौलवी फारुख को भी आता था, अमायते इस्लामी को भी आता था, लेकिन मैं दो मिनटों में, होम मिनिस्टर साहब तवज्जह दें, उनकी जानकारी में है, एक तो जब कोको हसन पकड़ा गया तो उसने इन्टैरोगेशन में यह रिवील किया है, उसने कहा कि मैं तीसरी किस्त लेने गया था और अब तक मैं 12 लाख रुपया ले चुका हूं और

[श्री धर्मपाल शर्मा]

उसने यह भी कहा कि पोलिटिकल पार्टीज के जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, मैं जम्मू में उनको मारना चाहता था, उसने रिवील्ज में नाम भी दिये, उसमें एक जो आपकी फ्रैण्डली पार्टी है उसके लोगों को तो उसी वक्त सिक्योरिटी मिल गई लेकिन उसने तो यह कहा था कि सब पोलिटिकल पार्टीज के इम्पोर्टेंट 5-7 लोगों को हम मारना चाहते थे, जम्मू में, यह उसने कहा। बाकी जो स्वर्णकोट का शायद शबनम है, उसने इण्टैरोगेशन में खुद माना कि मुझे 20 लाख रुपया पाकिस्तान से मिला है कि आप टैरेरिस्ट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजिये। यह तो मैं पुंछ जिले की बात कर रहा हूं। इतना पैसा आ रहा है कि वहां यह फैक्टर नहीं कि एम्पलायमेंट देने की बात है। जगमोहन जी ने जब यह कहा कि 7000 लोगों को नौकरी दूंगा, उन्होंने डेट फिक्स कर दी कि फर्स्ट जून को एप्लीकेशन दे दो तो सब बी० एस० एफ० में हो जायेंगे तो टैरेरिस्ट्स ने यह कहा कि आपको 1500 रुपये देंगे, हम आपको 000 रुपये महीना देते हैं तो सूरत यह है। इतना पैसा आ रहा है, लगता यह है कि अरब कण्ट्री से ग्रू पाकिस्तान से इतना पैसा आ रहा है कि वही नौजवानों को दे रहे हैं। मैंने तो यह भी कहा था कि स्वर्णकोट एरिया वगैरह में 10-10 हजार रुपये नकद पहले देंगे, ट्रेनिंग लेने वालों को। वह पकड़े गये और उन्होंने कन्फैशन किया, पहले पांच लोग और बाद में 3 लोग, कुल 8 लोग पकड़े गये, जिन्होंने स्वर्णकोट में सर्रेण्डर किया, पुंछ एरिया में लोगों ने यह कहा कि हमको नौकरी नहीं मिली, अनएम्पलायमेंट किसलिए। हमारे यहां जम्मू की पोजीशन अलग है और वैली की पोजीशन अलग है···(व्यवधान)··· अभी तो मैंने शुरू ही किया है। मेरी पार्टी का टाइम है, मैं कश्मीर से विलोंग करता हूं, होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनसे बात करूंगा। तो सीरियसनैस इतनी है कि···

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा पाइण्ट रेज किया है कि एम्पलायमेंट देना चाहिए।

श्री धर्मपाल शर्मा : मैं केवल दो पाइण्ट्स सामने रखूंगा। मेरा यह कहना है कि सीरियसनैस यह है कि यह सब जान-बूझकर हो रहा है। हमें तो गिला इनसे है, हम इनको रैस्पैक्ट भी करते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, इनके साथ हमने काम भी किया है। जनता दल वालों को तो बुला लिया, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, 8 लोग यहां आये और प्रधानमंत्री जी और पूरी पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी तीन घण्टे बैठी है, कश्मीर पर और हम जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं, गलती से हमें इन्होंने एक दिन भी फोर्मल डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया, हम भी कण्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम जानते भी हैं, क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए लेकिन कोई तकलीफ गवारा नहीं की, हमारे होम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि हम भी कोई मशविरा दे दें और हो यह रहा है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू में अपनी मिसाल कहता है, 19 जुलाई को शूट आऊट हुआ और 20 अगस्त को गवर्नर साहब मीटिंग बुलाते हैं।

भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग और बाकी लोगों की मैं यहां से पार्लियामेंट का मैम्बर हूं, मुझे पता नहीं। मुझे पता लगा तो मैंने प्रोटैस्ट लाज की थी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूछने को तैयार नहीं है, हम चुने हुए नुमाइन्दे हैं, असैम्बली नहीं तो हम तो पार्लियामेंट में हैं, हम

लोगों को रिप्रेजेण्ट करते हैं, जब इस तरह की बात हो तो हम आपकी नीयत पर शक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आपके गवर्नर साहब ने खुद उस रोज कह दिया कि नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस कश्मीर में इरेलेवेण्ट हैं, जम्मू कश्मीर में दोनों ही तो पार्टी हैं, आप भी जानते हैं, जनता दल वगैरह कैसी में तो हैं नहीं, जम्मू में भी आप कोशिश कर रहे हैं, बनाने की, यह भी हम जानते हैं, ऐसी स्थिति है और हमें कोई पूछने को तैयार नहीं है, कोआपरेशन लेने को तैयार नहीं है। पता नहीं आपकी क्या पालिसी है, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। जार्ज साहब कोई बात करते हैं, अब वह भी नहीं रहे, एडवाइजरी कमेटी भी आपने तोड़ दी। अब आप खुद ही चला रहे हैं, और क्या चाहते हैं, किस तरह से हल करना चाहते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, कश्मीर के अन्दर कि सिक्योरिटी फोर्सेज कनवर्ट पर, पैट्रोल ड्यूटी पर आक्रमण हो रहे हैं। पहले तो यह शहरों तक महदूद था लेकिन अब गांवों में भी यह हाल है, लोग मारे जा रहे हैं। गवर्नर ने खुद एडमिट किया है मेरे सवाल पर, 20 जुलाई तक 64 लोग मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के, जबकि सौ से ज्यादा लोग मारे गए हैं। खुद बोल रहे हैं कि ज्यादतियां हो रही हैं। उस रोज भी डाउन टाउन में यह वाक्या हुआ। खुद आपके जनता दल के लोग आए, उन्होंने कहा कि हैरासमेंट हो रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं और बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं। आप क्या इन्सरजेंसी वैसी में देना चाहते हैं, क्या यही देते हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यह नेशनल प्राब्लम है, पार्टी का प्राब्लम नहीं है। जनता दल का प्रोग्राम नहीं है या नेशनल फ्रन्ट का प्रोग्राम नहीं है।

कश्मीर हिन्दुस्तान की समस्या है और सब उससे चिन्तित हैं। प्रधानमन्त्री जी ने पन्द्रह अगस्त को कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं। एक एड्रेस में उन्होंने यह बात कही। हम जानना चाहेंगे कि उनसे कश्मीर के मामले में क्या गलतियां हुई हैं और उसमें क्या सुधार करेंगे। हम मुफ्ती साहब से जानना चाहेंगे कि क्या गलतियां हुई हैं। क्या जगमोहन को वहां भेजना गलती थी और क्या एसेम्बली का डिसोल्यूशन गलती थी या जो आप टैरेरिस्ट से बात कर रहे हैं या दूसरे ग्रुपों से बात कर रहे हैं, यह गलती है? पंजाब में लोगों के दिल जीतने की बात कही जा रही है और यहां कहा गया है कि सात दिन की पद-यात्रा होगी। मैं जानना चाहता हूं कि कश्मीर में क्यों नहीं होगी। कश्मीर में क्या प्राब्लम है। चलिए, हम चलेंगे आपके साथ, प्रधानमंत्री जी चलें और लोगों को विश्वास में लें। क्योंकि वहां के लोगों को विश्वास में लिए बगैर यह काम नहीं होगा। यही समस्या नहीं है, लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। आप देख लीजिए कि कितने जुल्म होते हैं। श्री टी० एन० चतुर्वेदी, मैसेंजर सीमेंट फैक्ट्री और बड़े-बड़े लोग मारे गए हैं। हमारे तीन एम० एल० ए०, एक मुस्तफा मीर, दूसरे सैय्यद मंसूर और तीसरे सैय्यद अमीर मारे गए। कितने ही पोलिटिकल वर्कर्स, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के रंजूर साहब मारे गए हैं, कांग्रेस के मुनाफ सबी जुल्फर मारे गए हैं। कितने ही आफिसर्स मारे गए हैं। पांच आई० बी० के हैं, श्री काल और श्री हांडू, एक्जिस्टेंशियल इन्फार्मेशन डायरेक्टर, पता नहीं कितने आफिसर्स मारे गए हैं। आपकी सरकार काफी कमजोर है, कश्मीर में ही नहीं, बल्कि यहां पर भी काफी कमजोर है।...(व्यवधान)...137 आफिसर्स, आई० ए० एस० आफिसर, हाई रैंकिंग

[श्री धर्मपाल शर्मा]

आफिसर्स, ज्यादतियां हो रही हैं। बड़े कमाल से आपने एक्शन लेना चाहा। दो को आपने बदलना चाहा, डेप्यूटेशन पर। 31 प्रमोटीज हैं, 27 कभी गए नहीं बाहर, जबकि रूल है कि पांच साल रहना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि हम स्ट्राइक पर जायेंगे, अगर आपने हम पर एक्शन लिया। दो को बदला, तो उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक पर जायेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली कहा कि जो स्ट्राइक पर जायेंगे, एक्शन लेंगे। आप सुनिए, एक लाख पच्चीस हजार मुलाजिम हैं, एडिशनल चीफ सैक्रेटरी के। बड़े जोर शोर से एक्शन लिया कि तीन दिन की तनख्वाह नहीं देंगे। लेकिन बाद में आपने दे दी। यह हालत है आपकी वहां। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि तीस जुलाई को बम चला जाता है, जबकि वहां परिन्दा नहीं जा सकता है और दस आदमी घायल हो गए। यह हालत है, आपके वहां एडमिनिस्ट्रेशन की। आपके फारेन सैक्रेटरी की दो बार इस्लामाबाद में मीटिंग हुई और कहा कि पाकिस्तान से हालात नार्मलाइज कर रहे हैं और हो गया हमला। कितने कमजोर हैं आप। यहां प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि तैयार रहो। हम लोग तैयार रहे कि पाकिस्तान से जंग होने वाली है और उधर फारेन सैक्रेटरी कह रहे हैं कि हमने जंग का कभी सोचा ही नहीं। यह क्या हो रहा है। आपकी कोई पालिसी नहीं है। मेरे से पहले दो वक्ताओं ने कहा —पॉलिसी, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। कश्मीर हाथ से आपके जा रहा है। मैं कन्फैस करता हूं और कल भी उन्होंने कहा था। औरतें परेड करती हैं, झण्डे पहले भी लगते थे, लेकिन कन्ट्रोल्ड सिचुएशन थी। यह हालत चालीस साल में नहीं थी। कम से कम दो-तीन कस्बों को छोड़कर मुफ्ती साहब तो वहां की सारी हालत जानते हैं और वहां इलेक्शन होते रहे, सब कुछ वहां होता रहा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री धर्मपाल शर्मा : मेरी पार्टी ने मुझे 20 मिनट बोलने के लिए कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे पहले जो बोल चुके हैं, उनको बहुत टाइम दिया गया है।

श्री धर्मपाल शर्मा : मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या मुफ्ती साहब खुद ही इस मसले को हल करना चाहते हैं। इनफार्मली दुआ-सलाम होती है आपने इस बारे में कभी बात ही नहीं की, हमसे कभी पूछा ही नहीं। मैं तो यह कहता हूं कि आप अपने लोगों को 3-3 घण्टे बुलाते हैं और हमें इसका पता ही नहीं कि क्या बात होती है। तीन घण्टे पी० ए० सी० में और प्रधान मन्त्रीजी के साथ बात हुई कि इस मसले को हम हल कर रहे हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें नहीं पूछती। मैं तो समझता हूं कि आप कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस को पालिटीकल एलिमिनेट करना चाहते हैं और आप इन ताकतों से हाथ बढ़ाये हुए हैं। अगर आपको सचमुच आतंकवाद को खत्म करना है तो आपको यह सोचना होगा कि कश्मीर का मसला कैसे हल किया जाये ?

इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि जहां तक यह सवाल है कि वहां प्रेसीडेंट रूल करो, वहां

अब कोई चारा नहीं है तो वह तो हमें बढ़ाना ही है क्योंकि वहां की हालत ही ऐसी है और वह तो बढ़ता ही रहेगा। दूसरा, जो स्पेशल पावर का ताल्लुक है मैं तो यह कहूंगा कि इसमें आप सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रायरेक्शन दे दीजिए कि वे बिल्कुल संयम से काम लें। यह ठीक है कि एक आफिसर, बी० एस० एफ० आफिसर हिट हुआ तो उन्होंने यह वाक्य गांव-गांव से सुना दिया। यह शर्मनाक वाक्या है, इससे हमारी बदनामी होती है। ये टेरेरिस्ट की स्ट्रेटजी है कि वे ग्रेनेट लगाकर चले जाते हैं और पीछे से आप जब आम लोगों के साथ ज्यादती करते हैं तो वे लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सच्चाई तो यह थी कि मेरा नाम बोलने में नहीं था, लेकिन कल जिस तरह से श्री सोज और कांग्रेस के मित्रों के भाषण सुने तो मुझे लगा कि अगर मैं ये 3-4 मुद्दे इस बहस के अन्दर न जोड़ूं तो देश के साथ, देश के हितों के साथ ज्यादती होगी। मैं एक बात श्री सोज जी से कहना चाहता हूं कि मैंने कई बार उनके भाषण सुने, काश्मीर की समस्या के बारे में। मेरा कहना यह है, कि यह ठीक है उनके भाषण रेडियो, टी० वी० अखबार में आ जाते हैं लेकिन उसका मिसयूज पाकिस्तान किस प्रकार से करता है, हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रचार करने में पाकिस्तान और दूसरी शक्तियां कैसे उपयोग करती हैं, शायद इसका उनको अन्दाजा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई जयमोहन के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब मैंने माननीय सदस्य की बात सुनी और दूसरी तरफ भूतपूर्व श्रीमती भुट्टो के भाषण सुने तो मुझे दोनों के भाषणों में कोई अन्तर नजर नहीं आया, दोनों के एक ही भाषण थे मेरा कहना यह है कि इनके भाषण में आप उनको तूल देते हैं। इस तरह के भाषण यहां देकर कि ऐसे मारा जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है। क्या किसी ने कभी आतंकवादियों के खिलाफ कहा है, जो पंजाब या काश्मीर से रिफ्यूजी आये हैं, उनके खिलाफ कहा है। चाहे कांग्रेस के बोले हों या किसी और पार्टी के बोले हों। किसी ने भी काश्मीर से आये हुए विस्थापितों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : किसी ने नहीं बोला है, यह शब्द आप मत बोलिये।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण दे रहा हूं वहां के जो प्रमुख लोग रहे हैं, अच्छे ओहदों पर रहे हैं। वे किसी तरह से जाने-अन्जाने में ऐसी बात कह कर विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं।

एक उदाहरण मैं यह देना चाहूंगा कि जम्मू-काश्मीर हाई कोर्ट में वहां के जो चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने एक याचिका दायर की है, भूतपूर्व न्यायाधीश श्री मुफ्ती बहुरुद्दीन फारुकी की, उनकी जो फोटोस्टेट कॉपी है, उसके पेज 8 में पेहराग्राफ 4 और 5 को मैं पढ़ना चाहता हूं।

[श्री मदन लाल खुराना]

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है, मैं पढ़ना चाहता हूं पैरा 4 —

[अनुवाद]

"कि लगभग 42 वर्ष पूर्व जम्मू और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध भारत ने छल, धोखे और बलपूर्वक इस राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था···"

द्वितीय भाग में यह कहा गया है :

"कि भारतीय कार्रवाही के समय भारतीय मुसलमान की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या 77.11 प्रतिशत थी वास्तव में यह मुसलमानों का प्रदेश था···"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जब इन ओहदों पर लोग बैठकर इस तरह के एफीडेविड देते हैं, उनका दुरुपयोग भारत के खिलाफ विदेशी शक्तियां करती हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिए, चाहे वे सदन के सदस्य हों या कितने ही बड़े ओहदे पर बैठे हों।

(व्यवधान)

जी हां, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि आजादी के 43 साल के बाद भी वे इस तरह की बातें करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक एमनेस्टी की बात कही गई, इन्टरनेशनल एमनेस्टी की बात की गई, कहा गया कि ज्यादतियां हो रही हैं। मैं बताना चाहता हूं, यह उन 19 नौजवानों की सूची है, जिनकी आतंकवादियों ने चौक में पकड़कर हत्या की, उनको टांग और लोगों को यह दिखाया कि अगर तुम लोग हमारे पक्ष में नहीं बोले तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, उन 19 लोगों की जीवनी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसके बारे में भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

अभी धारा 370 का जिक्र किया गया और श्री अयंगर का जिक्र किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि आयंगर साहब का पूरा भाषण पढ़िए, उसमें कहा गया है कि धारा 370 क्यों लागू की गई, लेकिन उसमें बाद में यह कहा गया है कि धारा 370 टेम्परेरी है। इस सदन के अन्दर श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने प्रस्ताव रखा था, कम्युनिस्ट पार्टी के श्री झारखण्डे राय ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था, उस पंडित नेहरू जी ने कहा था कि धारा 370 घिसते-घिसते घिस जाएगी। उस समय अस्थायी तौर पर इसको लागू किया गया था, लेकिन आज जब उसको कोई हटाने की बात करता है तो उसको फिरकापरस्त कहा जाता है, साम्प्रदायिक कहा जाता है, इस तरह का परिवर्तन देश की सोच में आ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं और वह है कश्मीर से आये हुए विस्थापितों के बारे में। यह मुद्दा मैंने बार-बार यहां पर उठाया है, इसी मुल्क के लोग इसी मुल्क में विस्थापित होकर आए हैं। आज दिन में मैं और आडवाणी जी उनको मिलकर आए हैं, वोट क्लब पर पिछले तीन दिनों से लोग वहां बैठे हैं, हमारी बहनें वहां पर रो रही थीं। आज यहां पर महिलाओं पर अत्याचार की बात की जाती है, वहां पर हमारी बहनें रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं दिनांक 26-3-90 को सदन में हुई कार्यवाही की कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं। मेरा सवाल था कि 500 रुपए की जो सहायता शरणार्थियों को दी गई है, वह एडहाक सहायता है, मंथली नहीं है। इस बात को रिकार्ड से बेरीफाई किया जा सकता है। इसका जवाब मुफ्ती साहब ने 3 लाईनों में दिया था और कहा था कि यह मंथली है, एडहाक नहीं है, मंथली होगा, मंथली नहीं होगा तो कैसे होगा, यह मंथली है, मैं कह रहा हूं यह मंथली होगा, हर महीने 500 रुपए मिलेंगे और उनका राशन अलग होगा, यह मुफ्ती साहब का भाषण है। उपाध्यक्ष महोदय यह मार्च में बात कही गई है और अब अगस्त चल रहा है। मैं चैलेन्ज करता हूं कि सिवाए उन 500 रुपए के, जो उस घोषणा के समय दिए गए थे, उन शरणार्थियों को एक पैसा भी और नहीं दिया गया है - क्या वे भिखारी हैं, क्या हम उन लोगों की इतनी भी सहायता नहीं कर सकते, केवल 70-80 परिवार हैं, क्या उनको हम 500 रुपए महीने की सहायता भी नहीं दे सकते। केवल एक बार 500 रुपए देने से उनका काम चल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, उन विस्थापितों में एच० एम० टी० के लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, अभी समय कम है, इसके लिए हम अलग से चर्चा की मांग करेंगे, लेकिन सरकार के कार्यों का पिछला अनुभव जो हमारा रहा है, उसके बारे में मैं आकर कहना चाहूंगा। कश्मीर के बारे में सरकार की नीति क्या होगी, यह अलग विषय है। लेकिन हमारी नीति के कारण, बेचारे जो बेघर हो गए हैं, जिनके बारे में मैं कभी-कभी सोचता हूं, कुछ लोग कहते हैं आप साम्प्रदायिकता की बात न करें, मैं साम्प्रदायिकता की बात नहीं करता, भगवान न करे दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति होता, अगर शरणार्थी किसी दूसरी कम्युनिटी के होते, लोग पार्लियामेंट चलने न देते। क्योंकि वे हिन्दू हैं, इसलिए कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। (व्यवधान)

मैं कहने को मजबूर हूं। मैं कहना नहीं चाह रहा था।

(व्यवधान)

श्री अगपाल सिंह (हरिद्वार) : काश्मीर के हिन्दुओं के बारे में किस पार्टी ने विरोध किया? हर आदमी उनकी मदद करना चाहता है। इसलिए यह आरोप आप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मैं अपने साथियों की बात कर रहा हूं। 1984 के दंगों में विशेष कम्युनिटी की बात थी, इसलिए उनके बारे में लाल किले से घोषणा की जाती है। अगर बिहार में दंगे होते हैं, प्रधान मंत्री घोषणा करते हैं कि उनको हम इतना-इतना देंगे। मेरे चिल्लाने के बाद भी सारा

[श्री मदन लाल खुराना]

सदन कह रहा है, वे रोते-रोते यहां आए हैं, उनके बारे में बार-बार यह कहा जाता है कि मंथली होगा, मंथली होगा। उसके बाद यह मजाक किया जाता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यदि इन्सानी मसला होता तो अब तक जो काश्मीर के चुने हुए व्यक्ति हैं वे उनके बारे में बात करते। (व्यवधान) अभी इन्होंने भाषण दिया था, क्या एक शब्द भी कहा इन्होंने ? आपके साथी भी बोले हैं।

अन्त में, छोटी-सी बात कहना चाहता हूं। तीन-चार-पांच जिलों में मैं गया। पुंछ-राजौरी में गया, प्राईम-मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से बार्डर एरिया पर टी० वी० द्वारा इतने हाई पावर से प्रचार होता है कि बार्डर पर जो लोग हैं टी० वी० प्रचार को देख कर, सुन कर उनको लगता है कि जैसे पाकिस्तान कल हो जा जायगा। मेरा निवेदन यह है कि आप एक स्पेशल प्रोग्राम बना कर हाई पावर टी० वी० से बार्डर एरिया के पास प्रचार करें ताकि पाकिस्तान के प्रचार का वहां असर न हो।

इतना ही मेरा निवेदन था।

[अनुवाद]

श्री प्यारे लाल हाण्डू (अनन्तनाग) : महोदय, इससे पूर्व कि मैं उन संशोधनों की ओर इंगित करूं जिन्हें मैं विधेयक में चाहता हूं।

मैं माननीय जसवन्त सिंह जी के शब्दों में, सदन से अनुरोध करूंगा, कि जब आप कश्मीर के विषय में बोलें तो थोड़ा संयम बरतें, इसके एक या दो कारण हैं।

3.33 म० प०

(श्री शरतचन्द्र पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

इसका पहला कारण यह है, कि मैं दोबारा माननीय श्री जसवन्त सिंह का उदाहरण देता हूं, कि यह मामला पूर्णतः साम्प्रदायिक है। यह हमारी त्रासदी है।

मैं आज 21 अगस्त, 1990 में इस सदन में बोल रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह पहले राजनैतिक कार्यकर्ता की पहली बरसी है जिनकी पिछले वर्ष 21 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

जब मैं चारों ओर से विचार सुन रहा था, लोगों के कटाक्ष सुन रहा था, तो विश्वास कीजिए कि मेरी आंखों के सामने छः फुटे और हट्टे-कट्टे श्री मोहम्मद यूसुफ हलवाई के मृत शरीर के अतिरिक्त कोई और तस्वीर नहीं थी। वे श्रीनगर के नेशनल कांफ्रेंस के ब्लाक प्रमुख थे। पाकिस्तान

मे 21 अगस्त, 1989 को 10 बजे समाचार दिया। हमने सभा मे सुना कि मोहम्मद युसुफ हलवाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वे मरने वाले पहले राजनैतिक कार्यकर्ता थे। इनके बाद 13 सितम्बर को टीकन लाल टकलू और 27 दिसम्बर को पी० एन० भट्ट को गोली मार दी गई। कश्मीर की कहानी का यह हिस्सा कौन नहीं जानता ? जब भी कश्मीर पर चर्चा होती है तो बार-बार इन मामलों का उल्लेख करके आप किसे बताना चाहते हैं ? किन्तु क्या आज कश्मीर मे यही समस्या है ? किन्तु यदि आप यह नहीं समझ पाते कि 21 अगस्त, 1989 के कश्मीर में और 21 अगस्त, 1990 के कश्मीर में क्या अन्तर है, तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप एक भ्रम के वातावरण में जी रहे हैं। इस माननीय सभा को यदि मेरे पास कोई तरीका होता तो, मैं कश्मीर पर लिए गए उन कुछ ऐतिहासिक निर्णयों को याद दिला सकता जो 26 जनवरी, 1950 से लेकर अब तक कश्मीर बहस का विषय बना है। कश्मीर के बारे में, कितने ही महान निर्णय लिए गए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठें और कश्मीर की जनता के साथ एक प्रश्न पूछ कर न्याय करें कि इस सदन में कश्मीर पर लिए गए महान निर्णयों में से कितनों पर कायम रहा गया।

आज आप कश्मीर को तीन उपहार दे रहे हैं। मैं उन्हें बात-बूझकर उपहार कह रहा हूं। आज कश्मीर को आप जो पहला उपहार दे रहे हैं वह है अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन। दूसरा उपहार जो आज आप कश्मीर को दे रहे हैं वह है सेना के विशिष्ट अधिकारों में बढ़ोत्तरी। दोबारा मैं 'कश्मीर में' शब्दों पर जोर दे रहा हूं तीसरा उपहार वह रिपोर्ट है जिसके आधार पर ऐसा किया गया है, जो माननीय गृह मन्त्री के वक्तव्य के अनुसार वही रिपोर्ट है जो महामहिम कश्मीर के राज्यपाल ने 3 जुलाई को राष्ट्रपति को भेजी थी। माननीय जसवन्त सिंह ने बड़े जोर-शोर से तीन तिथियों का उल्लेख किया है पर संयोग से वे 3 जुलाई और 5 जुलाई को अधिक महत्वपूर्ण तिथियों को भूल गए। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे महामहिम राज्यपाल द्वारा 3 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति को लिखे पत्र को पढ़ें। क्या उन्होंने उन शक्तियों की मांग की है जो 5 जुलाई, 1990 के अध्यादेश में दी गई हैं ? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 3 जुलाई 1990 तक के कश्मीर का विवरण दिया है। 5 जुलाई, को आप जम्मू-कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर रहे हैं। और वह अध्यादेश क्या है ? मुझे याद है। मेरे भारसंवादी मित्र रोलट एक्ट और 1985 में कांग्रेस शासन के दौरान पारित किए गए आतंकवादी और विध्वंसकारी (निवारण) अधिनियम पर दी गई अपनी टिप्पणियों को याद करें। आज हम क्या कर रहे ? विधेयक के पहले खण्ड में आप कह रहे हैं कि आप यह सिर्फ सिविल अधिकारियों को सहायता देने के लिए कर रहे हैं। यहां तक तो अच्छा है। प्रत्येक सभ्य देश में ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। नागरिक प्राधिकारियों को सहायता के लिए सेना पर निर्भर रहना पड़ता है। किन्तु धारा 4 मे आपने क्या किया है ? धारा 4 में आपने एक वैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी को, एक हवलदार को, एक कमीशन प्राप्त अधिकारी को नागरिक प्राधिकारियों की सहायतार्थ नहीं बल्कि लोगों को मारने के लिए प्राधिकार दिया है। इसका आशय यह है, कि यह भी कल्पना की जा सकती है कि सेना पर आक्रमण की स्थिति मे उसने

[श्री प्यारे लाल हान्डू]

का तरीका अपनाया जा सकता है । हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां हम घात लगाना, ताक में रहना छिपकर रहना आदि शब्दों को सुनते हैं । ऐसी स्थितियों में सेना के पास पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । विश्वास कीजिए, माननीय मन्त्री महोदय आपका यह कहना सही नहीं था कि राज्यपाल के शासन के दौरान सेना को इन शक्तियों की आवश्यकता के लिए है । ऐसे आपातकाल के लिए सेना अधिनियम में व्यवस्था है । आप इसमें वायु सेना को भी सम्मिलित कर रहे हैं । वायु सेना आखिर नागरिक प्राधिकारियों की कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने में धारा 4 के अन्तर्गत क्या सहायता कर सकती है ? अत: मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि विधेयक के इन तीन प्रावधानों पर आप विचार करें जिन्हें आप पारित कर रहे हैं । यह अधिनियम की प्रस्तावना में दिया गया है । अगर सेना को और अधिकारों की आवश्यकता होती है तो वे सेना अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं सेना का आतंकवाद से निपटने का ढंग राजनैतिक नेताओं के आतंकवाद से निपटने के ढंग जैसा नहीं होना चाहिए और अगर सेना की जरूरत है और इसे सहायता के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें निश्चित तौर पर बुलाया जा सकता है । कोई भी नहीं कहेगा कि यह नहीं करना चाहिए । किन्तु, सेना अपने आप बदलने की कार्यवाही नहीं कर सकती, जैसाकि कहा गया है, विशेष तौर पर जब अधिनियम की धारा 4 में आप सेना को कार्यवाही करने की अनुमति देते हैं जब इसके पास विश्वास करने का कारण हो इसे कार्यवाही करनी चाहिए । हमारे मान्यवर न्यायाधीश सदस्य बता सकते हैं कि इस विश्वास के कारण का क्या तात्पर्य है । वे संदेह पर भी कार्यवाही कर सकते हैं और आपको यह देखना है कि ज्यादतियां न की जाएं ।

आप एक वर-वधू की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं जब उन्हें अलग कर दिया जाए और सुहागरात को किसी को बलात्कार शिकार होना पड़े । जब ऐसी घटना हो तो कौन धैर्य रख सकता है, कौन चुप रह सकता है ? जब डी० आई० ओ० को सूचना दी कि यह हुआ है और एक जांच करने के लिए कहा तो आपने भोपाल में उन्हें स्थानांतरित कर दिया और फिर कश्मीर में पुन: सतर्कता अधिकारी नियुक्त बनाकर स्थानांतरित कर दिया । मैं इस मोहल्ले या उस मोहल्ले का उल्लेख नहीं करना चाहता । श्री मुफ्ती सईद साहब 3 जुलाई की रिपोर्ट में यह देख सकते हैं कि राज्यपाल ने यह अध्यादेश पारित करने के लिए नहीं कहा था । बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहा था । किन्तु इसकी बजाय राष्ट्रपति शासन से भी पहले आपने कश्मीर को एक तोहफा भेजा, और वह यह अध्यादेश है जिसमें सेना को इस ढंग से कार्यवाही करने का प्राधिकार दिया है । 5 और 20 जुलाई के बीच, आपको जांच अदालतें नियुक्त करनी पड़ी और यह तभी नियुक्त की जाती है जब कि प्रथम दृष्टि में ज्यादती का मामला बनता हो । श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब अपने पड़ोस के गांवों अर्थात श्री मुफरा की याद होगी, पहले हम जहां इकट्ठे रहे हैं । आज अठारह घर और 18 दुकानें वहां नहीं हैं । कुछ समय पूर्व पूरे गांव को मटियामेट कर दिया गया ।

30 अगस्त, 1990 (शक) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्ति अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां विधेयक

गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से एक दस्तावेज में बहुत सुन्दर पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' पर सेना का नियंत्रण है। अगर सेना को वहां इन शक्तियों की जरूरत है तो सिर्फ वहां उन्हें यह मिल सकती है बल्कि इसके चारों ओर 25 मील तक भी मिल सकती है।

किन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि आपने यह अधिकार पहलगांव, कोकरनाग, और कश्मीर घाटी के अन्दरूनी भागों के लिए दे दिये हैं? यह आरोप लगाया गया है कि सभी बातों को छुपाया जा रहा है। क्या आप इन मामलों की जांच कर सकते हैं? यदि आप अभी भी कश्मीर में कुछ बचाना चाहते हैं तो इन मामलों की जांच कराएं और इस जांच के परिणाम के लिए शीघ्रता करें। जनवरी, 1990 में आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा बादामी बाग में चार व्यक्तियों को गोली मारकर हत्या करने पर उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया था। किन्तु ऐसी रिपोर्ट है कि यह मामला अभी तक अदालत में नहीं गया है। क्या यह कहना मेरे अधिकार में नहीं है कि यह मामला कभी भी अदालत में नहीं जायेगा? आपने बारामुल्ला जिला में हुई ज्यादतियों के विरुद्ध दो शासकीय जांचों के आदेश दिये हैं। क्या यह कहना मेरे अधिकार में नहीं है कि मुझे उन जांच के परिणामों के बारे में बताया जाये? आप उस कश्मीरी लड़की की शिकायत के बारे में जानते हैं जिसे सिर से पैर तक आरी से काट दिया गया था। कश्मीर घाटी में इस प्रकार की क्रूरता हो रही है। इसी प्रकार, एक स्कूल अध्यापिका को भी आरी से काट दिया गया था—एक महिला, इस बारे में कोई कहना नहीं चाहेगा, क्या बलात्कार किया गया और उसके स्तनों को काटकर नदी में फेंक दिया गया...(व्यवधान)

- गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : किसके द्वारा ?

श्री प्यारे लाल हान्डू : आतंकवादियों द्वारा। मैं यह दोहराता हूं कि गृह मन्त्रालय इन तथ्यों से अच्छी तरह से अवगत है। किन्तु यह क्रूरता इस आक्रमण को उचित ठहराती है क्या सेना द्वारा बदले में यह सामूहिक हत्या न्यायोचित है? यदि मैं एक क्रूरता द्वारा दूसरी क्रूरता को न्यायोचित ठहराऊं तो क्या यह भारतीय लोकाचार के विकास में मदद करेगा? नहीं। मेरा सविनय निवेदन है कि कश्मीर घाटी में अपराध और क्रूरता की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। इस भ्रम में न रहें कि इसे केवल प्रशासन द्वारा ही ठीक किया जा सकता है।

ऐसे कुछ मित्र हैं जो ठीक या गलत ऐसा सोचते हैं कि नेशनल कांफ्रेंस अब अधिक प्रभावी नहीं रही है। हर राजनैतिक दल को कश्मीर घाटी में जाना अपना कर्तव्य समझना चाहिये। मेरे पक्षकार मित्र नेशनल कांफ्रेंस पर ही क्यों निर्भर रहते हैं? उनके लिए, डा० फारूक अब्दुल्ला एक सुस्त और थके हुए व्यक्ति हैं जो जनवरी, 1990 में कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं थे। आप उनसे ही अनुरोध क्यों करते हैं? आप मीर कासिम या अपनी पसन्द के व्यक्ति के लिए प्रयत्न करें या स्वयं प्रयत्न करें। हम आपका अनुसरण करेंगे। हर भारतीय राजनैतिक दल कश्मीर घाटी में अपनी शाखा

[श्री प्यारे लाल हाम्बू]

क्यों नहीं खोल लेती ? आज मैंने राष्ट्र-भाषा के बारे में देखा कि राष्ट्रीय सहमति है ही नहीं। इसी प्रकार मार्च के महीने में जब कश्मीर के बारे में चर्चा की गई थी तब भी यही स्थिति थी। 10 मार्च को एक बैठक में, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मन्त्री ने की थी, भारत के छः बड़े राजनैतिक दलों द्वारा एक निर्णय लिया गया था। उसका क्या हुआ ? हम क्या कर रहे हैं ? हम किसे उपदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं ? हम किसे सुझाव देने का प्रयत्न कर रहे हैं ? नेशनल कांफ्रेंस की ओर से हम जो किया जाना चाहिए वह अवश्य करेंगे। आप किसे भी चुनते हैं, हम आपके साथ होंगे। धमकियां देने, कटाक्ष करने और आरोप लगाने के बदले आप स्वयं प्रयत्न करके कोई समाधान क्यों नहीं निकालते ?

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री प्यारे लाल हाम्बू : इस सन्दर्भ में, क्या मैं अपने संशोधन का उल्लेख करूं या किसी उचित अवसर के आने की प्रतीक्षा करूं ?

सभापति महोदय : नहीं, अभी अभी।

श्री प्यारे लाल हाम्बू : ठीक है, महोदय।

[हिन्दी]

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेडा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, अभी मेरे पूर्ववक्ता ने बड़े ही व्यंगात्मक तौर से कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जम्मू और कश्मीर को सिर्फ कश्मीर दिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब हमारे शरीर का कोई अंग अस्वस्थ हो जाता है, कष्ण अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे दवाई देकर ठीक करने की कोशिश की जाती है और दवाई जितनी कड़वी उसे दी जाती है, उतना ही ज्यादा फायदा उसे होता है, उतना ही ज्यादा फायदेमंद वह साबित होती है। आज कश्मीर में जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, उसी के कारण सरकार को सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक, 1990 इस सदन में पेश करना और मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अब सवाल यह है कि हमें इस विधेयक को जम्मू और कश्मीर प्रान्त के सम्बन्ध में क्यों लाना पड़ा और वह भी आर्डिनेंस के जरिये। सभापति महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारत की जनता ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को शासन सौंपा, उसके तुरन्त बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री एक बात कहते थे कि जब भी उन्होंने टेलीफोन के ऊपर किसी पड़ोसी देश के राज्याध्यक्ष से बात की तो वे राज्याध्यक्ष उनके टेलीफोन से ही थर-थर कांपते थे। उन नौसिखिया प्रधानमंत्री, उनके अहंपूर्ण वक्तव्य और उनकी निकम्मी सरकार की ही देन है कि आज हमें जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में इतना कठोर कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, उसके पश्चात् कश्मीर का भी भारतीय संघराज्य में विलय हो गया। स्वाधीनता के

जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

संसद्‌ द्वारा [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

संसद्‌ द्वारा [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां विधेयक

समय कश्मीर में हिन्दू राजा थे और वे हिन्दू राजा कश्मीर को भारतीय गणराज्य में विलय करने के सम्बन्ध में थोड़ा हिचकते थे, डगमगा रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय कौन सामने आया। उस समय एक मुसलमान शेख साहब ही सामने आए, कश्मीर के मुसलमान सामने आये और उन्होंने कश्मीर को भारतीय गणराज्य में मिलाने के लिए अनुबाई की। कश्मीर का हमेशा से धर्म-निरपेक्ष और सैक्यूलर स्ट्रक्चर रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम यह कभी नहीं भूल सकते कि कश्मीर में हिन्दू राजा होते हुए भी कभी हिन्दू और मुसलमानों के बीच दंगे नहीं हुए। यह कश्मीर के सैक्यूलर स्ट्रक्चर की विशेषता थी, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण था कि हमने अपने संविधान में धारा 370 के अन्तर्गत कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान किए। इसे हम पण्डित जवाहर लाल नेहरू और डा० राजेन्द्र प्रसाद की दूरदर्शिता ही कहेंगे। उसके पीछे एकमात्र यही कारण था कि वहां जो धर्मनिरपेक्ष भावना थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने आपको भारतीय गणराज्य में विलय करने के मामले में पहल की, उनकी उदारता को ध्यान में रखते हुए ही धारा 370 के अधीन उस राज्य को संविधान में विशेष अधिकार प्रदान किये गए थे। आज वह समय नहीं है, जब हम उस 370 धारा को संविधान से हटाने की बात करें। आज भी 370 धारा की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि धारा 370 के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को वे सभी अधिकार आगे भी मिलते रहें, जो उन्हें अब तक मिलते आए हैं और वे उन अधिकारों का पूरा लाभ उठायें। धारा 370 को समाप्त करने की मांग हमारी एक सहयोगी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार-बार उठायी जाती है। मैं मानता हूं कि उनकी नीति ऐसी हो सकती है, मैं उसका स्वागत भी करता हूं परन्तु सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण बहस के समय माननीय आडवाणी जी ने 370 धारा की वकालत की थी और हमारे प्रधानमन्त्री जी ने तुरन्त विदाउट ऐनी हैजिटेशन सदन में खड़े होकर पूरे देश को और कश्मीर के निवासियों को आश्वस्त किया था कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार धारा 370 को आगे भी कायम रखने के लिए दृढ़ संकल्प है।

सभापति महोदय, हमारी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जब से आई है और जब से शासन संभाला है···(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, आडवाणी जी ने धारा 370 की सिफारिश नहीं की। आडवाणी जी कह रहे थे, जब राजीव जी ने बीच में कहा, तो उन्होंने यह कहा कि इस समय दो-तिहाई बहुमत अमेण्डमेण्ट करने के लिए जो चाहिए वह नहीं है। इसलिए राजीव जी आप लाईए। आडवाणी जी और उनकी पार्टी का कहना है कि धारा 370 के कारण ये कठिनाईयां हैं। धन्यवाद।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेडा : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए, अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो नीति है वह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की नीति है, उसको मैं प्रतिपादित करना चाहता हूं कि आज के दिन इस धारा 370 को हटाने के हम लोग एकदम विरुद्ध हैं। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जब शासन संभाला और जब कश्मीर की तरफ ध्यान दिया और आज जो हमारे विरोधी

[श्री लेमेन्न सिंह बनेड़ा]

पक्ष के लोग जब बार-बार यह बात कह रहे हैं कि कश्मीर के अन्दर आतंकवादी और आतककारी गतिविधियां तेज हुई हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब फारुख अब्दुल्ला की वहां सरकार थी, जिसमें कांग्रेस शामिल थी, उस समय ऐसा निकम्मा शासन था और जिस रैंगिंग के द्वारा चुनाव में हेर-फेर करके, उन्होंने कश्मीर का शासन सम्भाला, जिस शासन के साथ वहां के कश्मीरियों का विश्वास नहीं था और किस ढीली नीति से वहां पर शासन चल रहा था, आज जो स्थिति है, यह उसी नैशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार की नीतियों का परिणाम है। उस समय भी वहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी, उनको रोकने के लिए उस समय के शासन ने कोई पग नहीं उठाए, कोई ठोस कदम नहीं उठाए, कोई सख्ती नहीं की और देश के सामने एक ऐसी तस्वीर रखी गई कि जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार केन्द्र में आने के पहले वहां पर आतंकवादियों द्वारा विस्फोट नहीं किए जाते थे, क्या सिर्फ अब ही आतंकवादी अपनी गतिविधियों को तेज कर रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जब से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई है और जब से इस सरकार ने आतकावादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं और जब उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो वे अपना खुला खेल खेल रहे हैं।

सभापति महोदय, पाकिस्तान उस क्षेत्र की भोली-भाली और सीधी-सादी जनता को, नौजवानों को गुमराह करके, बहकाकर पाकिस्तान में ले जाकर ट्रेनिंग देकर यहां भेजता रहा, क्योंकि तब तक वहां पर असेम्बली थी और जम्मू-कश्मीर की सरकार थी। उन दिनों इन गतिविधियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब, जब राष्ट्रपति शासन के बाद, इनकी गतिविधियों पर ध्यान गया और जब सख्ती बरती गई, तो यहां पर उनका विस्फोट हुआ और यही कारण है कि आज आपको वहां की स्थिति इतनी भयानक नजर आ रही है। इसी स्थिति को देखते हुए और इसी भायनक स्थिति से निपटने के लिए ही यह सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक, 1990 यहां प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय, आज के दिन जब हम जम्मू-कश्मीर के उग्रवाद की बातें करते हैं, तो हमें अपनी पार्टी, अपनी दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। कश्मीरियों के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। क्या आजादी के बाद से लेकर, कश्मीरियों को और उनके कल्चरल हैरिटेज को, जो उनका एक सैकुलर स्ट्रक्चर है, जो एक कश्मीरियों की खासियत है, उनको कायम करने के लिए हमने कुछ किया, उनका हमने विश्वास जीता? या हम समय-समय पर यहां से यह कहते रहे कि वह दिन दूर नहीं है जब इस धारा 370 को हटा लिया जाएगा और जिसके कारण उनमें अविश्वास की भावना बढ़ती गई और उसी का परिणाम आज हमें आतंकवादी गतिविधियों के रूप में देखने को मिल रहा है।

सभापति महोदय, कश्मीरियों का अपना एक कल्चरल हैरिटेज है, उसको हमने कायम रखने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण आज कश्मीरियों में भारत के ऊपर अविश्वास की सी भावना बढ़ती जा रही है। उनका इस बारे में एक अलग दृष्टिकोण है। हर क्षेत्र की अपनी भाषा, संस्कृति होती है, जिसकी रक्षा होनी चाहिए। बंगाल की अपनी भाषा और संस्कृति है। मेवाड़ की अपनी संस्कृति है। गुजरात की अपनी संस्कृति और भाषा है। इसी प्रकार तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों का अपना कल्चरल हैरिटेज है, जिसके ऊपर वहां के लोग गौरव महसूस करते हैं, अपने को गौरवान्वित समझते हैं, तब हमारी अंगुली केवल कश्मीर के ऊपर क्यों जाती है ?

4.00 म० प०

अब वे यह मांग करते हैं कि हमें यह अधिकार होना चाहिए कि हम अपने कल्चरल हैरीटेज में ऊपर किसी प्रकार का धब्बा नहीं बोलने दें। सभापति महोदय, कांग्रेस के शासन में, जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, कश्मीर के और सवालात के ऊपर, कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए कोई ठोस आधार जनता के सामने नहीं रखा गया। मैं आज गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने कश्मीर में कश्मीरियों का विश्वास प्राप्त किया है, उनका विश्वास आर्जित किया है, मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहूंगा कि यह पहला अवसर है कि कश्मीर में एक हजार नौजवानों में बी० एस० एफ० ज्वाइन करने के लिए ऐप्लीकेशन दी है। क्या कांग्रेस के शासन में बी० एस० एफ० या सी० आर० पी० एफ० के अन्दर कभी कश्मीरियों को सम्मिलित करने की बात सोची थी ? आप हमेशा उनको शक की निगाह से देखते थे। आज पहला अवसर है कि कश्मीर का एक हजार नौजवान बी० एस० एफ० ज्वाइन करने के लिए ऐप्लीकेशन दे रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कश्मीर के जो नौजवान गुमराह हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है उस ओर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। वहां पर रेपिड इंडस्ट्रियलाईजेशन हो और हर प्रकार से कश्मीरियों को विश्वास में लेकर, विश्वास आर्जित करके हम उस बात की ओर पहल करें कि कश्मीरी अपने आपको भारत का अभिन्न अंग समझें।

4.01 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

4.02½ म० प०

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा सेक्टर के सहित तथा सेक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, जम्मू तथा कश्मीर में नियन्त्रण रेखा पर कुपवाड़ा सेक्टर उन क्षेत्रों में से है जहां हाल के महीनों में पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी घुसपैठ करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

कुपवाड़ा सेक्टर का मछाल सब-सेक्टर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के "केल" गांव के सामने पड़ता है। हाल ही में हमारी सेना ने इस क्षेत्र में कुछ लोगों को घुसपैठ करते हुए देखा था। 12 अगस्त, 1990 को हमारी सेना ने उपयुक्त कार्रवाई करके घुसपैठियों को खदेड़ बाहर किया। पाकिस्तानी सेना ने हमारी इस कार्रवाई में मोर्टार और तोपों जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, हस्तक्षेप करने की कोशिश की। लेकिन हमारी सेना इस क्षेत्र से घुसपैठियों को पूरी तरह से खदेड़ बाहर करने सफल हुई।

पाकिस्तानी समाचार माध्यमों ने इस घटना को इस रूप में बताया कि हमारी सेनाओं ने उस क्षेत्र में पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया। हमने इसका खंडन किया।

कुछ दिन शान्त रहने के बाद 20 अगस्त से पाकिस्तानी फौज ने मछाल सब-सेक्टर में हमारी कई चौकियों पर गोले बरसाने शुरू किए। इस क्षेत्र में हमारी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में उन पर गोलाबारी की। गोलाबारी दोनों ओर से जारी है। लेकिन यह सब इसी सब-सेक्टर तक सीमित है।

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत दोनों देशों के मिलिट्री आपरेशन के डायरेक्टर-जनरल एक-दूसरे से सम्पर्क किए हुए हैं। इसमें अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की स्थानीय झड़पों पर नियन्त्रण कर लिया जाएगा। हमारी सेना किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हमें पूरी आशा है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और पाकिस्तान की सरकार शिमला समझौते का पूरा पालन करने की आवश्यकता को समझेगी।

यह उस बातचीत के अनुरूप ही होगा, जो हमने पाकिस्तान की सरकार के साथ हाल ही में शुरू की है।

4.06 म० प०

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक – जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब, डा० तम्बि दुरै।

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां विधेयक

डा० तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, अब हम जम्मू और कश्मीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (पश्चिम दिल्ली) : मैंने कालिंग अटेंशन मोशन दिया हुआ है, सुबह अध्यक्ष जी ने कहा था कि स्टेटमैंट के बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे स्टेटमैंट के ऊपर प्रश्न नहीं कर सकते हैं, आपको अगर डिस्कस करना है, तो हम देखेंगे।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने नोटिस दिया हुआ है, यह इतना इम्पार्टेंट ईशू है। सुबह हमने इस मामले को उठाया था तो उन्होंने कहा कि आपका कालिंग अटेंशन आया हुआ है, जब पी० एम० स्टेटमैंट देंगे उसके बाद आप क्लैरीफिकेशन ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले मैंने आपको ऐसे में बोलने का समय दिया है और स्टेटमैंट के बाद उस विषय के सम्बन्ध में प्रश्न भी पूछे गये हैं लेकिन इस हाऊस में प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमैंट के बाद कोई क्वेश्चन पूछने का कल्प या प्रथा नहीं है। ऐसी प्रथा राज्य सभा में है। अगर मैम्बर चाहें तो उन पर बाद में डिसकसशन करवा सकते हैं। यह डिसकसशन कैसे की जा सकती है, यह हम देख लेंगे।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : पिछले 40 वर्षों से हम जम्मू और कश्मीर में इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अभी प्रधान मन्त्री जी ने भी बताया कि किस प्रकार पाकिस्तान हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। हमें जम्मू और कश्मीर की समस्या पर दो प्रकार के दृष्टिकोण से चर्चा करनी है। प्रथम, क्योंकि पड़ोसी देश हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जम्मू और कश्मीर से हमारी किस प्रकार निबट रही है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि समस्या यह है कि हमें केवल यह सोचना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर कैसे इस समस्या से निबट रहा है। अन्य राज्यों में भी कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा था, हमारी विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं। इस प्रकार की भिन्नताओं के साथ कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। सरकार इस समस्या का सामना किस प्रकार कर रही है और उससे किस प्रकार निबट रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने भी जम्मू और कश्मीर का कई बार दौरा किया है। लोगों में एक प्रकार की उत्तेजना थी है। 1989 से पहले जो स्थिति थी वह आज 1990 में भिन्न है। जब मैंने अपने विद्यार्थी दिनों में जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था मैं महाविद्यालय परिसर में रुका था, मैं जानता हूं हमें विद्यार्थी कैसे मिले थे। उन्होंने अपने कष्ट के बारे में भी बताया था। कभी-कभी, हम अखंडता बनाए रखने के इच्छुक होने के

[डा० तम्बि दुरै]

बावजूद भी, पाते हैं कि कुछ सरकारी नीतियों के कारण, अखंडता प्रभावित होती है। हम इसका खंडन नहीं कर सकते।

भाषा नीति के सम्बन्ध में, हमने शून्य काल में भी चर्चा की थी। (व्यवधान)। मैं यह बताने जा रहा हूं कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देश के विभिन्न भागों की जनता की भावनाओं के प्रति आपका क्या रवैया है। आप के देश में समस्या क्यों है? आप जम्मू और कश्मीर की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। मेरा यह प्रश्न है। अधिक महत्व की बात यह है कि क्या आप वहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर रहे हैं? क्या आप उस क्षेत्र की भाषा का, संस्कृति का, सम्मान कर रहे हैं। अखण्डता के नाम पर यदि आप लोगों पर किसी विशेष संस्कृति को, किसी विशेष भाषा को थोपना चाहते हैं। तो इससे उस क्षेत्र में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। यही हमारे माननीय सदस्य ने कहा था। तमिलनाडु, बंगाल, असम और पंजाब में समस्याएं हैं क्योंकि आप उन क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है। (व्यवधान) इसलिए, जब माननीय मंत्री ने कहा था, 'क्षेत्रीय भाषाएं' तो मैं सरकार से जानना चाहता था कि क्या हमारे देश में कोई क्षेत्रीय भाषा है। मैं यह कह रहा हूं कि सभी 18 भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। आपको एक समान सबका सम्मान करना है। चाहे वह कश्मीरी भाषा हो, तमिल भाषा हो या बंगाली भाषा हो सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं यदि आप उन्हें क्षेत्रीय भाषाएं कहते हैं तो इससे भाषायी क्षेत्र बनते हैं। इसी प्रकार देश में अलगाव बढ़ रहा है। प्रजातन्त्र के बारे में आप 'धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। यदि आप धर्म निरपेक्ष राज्य हैं तो आपको सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। यह महत्वपूर्ण है। तब, यदि आप प्रजातन्त्र अपनाना चाहते हैं तो आपको अल्पसंख्यकों की भी सुरक्षा करनी है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? हमारी व्यवस्था में, हम तमिल लोग अपने आपको गर्व से भारतीय कहते हैं। किन्तु आप ऐसा वातावरण नहीं बना रहे हैं। जब आप हमारी भाषाओं को महत्व नहीं देते तो अवश्य ही ऐसी शंका उपजती है। ऐसा जम्मू और कश्मीर में भी हो रहा है। आप उस भाषा को, संस्कृति को महत्व नहीं दे रहे हैं और वहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर रहे है। इसलिए, जब आप उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो वहां का युवा वर्ग अधीर हो रहा है, वे इन कुछ गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व उस वातावरण का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं और पृथक्करण को बढ़ा रहे है। इसी प्रकार आतंकवाद शुरू हुआ है। आतंकवाद और अधिक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप युवाओं के बारे में चिन्तित नहीं है इसीलिए आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे है। यदि आप इस समस्या को सुलझाने में असफल हो जाते हैं तब दूसरी समस्या उत्पन्न की जाएगी। वह समस्या केवल जम्मू तथा कश्मीर में ही नहीं अपितु देश के अन्य भागों में भी फैल जाएगी। आपको उसका ध्यान रखना है। आपको बहुत भारी गलती के कारण ही जम्मू तथा कश्मीर की समस्या उत्पन्न हुई है। इस समस्या के समाधान की दिशा में आपकी क्या नीति है? आपने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया है। क्या समस्या को सुलझाने का यही

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां विधेयक

तरीका है? आप वहां पर एक सक्षम सरकार के बिना अच्छा वातावरण तैयार नहीं कर सकते। यदि आप सेना पर निर्भर रहते हैं तब आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपने जो गलती की है आपको उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए तथा जम्मू और कश्मीर में सक्षम तथा लोकप्रिय सरकार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका केवल यही समाधान है।

आप सेना को और शक्ति दे रहे हैं। आप राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हेतु अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने जा रहे हैं। केवल शक्तियां देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप वहां से ही निर्देश कैसे दे सकते है। आप उस समस्या का समाधान किस प्रकार करने जा रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें।

जम्मू और कश्मीर समस्या का समाधान अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा ही नहीं है। इस समस्या का समाधान केवल यही है कि सक्षम तथा लोकतांत्रिक सरकार को यथाशीघ्र लाने का प्रयत्न किया जाए तथा अपने साथ सभी व्यक्तियों को लाने का प्रयत्न किया जाए तथा लोगों में विश्वास उत्पन्न किया जाए। भारत हमारा देश है। हमें इस देश में एकता से रहना है। उस उद्देश्य के लिए एक अच्छा वातावरण बनाइये।

मैं एक बार पुनः माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस भाषा संबंधी मामले को देखें क्योंकि वह भाषा सम्बन्धी समस्या को भी देख है। अधिकांश सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने प्रश्न उठाए थे। परन्तु माननीय सूचना मन्त्री जी उचित उत्तर देने में असमर्थ हैं। उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के चुनावी घोषणा पत्र को केवल पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि वह पंडित जी के इस आश्वासन कि अंग्रेजी भाषा भी प्रयोग में चलती रहेगी, इस पर विचार करेंगे जिससे कि गैर-हिन्दी भाषी व्यक्तियों में इससे और विश्वास उत्पन्न होगा। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी उत्तर देते समय पूरे देश को ध्यान में रखेंगे केवल जम्मू और कश्मीर के ही बारे में ही विचार मत कीजिए क्योंकि इससे प्रत्येक बात जुड़ी हुई है।

माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह उत्तर देते समय भाषा नीति को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करें।

[हिन्दी]

श्री अमर राज गुप्त (जम्मू) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कश्मीर में इस वक्त जो हालात है, वाकई बड़े तशवीशनाक हैं। यहां पर मेरे साथियों ने कश्मीर के बारे में चर्चा करते हुए कहा, कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार के बारे में कुछ बातें की हैं, मैं सिर्फ आपको बताकर के यह कहना चाहता हूं कि जब तक नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की कोलीशन सरकार रही है, ऐसे हालात कभी भी जम्मू कश्मीर स्टेट में नहीं हुए, जैसे आज इस वक्त है। आज यह बकरत पढ़ रही है। कि आर्मी को स्पेशल पावर्ज दी जायें और टैरेरिस्ट्स को और दूसरे लोगों को कंट्रोल किया जाय, आर्मी के

[श्री अमक राज गुप्त]

करिए। लेकिन जब तक फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार रही, आज तक कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि आर्मी के हवाले कोई भी एरिया किया जाय या किसी भी एरिया में आर्मी को बुलाकर कंट्रोल करने के लिए कहा जाय। जहां तक खुराना जी ने वहां के जो माइग्रेंट्स आये हुए हैं, उनके बारे में बात की, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। जब तक कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की सरकार रही, कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि एक भी व्यक्ति, एक भी आदमी वहां से माइग्रेट करे या उनको वहां से निकलने की जरूरत हो, यह तशवीशनाक बात है। यहां आप जानते हैं कि पिछले सैशन में भी मैंने और मेरी पार्टी के कुछ दूसरे साथियों ने भी यह कहा कि···उनके लिए यहां पर रहने का कोई अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, कोई अकमोडेशन नहीं है और न ही कोई दूसरी सुविधायें दी जा रही हैं, जो कि उनको मिलनी चाहिए। यह एक इन्सानी मसला है। इस बात को तीन-चार दिन पहले सदन में मैंने स्पेशल मैंशन किया था कि उनको कोई अच्छे ढंग से रहने के लिए जगह मिले और उनके लिए बन्दोबस्त किया जाए। पिछली बार होम मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिलाया कि उनको काफी सहूलियतें दी जायेंगी, लेकिन उनको कोई सहूलित नहीं मिली है। आज दिल्ली में भी वे प्रोटेशन निकाल रहे थे और जम्मू में भी जहां-जहां पर भी वे हैं वे बहुत बुरी हालत में हैं। उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए।

मैं एक बजा बात कहना चाहता हूं। कश्मीर में कोलिजन सरकार थी। आज आप कश्मीर के हालात देख रहे हैं कि कोई कालेज नहीं चल रहा है, मैडिकल कालेज बन्द है, इंजीनियरिंग कालेज बन्द, एग्रीकल्चरल कालेज बन्द, कोई यूनिवर्सिटी प्रणाली नहीं चल रही है। सब बन्द कर दी गई हैं। लेकिन कांग्रेस के वक्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ···(व्यवधान)···आप गलतियों को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलतियों को मानिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। आपकी कोई पालिसी नहीं है। आपके सामने कोई प्रोग्राम नहीं है। आप अपना बर्डन दूसरों पर डालने की कोशिश मत करिए।···(व्यवधान)···इसका कोई हल आपको निकालना चाहिए।···(व्यवधान)···मैं बजा तौर पर इस बात को कहना, अगर आप सुनने का कष्ट करें। ···(व्यवधान) ···आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, वे आपकी गलत पालिसी के कारण पैदा हो रहे हैं। आपकी पोलिटिकल विडिक्टिवनैस की वजह से पैदा हुए हैं। प्रधान मंत्री जी ने पंद्रह अगस्त को लाल किले पर तकरीर करते हुए इस बात को माना है कि कश्मीर में कुछ गलतियां हुई हैं। मैं समझता हूं कि उनको बताना चाहिए कि क्या गलतियां हुई हैं, ताकि लोग जानें और उन गलतियों को दूर करने के लिए उनके पास क्या कार्यक्रम है, क्या पालिसी है, इस बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। लेकिन आपके पास कोई क्लीयर पालिसी नहीं है। इस बात को आपको मान लेना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। आपके शोर करने से कोई मसला हल नहीं होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, आप चेयर एड्रेस करें।

श्री गुरुदास दास गुप्त : मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं, वहां पर टैरेरिज्म फैल रहा है, मैं समझता हूं कि यह जनता दल की सरकार की गलत पालिसी और पोलिटिकल डिसिविटबनेस की वजह से हुई है। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर अच्छे ढंग से सरकार चल रही थी। आपने फारूख अब्दुल्ला जी से बात की और बात करने के बाद आपने श्री जगमोहन जी को गवर्नर के रूप में तैनात कर दिया। जगमोहन जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मेरे काफी पुराने उनसे ताल्लुकात हैं, जबसे वे गवर्नर थे, लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जान-बूझकर जगमोहन जी को वहां भेजा, ताकि फारूख अब्दुल्ला के साथ उनकी आपस में न बने और अपनी सरकार से इस्तीफा दे दें और वहां हालात नार्मल न रहें। आपने एसेम्बली को बगैर किसी वजह से अनकांस्टीच्यूशनली डिजोल्व करवाया। इस बात को देखते हुए, लोगों के जहन में यह बात है कि आपने लोगों की चुनी हुई सरकार और लोगों के चुने हुए नुमाइन्दों को उनसे छीन लिया। आपने उनको मजबूर किया कि वे इस्तीफा दे दें। आज हालात यह है कि जहां आपने मजबूर किया फारूख अब्दुल्ला को और इसके बाद आप कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपके खिलाफ चार सौ रिजोल्यूशन, हिन्दुस्तान के खिलाफ, यू० एन० ओ० में, एडवोकेट्स ने, डाक्टर्स ने और सबने दिए हैं। जब तक वहां नेशनल कांफ्रेंस की सरकार थी, तब तक वहां कुछ भी नहीं हुआ और आज वहां पर लोग मारे जा रहे हैं।

आप अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे देखिए। आपके ही सेक्रेटेरियट में, जहां पर सिक्योरिटी का बड़ा ज्यादा इन्तजाम है, वहां दस दिन पहले बम फट गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो यहां पर आए हैं, इनकी तरफ तवज्जह दी जाए। जो लोग वापिस नहीं गए हैं, जब तक हालात नार्मल नहीं होते हैं, तब तक उनके लिए पूरी तरह से रहने का, खाने-पीने का बन्दोबस्त करना चाहिए। सर्दियों का मौसम आ रहा है, उनके लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लूंगा। आप यह जो आर्म्ड फोर्सेज को स्पेशल पावर्स देने के लिए बिल लाए हैं, वहां टैरेरिस्ट एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने लिए इस बिल को लाया जाना जरूरी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जैसा मेरे साथियों ने कहा, आपने भी वहां पर देखा होगा, 137 बड़े गजेटेड आफिसर्स, जिनमें आई०ए०एस० भी शामिल हैं उन्होंने भी सरकार के खिलाफ लिखकर दिया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कई जगह इनोसेंट लोग भी हैं, जिन पर ज्यादतियां होती हैं, इनकी ओर मैं मुफ्ती साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां भी उनको देखना चाहिए। वे लोग इनोसेंट लोग हैं, उन पर ज्यादतियां न हों, उनसे कोई नेकनामी नहीं होती है, न आर्मी की होती है, और न सरकार की होती है। आर्मी से संबंधित जो आप यह एक्ट पास करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह कोई परमानेंट हल नहीं है, इसलिए आपको पोलिटिकल प्रोसेस शुरू करना

[श्री जनक राज गुप्त]

चाहिए और कोई सियासी हल निकालना चाहिए ताकि लोगों में वहां कान्फिडेंस पैदा हो। एक वजा पालिसी लोगों के सामने, सारे देश के सामने कि सरकार काश्मीर के मसले को किस ढंग से हल करना चाहती है, आनी चाहिए। आज टैरेरिस्ट हैं, कल पाकिस्तान हमला कर रहा है, परसों और ज्यादतियां हो जायेंगी और लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आपने फारूक अब्दुल्ला से बात की, लंदन से बुलाया या वापिस चले गए हैं, उनको इम्वाल्व करना चाहिए। कांग्रेस के लीडर हमारे राजीव गांधी जी को इम्वाल्व करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के राजीव गांधी कश्मीर में जितने पोपुलर हैं, दूसरा कोई नेता आपका नहीं है···(व्यवधान)···आप वहां जाइए, यहां बैठकर अन्दाज मत लगाइए।··· (व्यवधान)···आप लोग अपने घर में बैठकर, अपने ड्राइंग-रूम में बैठकर बातें करते हैं। समस्या का हल इस प्रकार नहीं होना है। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंदिरा जी के और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के खानदान की इज्जत काश्मीर के लोगों में है, उसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते है। मुफ्ती साहब जानते हैं। इसका आप पता नहीं लगा सकते है।···(व्यवधान)··· आप इसको समझ नहीं सकेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप होम मिनिस्टर साहब से पता करिए। आप नहीं समझ सकेंगे। आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित नहीं करते हैं तब आप 'शब्दजाल' रूपी दलदल में फंसते जा रहे हैं। जिसे कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकेगा।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने केवल श्री राजीव गांधी का नाम लिया था।

[हिन्दी]

राजीव गांधी का नाम लेना क्या गुनाह है ! (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए।

श्री जनक राज गुप्त : मैं पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : उन्होंने सुभाष चन्द्र बोस को भारत का शत्रु कहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : साठे जी, प्लीज।

(व्यवधान)

श्री अमर राज गुप्त : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यह जो कश्मीर का मसला है, यह किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, यह किसी का व्यक्तिगत मसला नहीं है, यह नेशनल मसला है, नेशन का मसला है, सारे नेशन के लोग इस तरफ देख रहे हैं, कि सरकार की इस बारे में क्या पालिसी है। आज सरकार की कोई वाजिब पालिसी इस बारे में नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार कोई वाजिब पालिसी लोगों के सामने रखे।

एक बात और मेंबर साहेबान को बताना चाहता हूं, अगर मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर साहब इस बात को जानते हैं कि कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर के लोगों में जो इज्जत मेहरू खानदान की है, इन्दिरा गांधी की थी, जो इज्जत राजीव गांधी की है, वह किसी और की नहीं है। (व्यवधान)

आपको कुछ पता नहीं है कि हम कहां हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे कुछ नहीं जानते हैं, वे सिर्फ सियासत खेलना चाहते हैं, पोलीटिक्स प्ले करना चाहते हैं, लेकिन हम पोलीटिक्स प्ले नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : समय अत्यन्त सीमित है और यदि आप इसी प्रकार हस्तक्षेप करते रहे तो सभी कार्यों को समय के अन्दर करना कठिन हो जाएगा। कृपया हस्तक्षेप मत कीजिए। वह जो कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दें क्योंकि आप भी जो कुछ कहना चाहते हैं उसे कहने के लिए आपको भी पूरी छूट है। और अब गुप्त जी, आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अमर राज गुप्त : मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी इस मसले को सियासी इशू नहीं बनाना चाहती, इससे सियासी मफाद उठाना नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग इससे सियासी मफाद उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मफाद को अपने तक ही पार्टी लेवल पर रखें और इस मसले को नेशनल इशू बनाकर हल करने के लिए एक कंसेंसस बनाएं। (व्यवधान)

आप पहले चेयर को एड्रेस करिए, फिर मेरे से बात करिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार वाकयी इस मसले के प्रति सीरियस है, इस मसले को हल

[श्री जनक राज गुप्त]

करना चाहती है तो कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस, जनता दल और गैर-जनता दल तथा दूसरे जो म्यूट्रल किस्म के लोग हैं, इन सबको एम्बाल्ड करके एक कंसेसस बनाकर लोगों में जाएं। आम्र्ड फोर्सेस बिल पास करना एक टेंपरेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि वहीं पर पोलीटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहिए, जिसमें हमारे नेता राजीव गांधी हमसे ज्यादा इसकी मदद कर सकते। (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग इस समस्या के प्रति सीरियस नहीं हैं। इतना ही कहकर मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि सरकार एक वाजिब पालिसी कश्मीर के बारे में लोगों के सामने लाएगी और सारे लोग देखेंगे कि कश्मीर में किस तरह से इस समस्या का समाधान करना है (व्यवधान)

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। सारे लोग चाहे लोकसभा में हों या लोकसभा के बाहर हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सब मानते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहा है और अभिन्न अंग रहेगा, इसमें रंच मात्र भी सन्देह नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी धारणा यह है कि कुछ लोग राष्ट्रीयता का ठेका लिए बैठे हैं। जब कुछ लोग स्वाभिमान, सम्मान से खड़े होकर अपनी बेकारी, अपनी शिक्षा, अपने हक-हकूक की बात करते हैं तो उनको कभी-कभी उग्रवादी, असगाव-वादी कह दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो धर्म, मजहब के नाम पर नारा देते हैं, मेरी समझ में उनसे देश की अखण्डता को ज्यादा खतरा है। जो लोग इस ढंग के नारे लगाते हैं—

1. हिन्द, हिन्दी, हिन्दुस्तान, कहां से आए मुसलमान,
   ले लो इनकी जान, या फिर भेज दो इनको पाकिस्तान।

2. मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान।

3. बेटी है सरदार की — देश के गद्दार की। (व्यवधान)

मैंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ऐसी ही ताकतें देश को तोड़ने का काम करती हैं और इससे धर्मनिरपेक्षता को खतरा पैदा होता है। काश्मीर हमारे देश का भौगोलिक तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से संस्कृति के आधार पर हमारे देश का अंग है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रांत है जहां पर चालीस मंदिर बनाये गये हैं और विशेषकर धारा 370 तोड़ने की बात जब आयेगी तो निश्चित ही काश्मीर के लोगों में यह भावना पैदा होगी कि संविधान में हमें जो पारण्टी मिली थी, उसमें कहीं खोट पैदा हो रहा है। यहां

30 श्रावण, 1912 (शक) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां विधेयक

पर हाउस में, पार्लियामेंट में एक आदमी ने कहा कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, जब यह नारा लगाया जाता है तो काश्मीर की जनता में यह भावना पैदा होना स्वाभाविक है। हिन्दू होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते हमारी सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम इस देश की रक्षा करें। मैं समझता हूं कि बड़ा भाई होने के नाते हमारा जो धर्म है उसको हमने पूरा नहीं किया, इसलिए काश्मीर के लोगों में शंका की भावना पैदा हो रही है। मैं कश्मीर के लोगों की, उग्रवादियों की प्रशंसा नहीं करता, अलगाववादियों की प्रशंसा नहीं करता, लेकिन 1947 में देश में जो मुसलमानों का बहुमत था, उन्होंने स्वतन्त्र रूप से भारत के साथ जुड़ने का काम किया। आज कौन सी बात ऐसी है जो देश से अलगाववाद चाहते हैं, देश से अलग होना चाहते हैं, इस चीज को हमको सोचना चाहिए। इसमें चाहे कांग्रेस के लोग हों या जनता पार्टी के लोग हों, उनको सोचना चाहिए कि वे क्यों ऐसा सोचते हैं?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून बना है, हमारा देश जनवादी व्यवस्था का देश है, अहिंसात्मक तरीके से चलता है, इसको ध्यान में रखकर कानून बनाना चाहिये। इस देश में बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने अहिंसा का उपदेश देकर सारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, कानून के माध्यम से पुलिस फोर्स लगाकर किसी समाज का विश्वास नहीं जीता जा सकता है। जो कानून में बताया गया है उससे मैं समझता हूं कि मिलिट्री और आर्मड फोर्सेस पर ज्यादा गौर किया गया है। किसी को अगर बिना कारण बताये गोली मारने का अधिकार दे दिया जाएगा तो समाज के लिए, देश के लिए अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इस कानून में कहीं न कहीं जरूर प्रतिबन्ध होनी चाहिए, न्यायपालिका का हक छीन लेना अच्छी बात नहीं है। इसमें सारे न्यायपालिका के हक छीने जा रहे हैं जो किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है।

मैं चाहूंगा कि जो कानून बनाया जा रहा है उसमें इस ढंग की व्यवस्था होना चाहिए कि कहीं न कहीं इसका रेस्ट्रीक्शन हो, ताकि अगर हमारी पुलिस किसी पर आक्रमण करती है, उस पर कोई न कोई ऐसी बात हो तो वह अपने विवेक का इस्तेमाल करके काम करे। अगर वह अपने विवेक से काम नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि बार की स्थिति हो जायेगी और हमारे निरपराध काश्मीर भाईयों के ऊपर नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

इसलिए कानून तो बनाया गया है, यह ठीक है लेकिन उसमें रिजनेबल रेस्ट्रीक्शन होना चाहिए न्यायपालिका के अधिकार को छीना गया है, यह अच्छी बात नहीं है। इसमें मेरी समझदारी साफ है कि अगर किसी प्रांत को कोई मुख्य मंत्री ठीक नहीं कर सकता है, किसी देश को अगर प्रधानमंत्री ठीक नहीं कर सकता है तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। इसलिए वहां जो राजनीतिक प्रक्रिया है, वह ठीक होनी चाहिए और उस राजनीतिक प्रक्रिया में हमारे सारे लोगों की भावनाएं इकट्ठी होनी चाहिए और विश्वास की भावना काश्मीरियों में पैदा करनी चाहिए तभी काश्मीर को अच्छी तरह से भारत का अंग कहा जा सकता है। भौगोलिक रूप से तो ठीक है, लेकिन वहां की जनता को इसमें हिस्सा

लेना बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब गृह मन्त्री जी बोलेंगे।

श्री सिकिहो सेमा (नागालैंड) : महोदय, मेरा नाम वहां है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उस प्रकार नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने काफी समय ले लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सेमा जी, केवल एक मिनट।

[हिन्दी]

श्री मिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री सिकिहो सेमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सम्माननीय सदन के प्रति अन्याय होगा यदि आप इस मुद्दे पर मुझे कुछ कहने की अनुमति नहीं देते हैं। आप जानते हैं, क्यों।

महोदय, मेरे क्षेत्र अर्थात् नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लागू है तथा इससे हमारे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपको इस सम्बन्ध में भी बताना चाहता हूं। सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेषाधिकार विधेयक, 1990 को लाने का तात्पर्य उस अलोकतांत्रिक कानून को और बढ़ाने से है जो पूर्वोत्तर विशेष रूप से मणिपुर तथा नागालैंड में लागू है। अब आप इसे जम्मू तथा कश्मीर तक बढ़ा रहे हैं। इस अधिनियम को लाने का तात्पर्य सशस्त्र बलों द्वारा नागरिक प्रशासन की मदद करना है। परन्तु वास्तव में यह होता है कि जब किसी क्षेत्र को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित किया जाता है तब उस क्षेत्र में जो पुलिस बल्कि तैनात किये जाते हैं वे जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस अधिनियम के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार तथा निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने तथा उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की घटनाएं देखने में आई हैं। हमारे राज्य में यह सब अभी भी चल रहा है। ये सशस्त्र बल वाहनों को रोक रहे हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों की तलाशी ले रहे हैं। इस पर भी यदि किसी क्षेत्र को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित नहीं किया जाता है तब इस अधिनियम को अपने ही तरीके से लागू किया जाता है तथा

निर्दोष व्यक्तियों को परेशान किया जाता है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपको स्नेह तथा अच्छे कार्य से जनता का विश्वास जीतना चाहिए। सरकार को उन व्यक्तियों की समस्याएं समझने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल ऐसा कानून लागू करके आप लोगों को विमुख ही करेंगे।

मणिपुर तथा नागालैंड में यह अधिनियम वर्ष 1957 से प्रचलन है। आज भूमिगत नागा विद्रोहियों ने नागालैंड तथा मणिपुर में रहने वाले भारतीयों को जान से मारने की धमकी दी है। लगभग तीस वर्षों तक इस अधिनियम को लागू करने के पश्चात हमारे आदमी नागालैंड में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को समाप्त करने पर तुले हुए है। यह देखना है कि इस अधिनियम से कुछ लाभ हो रहा है अथवा नहीं। आपको इस अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि दूसरे उपायों से जनता का विश्वास जीतना होगा।

यदि आप हिन्दी को महत्व देना चाहते हैं तब आप और धनराशि देकर ऐसा करें। आपको लोगों को शिक्षित करना चाहिए। लेकिन आप अंग्रेजी पर प्रतिबन्ध क्यों लगा रहे हैं और लोगों पर हिन्दी क्यों थोप रहे हैं? आप लोगों बहला-फुसला करके उनमें फूट डालेंगे।

यह कानून निर्दोष लोगों और शान्ति प्रिय लोगों का विरोधी है। जब तक आप जम्मू-कश्मीर में रह रहे लोगों का विश्वास नहीं जीत लेते, यह अधिनियम उस राज्य के लोगों को आपसे बहुत दूर ले जायेगा। 'आपसे' अभिप्राय भारत सरकार और भारत की जनता से है। अतः यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं है। यह उस समस्या का समाधान नहीं है।

हमें उनके साथ बात करनी होगी और उनका विश्वास जीतना होगा। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर के लोगों का केवल विश्वास जीतने में हमारी सहायता करता है मैं जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार के अधिनियम को लाने का समर्थन नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से दो सदस्यों ने अपने संशोधन दे दिये है और वे अपने वक्तव्य देना चाहते हैं और फिर मन्त्री जी को उनका उत्तर देने की अनुमति दी जायेगी। शायद, वे चाहते हैं कि मंत्री जी संशोधन वापिस लेने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। अब, मैं श्री बिरधारी लाल भार्गव को संक्षेप में बोलने के लिए कहूंगा। अगले वक्ता श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री होंगे।

[हिन्दी]

श्री बिरधारी लाल भार्गव (जयपुर)। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत कम समय लेते हुए मैं कुछ सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। इस समय जो फौज को अधिकार दिया गया है, वह देना आवश्यक था, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वे निर्दिष्ट आधार पर उसका उपयोग करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के कारण यह बढ़ता हुआ आतंकवाद है और वहां का नागरिक प्रशासन निष्क्रिय हुआ है, स्थानीय पुलिस का सहयोग है और पाकिस्तान द्वारा उकसाया जा रहा है और निष्क्रिय वातावरण बनाकर हिन्दुओं की हत्या की जा रही है। जम्मू,

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

कश्मीर घाटी और लद्दाख, तीनों अलग-अलग स्थान हैं। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण नीति के कारण वहां सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विलय का प्रश्न नहीं किया गया है। इसके कारण आतंकवाद की प्रगति हुई है। मेरा निवेदन यह है कि जो तीनों क्षेत्र हैं वहां भारत की संस्कृति आदान-प्रदान का एक सशक्त माध्यम बने। ये जो तीनों क्षेत्र हैं इनका एक रूप सांस्कृतिक आधार पर बनाया जाना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा। एक तो विदेशी ताकतों द्वारा इसके दो परिणाम होंगे। इसका मंच बन जाने के कारण तीनों क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो जाने से वहां शांति स्थापित हो सकेगी। दूसरी बात यह है कि जो विदेशी ताकतें कश्मीर में आतंकवाद को फैला रही हैं तो वहां अंकुश लगाने के लिए सीमा क्षेत्रों में और घाटी क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को आवास कालोनी बनानी चाहिए। वह कालोनी बन जाने के कारण आतंकवाद पर नियंत्रित होगा दूसरी बात यह होगी कि अल्पसंख्यक जो हिन्दू हैं उनमें आत्म-विश्वास पैदा होगा। जो हजारों विस्थापित परिवार आ गए हैं तो उनको लौटने की हिम्मत हो सकेगी तो वहां पर कोई मदद करने वाला होगा। मेरा सुझाव यह है कि कश्मीर विस्थापितों को केन्द्रीय सरकार 500 रुपए महीना उनको देगी। उनको एडमिशन स्कूलों में मिलेगा और उनके खाते ट्रान्सफर होंगे। जो परिवार आ गए हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। केवल मौखिक आधार पर यह घोषणा न हो बल्कि उनके पुनर्वास के बारे में घोषणा हो। मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार ने तीन मार्च, 90 को एक पत्र में कहा है कि स्थानीय पुलिस आतंकवादियों की मदद कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पत्र नहीं पढ़ना है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो अपने पांइंट बता रहा हूं और अपनी बात समाप्त करूंगा जब फौज आतंकवादियों को पकड़ेगी तो पुलिस को कहा जायेगा। आतंकवादियों को पकड़कर फौज को अपने पास रखना चाहिए स्थानीय पुलिस को नहीं सौंपना चाहिए। जहां पर गड़बड़ी होती है तो वहां पर चुनाव नहीं कराए जाते। जब कश्मीर में गड़बड़ी है, वहां पर चुनाव करा दें तो प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी।

जो गड़बड़ी वाले क्षेत्र हैं उनमें बाद में चुनाव करायें। आज राष्ट्रपति जी को संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्राप्त हैं। यदि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आदान-प्रदान को हम पनपने देना चाहते हैं तो मेरा राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि जो धारा 376 है जो कश्मीर को देश से अलग कर रही है, कश्मीर में यदि भारत का राष्ट्रपति जमीन खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर के व्यक्ति यहां पर आकर जमीन खरीद सकते हैं, इसलिए यह धारा समाप्त होनी चाहिए। इसी सदन में जो पहले देशभक्त हुआ करते थे डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भी मांग की थी कि धारा 376 को समाप्त किया जाये। उसी के चलते उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। कश्मीर भारत का मुकुट है, मेरी मांग है कि वहां से धारा 370 खत्म की जाये।

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां विधेयक

ये छोटे-छोटे सुझाव जो मैंने आपके सामने रखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप 370 को समाप्त करने की दिशा में भी पहल करेंगे ताकि वहां के लोग जो भारत के अन्य इलाकों में विस्थापित बनकर रह रहे हैं वे वापस अपने स्थान पर आ सकें। वहां पर फौजी शासन कायम हो यह भी हम नहीं चाहते। फिर भी मैं चाहता हूं कि वहां पर फौज को जिस चीज की आवश्यकता है आतंकवाद से लड़ने की वह उसको दी जानी चाहिए और फौज को चाहिए कि वह उन अधिकारों का सही मायने में उपयोग करे और वहां से आतंकवाद को समाप्त करे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कश्मीर की समस्या देश की समस्या है इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज कश्मीर के अन्दर जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, चाहे वे किसी भी रूप में जिन्दा हों उनको संरक्षण प्रदान किया जावे। वहां से लाखों की संख्या में जो हिन्दू देश के विभिन्न इलाकों में आये हैं, हालांकि वे स्वेच्छा से नहीं आये हैं, उनको वापस वहां भेजने के लिए वहां पर शांति कायम की जावे। कश्मीर के अन्दर जो अलगाववादी शक्तियां हैं उन्होंने इन लोगों की इज्जत लूटकर इनको तंग करके वहां से यहां धकेला है। इसलिए मेरी पुन: यह मांग है कि इन लोगों को पुन: वहीं पर स्थापित करने बात सोचनी चाहिए और यह सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। सशस्त्र सेना को जितने अधिकार देने की आवश्यकता हो, सरकार उससे अधिक उसको दे। लेकिन सेना को उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उनका उपयोग मानवाधिकारों पर न करे। जिससे नागरिकों से जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उन पर चोट पहुंचे। एक दिन सारे सदन को विचार करना पड़ेगा, भले ही आज सदन इस पर विचार नहीं करे अगर कश्मीर के अन्दर प्रजातांत्रिक शक्तियों को जिन्दा रखना है तो यह आवश्यक है कि वहां पर राष्ट्रवादी शक्तियों को ताकत दी जाये। इसलिए हिन्दुस्तान के इन भक्तों को ताकत देने के लिए जो धारा 370 है उसे समाप्त किया जाये। इस पर आपको भविष्य में विचार करना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दूसरी आइटम पर समय देंगे, कृपया आप बैठ जायें।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : डिप्टी स्पीकर साहिब, आज सदन में कश्मीर के संबंध में बहस हुई और बहुत सारे सदस्यों ने सुझाव दिये हमारी सरकार की और वहां की राज्य सरकार की जो नीति है उनके बारे में भी बहुत सी बातें कही गईं। सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीर का गुजरा हुआ जमाना 1947 को सब लोगों ने याद किया। यह सही बात है कश्मीर की जनता और वहां की अवाम ने जो सारे देश में उस वक्त माहौल था। टू-नेशन थ्योरी-दो कौमी नजरिया मुस्लिम लीग का उसकी ज्यादा चर्चा अविभाजित में मुसलमानों में हुआ करती थी। कश्मीर के लोगों ने उसमें टूटकर उस नजरिये को ठुकरा दिया और इस बड़े मुल्क भारत के साथ अपना नाता जोड़ा। सही मायनों में मोहम्मद अली जिन्नाह के दो कौमी नजरिये का जो कन्सेप्ट था उसे सबसे बड़ा सेट-बैक लगा और यह बात भी सही है कि हमारे मुल्क में जो सेक्युलर ताकतें थीं, उन्होंने एक जोश का काम किया कि

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

जिस रियासत में मुसलमानों की अकसरियत है, उन्होंने सैकूलरिज्म का झंडा बुलन्द किया और पाकिस्तान की फौजों के साथ मुकाबला किया।

जहां बदकिस्मती होती है कि जब हम गलतियों का जिक्र करते हैं वहां कहा गया कि मिस-हैण्डलिंग हो गयी। हमारी आजादी के अलम्बरदार-लीडिंग लाईट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई की अगवानी की, उन्होंने सोशलिस्ट सैकूलर कंसेप्ट की तहरीक चलायी। ऐसा हुआ। पं० जवाहर लाल नेहरू के वक्त केन्द्रीय सरकार एवं उनके दरमियान 1953 में बहुत बड़ी मिस अंडरस्टेंकिंग हुई, इस बात को सैंट बैंक मिला। ऐसी हालत हो गयी कि जो सैकूलरिज्म की बात करते थे, जो हिन्दुस्तान और कश्मीर के रिश्ते को मजबूत करने की बात करते थे, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह के दो कौमी नजरिये को ठुकरा दिया, उन्हें जेल जाना पड़ा। 1953 से लेकर 1975 तक कश्मीर का पीरियड बहुत ही टरबुलेंट रहा। वहां पर एक गरीब फिजा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की रही। यहां मेरे भाई लोग कश्मीर के स्पेशल पोजीशन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि उस जमाने में सब इसमें शिरकत नहीं करते थे, सही मायनों में आज भी डैमोक्रेटिक प्रॉसेस मौजूद है, जहां असेम्बली के चुनाव हों, चाहें पंचायत के चुनाव हों। सबसे बड़ी पार्टी पुरानी नेशनल कांफ्रेंस के रहनुमा शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग सब लोग जेलों में बंद थे जिसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। सन 1975 में कश्मीर की तवारीख में एक टर्निंग प्वाइंट आया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौमी धारे में मेन-स्ट्रीम में वापिस आये और यह अच्छी तरह से चलता रहा। फलस्वरूप उसके बाद नेशनल कांफ्रेंस की सरकार रही। 1977 में चुनाव हुए। उस समय मोहम्मद शेख अब्दुल्ला चुनाव जीते। तभी यह कहा गया कि जो लोगों ने हमें भारी बहुमत से जिताया है, यह इस बात की तसदीक है, एप्रूवल है कि 1947 में यह ठीक हुआ।

आज जो कुछ भी हुआ और खासकर चिदम्बरम जी ने हमारी तरफ इशारा किया था। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस ने 1977 से लेकर 1987 तक वहां अपोजीशन का रोल अदा किया और 1983 में जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को दो सीटें मिली लेकिन कांग्रेस को कश्मीर वादी में 30 फीसदी से ज्यादा वोट मिले जबकि जमायते-इस्लामी व दूसरी पार्टियां तीसरे दर्जे पर थीं। सन 1986 में अवॉर्ड हुआ था। सन 1975 में शेख अब्दुल्ला के साथ अकार्ड हुआ, उस समय कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी असेम्बली में मेजॉरिटी में थी। शेख साहब को हमने स्पोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाया। दो साल तक उनकी सरकार चली। सन 77 में उन्हें वोट ऑफ कांफिडेंस मिला। लेकिन 1987 में जो अवॉर्ड हुआ, किसी को मालूम नहीं। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस में आपस में लड़ाई रही। दोनों पार्टियों की नेशनलस्ट अप्रोच थी, नेशनल पर्सपेक्टिव था। लेकिन ऐसा हुआ, न किसी वर्कर को पता लगा, न लोगों को एक्सप्लेन किया गया कि क्यों ऐसा हो गया।

फारूख अब्दुल्ला पर लोगों ने इल्जाम लगाया कि आज तक वह कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़

रहा था, आज तक कांग्रेस को क्रिटिसाइज करता रहा, आज पता नहीं उसे क्या हो गया कि वह कांग्रेस की भाषा बोलने लगा, कहीं उसने कुर्सी के लिए तो हम लोगों को नहीं बेचा, कहीं कुर्सी के लिए तो उसने अपने आप को नहीं बेच दिया। कांग्रेस के जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हों समझा कि हमें इस्तेमाल किया गया। मेरा मतलब है कि 1987 में वहां जो चुनाव हो गये उसमें कांग्रेस कोई नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में, उस वादी में अपोजीशन में नहीं रह गई। जितनी भी फण्डामेंटलिस्ट फोर्सेज वहां थी, जैसे जमायते इस्लामी वगैरह, एन्टी नेशनल फोर्सेज, सब ने कहा कि हम चुनाव में जायेंगे और वे लोग चुनाव में गये। हर जगह उन्होंने चुनाव लड़े। मेरा कहना है कि कहीं-कहीं ज्यादती हुई, कहीं शिकायत मिली, लेकिन मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि अगर पूरे अच्छी तरह फेयर इलैक्शन भी होते तो भी उस एलायंस को वहां मैजोरिटी मिलती, यह सही बात है। लेकिन इसके बाद क्या माहौल रहा कश्मीर में, उससे सब लोग वाकिफ हैं। इसके लिए हम यहां एक दूसरे पर दोष लगायें, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता। उसके बाद 1986-87 में और बाद में भी वहां कैसा माहौल रहा, मैं एक ही बात की तरफ इशारा करूंगा और वह यह है कि 1983 में नेशनल कांफ्रेंस को 45 और 50 परसेंट वोट पड़े वहीं कांग्रेस को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत 30 था लेकिन जब वहां पार्लियामेंट के लिए चुनाव हुए तो कांग्रेस को दो परसेंट से ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया। इसका क्या मतलब हुआ, कैसे यह हो गया। कैसे लोग कांग्रेस से इतने एलीनेट हो गए। हमारे सामने आतंक की सिचुएशन है। वहां ए० जी० पी० की सरकार है, मुख्य मंत्री हैं, लेकिन वहां अलग तरह की डेसिलेशन की समस्या है। अगर आप कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, सब को छूट दे देंगे कि जैसा दिल में आये करते रहो, सब को हाथ पर रख कर बैठने की इजाजत दे देंगे तो कोई रिएक्शन होने का सवाल ही नहीं है।

कश्मीर के मामले में जो जनरल जिया का एक्शन प्लान था, उसमें कहीं पाकिस्तान ने यह एक्सैप्ट नहीं किया कि कश्मीर भारत का अंग बनकर रहेगा। जिया के प्लान ऑफ एक्शन में कश्मीर में इंसरजेंसी की बात है, अब कश्मीर में सिचुएशन को कैसे स्टेबिलाइज किया जाये, उसकी पूरी डिटेल मैं आपके सामने फीगर्स देखकर रखूंगा। यह कोई छोटे किस्म की बात नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर में जो जंग लड़ रहा है, वह प्रौक्सी जंग लड़ रहा है, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बता सकता हूं कि कितनी उसने इसकी तैयारी की हुई है और क्या तैयारियां हो रही हैं। हमें वहां की सिचुएशन को सही सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जब वहां गवर्नर राज आया, वहां से आल पार्टीज का डैलीगेशन गया था, जिसमें हमारे अपोजीशन के लीडर राजीव गांधी जी भी गये थे, इन्हें मालूम है कि लोग छतों पर मशीनगनें, जुलूसों में आतंकी के सारे सामान रहे थे। किसी को पता नहीं चला। एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट आयी है, दिल्ली सरकार को भी मिली होगी गवर्नर की रिपोर्ट, हर एक के मकसदिक तरीके होते हैं, उन्हें भी रिपोर्ट मिली होगी कि कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कोलैप्स हो गया था। दिल्ली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ करता था। जब एक्शन लिया गया तो जाहिर है उसके खिलाफ रिएक्शन होना जरूरी है। लोग यहां पोलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

अगर कोई माइनोरिटी का सवाल नहीं है। हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई वहां है, उनका भी सवाल नहीं है। वहां जितने नेशनलिस्ट लोग थे, बहुत सारे तो जम्मू आ गये और बहुत से यहां दिल्ली में आ गये और उनमें से आज बहुत कम वापस जाने को तैयार हैं। वहां पहले भी ऐलीनेशन था, 1953 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त भी लोगों का ऐलीनेशन था। लेकिन उस वक्त ग्रेट ऑफ गन नहीं था। कश्मीर की तारीख में ग्रेट ऑफ गन का कल्चर एक नया माहौल हो गया है, इसे मैं साफ कहना चाहता हूं। मेरी इत्तला है कि जो लोग नेशनल कांफ्रेंस के साथ हैं, कोई गांव में बैठा है, किसी कस्बे में कोई बैठा है, उसने अपना दीन-ईमान नहीं बेचा है, वह किसी के साथ अपना सम्बन्ध रखने के लिए की है, चाहे वह नेशनल कांफ्रेंस के साथ है या कांग्रेस के साथ है, लेकिन वह मेरी इत्तला है।

5.00 प० प०

वे समझते हैं यह साजिश है, कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश है। मैं राजीव गांधी के जमाने में टूरिज्म का मिनिस्टर रहा। मुझे पता है, अगर दुनिया में कोई सबसे अच्छा मुकाम है, तो वह कश्मीर है। मैं स्वटजरलैंड भी गया, अगर वल्र्ड की सतह पर, दुनिया की सतह पर कोई सबसे अच्छी चीज है, तो वह कश्मीर है।

[अनुवाद]

जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है।

[हिन्दी]

इसकी तबाही की साजिश हो रही है। वहां अब ऐसा वातावरण नहीं रहा।

डिप्टी स्पीकर सर, कुछ लोग वहां के कुछ लोकल आफीसर्स की बात कहते हैं कि उनको आगे क्यों नहीं किया जाता है? मुझे मालूम है, मेरे समय में वहां जितने भी डिप्टी कमिश्नर थे, अगर किसी को गिरफ्तार करना होता था, तो वे वारण्ट पर दस्तखत करने को तैयार नहीं होते थे। वे कहते थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लोकल पुलिस का क्या रोल रहा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहा, यह मैं जानता हूं मैं यहां कहता चाहता हूं और जगमोहन को बताई देना चाहता हूं कि जिस वक्त वे वहां गए, उस वक्त वहां अंधेरा था, उस समय जम्मू-कश्मीर की हालत बहुत खराब थी, उस सिचुएशन से निपटने के लिए उस सिचुएशन को डील करने के लिए गुर्दा चाहिए था। उसमें वहां एक न्यूक्लियस बनाया, जिन्होंने आतंकवादियों का, मिलिटेंट का मुकाबला किया और बहुत कमजोर हो गए, लेकिन बदकिस्मती ऐसी होती है कि मौलवी फारुख जिन्होंने इस बात का इजहार किया था कि मुझे मारने की साजिश है, मुझे मार दिया जाएगा। वे एक्स्ट्रीमिज्म में विश्वास नहीं रखते थे। वे वहां के लोगों की बात भी करते थे और हिन्दुस्तान के लोगों के हक में भी बात करते

थे। उन्हें मारा गया। अगर आप उनके रिश्तेदारों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके हत्यारों का पता लगाया जा रहा है, उनको आइडेंटीफाई किया जा रहा है, और उनको पकड़ा जाएगा। जो उनके मार्च का जुलूस था उसमें सी० आर० पी० ने कुछ किया, या लोग कहते हैं कि ऐसे हुआ, यह अच्छी बात हुई जब कि उनके लड़के ने कहा कि जनाजे के समय पुलिस की क्या जरूरत है, पुलिस को बाहर कीजिए। उसका बेटा समझाने-बुझाने से मान गया।

डिप्टी स्पीकर सर मैं कहना चाहता हूं कि ये कितने लोग हैं जो ऐसे हैं, हमारी इन्फर्मेशन है कि करीब 4-5 हजार ऐसे लोग हैं जिनको करीब पाकिस्तान में 80 कैम्पों में ट्रेनिंग दी गई है जिनके अन्दर आने के रास्ते कुछ बन्द हुए हैं, वे पाकिस्तान की सरहद पर, पाकिस्तान के नजदीक गांवों में ठहरे हैं, उन्होंने प्रोटैस्ट भी कर लिया है कि 10-12 दिन इन्तजार में हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें खबर दे दिया जाए। हमारी आरमी ने जितना सामान पकड़ा है, उसे पता चला है।

[अनुवाद]

यह एक चाल हो सकती है जैसा जसवन्त जी ने कहा। यह एक सच्चाई हो सकती है।

[हिन्दी]

जो लोग पकड़े गए हैं वे करीब 603 इनफिल्ट्रेटर्स हैं और 197 के करीब एक्काउंटर में मारे गए, जिनमें कुछ हमारे फौजी भी कहीं न कहीं हमले में मारे गए हैं। एम० एम० बी०, बी० पी०, एम० बी० 17, ए० के० 47-74171, पिस्टल्स, रिवाल्वर्स-108, राकेट लांचर-13, गन-80, ग्रेनेड-472, ए० पी०-262, एण्टी टैंक-31, एम्यूनिशन 30 थाउजेण्ड। ऐसा और इतना सामान मेरा है, जो पकड़ा गया। इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने भी कुछ सामान पकड़ा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर में ऐसी इन्सरजेंसी प्लान कर रहा था जिससे कि हमारी फोर्सेस उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएं। जैसे आर्मी के बारे में कह दिया कि उस पर अटैक किया गया। उस जवान को मालूम नहीं है कि कहां से गोली आ जाएगी, कहां से ऐम्बुश किया जाए, उसे क्या मालूम। उसे सिखाया गया है कि गोली आ जाएगी तो उसका क्या करेगा। ऐसी सिचुवेशन पैदा करने की कोशिश की गई। कुछ इलाकों में मिलिटेंट्स के बारे में इनफार्मेशन मिलने के बाद कहा कि आपको इन्तजार करना होगा वक्त का, जब हम कहेंगे तब। एक आर्मड वैन में 27 ए० के० 47 हमने रिकवर किया। उनके प्लान के मुताबिक ऐसे हालात हो जाएं हमारी सरकार कश्मीर में हालात को काबू न कर पाए। हम यह ऐक्सपैक्ट करें कि उनका प्लान अटैक करने का था। इसलिए मेरी साथियो से यह अर्ज है कि किसकी इनटैंशन है, किसका इरादा हो सकता है, मेरा खून भी अब रहा होगा, मैंने भी अपनी सारी जिन्दगी यहां पर दी, 1959 में मैं पौलीटिक्स में आया था।

मैंने यहां पर राष्ट्र विरोधी नारा नहीं दिया, मैंने इस तिरंगे झंडे को थामकर लिया, पूरी कोशिश से मैंने अपने मुल्क को बचा दी, मैंने पाकिस्तान का नारा नहीं दिया, मैंने देश के हक में बात

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

की। क्या मैं यह चाहूं कि कश्मीर के लोगों पर जुल्म हो जाए, कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन जैसा मेरे साथी श्री इन्दरजीत ने कह दिया, कितने लोग मारे गए, शेख मंसूर मारा गया, हलवाई मारा गया, गुलाम अली मारा गया, गुलाम मुस्तफा मीर मारा गया और बहुत सारी हमारी बहनों, बेटियों को इसी तरीके से मारा गया। जैसा श्री हांडू कह रहे थे, एक लेडी डाक्टर, हैडमिस्ट्रैस के साथ क्या किया गया, कैसे मारा गया, गोली से नहीं, स्ट्रैंगुलेशन से मारा गया। कितना अच्छा होता जो लोग इन्सानियत की बात करते हैं, जो लोग इन्सान के बुनियादी हक की बात करते है, जो लोग ह्यूमन राईटस की बात करते हैं, क्या उन लोगों ने जबान से अपनी पार्टी के मारे गए लोगों को भी कनडैम किया गया ? यह जरूरी नहीं है मिलिटैन्टस के सामने सैटिफिकेट हो अगर किसी बुरे काम की, अगर किसी चीज की आप मजम्मत करते है जिसको आतंकवादी ने मारा, चाहे हमारा बेटे को मारा हो, चाहे हमारी साथी को मारा हो, कश्मीर द्वारा उसकी भी मजम्मत करनी है। अगर कहीं हमारी फोर्स ने भी गलत किया, उसकी भी मजम्मत करनी है, दोनों तरफ चलना है। यह जो कैम्पेन और डिस्इनफार्मेशन, मैं जानता हूं कश्मीर में किन हालात में हमारी सिक्युरिटी फोर्सेस काम करते हैं। सख्त सर्दी में, उनको मालूम नहीं ऐसे हालात थे कि लोग आगे पिकेट पर बैठे है तो गोली चल रही है। लेकिन कितने इनसीडेंट हुए हैं स्नीपिंग के, रोज 10-12 होते हैं। सोमर में ऐम्बुश हुए, हमारी बी० एस० एफ० के पांच जवानों पर अटैक करके उनको मारा गया, कोई काउंटर फाइल नहीं है।

इसी तरह से श्रीनगर में हमारी फोर्सेस पर अटैक होता है, राकेट से होता है लेकिन इतना रैसट्रेंट है कि कहीं-कहीं गलती भी होती है। वहां इस तरह का कैम्पेन है कि हमारी फोर्सेस को डीमोरलाईज किया जाए, ऐसे वाक्यात हैं बी० बी० सी० के, जो बी० बी० सी० इसको बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है, वह भी गया था। उनके पास दो-तीन औरतें लाई गई कि रेप हुआ है। उसने जब इन्टरव्यू लेना चाहा तो उसने खुद ही फैसला किया कि यह बनावटी है, इन औरतों से कहा गया है कि आप ऐसा कहिए। उसने खुद ही फैसला किया कि वह इन्टरव्यू लेने के लिए तैयार नहीं है। एक डिस्इनफार्मेशन का कैम्पेन हमारी सिक्युरिटी फोर्सेस के खिलाफ चलाया जा रहा था। मेरे पास जो रिपोर्ट है, कोई जो इनटैलीजैंस में काम करता है, जिसको सही इतिला देनी है, उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि सही इतिला दे, गलत क्यों दे। क्यों नहीं बताया कि कितने लोग मारे गए ? मैं आपको बता दूं कितने लोग मिलिटैन्टस ने मारे हैं, कितने लोग सिक्युरिटी फोर्सेस की क्रास फायरिंग में मरे हैं।

मिलिटैंट्स ने इस साल गवर्नमैंट एम्पलाइज 53, टोटल सिक्योरिटी पारसानेल 76 और दूसरे लोग 260 मारे हैं। इस प्रकार टोटल 289 लोगों को मारा है। इसके अलावा क्रास फायरिंग में टोटल 329 मारे गये हैं। किसी से जब इसके बारे में पूछा गया तो कहा गया कि हजारों की तादाद में मारे गये हैं जबकि ऐसी कोई बात नहीं है।

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

सशस्त्र बल [जम्मू-कश्मीर] विशेष शक्तियां विधेयक

खुराना साहब ने ठीक कहा कि जगमोहन के समय में यह फैसला हुआ था कि किसी के मारे जाने पर उनके परिवार वालों को एक लाख रुपये और उसके डिपेंडेंट को रोजगार दिया जाता था। इसमें भी एकडिस इनफर्मेशन की शिकायत चल रही है। यह एक हकीकत है। इसमें पुलिस के कुछ परसानेल हैं। इसमें शिकायत की गई कि बहुत सारे लोग मारे गये हैं लेकिन मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं।

इसके अलावा पिछले कुछ समय में ए० के०-47 राइफिलें 501 पकड़ी गई। पहले एक साल-दो साल के अन्दर इतनी मात्रा में पंजाब से ए० के०-47 हमारे द्वारा पकड़ी जाती थीं।

[अनुवाद]

इनकी तादाद का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं।

[हिन्दी]

इस बार की कश्मीर की स्थिति से ऐसा लगता है कि कश्मीर के लोग उससे तंग आ गए हैं। ऐसा माहौल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी पैदा हुआ है। गोर्बाचौफ की लिबरलाइजेशन की पालिसी कर वहां जुलूस निकाले गये। जुलूस निकालने के बाद दूसरे दिन बाद वह आजाद हो गये। ऐसा रूमानिया और दूसरे कंट्रीज में भी हुआ।

हमारे प्राइम मिनिस्टर रोज इस बात को कहते हैं कि हमसे जितना हो सकेगा हम वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। सुरक्षा के नाम पर जितना केन्द्र सरकार से हो सकता है, वह उसको करेगी। जितनी हमारी ताकत है, उस सबको हमने इसमें लगाया है। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि घुसपैठिये हमारे क्षेत्र के अन्दर न आ सकें। हमारे प्राइम मिनिस्टर रोज वहां की स्थिति को मानिटर कहते हैं। यह प्रोग्राम यह मैसेज साफ दुनिया को हमने दिया है, कश्मीर के लोगों को दिया है।

[अनुवाद]

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा।

[हिन्दी]

इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यह मैसेज मिलिटेंट्स को भी गया है कि बन के जो से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। जो डिस्टर्बेंस एरि की बात करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वह नागालैंड में और मिजोराम में कितने दिन रहा हमारे इस सिस्टम में, हमारे इस निजाम में एक ताकत है।

[अनुवाद]

हमारा एक लोकतान्त्रिक देश है। हम बातचीत करके समस्या सुलझाना चाहते हैं।

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

[हिन्दी]

लेकिन जो आतंकवादी होगा जो गन की नोक पर बात करना चाहेगा हम उससे बात करने वाले नहीं है। इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है।

कश्मीर में बहुत सारे आर्टिजन्स हैं और वे कालीन बनाने और पेपरमाशी का काम करते हैं, इनका हुनर दुनिया भर में मशहूर है, उनका सामान आज कोई खरीदता नहीं है, जैसे कश्मीर का मेवा है, उसको लाने का हमने इन्तजाम किया है। कुछ दूसरी प्राबलम्स भी हैं, जो लोग टूरिज्म में काम करते थे।

पिछले दो साल से वहां लोगों के साथ कुछ नहीं है, पहले तो लोग मंजूर ही नहीं करते थे, अगर कोई हमारा भाई वहां पुलिस की गोली से मरता या आतंकवादी की गोली से मरता भी था तो कहता कि मुझे जरूरत नहीं है, यह हालात थे लेकिन अब सूरत बदल गई है। लोगों में वह हमदर्दी का जज्बा नहीं रहा। अगर लोग उनके कहने पर हड़ताल करते हैं तो वह डर के मारे करते हैं। आप कश्मीर के हर गांव में जाइये, कस्बे में जाइये, लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हुए हैं, मौजूदा जमाने का एक नजरिया होता है, वह उनमें पूरा है, लोग तंग आ गये हैं लेकिन आप न्यूरो का टैस्ट इससे नहीं करेंगे कि आप कितने लोगों को रोजगार देंगे, वह भी दे दीजिए, कितने लोगों को काम देना है, वह जुनूने हवा फैली थी कि हम ही सब कुछ है तो उनको मालूम हो गया, यह पस्पा हो रहे हैं, लोग। इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। कश्मीर का पूरा इन्टेलिजेंस का सिस्टम जो था, वह तबाह हो गया था लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं, स्पेसिफिक इन्फार्मेशन जो पिछले दिनों श्रीनगर में जे० के० एल० एफ० की टाप लीडरशिप को पकड़ा गया, वह इन्फार्मेशन प्राप्त हुई, जो हिज्बे मुजाहिदीन के पास जाते हैं, वह इन्फार्मेशन की बुनियाद पर पकड़े जाते हैं, तो सब एक इन्फार्मेशन मिलती है, पहले जनरल मीस हुआ करती थी, उसके बारे में जो मौजूदा गवर्नर हैं, उनकी पालिसी बिल्कुल साफ है, उन्होंने एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से पकड़ा गया हो तो उसको छोड़ा जायेगा तो यह एक अच्छा हुआ है। मैं कहूंगा कि सारी फोर्सेज में पंजाब से बेहतर वहां पर कोआर्डीनेशन है और बहुत हद तक मिलीटेंसी पर और टैरेरिज्म पर कंट्रोल हो रहा है, तो यह एक अच्छी बात है। जैसा जसवन्त सिंह जी ने कह दिया कि।

अनुवाद]

सेना को इन सबसे अलग रखा जाना चाहिए। कश्मीर में सेना की भूमिका प्रशंसनीय नहीं

[अंग्रेजी]

पिछले 40 साल में मैं रोजौरी, पुंछ के एरिया में घूमा हूं, दौरा किया है, इतने अच्छे रिलेक्शन

हैं, कोई एक इंसीडेंट भी नहीं जहां आर्मी के बारे में शिकायत हो, लोगों पर ज्यादती करने की, मैं रिकार्ड पर यह बात लाना चाहता हूं। अगर कोई बतायेगा, कोई ऐसी शिकायत तो बताये। बल्कि आर्मी लोगों की अगर अस्पताल की कमी है, वहीं डाक्टर की है, वहीं स्कूल की जरूरत है तो आर्मी लोगों का काम करती है लेकिन एक ...(व्यवधान)... आर्मी के बारे में मैं यह कह रहा था, मैं यह कह सकता हूं, अगर कोई चैलेंज करना चाहे मुझे, आर्मी का जम्मू कश्मीर के बारे में रोल 1947 से लेकर आज तक कमाण्डेबल रोल रहा है, लोगों के साथ उनका बर्ताव ठीक रहा है लेकिन बदकिस्मती है, जैसे यह कह रहे थे, प्यारे लाल जी साहब कि उधर सिक्योरिटी फोर्स का ठीक है, यह देख लीजिए, लोग 900 के करीब तादाद में पकड़े गये, मारे गये तो इनमें पाटन से चले थे तो इनमें यह किया गया। यह बात सही है कि अगर कहीं हुआ तो उसके बारे में हमने कोई बात छिपाई नहीं है, वहीं बी० एस० एफ० ने ज्यादती की है।

[अनुवाद]

इन्सान ही भूल करता है।

[हिन्दी]

उसको सारी फोर्सेज को आप कण्डेम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने गलती की है, सारे केसेज की मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, हर एक के लिए एक्शन लिया गया है। नम्बर आफ क्रिमिनल केसेज रजिस्टर्ड और जिसमें इक्वायरी वगैरह भी आर्डर हुई है, वह 32 हैं। श्रीनगर में 22, जो आप इंसीडेंट्स कहते हैं, पुलवामा में तीन, बारामुला में दो, अनन्तनाग में चार, बडगाम में एक।

[अनुवाद]

सेना द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 मामलों में जांच का कार्य पूरा हो रहा है तथा विभिन्न चरणों में, मारे गये सुरक्षा कार्मिकों की संख्या 76 है, बी० एस० एफ० 20, सी० आर० पी० एफ-24, शेष जम्मू कश्मीर पुलिस व अन्य बलों में थे।

[हिन्दी]

तो उसमें हमारी भी दिलचस्पी है जो ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन के बारे में यहां चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं की कि जिनको मिलिटेंट ने मारा या उनकी भी बात को सुनते। यह एक तरीका बना हुआ है किसी जगह जाने का, यहां औरतों को बेइज्जत किया जाता है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पर बिलकुल डिटर्मिनेशन है कि जिसने ज्यादती की होगी, उसको सजा मिलेगी। लेकिन यह कहना नहीं बनता है कि सारा डिसइनफोरमेशन फैला दिया, हमारे फोर्स को डिमोरेलाइज करने के लिये इन्होंने यहां पर ऐसा माहौल बना दिया है।

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

आफिसर भी आते हैं और कहते हैं कि हम ठीक करेंगे। हम लोग कहते हैं कि ऐसे ही एक दिन काश्मीर हिन्दुस्तान का ताज बनेगा।

[अनुवाद]

कश्मीर भारत का ताज है और यह भारत का ताज बना रहेगा।

[हिन्दी]

मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि काश्मीर को हम अपने साथ रखेंगे और वहां के लोगों को भी हम अपने साथ रखेंगे। एक और बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मिलिटेंट्स के खिलाफ अच्छी तरह से केस बनाये हैं और उन केसिस को भी रजिस्टर किया है। मौलवी फारूख के जो एसेसीनेटर्स हैं उनको भी आईडेंटीफाई किया है और उनको भी पकड़ा जायेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्यारे लाल हांडू : क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो आतंकवादियों के विरुद्ध या सेना द्वारा की गई ज्यादतियों के विरुद्ध जनवरी 1990 में दायर दो मामले न्यायालय को भेज दिए गए हैं या नहीं ? यदि हां, तो कहां ?

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : सबसे बदकिस्मती की बात यह रही कि जिस बात के लिये हम काश्मीर को हिन्दुस्तान के लोग बधाई देते थे, वह वहां की एक मिली-जुली तहजीब थी। जब सारे देश में इंसानियत दम तोड़ रही थी तो काश्मीर मे सेक्युलरिजम की बहुत अच्छी मिसाल थी, लेकिन काश्मीर में बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन अफसोस है कि बदकिस्मती से कुछ हमारे पंडित भाई काश्मीर से आ गये हैं क्योंकि वहां के हालात ठीक नहीं थे। इससे वहां के लोगों को बड़ा दुख हुआ है इससे वहां की सरकार का भी ताल्लुक है और मरकजी सरकार का भी ताल्लुक है। टोटल जितने आये हैं उनके बारे में इनफोरमेशन ये है।

फैमिलिज जिनको दी गई है, वे 26480 हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

जिन परिवारों को मुफ्त राशन प्राप्त हुआ उनकी संख्या 45,589 है; जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 3 कैम्पों में जिन परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है उनकी संख्या 5,128 है। जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गयीं, वे इस प्रकार हैं : वित्तीय सहायता, वह अधिकतम 1000 रुपये प्रति मास प्रति परिवार है, चीनी, खाद्य तेल, चाय आदि जैसी राशन की वस्तुएं। इन सभी क्षेत्रों में

उचित दर दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में, प्रवासी परिवारों की पंजीकृत कुल संख्या 11,392 है और कैम्पों में जिन्हें आवास प्रदान किया गया है उन परिवारों की संख्या 349 है। हाल ही में 3 कैम्प स्थापित किये गये हैं जिनमें 150 परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की गई लेकिन इन कैम्पों में केवल 49 परिवारों ने शरण ली है। कैम्पों में रहने वालों को आटा दाल चावल खाद्य सामग्री दी जा रही है। जिन परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है उनकी कुल संख्या लगभग 15,000 है, अन्य परिवारों ने इस सहायता के लिए नहीं कहा है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवानी (नई दिल्ली) : अमाउंट कितना है ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अमाउंट कम है, 500 रुपये है।

श्री लाल कृष्ण आडवानी : 500 रुपये एक बार ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जी हां। (व्यवधान)

दूसरा यह है कि जितने बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, मेडीकल कालेजेज में, इंजीनियरिंग कालेजेज में या अन्य स्कूलों में, उन सब को हमने एडमीशन की सुविधा दी है, इसमें जम्मू मेडीकल कालेज के लड़के भी हैं।

इसी तरह से पेंशन का और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायज का मामला है। एक प्राइवेट कालेज है प्रेमनाथ मेडीकल कालेज के कुछ बच्चे रह गये थे, आज इंडियन मेडिकल काउंसिल और हैल्थ मिनिस्टर साहब के साथ बात करके उनको भी ले लिया जायेगा। (व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो शरणार्थी श्रीनगर से आए हैं कश्मीर से आए हैं उनका पैसा वहां पर बैंकखानों में जमा है, यहां पर पासबुक दिखाने पर उनको एक पैसा भी उसमें से नहीं दिया गया है और सरकार की तरफ से भी पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। इसलिए क्या पोस्ट आफिसेस को इस तरह के निर्देश दिए जाएंगे कि इन लोगों को यहां पर बैंकखानों से भुगतान की सुविधा मिल सके। (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : श्रीनगर इंजीनियरिंग कालेज के 431 लड़कों को दूसरे कालेजों में एडमीशन दिया गया है। इसी तरह से श्रीनगर कालेज के 125 ग्रेजुएट्स और 27 पोस्ट ग्रेजुएट्स का भी दूसरे कालेजों में इन्तजाम किया गया है। इसी तरह से एग्रीकल्चर कालेज, श्रीनगर पोलीटेक्नीक कालेज तथा यूनिवर्सिटी तथा कालेजेज में जो लड़के पढ़ते थे, उनका भी इन्तजाम किया गया है।

बैंक में ट्रांसफर्स के बारे में भी कह दिया है, जितने एम्प्लाइज कश्मीर के दिल्ली में हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशंस में काम करते हों, बैंक में, इंश्योरेंस में या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हों ··(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : मुझे मालूम हुआ है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर इशू किया है कि कश्मीर के जो स्टूडेंट्स दिक्कत में हैं, उनके लिए रूल्स रिलेक्स करके उनको एडमीशन दिया जा रहा है। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का सर्कुलर निकाला जाए, ताकि कश्मीर के स्टूडेंट्स को उसमें भी एडमीशन दिया जा सके।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : हां, जामिया मिलिया में किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात कर लेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एम्प्लाइज के बारे में अभी बात की, एच० एम० टी० एम्प्लाइज के बारे में क्या पोजीशन है, कहा जा रहा है कि उनका डिमोशन किया जाएगा।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : वह भी कर लिया है, एच० एम० टी० के चेयरमैन और दूसरे अधिकारियों को बंगलौर से कल बुलाया था, 600 के करीब एंप्लाइज हैं जो श्रीनगर में काम करते हैं, 400 के करीब आये हैं। इनका एक तो पे का मामला था, दूसरा यह कह रहे हैं कि जिस इंस्टीट्यूशन में जहां भी उनको भेजा जाएगा, जो ग्रेड वहां उनको मिलता है, वही ग्रेड उनको मिलेगा। वे यह कहते हैं कि यहां के लोकल जो काम करने वाले हैं, वे इस बात को नहीं मानेंगे। टैम्परेरिली वे काम कर सकते हैं, पे पूरी मिल सकती है, सिक्योरिटी और स्टेटस पूरा होगा, लेकिन जो उनका वहां ग्रेड है वह यहां नहीं मिल सकता है। उसमें यूनियन वाले इंसिस्ट करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, लोग कई दिनों से यहां बैठे हुए हैं और अप्रैल के महीने के बाद उनको तनख्वाह नहीं मिली है। उनसे यह कहा गया है कि तुम डिमोट होकर जा सकते हो, किसी भी स्थान पर डिमोट होकर जा सकते हो। यह स्थिति है। मैं चाहता हूं कि ये जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसको तुरन्त खत्म किया जाए और गवर्नमेंट को इसमें इन्टरवीन करना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह।

एक माननीय सदस्य : मैं जम्मू में गया था···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, मैंने दिनेश सिंह जी का नाम लिया है।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री जी ने बताया कि क्या इन्तजाम उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जो कश्मीर वैली से आकर जम्मू या दिल्ली में रिफ्यूजी की तरह से बसे हैं। मैंने कल गृह मंत्री जी से कहा था कि ये जो आप इन्तजाम कर रहे हैं, उनको बाहर से लाकर बसा रहे हैं, यही तो वहां के टैरोरिस्टस चाहते हैं कि ये लोग निकल जाएं। आप कैम्पस वैली में क्यों नहीं लगाते हैं, उनको वहां क्यों नहीं बसाते हैं। यही सुविधाएं उनको वहां क्यों नहीं देते हैं? वहां से जो निकालते हैं आप उन्हीं के मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? आप 500 या 1000 रुपया दे दें और वैली पाकिस्तान बन जाए? आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब, श्री बसवन्त सिंह आप केवल अपने संकल्प से सम्बन्धित मुद्दों पर ही बोलेंगे क्योंकि और समय नहीं है।

श्री बसवन्त सिंह (जोधपुर) : मैं केवल उन मुद्दों पर बोलूंगा। लेकिन वह जो कहेंगे उन्हें व्यवधान ही माना जाएगा।

श्री धर्म पाल शर्मा : महोदय, उन्होंने मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर नहीं दिया है। जम्मू-कश्मीर में लोगों का जीवन खतरे में है। उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री धर्म पाल शर्मा : महोदय, उन्होंने उठाये गये मुद्दों के बारे में कुछ नहीं कहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा, यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री धर्म पाल शर्मा : महोदय, कश्मीर के लोग···

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। मैं खड़ा हुआ हूं, आप बोल रहे हैं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री धर्म पाल शर्मा : हम यहां लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री बसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में जैसे ही व्यवधान समाप्त होगा अपनी बात कहना शुरू करूंगा। ऐसी प्रथा है···(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित स्पष्टीकरण है। इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूंगा, इसके बावजूद कि···(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : ये स्पष्टीकरण वे माननीय सदस्य पूछ रहे हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है। मैं नहीं जानता कि आपको जल्दी क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं। आप उन्हें स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? यह एक सामान्य प्रथा है (व्यवधान) उन्हें स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति देने में नुकसान क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह जी, आप इस बात की बहुत ही सराहना करेंगे कि जब आप सभा में नहीं थे तो मैंने प्रत्येक सदस्य को 20 मिनट बोलने की अनुमति दी है। यदि उनके पास कोई मुद्दा था तो वह उस समय उस मुद्दे को उठाते। बाद में, यदि प्रत्येक सदस्य खड़ा होकर बोलना चाहता है, तो मैं उनको अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : मान लीजिए मैं कल यहां पर नहीं था, तो मुझे स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है अर्थात ऐसा होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री धर्मपाल शर्मा : मैंने एक मुद्दा उठाया था कि हमारा जीवन खतरे में है। लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : क्या गृह मंत्री को यह आश्वासन नहीं देना चाहिए कि वह उनकी सुरक्षा करेंगे? क्या आप इतना भी आश्वासन नहीं दे सकते?

[हिन्दी]

एक पोलिटिकल लीडर को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो बाकी लीडर्स को प्रोटेक्शन देंगे या नहीं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप यह नहीं कहने जा रहे कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जी, हां। (व्यवधान) यह हमारा उत्तरदायित्व है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद के इस स्तर पर यह प्रथा रही है कि उन

सभी सदस्यों का धन्यवाद किया जाए जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और तदनुसार मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं (व्यवधान) जिनमें वह भी शामिल है।

महोदय, मुझे बताया गया कि···

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपने भी संकल्प का समर्थन किया है।

श्री जसवन्त सिंह : जी हां, मैंने इसका समर्थन किया है। इस तथ्य के बावजूद भी कि उन्होंने हमें बताया कि पेश की जा रही दलीलों का रुख अलग-अलग दिखाई देता है, महोदय, मैं यह मानता हूं कि कश्मीर के बारे में जो हमारी बुनियादी चिन्ता है उससे सम्पूर्ण सदन सहमत है। यह बात हम सभी के लिए समान है दृष्टिकोण में अन्तर हो सकते हैं परन्तु यहां तो दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं, शायद सहजा भिन्न हो सकता है, और मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। महोदय, जैसा कि मैं समझता हूं और आम तौर पर यह माना जाता है कि लोकतन्त्र में बातचीत के द्वारा ही समस्या को सुलझाया जाता रहा है। अब यदि लोकतन्त्र में समस्या को बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जाता है तब हममें से, सभा के कुछ वर्गों द्वारा जैसा कि गत कुछ दिनों में काफी शोर-शराबा किया गया है, उसे बन्द करना होगा। (व्यवधान) अतः सभी मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी है। (व्यवधान) मैं अभी एक अथवा दो पहलुओं पर बोलूंगा। (व्यवधान)

महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैं उन भारतीय नागरिकों के बारे में उन मुद्दों को छोड़ना नहीं चाहता जिन्हें अपने घरों के बाहर रहना पड़ रहा है।

कश्मीर के माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कश्मीर की जनता को मुझे क्या संदेश देना है। यह एक अत्यन्त साधारण सा संदेश है कि कश्मीर भारत का एक अंग है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका संकल्प नहीं है। आपका संकल्प निरनुमोदन के लिए है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं। जबकि जम्मू-कश्मीर की स्थिति इतनी गम्भीर है, जो मैंने पहले ही स्पष्ट किया है और जिस बात से पूरी सभा सहमत है, यह उन आपत्तियों से कहीं अधिक है जो मैंने अध्यादेश विशेष की तकनीकियों के सम्बन्ध में उठाई है, मैं अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इससे सहमत है कि श्री जसवन्त सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प वापस ले लिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

(संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। विचार के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री प्यारे लाल हाण्डू और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने तीन संशोधन दिए हैं। क्या वे अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री प्यारे लाल हाण्डू : महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री प्यारे लाल हाण्डू द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 17, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 18, सभा की अनुमति, से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार करने वाला प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि जम्मू-कश्मीर राज्य के विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सदस्यों को विशेष शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी ।

खण्ड 2— (परिभाषाएं)

श्री प्यारे लाल हाण्डू : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर "अभिप्रेत है" प्रतिस्थापित किया जाए (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"वायु सेना अधिनियम, 1950 या" का लोप किया जाए । (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,—

"जो उन अधिनियमों में है" के स्थान पर "इस अधिनियम मे है" प्रतिस्थापित किया जाए । (7)

उपाध्यक्ष महोदय : और भी बहुत से संशोधन हैं और आप तो पहले ही बोल चुके है।

श्री प्यारे लाल हाण्डू : मैं अपना संशोधन वापस नहीं ले रहा हूं । यह मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए । यह सशस्त्र सेना को सेना अधिनियम में परिभाषित विशेष शक्तियां दे रहे हैं । इसके साथ वायु सेना मत मिलाइए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री पी० एन० हाण्डू द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5, 6 और 7 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 5, 6 और 7 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।)

खण्ड 3 — (क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने की शक्ति)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्यारे लाल हान्डू । क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री प्यारे लाल हान्डू : जी, हां ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 9 से 19 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** —

"ऐसे क्रियाकलापों को रोकने के लिए, जो भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखण्डता का प्रत्याख्यान करने, उसे विवादास्पद बनाने या विच्छिन्न करने या भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग को अलग कराने या संघ से भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का विलय करने या भारतीय राष्ट्रध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और भारत के संविधान का अपमान करने के लिए उद्दिष्ट आतंकवादी कार्य अन्तर्ग्रस्त हैं," (8)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 22, **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाए**—

"परन्तु इसके जारी हो जाने के छह मास बीत जाने के पश्चात कोई अधिसूचना प्रवर्तन में नहीं रहेगी ।" (5)

अभी तक हम कश्मीर और कश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे । यह संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किया है यह खण्ड (क) और (ख) के पुन: समूहीकरण के संबंध में है । कृपया श्री मुफ्ती इस बात को याद करें कि यह खण्ड 1985 की दल-बदल सरकार के दौरान अनुच्छेद 370 का प्रयोग करके पुर:स्थापित किया गया था । कोई भी कश्मीरी आपको इसे अधिनियम में जोड़ने के लिए क्षमा नहीं करेगा । मैं यह ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मुफ्ती साहब के लिए खण्डों के पुन: श्रेणीबद्ध करने और इसके कुछ अंश निकालने में आसानी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के प्रत्येक सदस्य ने संकल्प और विधेयक को स्वीकृति दे दी है । कुल मिलाकर इस पर सहमति है । मुझे लगता है कि इस विधेयक का किसी ने विरोध नहीं किया है ।

श्री प्यारे लाल हान्डू : जो आप कहेंगे मैं उसको स्वीकार करता हू । यदि आप मुझे आरंभिक शब्द बोलने की भी अनुमति नहीं देंगे तो मैं बैठ जाता हूं । भावी पीढ़ी को इस बात का पता चले कि किसी ने आपके सामने संशोधन के द्वारा सच्ची स्थिति लाने का प्रयास किया है । यह ऐसी बात है जिसकी ओर सभा को ध्यान देना चाहिए ।

मैंने आपसे निवेदन में पहले इसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया था । अब मुझे इस पर बोलने का

का लालच हो रहा है क्योंकि मुफ्ती साहेब ने आज बहुत अच्छा भाषण दिया है। मैं उन्हें 100% अंक दूंगा। अपनी जिन्दगी में एक बार फिर उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ा है अर्थात जब उन्होंने आज वर्ष 1953 और शेख साहब की गिरफ्तारी के बारे में बात की। कृपया इस बात को स्वीकार करें कि इन घटनाओं का एक कारण जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 356 लागू करना था। यह पहला कारण है।

संघ की प्रविष्टि 97 को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू करना दूसरा कारण था।

मैं तो आपको केवल यह याद दिलाऊंगा कि 1953 में शेख साहब की गिरफ्तारी के बाद भी अनुच्छेद 356 और प्रविष्टि 97 को जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं किया गया था जबकि 14 मई, 1954 को संविधान को लागू करने संबंधी आदेश भी जारी किया गया था जिसमें शेख साहब के रवैये को ही बरकरार रखा गया। इसीलिए न तो अनुच्छेद 356 और न ही प्रविष्टि 97 को जम्मू और काश्मीर पर लागू किया गया है। बाद में क्या किया गया था ? यदि आपको याद हो, 1985 की दल-बदलुओं की सरकार के दौरान राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा संशोधित प्रविष्टि 97 को दो कारणों से लागू किया गया था। मैंने उन्हें एक साथ मिला लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक अनुमति नहीं दूंगा। यह ठीक नहीं है।

श्री प्यारे लाल हान्डू : इस अधिनियम के अनुसार मैं चाहता हूं कि देश की एकता के विरुद्ध काम करने वाली राष्ट्रीयध्वज का सम्मान न करने वाली और देश की एकता के खिलाफ जाने वाली, ताकतों के विरुद्ध सेना का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि लोग अपनी ही स्थानीय सरकार के खिलाफ परिवर्तन हेतु लड़ाई छेड़ रहे हैं तो इस अधिनियम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप एक ऐसी चीज कर रहे है जो ब्रिटिश शासन काल में भी नहीं की गई। आपको सेना को इतनी लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। यदि मैं केन्द्र सरकार के विरुद्ध हूं तो भी राजद्रोह पर सेना के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। लेकिन यदि मैं देश को अखंडता राष्ट्रीयध्वज के सम्मान और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कार्य कर रहा होऊं तो इस तरह सेना के उपयोग की इजाजत दी जा सकती है। यही इस संशोधन का मर्म है।

मैं यह संशोधन यह दिखाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो कुछ भी काश्मीर के लोगों की राय लिए बगैर किया गया उसमें उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खड 3 पर संशोधन संख्या 8 और 9 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 8 और 9 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 3—(क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने की शक्ति)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्यारे लाल हाण्डू । क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री प्यारे लाल हाण्डू : जी, हां ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 9 से 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"ऐसे क्रियाकलापों को रोकने के लिए, जो भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखण्डता का प्रत्याख्यान करने, उसे विवादास्पद बनाने या विच्छिन्न करने या भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग को अलग कराने या संघ से भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का विलय करने या भारतीय राष्ट्रध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और भारत के संविधान का अपमान करने के लिए उद्दिष्ट आतंकवादी कार्य अन्तर्ग्रस्त हैं," (8)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 22, के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु इसके जारी हो जाने के छह मास बीत जाने के पश्चात कोई अधिसूचना प्रवर्तन में नहीं रहेगी ।" (9)

अभी तक हम कश्मीर और कश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे । यह संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किया है यह खण्ड (क) और (ख) के पुनः समूहीकरण के संबंध में है । कृपया श्री मुफ्ती इस बात को याद करें कि यह खण्ड 1985 की दल-बदल सरकार के दौरान अनुच्छेद 370 का प्रयोग करके पुरःस्थापित किया गया था । कोई भी कश्मीरी आपको इसे अधिनियम में जोड़ने के लिए क्षमा नहीं करेगा । मैं यह ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मुफ्ती साहब के लिए खण्डों के पुनः श्रेणीबद्ध करने और इसके कुछ अंश निकालने में आसानी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के प्रत्येक सदस्य ने संकल्प और विधेयक को स्वीकृति दे दी है । कुल मिलाकर इस पर सहमति है । मुझे लगता है कि इस विधेयक का किसी ने विरोध नहीं किया है ।

श्री प्यारे लाल हाण्डू : जो आप कहेंगे मैं उसको स्वीकार करता हूं । यदि आप मुझे आरंभिक शब्द बोलने की भी अनुमति नहीं देंगे तो मैं बैठ जाता हूं । भावी पीढ़ी को इस बात का पता चले कि किसी ने आपके सामने संशोधन के द्वारा सच्ची स्थिति लाने का प्रयास किया है । यह ऐसी बात है जिसकी ओर सभा को ध्यान देना चाहिए ।

मैंने आपसे निवेदन में पहले इसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया था । अब मुझे इस पर बोलने का

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 4 पर संशोधन संख्या 10 से 14 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10 से 14 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 5 पर कोई संशोधन नहीं है।

अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और अभिगृहीत की गई सम्पत्ति का पुलिस को सौंपा जाना)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्यारे लाल हान्डू ने एक संशोधन का सुझाव दिया है।

श्री प्यारे लाल हान्डू : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30 –

"यथाशीघ्र" के स्थान पर "अड़तालीस घंटे के भीतर" प्रतिस्थापित किया जाए (15)

उसका यह भी परंतुक होना चाहिए कि वह मजिस्ट्रेट को सूचना "यथाशीघ्र" के स्थान पर "24 घंटे के अन्दर" दे, जैसाकि मैंने सुझाव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री प्यारे लाल हान्डू द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 7 और 8 के लिए कोई संशोधन नहीं हैं। इसलिए, मैं इन्हें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 और 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री धर्म पाल शर्मा : महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

श्री हरीश रावत।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हाउस में इस मामले में बड़े विस्तार से विचार किया है और जहां तक सवाल इस विधेयक के जरिए सख्ती लाने का है, माननीय गृह मंत्री जी, आप कितनी भी सख्तियां लाना चाहते हों, हम उसके पक्ष में हैं और आप मेहरबानी करके हमें इतना एश्योर करने की कृपा करें कि उन ताकतों का आप उपयोग करें इस मामले को लेकर के उससे

कश्मीर की समस्या का समाधान हो सके और वहां जल्दी से जल्दी शांति आ सके। कश्मीर पहले की तरह देश के विकास में, देश की तरक्की में भागीदार बन सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने माननीय गृह मंत्री जी की तकरीर को बड़ी बारीकी से सुना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हरीश रावत जी, कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री हरीश रावत : मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। मैं केवल विधेयक के तकनीकी पहलुओं पर बोल रहा हूं। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जो बात मैं कहना चाहता हूं उसे सुनिए। आपके सूचनार्थ मैं नियम को पढ़कर सुना रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक के तकनीकी पहलुओं पर बोल रहा हूं। आपको नियम उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों ?

श्री हरीश रावत : मैं उसे जानता हूं। मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। बात यह है कि खंड 2 को यह सभा पहले ही पारित कर चुकी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उसमें एक बिन्दु है जिसके विषय में यहां जिक्र किया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को इसलिए तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपनी तकरीर में राष्ट्रवादी जनता बहुत दिखाया है और जो दर्द उन्होंने दिखलाया है, उसके लिए मैं उनको सराहना करता हूं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर संदेह पैदा नहीं करना चाहिए। हम तो यह कहना चाहते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने 1947 से लेकर आज तक बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और सारा सदन इसकी तारीफ करता है और हमको इस बात का यकीन है कि जितनी भी शक्ति दी जाएगी, उसको वे पूरी गम्भीरता से पूरा करेंगे।

माननीय गृह मंत्री जी को यह नहीं कहना चाहिए कि उनके ऊपर कुछ लोग संदेह प्रकट कर रहे हैं या आक्षेप लगा रहे हैं। किसी ने उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया है।

यदि आक्षेप लगाया है तो सरकार के इरादे के ऊपर लगाया है, इसके पास यह पोलीटिकल विल है या नहीं है कि यह ठीक तरह से, प्रोपरली उनको गाईड कर सके या नहीं कर सके, उस पर

हमने संदेह प्रकट किया है, यही मैं स्पष्ट करना चाहता था। मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्री जी आपने जो अपना सन्देह प्रकट करने की कोशिश की है, मेहरबानी करके आप इसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव बोलेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मेरी बात कह दी गई है। इसलिए, मैं नहीं बोलना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जी नहीं, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.00 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 15वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री वी० धनेन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रसारण निगम की जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना का उपबंध करने, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियां परिनिश्चित करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम अब पहले वाले विधेयक को पारित कर चुके हैं, हमें कुछ आराम करना चाहिए। सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 22 अगस्त, 1990/31 श्रावण, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सन लाइट प्रिंटर्स, डा० सेन मार्ग, 2265